गुरुवार, 17 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(07 जून, 2012 ई0)

खण्ड-479
अंक-08

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न सं0-2 के उत्तर को श्री हुकुम सिंह द्वारा त्रुटिपूर्ण बताये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-63 में लिखकर दे दीजिए यदि प्रश्न का उत्तर गलत है तो उस पर कार्यवाही होगी।

आज नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं, प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं। श्री पूरन प्रकाश, श्री भगवती प्रसाद, श्री सुरेश बंसल, श्री जय प्रकाश अंचल तथा श्री अगयश राम सरन वर्मा के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री अखिलेश प्रताप सिंह	जनपद देवरिया के रुद्रपुर में सत्तर प्रतिशत गांवों में कम विद्युत सप्लाई तथा लो-वोल्टेज होने के कारण ग्राम सभा कंधौली या मदनपुर में 132 के0वी0ए0 सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री सुरेश राणा	जनपद प्रबुद्धनगर के ग्राम हरर फतेहपुर में स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री ममतेश शाक्य	जनपद काशीराम नगर व जनपद बदायूं के बीच स्थित कहलाघाट को पक्का घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री पूरन प्रकाश	मथुरा में यमुना के ऊपर कन्जौली घाट पुल के रुके निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

5	श्री भगवती प्रसाद	अलीगढ़ स्थित करवल नदी पर पुल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री प्रमोद तिवारी	प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लालगंज की सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने एवं मंगापुर उदयपुर के नाम से नये विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	बस्ती सदर में स्थित शुगर मिल के प्रदूषित जल से हो रहे जीव-जन्तुओं एवं किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।
8	श्री सुरेश बंसल	गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मोती मस्जिद व मक्की मस्जिद के मध्य पड़े कूड़े से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9	श्री अमर पाल शर्मा	गाजियाबाद की ट्रान्स हिण्डन क्षेत्र में शुद्ध पेयजल हेतु गंगा वाटर की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री विजय बहादुर यादव	विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण के ब्लाक खोरावर के अन्तर्गत तरकुलानह रेगुलेटर पर पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री उमेश पाण्डेय	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड बडरांव के अन्तर्गत उसरी बुजुर्ग से झोटपुर तक की जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री मनीष रावत	विधान सभा क्षेत्र सिधौली, सीतापुर में 55 नलकूप खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
13	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पिछले 01 जून, 2012 को आये भीषण तूफान से होने वाली धन-जन हानि होने के सम्बन्ध में।
14	श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत में कतिपय सरकारी चिकित्सालयों में सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सा विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सरकारी दवाओं व फर्जी दवाओं की बिक्री को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

15	डा0 राधामोहन दास अग्रवाल	प्रदेश में विधवाओं, वृद्धों, विकलांगों एवं गरीब कन्या विवाह की धनराशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री संजय कपूर	जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय में एम0ए0, एम0काम0 व एम0एस0सी0 की कक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य की गईं।

माननीय सदस्यों के प्रोटोकाल के सन्दर्भ में अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों एवं शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये पालनीय नियमों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि भारतवर्ष में लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्षुण्ण है। लेकिन शनैः-शनैः उसका क्षरण हो रहा है, विगत पांच वर्षों में अधिकारीगणों में मा0 विधायकों के प्रति प्रोटोकाल का अभाव होता जा रहा है, जब विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिये अधिकारियों के पास जाते हैं, तब अधिकारियों द्वारा उन्हें यथोचित सम्मान न दिये जाने से लोकतंत्र का हनन होता है। श्री प्रमोद तिवारी ने जनता की समस्याओं के निराकरण के लिये जनता में विधायिका के प्रति सम्मान के लिये विधायकों को सम्मान दिलाये जाने की मांग की।

इसी मध्य श्री दलवीर सिंह ने अपना व्यक्तिगत पक्ष रखते हुए एम0एल0ए0 व एम0एल0सी0 दोनों में कौन पहले सम्मान का अधिकारी होगा, यह सुनिश्चित करना चाहा। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा उसकी व्यवस्था हो जायेगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में कोई ऐसा कानून नहीं है, समय-समय पर जी0ओ0 जारी करके सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करती रही है। लेकिन आज प्रदेश के अधिकारियों में एक संदेश जायेगा कि उनके व्यवहार और आचरण पर सदन में बहस हुई है यही काफी होगा उन अधिकारियों के लिये जिससे वे स्वयं ऐसा माहौल बनायेंगे कि स्वयं कांग्रेस जो आज उनकी निन्दा कर रही है वही उनकी प्रशंसा करे। इसी के साथ संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर श्री प्रमोद तिवारी द्वारा अपनी सूचना वापस लिये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि सूचना वापस लिये जाने पर कोई निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

आज की कार्यसूची की मद संख्या-6 (कार्य-स्थगन का प्रस्ताव) लिये जाने पर श्री अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि जब नियम-56 में सुविधाएं उपलब्ध है तब नियम-311 में यदि सूचना दी जायेगी तो वह निरस्त हो जायेगी तथा उसे नियम-56 में भी नहीं लिया जायेगा।

आज नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

प्रदेश में फॉस्फेटिक खाद के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि से डी0ए0पी0 की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री हुकुम सिंह ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के आदेशों के द्वारा डी0ए0पी0 में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जिससे किसानों की कमर टूट गई है। उन्होंने डी0ए0पी0 आयात करने वाले निजी क्षेत्रों द्वारा दाम बढ़ाये जाने पर केन्द्र सरकार को इस सदन द्वारा सूचित किये जाने की मांग की। कृषि मंत्री ने प्रदेश में पहले से रखी हुई 8 लाख टन खाद किसानों को अंकित दरों पर ही उपलब्ध कराये जाने से अवगत कराते हुए कहा कि बढ़ती दरों को रोकने हेतु सर्वदलीय बैठक द्वारा विचार किया जाना चाहिए। श्री अध्यक्ष ने प्रदेश के बार्डर के जिलों में प्राइवेट लोगों द्वारा डी0ए0पी0 कम दामों में खरीदकर रखे होने की स्थिति से कृषि मंत्री को अवगत कराते हुए और अपने अधिकारियों द्वारा बिकवाने का निर्देश देते हुए सूचना को अग्राह्य किया।

गंगा एवं यमुना नदी के किनारे बसे नगरों से प्रदूषित पानी गिरने, उद्योगों का कचरा एवं गन्दा पानी गिरने से व्याप्त जनाक्रोश से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री प्रमोद तिवारी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गंगा नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि गंगा का जल पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार आचमन तो क्या स्नान के लायक भी नहीं है। उन्होंने इलाहाबाद में सन् 2013 के कुम्भ मेले तक गंगा के जल को आचमन के लायक बनाने एवं गंगा नदी में जल की अधिकता हेतु सरकार द्वारा प्रयास किये जाने की मांग की।

श्री प्रदीप माथुर ने गंगा को जीवनदायिनी के साथ यमुना को मोक्षदायिनी बताते हुए यमुना नदी में जल की कमी का जिक्र किया एवं यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग की। श्री ललितेश त्रिपाठी ने भी विचार व्यक्त करते हुए गंगा एक्शन प्लान को कार्यान्वित कराये जाने की मांग की। श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने भी विचार व्यक्त करते हुए इलाहाबाद के कुम्भ मेले में स्थाई रूप से व्यवस्था कराये जाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने दोनों नदियों को राष्ट्र की धरोहर बताते हुए कुम्भ मेले की पूर्व सुचारुरूप से ऐतिहासिक व्यवस्था कराये जाने का आश्वासन दिया। श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

सोनभद्र की माइन्सों का खनन का कार्य शुरू न किये जाने से प्रदेश सरकार को होने वाली राजस्व क्षति से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर श्री उमा शंकर सिंह ने विचार व्यक्त करते हुए कहा सोनभद्र की माइन्स को चालू किये जाने की मांग की। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री द्वारा दिखवा लेने के लिये कहने पर श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत थाना मंझनपुर में दिनांक 5-5-2012 को हुई दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर श्री इन्द्रजीत सरोज ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस की गलती से हुई सड़क दुर्घटना में 14 नौजवान क्वालिस गाड़ी,

जिसमें 7 की मृत्यु एवं 7 लोग घायल हैं। उन्होंने मृतक परिवार को 5-5 लाख के मुआवजे तथा घायलों को उचित अनुदान के साथ पुलिस की गलती की जांच की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए जांच के साथ मुआवजे हेतु परीक्षण कराये जाने का आश्वासन दिया। सूचना अग्राह्य हुई।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा श्री दलवीर सिंह के भाषण से आरम्भ हुई।

श्री दलवीर सिंह के भाषण के मध्य 1 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया।

श्री दीप नरायन सिंह यादव

श्री राजबली जैसल

श्री राजबली जैसल के भाषण के उपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि राज्याधीन लोक सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में भी पूर्ववत् छूट रहेगी।

आय-व्ययक पर साधारण चर्चा पुनः आरम्भ हुई। निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल
श्री जियाउद्दीन रिजवी
श्री विवेक कुमार सिंह
श्री लोकेश दीक्षित
श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मन्जू सिंह
डा0 अरुण कुमार
श्रीमती डा0 रीता बहुगुणा जोशी
श्री मनीष रावत
श्री अखिलेश कुमार सिंह
श्री उमेश पाण्डेय
श्री सत्यवीर सिंह 'मुन्ना'
श्री विजय बहादुर यादव
श्री हाजी मो0 इरफान
श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य
सुश्री सावित्री बाई फूले
श्री मदन चौहान

श्री मदन चौहान के भाषण के मध्य 4 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

श्री सुरेश बंसल ने भी चर्चा में भाग लिया।

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 65 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

1	श्री प्रदीप माथुर	जनपद मथुरा के वृन्दावन में उपमण्डी समिति शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री शिवेन्द्र सिंह	जनपद महराजगंज के निर्वाचन क्षेत्र सिसवा में बरसात एवं बाढ़ की अवधि में आने वाली विभीषिका से बचने के सम्बन्ध में।
3	श्री धर्मपाल सिंह	जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला निवासी श्री राजेन्द्र गुप्ता द्वारा ट्रैक्टर हेतु लिये गये कर्ज की किश्तों को माफ करके उनके ट्रैक्टर को वापस किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री राजबली जैसल	जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड माण्डा एवं मेजा में पेयजल की भीषण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री बब्बन चौहान	जनपद-बलरामपुर में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग के टेण्डर की बिक्री के समय हुए उपद्रव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

1	श्री बावन सिंह	प्रदेश में बी0पी0एड0 डिग्री धारकों की नौकरी के लिए आयु सीमा अधिक होने के कारण रोजी रोटी के संकट के सम्बन्ध में।
2	श्री अलगू प्रसाद चौहान	जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा के ग्राम पंचायत पौली, टाड़ा, काली जगदीशपुर, कांटे, बेलहर में नये थाने बनाये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री सुल्तान बेग	जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज व तहसील मीरगंज के बहेड़ी-पिथौरा मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

4	श्री अली यूसुफ अली	जनपद-रामपुर के समस्त मिनी विद्युत केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति समय से न होने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

1	श्री आरिफ अनवर हाशमी	जनपद-बलरामपुर के निर्वाचन क्षेत्र उतरौला के तुलसीपुर मार्ग पर स्थित राप्ती नदी के ऊपर स्वीकृत पिपराघाट सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री सुरेश कुमार खन्ना	जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों के लगभग 40 किसानों द्वारा नलकूप हेतु विद्युत कनेक्शन लेने के लिए धनराशि जमा करने के उपरान्त भी स्थानीय विद्युत अधिकारियों द्वारा विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री संगीत सिंह सोम	मेरठ के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सलावा में जर्जर पन-विद्युत उत्पादन इकाइयों का नियंत्रण उत्तर प्रदेश में स्थापित करने एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में।
4	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	आगरा के ब्लाक गजनेर पहाड़ी क्षेत्र से घिरा होने के कारण किसानों की फसलों को बचाये जाने हेतु चहारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ब0स0पा0 कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया। नेता विरोधी दल ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र पाठा मानिकपुर में गिरते जल स्तर से उत्पन्न पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया। श्री चन्द्रभान सिंह पटेल ने स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद इलाहाबाद के थाना धूमनगंज के अन्तर्गत ग्राम मरियाडीह तथा थाना करैली क्षेत्र में नाले के किनारे बसी झुग्गियों में भू-माफियाओं द्वारा किये गये बम विस्फोट से उत्पन्न

स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया। श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल में विद्युत से लगाये गये सुरक्षा उपकरणों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया। डा0 धर्मपाल सिंह ने स्पष्टीकरण प्राप्त किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि परम्परानुसार वक्तव्य के समय सम्बन्धित मंत्री की उपस्थित हेतु मुख्य मंत्री जी व्यवस्था सुनिश्चित करायें। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा मैं स्वयं सक्षम हूं।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में ग्राम कम्हैडा थाना ककरौली में अराजक तत्वों द्वारा फर्जी मुकदमें दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मो0 जमील अहमद कास्मी द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य मा0 सदस्य की अनुपस्थित में व्यपगत हुआ।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के अन्तर्गत आबादी के अनुरूप खोड़ा कस्बा को नगरपालिका घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर पाल शर्मा द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया। नेता विरोधी दल के अनुरोध पर श्री अमर पाल शर्मा ने स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत कालोनियों में पानी व सीवर की समस्या से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया। श्री अध्यक्ष की अनुमति से श्री शारदा प्रताप शुक्ला ने स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद बहराइच के क्षेत्र मटेरा के थानों एवं तहसीलों का नवीन परिसीमन से उत्पन्न विसंगति के सम्बन्ध में श्री यासर शाह द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया। श्री अध्यक्ष की अनुमति से श्री यासर शाह ने स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

प्रदेश की नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न कल-कारखानों द्वारा उसमें डाले जाने वाले विषैले रसायनयुक्त जल तथा कचरे को रोकने हेतु कठोर प्राविधान करने विषयक दिनांक 29 मई, 2012 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-01 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री रविन्द्र जायसवाल, श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री सुरेश राणा, सुश्री सावित्री बाई फूले, श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा श्री सुरेश कुमार खन्ना के भाषण से आरम्भ हुई।

श्री सुरेश राणा, श्री राजेश त्रिपाठी तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री प्रदीप चौधरी तथा श्री रविन्द्र भड़ाना ने चर्चा में भाग लिया।

संसदीय कार्य मंत्री ने ताज की सुरक्षा के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

प्रोटोकाल राज्य मंत्री के कथन के उपरान्त चर्चा समाप्त हुयी।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 06 बजकर 08 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड-479, अंक-8
गुरुवार 17 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(07 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 479 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-43
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	43-45
जनपद देवरिया के रुद्रपुर में सत्तर प्रतिशत गांवों में कम विद्युत सप्लाई तथा लो-बोल्टेज होने के कारण ग्राम सभा कंधौली या मदनापुर में 132 के0वी0ए0 सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद प्रबुद्धनगर के ग्राम हरर फतेहपुर में स्थापित ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद काशीराम नगर व जनपद बदायूं के बीच स्थित कहलाघाट को पक्का घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	46
मथुरा में यमुना के ऊपर कन्जौली घाट पुल के रुके निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46-47
अलीगढ़ स्थित करवल नदी पर पुल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लालगंज की सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने एवं मंगापुर उदयपुर के नाम से नये विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
बस्ती सदर में स्थित शुगर मिल के प्रदूषित जल में हो रहे जीव-जन्तुओं एवं किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	48
गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मोती मस्जिद व मक्खी मस्जिद के मध्य पड़े कूड़े से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
गाजियाबाद की ट्रान्स हिण्डन क्षेत्र में शुद्ध पेयजल हेतु गंगा वाटर की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण के ब्लाक खोरावर के अन्तर्गत तरकुलानह रेगुलेटर पर पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड बड़रांव के अन्तर्गत उसरी बुजुर्ग से झोटपुर तक की जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा क्षेत्र सिधौली, सीतापुर में 55 नलकूप खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पिछले 01 जून, 2012 को आये भीषण तूफान से होने वाली धन-जन हानि होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद पीलीभीत में कतिपय सरकारी चिकित्सालयों में सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सा विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सरकारी दवाओं व फर्जी दवाओं की बिक्री को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
प्रदेश में विधवाओं, वृद्धों, विकलांगों एवं गरीब कन्या विवाह की धनराशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय में ए0एम0, एम0काम0 व एम0एस0सी0 की कक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	52
माननीय सदस्यों के प्रोटोकाल के सन्दर्भ में अध्यक्ष-पीठ से दिये गये निर्देशों एवं शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये पालनीय नियमों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	52-57
नियम-56 के अन्तर्गत नियम 311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	58-73
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)... ...	73-80
राज्याधीन लोक सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष किये जाने सम्बन्धी निर्णय की सूचना	80-81
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)... ...	81-117
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	117-119
जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ब0स0पा0 कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	119-120

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र पाठा मानिकपुर में गिरते जल स्तर से उत्पन्न पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	121-122
जनपद इलाहाबाद के थाना धूमनगंज के अन्तर्गत ग्राम मरियाडीह तथा थाना करैली क्षेत्र में नाले के किनारे बसी झुग्गियों में भू-माफियाओं द्वारा किये गये बम विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	122-126
जनपद आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारक ताज महल में विद्युत से लगाये गये सुरक्षा उपकरणों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	127-129
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में ग्राम कम्हैडा, थाना ककरौली में अराजकतत्वों द्वारा फर्जी मुकदमें दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मो0 जमील अहमद कास्मी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	129
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के अन्तर्गत आबादी के अनुरूप खोड़ा कस्बा को नगरपालिका घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	129-131
लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत कालोनियों में पानी व सीवर की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	131-134
जनपद बहराइच के क्षेत्र मटेरा के थानों एवं तहसीलों का नवीन परिसीमन से उत्पन्न विसंगति के सम्बन्ध में श्री याशर शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	134-135
प्रदेश की नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिये विभिन्न कल कारखानों द्वारा उसमें डाले जाने वाले विषैले रसायनयुक्त जल तथा कचरे को रोकने हेतु कठोर प्राविधान करने विषयक दिनांक 29 मई, 2012 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा दी गई सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ...	135-145
नत्थी	146-149

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 07 जून, 2012 ई0

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-345

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री लखीमपुर खीरी
6. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
9. अजीमुलहक पहलवान, श्री अम्बेडकर नगर
10. अताउर्रहमान, श्री बरेली
11. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
14. अनीसुर्रहमान, श्री मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
16. अनुप्रिया पटेल, सुश्री वाराणसी
17. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री आजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
22. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
23. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
24. अमित गौरव यादव, श्री एटा
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
28. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
29. अरूण कुमार, डा0 बरेली
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
31. अली यूसुफ अली, श्री रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
33. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
35. अविनाश, श्री सोनभद्र
36. अशफाक अली खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
37. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
38. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
39. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
40. आलमबदी, श्री आजमगढ़
41. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
42. आशा किशोर, श्रीमती छत्रपति शाहूजी महराज नगर
43. आशीष यादव, श्री बदायूं
44. इकबाल, श्री बिजनौर
45. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
46. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
47. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
48. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
49. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
50. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी

51. उदयराज, श्री — उन्नाव
52. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
53. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
54. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
55. उमाशंकर, श्री — बलिया
56. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
57. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
58. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री — जौनपुर
59. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
60. कमाल युसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
61. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
62. काली चरन सुमन, श्री — आगरा
63. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
64. कृष्ण कुमार ओझा, श्री — बहराइच
65. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री — झांसी
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
67. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री — कौशाम्बी
68. कैलाश, श्री — गाजीपुर
69. कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
70. कौशल सिंह कुंवर, श्री — महराजगंज
71. गंगा, श्री — कुशीनगर
72. गजराज सिंह, श्री — पंचशील नगर
73. गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
74. गयादीन अनुरागी, श्री — हमीरपुर
75. गायत्री प्रसाद, श्री — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
76. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
77. गुटियारी लाल दुवेश, श्री — आगरा
78. गुलाब चन्द, श्री — जौनपुर
79. गेंदा लाल चौधरी, श्री — महामायानगर
80. गोमती यादव, श्री — लखनऊ
81. गोरख पासवान, श्री — बलिया
82. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
83. चन्द्रा रावत, श्रीमती — लखनऊ
84. छोटेलाल वर्मा, श्री — आगरा
85. जगतम्बा सिंह, श्री — मिर्जापुर
86. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
87. जगपाल, श्री — सहारनपुर
88. जगराम पासवान, श्री — बलरामपुर
89. जन्मेजय सिंह, श्री — देवरिया
90. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
91. जमीर उल्ला खां, श्री — अलीगढ़
92. जमील अहमद कास्मी, श्री — मुजफ्फरनगर
93. जय प्रकाश निषाद, श्री — गोरखपुर
94. जय प्रकाश अंचल, श्री — बलिया
95. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
96. जाकिर अली, श्री — गाजियाबाद
97. जाहीद बेग, श्री — सन्त रविदास नगर (भदोही)
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
99. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री — बस्ती
100. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती — वाराणसी
101. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री — फैजाबाद
102. तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
103. त्रिभुवन राम, श्री — वाराणसी
104. त्रिलोकीराम, श्री — अलीगढ़
105. दयाशंकर वर्मा, श्री — जालौन
106. दलजीत सिंह, श्री — बांदा
107. दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
108. दिलवाज खान, श्री — बुलन्दशहर
109. दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
110. दीपक पटेल, श्री — इलाहाबाद
111. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री — झांसी

112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
114. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
115. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
116. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
117. धर्मराज, श्री बाराबंकी
118. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
119. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
120. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
121. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
122. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
123. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
124. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
125. नारद राय, श्री बलिया
126. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
127. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
128. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
129. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
130. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
131. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
132. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
133. पीतमराम, श्री पीलीभीत
134. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
135. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
136. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
137. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
138. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
139. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
140. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
141. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
142. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
143. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
144. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
145. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
146. फेरन लाल, श्री ललितपुर
147. बंशी सिंह पहड़िया, श्री बुलन्दशहर
148. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
149. बदलू खां, श्री उन्नाव
150. बब्बन, श्री चन्दौली
151. बाबू खां, श्री हरदोई
152. बाबूलाल, श्री गोण्डा
153. बावन सिंह, श्री गोण्डा
154. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
155. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
156. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
157. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
158. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
159. बैजनाथ, श्री मऊ
160. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
161. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
162. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
163. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
164. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
165. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
166. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
167. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
168. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
169. मनबोध, श्री देवरिया
170. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
171. मनीष रावत, श्री सीतापुर
172. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
173. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
174. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
175. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
176. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
177. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
178. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा

179. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू श्री — सीतापुर
180. महेश शर्मा, डा0 — गौतमबुद्धनगर
181. महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
182. माइकल चन्द्रा, श्री — जे0पी0नगर
183. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
184. माधुरी वर्मा, श्रीमती — बहराइच
185. मित्रसेन यादव, श्री — फैजाबाद
186. मुकुट बिहारी, श्री — बहराइच
187. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री — बहराइच
188. मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
189. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री — कानपुर नगर
190. मुहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
191. मुहम्मद रमजान, श्री — श्रावास्ती
192. मो0 आसिफ, श्री — फतेहपुर
193. मो0 जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
194. मो0 मुस्लिम, श्री — छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
195. मो0 रेहान, श्री — लखनऊ
196. मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
197. मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
198. मो0 अलीम खां, श्री — बुलन्दशहर
199. मो0 इरफान, श्री — मुरादाबाद
200. मोहम्मद युसुफ अंसारी, श्री — मुरादाबाद
201. यासर शाह, श्री — बहराइच
202. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री — आगरा
203. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
204. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री — गोण्डा
205. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री — कानपुर नगर
206. रघुराज प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
207. रघुराज सिंह शाक्य, श्री — इटावा
208. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
209. रणजीत सुमन, श्री — एटा
210. रमेश चन्द, श्री — मिर्जापुर
211. रमेश चन्द्र दुबे, श्री — सोनभद्र
212. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री — ललितपुर
213. रविदास मेहरोत्रा, श्री — लखनऊ
214. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री — सहारनपुर
215. रविन्द्र भडाना, श्री — मेरठ
216. रवि शर्मा, श्री — झांसी
217. रश्मि आर्य, डा0 — झांसी
218. राकेश कुमार, श्री — अलीगढ़
219. राकेश प्रताप सिंह, श्री — छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
220. राजकिशोर सिंह, श्री — बस्ती
221. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री — मैनपुरी
222. राजकुमार रावत, श्री — मथुरा
223. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री — महोबा
224. राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
225. राजमती, श्रीमती — गोरखपुर
226. राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
227. राजेन्द्र, श्री — गोरखपुर
228. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
229. राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
230. राजेश त्रिपाठी, श्री — गोरखपुर
231. राजेश्वरी, श्रीमती — हरदोई
232. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
233. राधेश्याम, श्री — छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
234. राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
235. राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
236. राम करन आर्य, श्री — बस्ती

237. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
238. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
239. राम गोविन्द, श्री बलिया
240. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
241. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
242. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
243. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
244. राम मगन, श्री बाराबंकी
245. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
246. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
247. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
248. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
249. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
250. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
251. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
252. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
253. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
254. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
255. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
256. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
257. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
258. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
259. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
260. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
261. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
262. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
263. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
264. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
265. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
266. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
267. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
268. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
269. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
270. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
271. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
272. विजय सिंह, श्री रामपुर
273. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
274. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
275. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
276. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
277. वीरपाल राठी, श्री बागपत
278. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
279. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
280. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
281. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
282. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
283. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
284. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
285. शाकिर अली, श्री देवरिया
286. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
287. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
288. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
289. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
290. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
291. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
292. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
293. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
294. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
295. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
296. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़

297. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
298. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
299. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
300. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
301. संजय कपूर, श्री रामपुर
302. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
303. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
304. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
305. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
306. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
307. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
308. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
309. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
310. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
311. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
312. सन्तराम, श्री जालौन
313. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
314. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
315. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
316. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
317. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
318. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
319. सियाराम सागर, डा0 बरेली
320. सीमा, श्रीमती जौनपुर
321. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
322. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
323. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
324. सुधाकर, श्री मऊ
325. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
326. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
327. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
328. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
329. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
330. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
331. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
332. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
333. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
334. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
335. सुल्तान बेग, श्री बरेली
336. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
337. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
338. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
339. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
340. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
341. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
342. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
343. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
344. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
345. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (अखिलेश यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जनपद वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में औद्योगीकरण की योजना

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में औद्योगीकरण की दिशा में वर्तमान सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों को प्रेरित करने के लिए औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 लागू है तथा अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2012 प्रक्रियाधीन है।

जनपद वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में निम्नलिखित सुविधाएं/छूट दी गयी है :-

(1) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पूर्वांचल क्षेत्र में रु0 10.00 करोड़ या अधिक (खाद्य एवं प्रसंस्करण इकाइयों हेतु रु0 5.00 करोड़ या अधिक) का पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

(2) पूर्वांचल क्षेत्र के 29 जनपदों में नई लघु एवं लघुत्तर इकाइयों की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क में पूर्ण छूट की व्यवस्था तथा मध्यम एवं वृहद इकाइयों को उनके द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत छूट की व्यवस्था है।

(3) नई लघु एवं लघुत्तर इकाइयों तथा नई मध्यम या नई वृहत औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्थावर सम्पत्ति के अंतरण के लिए निष्पादित प्रथम लिखित पर रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम रुपया 05 हजार के अध्यधीन रुपया 02 प्रति सैकड़ा से रुपया 02 प्रति हजार की छूट प्रदान की गयी है।

(4) मध्यम एवं वृहत औद्योगिक इकाइयों को उपभोग या उपयोग के लिए पूंजी माल, संयंत्र, मशीनरी एवं अतिरिक्त पुर्जे के स्थानीय क्षेत्र से बाहर किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर प्रवेश कर के संदाय से 15 वर्ष के लिए छूट प्रदान की गयी है।

(5) समस्त नई इकाइयों को दस वर्ष की अवधि एवं जिले में स्थापित होने वाली ऐसी पहली इकाई जो पायनियर घोषित की गई हो को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 15 वर्ष की अवधि हेतु छूट देने की व्यवस्था की गयी है।

(6) निर्यातकों को उनके द्वारा निर्मित माल में उपयोग या निर्मित माल के पैकिंग में उपयोग के लिए कच्चे माल की सीधी खरीद या उनको सीधी बिक्री पर निर्मित माल का निर्यात भारत के बाहर किये जाने पर वैट से छूट की व्यवस्था की गयी है।

(7) नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों (जिनमें प्लान्ट एवं मशीनरी में पूंजी विनियोजन रु0 10.00 करोड़ या उससे अधिक हो) को कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क से अधिकतम 5 वर्षों के लिए छूट की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

(डा0 शिव प्रताप यादव द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे उत्तर प्रदेश के लिये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि पूर्वांचल सहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश औद्योगीकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया और उसमें प्रमुख रूप से पूर्वांचल ज्यादा ही दुर्भाग्यशाली रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो निवेश नीति 2004 लागू है उसके तहत विगत 5 वर्षों में वाराणसी सहित पूर्वांचल में कितने लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग लगाये गये ? यदि सूचना हो तो बता दें। आप मुस्कुरा रहे हैं अध्यक्ष जी, इसका मतलब है कि उत्तर नहीं मिलेगा। यदि सूचना उपलब्ध हो तो बता दें। जनता को यह संदेश जाना चाहिए कि इस 2004 नीति के रहते हुए विगत 5 वर्षों में प्रदेश आगे बढ़ा है या पीछे गया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि नई निवेश नीति 2012 प्रक्रियाधीन है। 2004 की नीति में जो विशेषताएं थीं, इसमें बड़े विस्तार से बताया गया है, उसके तहत उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, वाराणसी का नम्बर नहीं आया है तो अब यह जो प्रक्रियाधीन है यह उससे कैसे भिन्न है ? कैसे अपेक्षा की जाय कि उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और वाराणसी आगे बढ़ पायेगा औद्योगीकरण की दिशा में।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी सूचना हो तो बता दें।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, 2004 में जो नीति बनाई गई थी उसके अन्तर्गत यू0पी0एफ0सी0 से फाइनेंस्ड हैं यह नाम पढ़ दूं तो उसमें समय लगेगा। गोरखपुर एटा गोरखपुर और इधर पश्चिम के हैं मिर्जापुर/गोरखपुर यह पूर्वांचल में है और यह तमाम इकाइयों की लिस्ट मेरे पास है जो यू0पी0एफ0सी0 और पिकप से फाइनेंस्ड हैं। इसके अलावा जो पिछली हमारी सरकार माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस दौरान 27 नई चीनी मिलें पूरे प्रदेश में लगाई गई थी। उतरौला डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में इटई मैदा में एशिया की वन आफ द टॉप मोस्ट चीनी मिल लगाई गई थी बजाज द्वारा। लखनऊ में टाटा प्लान्ट लगा था। इसके अलावा दतौली में बी0पी0एम0 सहित 27 बड़ी-बड़ी चीनी मिलें लगाई गई थीं। कुन्दकी में चीनी मिल लगी थी और उसमें पावर प्लान्ट भी लगाया गया था। लेकिन बड़े खेद की बात है पिछले पांच साल में ब0स0पा0 के समय में एक भी चीनी मिल तो क्या एक भी उद्योग नहीं लगा। यह जरूर हुआ निगम या कारपोरेशन की जितनी भी चीनी मिलें थीं, उन चीनी मिलों को बेच दिया गया या बन्द पड़ी हैं। रिपोर्ट आई है कि उसमें 11 सौ करोड़ रुपये का घपला हुआ है बिक्री में। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। आप बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की जो सरकार है वह बहुत संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। इसलिए नई औद्योगिक नीति प्रक्रियाधीन है और अगस्त, सितम्बर तक यह नीति आ जाएगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस नीति के अन्तर्गत प्रदेश का औद्योगीकरण किया जाएगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आपने बताया कि विगत पांच वर्षों में जो 2004 की नीति है उसमें कुछ हुआ नहीं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे उस समय जो प्रोग्रेस हुआ वह आपने बता दिया। मेरा सवाल यह था कि नई निवेश नीति जो 2012 लागू करने की बात की जा रही है वह पिछली जो 2004 की नीतियां हैं जो विस्तार से बताई गई है वह इससे किस प्रकार भिन्न है कि जनता आशा और अपेक्षा करे कि इस नीति के लागू होने से अवस्थापना सुविधा में वृद्धि आदि होने से, पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश में उद्योग लगेंगे और औद्योगीकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, यह नीति अभी प्रक्रियाधीन है। यह बनकर आ जाएगी सितम्बर में, उसमें सारी चीजों को ले लिया जाएगा और आपके सामने रख दिया जाएगा। यह जरूर कहना चाहता हूं कि विगत पांच साल में जो हाथियों का उद्योग हुआ है वैसा नहीं होगा। पांच साल में प्रदेश का पत्थरीकरण कर दिया गया। वह हमारी नीति में नहीं होगा। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब पत्थर के हाथी नहीं लगेंगे प्रदेश में, औद्योगीकरण होगा। उद्योग लगेंगे, हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में भी कहा है और आपकी मंशा सब लोग जानते हैं। मुख्य मंत्री जी की मंशा है कि प्रदेश का तेजी से औद्योगीकरण करके प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं आभारी हूं आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का समय दिया। मेरे चार प्रश्न हैं इस प्रश्न के लिए मुझे पूरा समय देने की कृपा करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज स्थिति यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुकाबला किया जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 1.8 फैक्ट्रियां हैं जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह संख्या 11.5 की है पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर केवल 107 लोग इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह संख्या 724 की है और इसका फल प्रति व्यक्ति उत्पादन में पड़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पाद 2100 रुपये है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 हजार 887 रुपये है। प्रश्न यही है जो नीति 2004 की बताई गई है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जिससे उद्योगपति पूरे प्रदेश में आए या न आए यह अलग सवाल है लेकिन पूरे प्रदेश में वह आकर्षित होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले आएं। इस पूरे के पूरे निवेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है और यह प्रश्न वाराणसी सहित पूर्वांचल के लिए है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं कुछ चीजें बहुत स्पष्ट जानना चाहता हूं। पूर्ववर्ती सरकार माननीय मुलायम सिंह जी की थी, एक ड्राफ्ट पालिसी बनायी गई थी 2006-2011, वह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में फाइलों में होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को जमीनी आधार पर विकसित किया जाए, रेडीमेड गारमेण्ट की फैक्ट्रियां लगाई जायें, यार्न की फैक्ट्रियां लगाई जायें, प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियां लगाई जायें, इसके लिए उस जमाने में कैपिटल सब्सिडी दी गई थी 10 परसेण्ट की, अगर वह 50 करोड़ से ऊपर के थे। बाद में वह सारी सब्सिडी वापस कर ली गई। इसी प्रकार से जब कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है तो जो ब्याज आता है, उस ब्याज में छूट देते हैं। केन्द्र सरकार उसमें 5 परसेन्ट की छूट देती है, टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फोर्स के तहत। माननीय मंत्री जी 5 परसेन्ट केन्द्र सरकार तो देती है, अगर वह 5 परसेन्ट हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने वालों को देते तो वह उद्योग जो आज उत्तर प्रदेश से

भाग करके गुजरात, हिमाचल या उत्तरांचल जा रहे हैं वह उस इण्टर सब्सिडी के लिए लौट करके हमारे पास आ रहे होते। वैट की चर्चा आपने अपने जवाब में किया।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल तो पूछिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यही तो सवाल है, वैट की चर्चा इन्होंने किया। बिहार वैट पर 300 परसेन्ट की छूट देता है। एक उद्योग यदि आज लगाया जाए तो 15 साल के अन्दर जितना हमने लगाया है उसका 300 परसेन्ट तक का पूरा वैट उद्योगपतियों को लौटा दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अगर उद्योग धन्धे आमंत्रित करने हैं तो कैपिटल सब्सिडी देनी होगी, इण्टर सब्मेंशन देना होगा, वैट पर छूट देनी होगी। यह जो स्टाम्प की चर्चा आपने यहां पर की है यह बहुत कम है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमीनें बहुत मंहगी हो चुकी हैं, आपको बताना होगा कि जो यह कहते हैं कि उद्योगपति बाजार मूल्य पर जमीनें खरीदें, सरकार जमीनें खरीद करके नई औद्योगिक पालिसी में उनको देने वाली नहीं है। क्या यह ब्याज की छूट, स्टाम्प ड्यूटी की छूट का आप प्राविधान करने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, प्रश्न है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में औद्योगीकरण की दिशा में वर्तमान सरकार की कोई कार्य योजना है ? तो उन्होंने कार्य योजना बना दी, जो आपने कहा कि जमीन में छूट देने की, वह भी इसमें है, स्टाम्प ड्यूटी में छूट है, निवेश वाली इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण भी दे रही है, यह सब इसमें आ गया है। यही तो आप घुमाकर पूछ रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे सवालों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया। यह सवाल पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं आया है, यह सवाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए आया है। यह जो नीतियां हैं .....।

श्री अध्यक्ष-

हमारी भी सुनिए। यह प्रश्न जो है और उसका जो उत्तर आया है, जनपद वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, यह जो निवेश नीति है यह पूरब के लिए भी है, आप पढ़िए तो।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए। अगर 2004 की नीति सही होती तो सरकार को 2012 में नई नीति बनाना है, ऐसा कहने की जरूरत क्या होती ? सरकार तो खुद यह महसूस कर रही है कि 2004 की नीति से पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण नहीं हुआ, इसलिए 2012 में करना चाहती है। जिन छूटों की हम बात कर रहे हैं, आप अनुमति दें तो हम अलग-अलग बता दें। मैंने बहुत साफ मांग की कि जो पहली ड्राफ्ट पालिसी बनाई गई थी, आपकी अपनी सरकार में, 10 परसेन्ट की कैपिटल सब्सिडी की छूट थी, इण्टर सब्मेंशन 5 परसेन्ट अपनी ओर से राज्य सरकार दे, यह छूट थी, वैट में 300 परसेन्ट की छूट बिहार में दी जा रही है, आपको यह भी अन्दाज होगा, इसी सरकार

में हम लोगों ने यहीं पर्वतीय विकास परिषद् बनाया था, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल आपका है।

डा0 शिव प्रताप यादव-

डाक्टर साहब ने जो पूछा है, मैंने बता दिया कि प्रक्रियाधीन है, जब वह आ जायेगा, दिखा दिया जायेगा, आप देख लेंगे। उसमें अगर कोई और सुझाव देना चाहेंगे तो दे सकते हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, सदन में बहस करके हम एक अच्छी नीति बनवा रहे हैं, खराब नीति बने और बाद में उस पर बहस करें तो इन दोनों का मतलब क्या है ? मान्यवर, या तो माननीय मंत्री जी जानते नहीं कि नीति बनने जा रही है। अधिकारी बना रहे हैं। अगर वह जानते हैं तो बतायें। हम लोग उस पर बहस कर लें।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, यह प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना सुझाव बता दीजिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

वही तो मैं बता रहा हूं। अगर हम चाहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण हो तो हमें सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना करनी पड़ेगी जो कैपिटल सब्सिडी की योजना हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं दी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह तो प्रश्न से बिल्कुल अलग की बात है। क्योंकि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संसदीय कार्य के बारे में अपनी बात रख सकूं और मैं अपनी बात रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह नीतिगत प्रश्न है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने दीजिए। बैठिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, हम सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो माननीय मंत्री जी जवाब तो दे रहे हैं। सुन लो। आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा यह कहना था कि आपके जो भी सुझाव हैं वह आप सम्बन्धित माननीय मंत्री जी को लिखकर भेज दीजिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप बैठ जाइये दूसरा सवाल लेने दीजिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, दूसरा सवाल भी वही है।

श्री अध्यक्ष-

सुनिये तो वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का था यह पूरे प्रदेश का है। आप बैठिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी उत्तर प्रदेश में आता है।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो आंकड़े दिये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम है तो जो नीति है उस नीति के तहत पश्चिम ने ज्यादा फायदा उठाया पूरब ने नहीं उठाया, उसी के चलते 2012 की जो नीति बन रही है, वह प्रक्रियाधीन है। वह बन जायेगी तो आपको सारी बातें पता चल जायेंगी जो नीति विचाराधीन है उसके बारे में वह आपको कैसे बता सकते हैं।

डा0 शिव प्रताप यादव-

सुझाव भेज दें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप सुझाव भेज दें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो वर्ष 2012 निवेश नीति प्रक्रियाधीन है वह गठन की प्रक्रिया में है तो एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि क्या सरकार उस प्रक्रियाधीन नीति में क्या यह शामिल करना चाहेगी कि पूर्वांचल विकास समिति का गठन हो।

डा0 शिव प्रताप यादव-

आप सुझाव दे दीजिए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के उद्योगों पर चर्चा हो रही है तो नये कारखाने जब लगेंगे तब लगेंगे लेकिन हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि हमारे रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और जगदीशपुर में 64 मिल और कारखाने बसपा के शासन में बन्द हो गये हैं। इन कारखानों को चलाने के लिए क्या कोई कार्य योजना है ? कोई फण्ड आप देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह इससे सम्बन्धित नहीं है। आप बैठिये। यह प्रश्न बन्द मिलों के बारे में नहीं है, यह औद्योगिक नीति के बारे में है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, पूर्वांचल में जो उद्योग बन्द हुए हैं। पूर्वांचल औद्योगिक नीति की बात हो रही है। मान्यवर, अध्यक्ष जी, पूर्वांचल में जो उद्योग बन्द हुए हैं, औद्योगिक नीति पूर्वांचल की बात हो रही है, पूर्वांचल के औद्योगीकरण की बात हो रही है तो पूर्वांचल की जो मिलें बन्द हैं उनको चलाने के बारे में सरकार की अगर कोई योजना हो या विचार हो तो सदन को बता दें।

श्री अध्यक्ष-

जब मा0 मंत्री जी बता रहे हैं कि औद्योगिक नीति है, नई नीति बन रही है, विचाराधीन है, जब बन जायेगी तो आपको सब पता चल जायेगा। यह प्रश्न नहीं है, अब आप बैठिये। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की योजना

*2-श्री सुरेश राणा तथा डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोई औद्योगिक विकास नीति बनाई गयी है ? क्या यह भी सही है कि प्रदेश से उद्योगों का पलायन हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों को प्रेरित करने के लिए औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 लागू है तथा अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2012 प्रक्रियाधीन है।

जी नहीं।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न योजनाएं लागू हैं :-

(1) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत पात्र नई इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

(2) औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 के अन्तर्गत पात्र नई औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण, शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क तथा भू-हस्तान्तरण शुल्क से छूट प्रदान की गयी है। मध्यम एवं वृहत् उद्योगों को कैपिटल गुड्स, प्लान्ट एवं मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की गयी है।

(3) नवीन व वृहत एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के क्रम में विभिन्न अनापत्तियों एवं लाइसेन्सों को सुगमता व समयबद्ध रूप से ऑन लाइन प्राप्त करने हेतु निवेश मित्र योजना प्रदेश के 45 जनपदों में लागू है।

(4) लघु उद्योगों की तकनीकी क्षमता को विकसित करने के लिए तकनीकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत नयी तकनीक की मशीनों की खरीद पर रु0 2.00 लाख तक का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

(5) औद्योगिक कलस्टर विकास योजनान्तर्गत किसी औद्योगिक कलस्टर विशेष की आवश्यकता के अनुरूप कामन फैसिलिटी सेन्टर की स्थापना हेतु अनुदान की व्यवस्था है।

(6) प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना एवं एसाईड (असिस्टेन्स टू स्टेट्स फार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फार एक्सपोर्ट्स) योजना संचालित है।

(7) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना हेतु ''उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (संशोधित) नीति-2007'' के अन्तर्गत कतिपय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया और यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मा0 युवा मुख्य मंत्री एक बड़े विजन के साथ काम करना चाहते हैं। अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2012 प्रक्रियाधीन है, यह तो पहले सवाल में विषय आ ही गया है। अभी पूर्वोत्तर के उद्योगों के विषय को लेकर मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी बोल रहे थे, मेरा सवाल था कि क्या यह भी सही है कि प्रदेश से उद्योगों को पलायन हो रहा है तो जवाब आया, जी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार अकेले जनपद मुजफ्फरनगर में ही इण्डियन ड्रग डिवीजन रिलीफ बायोटेक, सागर पेपर मिल, जी0एस0 फार्मा ऐसी अनेक कम्पनियां हैं जिनका पलायन जनपद मुजफ्फरनगर से उत्तराखण्ड को हो गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी पूर्वोत्तर की बात हो रही थी यह सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग की संभावनाएं ज्यादा हैं और उद्योग भी ज्यादा है, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मुकाबला है, वह हरियाणा से है, उत्तराखण्ड से है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो स्ट्रेक्चर है जो सड़कें हैं, मेरा विधान सभा क्षेत्र मान्यवर, थाना भवन है और मेरे विधान सभा क्षेत्र से दिल्ली तक का रास्ता मात्र दो घण्टे का है, लेकिन आज मैं यदि दिल्ली जाना चाहूं तो मुझे छः घण्टे लगते हैं, मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सुविधा के अभाव में और जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि लाल फीता शाही से छुटकारा पाने के लिए जो कथित सिंगल विण्डो सिस्टम उत्तर प्रदेश में है क्या उसे कोई प्रभावी स्वरूप दिया जायेगा। नया उद्योग लगाने या पुराना उद्योग चलाने में कोई असुविधा हो तो निवारण के लिए कोई उच्च स्तरीय सेल का गठन किया जायेगा और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों की ज्यादा संभावनाएं हैं और इसका उदाहरण भी है, चाहे मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो, चाहे सहारनपुर का फर्नीचर उद्योग हो, चाहे मुजफ्फरनगर का खाण्डसारी उद्योग हो, चाहे मेरठ का स्पोर्ट्स उद्योग हो, चाहे आगरा का चमड़ा उद्योग हो इत्यादि यह तमाम इस प्रकार के विश्वस्तरीय उद्योग हैं जो आज सुविधाओं के अभाव में और इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में दम तोड़ रहे हैं तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का कोई पैकेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्योगों के लिए दिया जायेगा, जो यह मृत अवस्था के उद्योग हैं, यह फिर खड़े हो जाएं और इन उद्योगों के माध्यम से प्रदेश को एक नई दिशा मिले और एक नई ऊर्जा मिले ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, ये जो हमने बताया कि औद्योगिक एवं निवेश नीति, 2012 प्रक्रियाधीन है। ये जो आपने सारी बातें बतायी हैं, इन सबका आप सुझाव दे दीजिये, इसे देख लिया जायेगा और

अभी जब प्रक्रियाधीन है तो सारी बातें जो आपने की है उद्योगों के पलायन को रोकने के लिये, औद्योगीकरण के लिये सारी नीति आ जायेगी, स्पष्ट हो जायेगा।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2012 औद्योगिक नीति बनायी जा रही है। क्या सरकार इस नयी औद्योगिक नीति में नये औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर विचार करेगी। यदि हां, तो क्या आगरा में प्रदूषण रहित नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर विचार करेगी ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, ये औद्योगिक नीति जो है 2012, यह पूरे प्रदेश के लिये है, उसमें आगरा भी आता है और उसमें सारी चीजें समाहित की जायेगी। इसमें नीति आ जाने दीजिये, नीति आ जाने दीजिये तो उसमें सारी बातें, सारे उद्योग आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप कह रहे हैं प्रदूषण रहित उद्योग आगरा में लगाने के लिये।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने दो सवाल किये थे। मैंने यह पूछा कि क्या सरकार नये औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर विचार कर रही है जो औद्योगिक क्षेत्र अभी हैं प्रदेश में, उनके अलावा भी नये औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर सरकार विचार कर रही है। मा0 अध्यक्ष जी, आगरा में 1975 में हाण्डीनगर औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत हुआ था और एक सिकन्दरा। पिछले 22 साल से कोई नया औद्योगिक क्षेत्र आगरा में नहीं बना है। मेरा दूसरा सवाल था कि क्या प्रदूषण रहित उद्योगों को लगाने के लिये आगरा में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं कि औद्योगिक नीति, 2012 जो बन रही है, उसमें सब आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, औद्योगिक नीति बनने तो दीजिये।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है और आगरा हमारी एक धरोहर है इसलिये आगरा के लिये विशेष तौर से ध्यान दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है, आपकी बात आ गयी।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से इतना पूछना चाहता हूं कि आगरा में जूता पैदा हुआ और बड़ा कारोबार है। वहां पर एक रुपये से लेकर के आज 1500 करोड़ रुपये का कारोबार एक्सपोर्ट होता है लेकिन बहुत दुख का विषय है कि अभी कुछ वर्षों से आगरा से जूता पलायन करके

मद्रास तक पहुंच गया है, वहां तकरीबन 400, 500 करोड़ रुपये का कारोबार होने लगा है। क्या सरकार ऐसी कोई नीति बनायेगी कि आगरा में यह उद्योग रुक सके ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जो हमने आगरा की बतायी है और हम ऐसी नीति बनायेंगे कि बम्बई से हवाई जहाज से जूते न मंगाने पड़े।

(सदन में हंसी)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हो गयी बात।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अभी केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने मथुरा जनपद के लिये सी0एन0जी0, ई0एन0जी0 और इण्डस्ट्रियल गैस विकसित करी है और उसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को भी एक प्रार्थना-पत्र दे चुका है कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के माध्यम से गैस बेस्ड इण्डस्ट्रियल एरिया वहां पर लगाया जाये तो मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ताज ट्रिपोजियम जोन के अन्तर्गत गैस पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

आप तो इतने सीनियर है, प्रश्न तो पढ़ो क्या है ? इसमें कहां सप्लीमेन्ट्री बनता है। माथुर साहब, बैठ जाइये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है।

(श्री अध्यक्ष और श्री प्रदीप माथुर के एक साथ बोलते रहने के मध्य)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, सरकार ने जो गैस एलॉट की है, वह वापस चली जायेगी उसका उपयोग कैसे हो पायेगा, उसका लेटर ऑफ इण्टेण्ट मिल चुका है और इसके बारे में पिछली सरकार में भी कहते रहे और इस सरकार में भी तीन महीने से कह रहे हैं, उसकी ग्रैविटी को समझने की कोशिश करिये मान्यवर। अगर यह लेटर ऑफ इण्टेण्ट वापस हो जायेगा और प्रदेश सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, मंत्री जी पर कोई असर ही नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि 2012 की औद्योगिक नीति जब तय हो जायेगी तब होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने प्रश्न पर क्यों नहीं आते, आपके जो मन में आयेगा, आप बोलेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, तब तक चिड़िया उड़ जायेगी। मान्यवर, इसमें को-आर्डिनेशन करना पड़ेगा। ....

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक सामंजस्य बैठाना होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आप बैठिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर तो मा0 मंत्री जी दे सकते हैं। हमारे मा0 मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है। यह एक चिन्तन का विषय है। मान्यवर, कैसे उद्योग लगेंगे जब सही उत्तर नहीं आयेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब अब आप बैठ जाएं। अब मुझे आपकी बात को लिखने से रोकना पड़ेगा अब आप बैठ जाएं। अब आपकी बात को लिखा नहीं जायेगा, जो मन में आएगा वही बोल देंगे, आप पढ़े-लिखे आदमी हैं, इतने सीनियर आदमी हैं, जिस नेता से आपको उत्तराधिकार मिला है, उनसे तो कुछ सीख लीजिए। मा0 हुकुम सिंह जी, अब आप बोलें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं एक चीज बता दूं कि यह औद्योगिक नीति का मामला था कि कैसी नीति बनेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 की नीति हम बना रहे हैं तो अब उसमें क्या-क्या बना रहे हैं, वह अभी विचाराधीन है तो उसमें बार-बार बहुत सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, प्रश्न है कि क्या यह भी सही है कि प्रदेश से उद्योगों का पलायन हो रहा है, यदि हां, तो सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यही तो हम पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हमने मा0 हुकुम सिंह जी को बुला लिया है, अब आप बैठ जाइए, आप तो कुछ समझते ही नहीं हैं। हुकुम सिंह जी आप पूछ लीजिए, यही आखिरी प्रश्न है। अन्य मा0 सदस्य बैठ जाएं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि प्रदेश से उद्योगों का पलायन हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

हां, उत्तर में ''जी नहीं'' लिखा है।

श्री हुकुम सिंह-

और मान्यवर, कुछ उद्योगों का नाम लिया है। मा0 सदस्य ने और स्थान बताया कि वहां से पलायन हो रहा है, उत्तर आया जी नहीं। जी नहीं। उत्तर तब आना चाहिए था, अगर मा0 मंत्री जी के पास में यह जानकारी हो कि अमुक महीने तक प्रदेश में इतने उद्योग थे और क्या सबके सब उद्योग अभी भी हैं। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से और आपका संरक्षण चाहते हुए, अगर पलायन नहीं हो रहा है तो क्या यह सही नहीं है कि नोएडा से हुन्डई जैसी कार का जो उद्योग था, वह पलायन कर गया। अगर पलायन नहीं हो रहा है तो कैसे चला गया वह छोड़ करके। मान्यवर, अगर पलायन नहीं हो रहा है तो सतना जैसी सूत का काम था, वह सारा का सारा वहां से पलायन कर गया। एक फैक्ट्री भी नहीं रही वहां पर यह सब पलायन ही तो है। पलायन का मतलब यह है कि यहां से उठा करके कहीं और चले जाना। मान्यवर, मुजफ्फरनगर से ले करके मेरठ तक जो राष्ट्रीय मार्ग के दोनों तरफ हर इंच पर एक उद्योग लगा हुआ था, मान्यवर, लेकिन आज तीन उद्योग को छोड़कर एक भी उद्योग वहां पर नहीं बचा। सब उद्योग चले गये हैं, कुछ कर्नाटक चले गये, कुछ गुजरात चले गये, कुछ उत्तराखण्ड चले गये। आखिर क्यों चले गये वह वहां पर। यह केवल एक जगह की बात नहीं है। यह किसी एक सरकार की बात नहीं है, मान्यवर, इसको अन्यथा न लें कि उत्तर आपको देना पड़ रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी हो गई। वातावरण यहां का ऐसा बना कि उद्योग आए तो हैं नहीं लेकिन जो थे, वह भी कुछ कारणों से चले गये। वह कारण भी आपको गिनाते हैं। कारण भी यह रहे हैं, आप लोगों ने भी कारण गिनाए। कारण यह है कि बिजली नहीं मिल रही है, सुरक्षा का अभाव है, जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वह सुविधा नहीं मिल रही है। यह सब कारण हैं, जिसकी वजह से उद्योग यहां पर ठहर नहीं पा रहा है और उद्योग नहीं ठहर पा रहा है तो बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अभी कई बार घोषणा हुई, बजट भाषण में भी हुई, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी हुई और उसमें आश्वसन दिया गया है कि हम उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के कुछ कारण भी बताये गये तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो यह उत्तर ये दे देते हैं कि ''जी नहीं'' आपको कम से कम पूछना चाहिये था कि अगर उत्तर ''जी नहीं'' है तो इतने उद्योग कहां चले गये हैं, यहां से ? मैंने स्पेशिफिक बताया है मान्यवर, कम से कम 36 उद्योग कह रहा हूं 3 दर्जन उद्योग नोएडा छोड़ करके बराबर के राज्यों में चले गये। गुड़गांव तक में चले गये हैं। किस कारण से जा रहे हैं, वे छोड़ दिया वह कारण भी लेकिन आप समीक्षा करते समय जानकारी जरूर लें। जी नहीं, कहना मान्यवर, यह सदन के लिए भी यह सही नहीं है कि आपने उत्तर दे दिया कि ''जी नहीं'' और हम जानकारी दे रहे हैं, मान्यवर, सुरेश राणा ने जानकारी दी, उद्योगों के नाम दिये, मैंने यह जानकारी दी कि ये उद्योग चले गये। फिर कैसे चले गये उद्योग ? तो मैं आपका संरक्षण चाहते हुए, मा0 मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इसको सही करें और जो लोगों ने आपको यह उत्तर दिया उनसे पूछें कि बताइये चार साल का विवरण कि यह उद्योग कहां गये, क्यों गये और किस कारण से गये, फिर यह उत्तर आपने क्यों दिया ? सही उत्तर यह आता कि हां ये गये हैं, ये कारण थे और हम आगे रोकने का प्रयास करेंगे। यह सही उत्तर होना चाहिए था, मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाएं इनसे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आपने उत्तर में ''जी नहीं'' कहा और ये कह रहे हैं कि हमारे उद्योग चले गये हैं, लेकिन उत्तर में नहीं आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हुकुम सिंह जी ने जो पलायन का सवाल उठाया है, उसकी लिस्ट आप दे देंगे तो उसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, जो हुकुम सिंह जी ने प्रश्न रखा है वह बड़ा व्यापक है और उसी में आपका उत्तर भी निहित था कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हर बात का जवाब ऐसे दें जैसे दूसरे की जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हों। गत सरकारों में किन कारणों से पलायन हुआ, यह जाहिर है, देखने की जरूरत है। हमारी चूंकि आगे के लिये नीति आ रही है और उस आगे आने वाली नीति में जो बेहतर हो सकेगा, वह सरकार करेगी लेकिन जो कारखाने पलायन कर गये हैं उन कारखानों को वापस लाने की अभी सरकार की कोई नीति नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा सवाल कारखानों को वापस लाने का नहीं है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि जो मूल प्रश्न था उसमें उल्लेख यह था कि क्या पलायन कर रहे हैं। इन्होंने उत्तर दिया जी नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने सच बात को स्वीकार तो किया, मैंने पहले ही कहा कि जिम्मेदारी आपकी नहीं है। लेकिन यह सही है बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों ने पलायन किया जो भारतवर्ष का एक औद्योगिक हब नोएडा होता था, वह केवल ऐशो-हसरत की जगह हो गयी, फाइव स्टार होटल की जगह हो गयी, दिल्ली के उद्योगपति वहां आकर बस गये लेकिन उद्योग अपने कहीं और ले गये आज हमारी पीड़ा यह है कि हमारे प्रदेश के लाखों बच्चों को जो रोजगार वहां मिलना चाहिए था, वह उद्योग वहां से समाप्त हो गया। मैं इसलिये कह रहा हूं कि जिन्होंने उत्तर दिया है जी नहीं वाला, हम लिस्ट आपको देंगे। आप उनसे पूछिये कि यह उद्योग कहां गये ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। हमारी नियमावली में एक व्यवस्था है। नियम-63 की। जिसमें यह है कि अगर आपको लगे कि उत्तर गलत आया है तो उसके तहत आप लिख सकते हैं आप बार-बार काहे को मंत्री जी से पूछ रहे हैं, आप बैठिये।

श्री हुकुम सिंह-

लेकिन आपके माध्यम से हमें सूची देने का अधिकार तो है। इसे हम आपके माध्यम से भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप सूची दे दीजिये और आप नियम-63 का भी उपयोग कर सकते हैं।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

अब यह प्रश्न खत्म हुआ। माननीय महाना जी, आप तो जिद करते हैं, आपका सवाल है लेकिन यह स्थानान्तरित हो गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, कानपुर महानगर एक समय मैनचेस्टर आफ ईस्ट कहा जाता था। मैं सरकार के माध्यम से इण्डस्ट्रीज का हित करना चाहता हूं। मान्यवर, कानपुर महानगर में लाल इमली और एन0टी0सी0 जैसी जो मिलें थीं, वह भारत सरकार के द्वारा संचालित थी, यह मिलें बन्द हो गयी। मान्यवर, भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में एक कैबिनेट नोट लिखा जिसके माध्यम से वह एक रिहैबिलिटेशन प्लान लाये और उसके अन्तर्गत उन्होंने एक नीति बनाई और उसके अन्तर्गत कुछ घोषणायें की। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कानपुर की इन मिलों को चलाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है, क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, वह इसे कैसे बता सकते हैं। इसका उत्तर नहीं मिलेगा। अभी आप बजट पर बोलियेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बहुत सारी बातें उत्तर के लिये नहीं होती। मैं तो सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं कि जो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्लान भेजा है, क्या माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

जो मंत्री जी के पास सूचना है, वही तो वह बतायेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप भी तो लाल इमली का कपड़ा पहनते थे, इतनी बात उनसे पुछवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरी बात बहुत सामायिक है। आप इसका जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

उनके पास जवाब है कि नहीं, वह कैसे जवाब देंगे।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आप बहुत ही सीनियर लीडर हैं और मैं 1993 से देख रहा हूं जब मैं पहली बार विधान सभा में आया था। उन्होंने जो प्रश्न किया है उसके लिए मैं उनसे चाहूंगा कि वह अलग से प्रश्न पूछें तो उनको उत्तर भी मिल जाएगा।

(श्री पूरन प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य पूरन प्रकाश जी कृपया बैठ जाएं। श्री राज नारायण उर्फ रज्जू जी आप प्रश्न पूछें।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी पश्चिमांचल की बात हुई, पूर्वांचल की बात हुई, मान्यवर, बुन्देलखण्ड की बद्दतर हालत से पूरा प्रदेश परिचित है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं आप भी बुन्देलखण्ड की हालत को अच्छी तरह से जानते हैं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में खनिज की अकूत सम्पत्ति है, मैं जानना चाहूंगा कि वर्ष 2012 की जो नई औद्योगिक नीति बनाई जा रही है, उसमें क्या बुन्देलखण्ड विकास परिषद् का गठन किया जाएगा और इसके साथ ही साथ खनिज आधारित उद्योगों को उस नीति में शामिल किया जा रहा है अथवा नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नई नीति अभी बन्द है इसलिए माननीय मंत्री जी अभी उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मथुरा में 15 सालों से इण्डस्ट्रियों का फैक्ट्रियों का जो पलायन हो रहा है उसका मुख्य कारण नेशनल हाई-वे पर जो हमारी 40-50 इण्डस्ट्रियां थीं उनकी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया जाना है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से दो बातें कहना चाहता हूं यह सही है कि प्रदेश के अन्दर जनपद मथुरा में उद्योगों के पलायन का मुख्य कारण उद्योगों की भूमि पर कब्जा किया जाना है। मान्यवर, इसको रोकने के लिये क्या कोई नीति बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, कृपया बैठ जाएं।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, उत्तर तो आ जाने दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने कह दिया, आपकी बात आ गई, अब वह क्षेत्र में चला जाएगा, इसलिये आप कृपया बैठ जाएं। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में सब्जियों की मंहगाई को रोकने की मांग

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सब्जियों की मंहगाई को रोकने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा धमार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

कृषि विपणन निदेशालय द्वारा प्रदेश की मुख्य मण्डियों में सब्जियों के प्रचलित थोक भाव एकत्र किये जाते हैं, जिसके अनुसार माह अप्रैल, 2012 एवं मई, 2012 में प्रमुख सब्जियों के औसत थोक मूल्य निम्नवत् हैं :-

क्रमांक	सब्जियों के नाम	औसत थोक मूल्य (रु0 प्रति कुन्तल)	
		अप्रैल, 2012	मई, 2012
1	आलू	776	945
2	प्याज	633	588
3	टमाटर	936	835
4	बैगन	794	829
5	लौकी	871	706
6	कद्दू	650	585
7	भिण्डी	2083	1402

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत माह में कुछ सब्जियों के मूल्य बढ़े हैं, जबकि अन्य सब्जियों के मूल्यों में गिरावट आयी है।

सब्जियों के मूल्य किसी सरकारी आदेश से नियंत्रित नहीं है। सब्जियों के बाजार भाव सीजन, मांग एवं उपलब्धता के आधार पर परिवर्तित होते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सब्जियों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन कराने की योजना चलायी जा रही है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त शाकभाजी उत्पादन हेतु कृषकों को अनुदान भी दिया जा रहा है। उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में प्रदेश में सब्जियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिसके अनुमानित आंकड़े निम्नवत् है :-

वर्ष	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)
2009-2010	21.00	380.00
2010-2011	22.34	401.72
2011-2012 (अनुमानित)	25.40	455.00

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सवाल और उत्तर दोनों आपके सामने हैं। जिस हल्के तरीके से इस प्रश्न को लिया गया, आज पूरा सदन इस बात का गवाह है, अपने-अपने क्षेत्रों में भी, चाहे वह थोक मूल्य का सूचकांक हो चाहे फुटकर सब्जी की खरीददारी हो, जिस प्रकार से सब्जियों के दाम बढ़े हैं उससे पूरा

सदन अवगत है, पूरा प्रदेश अवगत है। मान्यवर, आलू का भाव बताया है 10 रुपये किलो, जबकि सत्यता यह है कि 18 से 20 रु0 किलो आलू बाजार में मिल रहा है। यहीं लखनऊ की बात मैं बता रहा हूं।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि खन्ना जी आपही की पार्टी के लोग हैं)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इनको कुछ सिखाईये। मैं पिछले 25 साल से इस सदन में हूं, मैं टोकाटाकी नहीं करता हूं। मैं जब दूसरे के मामले में टोकाटाकी नहीं करता हूं तो कृपा करके हमारी बात को भी प्रापर्ली सुना जाए।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, आप सवाल पूछें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आज जो टमाटर का भाव है फुटकर में इसी लखनऊ में 25 से 30 रुपये प्रति किलो हैं लौकी और बैगन को मानते हैं कि मंहगा है, भिण्डी 1402 रुपये प्रति क्विंटल बतायी और 25 से 30 रुपये किलो फुटकर में मिल रहा है। जो भाव पिछले अप्रैल, मई व जून में था उससे ज्यादा भाव बढ़ा है, किसी में कम नहीं हुआ है। अगर कम हो, जिस भाव को उत्तर में लिखा है, उस भाव हम पूरी मण्डी के खरीददार हैं, अगर चाहें तो बेच दें। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला क्या सब्जी पैदा करने वालों के लिए कोई प्रोत्साहन की नीति सरकार की है, यदि है तो वह क्या है ? दूसरा यह जो गुणवत्तायुक्त बीज की बात मंत्री जी ने अपने उत्तर में कही है, नीचे से तीसरी लाइन 'गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन कराने की योजना चलायी जा रही है।' मान्यवर, इस योजना के बारे में जानकारी दे दें और कोई प्रोत्साहन की बात हो तो उसके बारे में जानकारी दे दें ?

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, शादी तो किये नहीं है इनको गृहणी के बारे में क्यों इतनी चिन्ता है ?

श्री अध्यक्ष-

रिजवी साहब बैठिये, यह ठीक नहीं है।

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, मैंने उत्तर में कहा था कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-2006 से चला, इसमें 45 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुए और इसमें सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। बाकी जिलों में वेजीटेबुल कल्टीवेशन में 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है, इसमें संकर शिमला मिर्च, मिर्च, टमाटर, लता वाली फसलें हैं, मचान बनाने के लिए यह सब छूट दी जा रही है और मान्यवर, यह सब प्रोत्साहन में ही माना जायेगा। आप तो जानते हैं कि फ्री स्टेट है यहां प्रोडक्शन और सप्लाई के आधार पर ही मूल्य चलता है। अब बरसात आ रही है तो भाव जरूर थोड़ा गिरेंगे, जब जाड़ा आयेगा तो भाव बढ़ जायेगा, यह तो साइकिल है। इसका मूल्य से कोई मतलब नहीं, यह 100, 200 रुपये का यह आंकड़ा नहीं है। लेकिन बरसात में भाव नीचा होता है। गर्मी में भाव कुछ होता है, जाड़े में भाव बढ़ जाता है, इसके अलावा और तमाम दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं। एक किसान के

सामने जो मुद्दा है फल, सब्जी उसको बीज उर्वरक इनपुट्स ज्यादा हो रहे हैं, बढ़ने के यही सब कारण हैं। शहरीकरण की वजह से आज सब्जी दूर से लाना पड़ रहा है। पहले शहरों के अगल-बगल फल और सब्जियों की खेती होती थी आज शहर बढ़ते जा रहे हैं तो उसे दूर से लाना पड़ रहा है। जब किसान दूर से लाता है तो डीजल या और दूसरी चीजों पर उसका खर्चा लग जाता है। जलवायु में आज फर्क हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जहां 10 यूनिट पानी लगता था वहां आज 12-13 यूनिट पानी की जरूरत लग रही है। जब पानी ज्यादा लग रहा है तो इनपुट बढ़ रहा है। दूसरे आज लोगों की पहले से आमदनी ज्यादा है लोग फल सब्जी खाने की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं लोग अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हैं जागरूकता बढ़ रही है यह भी एक कारण है। ग्रीन हाउस आप लाए ग्रीन हाउस की भी एक लागत है उसमें भी लागत ज्यादा आती है यह सब कारण हैं जिसकी वजह से भाव बढ़ रहे हैं। एक ही कारण नहीं हैं कि भाव बढ़ते चले जा रहे हैं बहुत सारे कारण हैं। आज लोग सब्जी बेचने बाहर भी चले जाते हैं कोई जरूरी नहीं हैं कि यहां सब्जी पैदा करें तो यहीं बेचें। जहां ज्यादा दाम मिलता है अगर दिल्ली में ज्यादा दाम हैं तो वहां चले जाते हैं। यह सब वजहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि यह जो थोक मूल्य इसमें दिये हैं वह कहां के हैं किस जनपद के हैं केवल इतना बता दें कि जो दूसरे पेज की पहली लाइन में दिया हुआ है कि शाक भाजी के उत्पादन हेतु कृषकों को अनुदान भी दिया जा रहा है तो मान्यवर, किस जिले में किस सब्जी पर कितना-कितना अनुदान दिया जा रहा है यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने तो बता दिया कि इन-इन सब्जियों पर इतना अनुदान देते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उसमें शाहजहांपुर आता है कि नहीं इतना और बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

शाहजहांपुर नगर में सब्जी होती है। माननीय खन्ना जी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया अब बैठ जाएं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो सब्जी के भाव बढ़ रहे हैं उसके सम्बन्ध में सरकार की कोई प्रोत्साहन नीति है जिससे सब्जी के भाव नीचे आ जाएं ? जो पूछा गया उससे इतर जवाब तो दिया गया। माननीय मंत्री जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी इस सदन में सबसे वरिष्ठ हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह मालूम होना चाहिए कि यह भाव कहां के हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी सन् 1969 में मंत्री थे वह जानते हैं। अब आप बैठ जाएं यह भाव बाजार का है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अनुदान के बारे में तो बता दें। मंत्री जी ने न तो अनुदान के बारे में बताया न ही प्रोत्साहन नीति के बारे में बताया।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि किस-किस पर हम प्रोत्साहन देते हैं। अगर आप गांव में होते तो आपको भी प्रोत्साहन मिल जाता। जो टमाटर बोते हैं और सब्जियां बोते हैं उनको बीज में छूट मिल जाती है हम अपने गांव गये थे तो हमारे गांव में फ्री बीज बांट रहे थे। उन्होंने बताया कि यह सब प्रोत्साहन के लिए आया है। तो यह सब जब आप गांव में जाते तब जान पाते। चूंकि सतीश महाना का तारांकित प्रश्न-5 पहले सोमवार के लिए आपके अनुरोध पर स्थानान्तरित हुआ था इसलिए अगला प्रश्न लेते हैं।

*4-श्री सतीश महाना-

[1 ले सोमवार के तारा0 प्रश्न सं0-5 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने की जानकारी

*5-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या तथा उसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अधिसूचित किये गये हैं जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है। इस अधिनियम में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विभिन्न प्राविधान किये गये हैं जिनका अनुपालन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सुनिश्चित कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि प्रश्नकाल में आपने हमें प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू है जिसका अनुपालन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि विगत पांच वर्षों में कितनी फैक्ट्रियों एवं मध्यम उद्योगों पर कार्यवाही कराई गई ?

मान्यवर, हमारे जनपद बहराइच में चार शुगर मिल हैं। इनमें वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मैंने एक पत्र भी लिखा था लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा पूछना यह है कि इन चारों शुगर मिल पर कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अभिषेक मिश्र-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 2712 वायु प्रदूषणकारी उद्योग चिन्हित हुए हैं। इनमें से 606 उद्योग इस समय बन्द चल रहे हैं। बाकी में कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अभी मुकेश श्रीवास्तव जी कृपया बैठ जायें मंत्री जी को पूरा उत्तर दे लेने दें।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, बहराइच में चार शुगर मिल हैं। मान्यवर, मै0 सिम्भौली शुगर्स मिल चिलवरिया (शुगर यूनिट) बहराइच, मै0 सिम्भौली शुगर्स लि0 (डिस्टलरी यूनिट) चिलवरिया, बहराइच, मै0 पारले बिस्किट प्रा0 लि0 (शुगर डिवीजन), परसेंडी, बहराइच, मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (शुगर डिवीजन) जरवल रोड, बहराइच है।

श्री अभिषेक मिश्र-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बहराइच की चार शुगर मिलों के बारे में बताया है इनके सम्बन्ध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हम निर्देश जारी करेंगे। बोर्ड उसको चेक करा लेगा और उसमें वहां से रिस्पांस आ जायेगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी जांच करा ली जायेगी। मान्यवर, मैं यह बता दूं कि मै0 सिम्भौली शुगर्स मिल, चिलवरिया (शुगर यूनिट) बहराइच, इसमें मानकों की पूर्ति एवं अनुपालन किया जा रहा है। मै0 सिम्भौली शुगर्स लि0 (डिस्टलरी यूनिट) चिलवरिया, बहराइच, इसमें अनुपालन किया जा रहा है। मै0 पारले बिस्किट प्रा0 लि0 (शुगर डिवीजन), परसेंडी, बहराइच, इसमें मानकों की पूर्ति एवं अनुपालन किया जा रहा है। मै0 इण्डियन पोटास लि0 (शुगर डिवीजन) जरवल रोड, बहराइच है, इसमें मानकों की पूर्ति नहीं की जा रही है। बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इसमें शो-कांज नोटिस जारी है।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, इसमें मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह मैंने अपने पत्र में भी बोर्ड को लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपको लगता है कि उत्तर पूर्ण नहीं है या उसमें गलती है तो आप नियमों के अन्तर्गत, नियम-163/164 के अन्तर्गत सूचना दे सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें मंत्री जी ने कहा है कि जांच करा लेंगे। इससे आपको मुतमईन हो जाना चाहिए माननीय सदस्य को। मान्यवर, यह सब बातें पिछले पांच साल जो सरकार थी उस समय की है। यह हमारा जवाब नहीं है। हमें जवाब देने की बाध्यता है इसलिए यह जवाब दे दिया गया है। अब

आप जब दुबारा अपना प्रश्न लगायेंगे तो सूचना यही आयेगी कि सब ठीक है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि पर्यावरण विभाग और जल निगम के मध्य कोआरडिनेशन होना चाहिए। जहां भी सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट लगा हुआ है वहां से जो गैस निकलती है वह जहरीली गैस निकलती है। उसमें केवल वायु प्रदूषण ही सीमित नहीं है जहरीली गैसे निकलती हैं उसके डिस्पोजल के लिये जो संयंत्र स्थापित हैं वह ठीक से कार्य नहीं करता है। मान्यवर, हमारे कानपुर नगर में भी यही स्थिति है। वहां पर मानकों के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है उसका अनुपालन कराये जाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि कानपुर नगर के बारे में मा0 मंत्री जी के पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं हो वह बता देंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर के बारे में जानकारी करा लें और जानकारी कराने के बाद सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से निकलती हुई जो जहरीली गैसे हैं उनको रोकने का कोई निर्देश माननीय मंत्री जी देंगे।

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के प्रश्न पर हम आश्वासन देते हैं कि हम इसका पता कराकर अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, शाहजहांपुर में हड्डी का कारखाना है उसके पास से निकल नहीं सकते हैं उसके पास से निकलेंगे तो वोमेटिंग जरूर होगी वोमेटिंग के बगैर बच नहीं सकते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, अखबारों में काफी इनकी प्रशंसा निकली है और यह भी सुना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के बहुत करीब हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से केवल एक बात जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश में जितने भी हड्डी के कारखाने हैं उनके पास जो प्रदूषण नियंत्रण की जो व्यवस्था है उसको दिखवायेंगे और विशेष रूप से शाहजहांपुर में जो हड्डी का कारखाना हमारे ग्राम हथौड़ा में लगा हुआ है उस रोड से निकल नहीं सकते हैं अगर निकलेंगे तो बिना वोमेटिंग के रह नहीं सकते ? मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें और जो व्यवस्था प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड की है उसको अगर करवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं इस पर माननीय मंत्री जी की तरफ से आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपके यहां हथौड़ा में कोई हड्डी का कारखाना है वहां पर वायु प्रदूषण है क्या उसको दिखवा लेंगे ?

श्री अभिषेक मिश्र-

मान्यवर, जरूर दिखवा लेंगे।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मेरे यहां निगोही चीनी मिल है उसमें इतना गन्दा पानी निकलता है, मैंने देखा है कि अगर उसका पानी जानवर पी लेते हैं तो उससे कई जानवर खत्म हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह जल प्रदूषण का नहीं वायु प्रदूषण का सवाल है, आप बैठें।

श्री ललितेश पति त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वायु प्रदूषण की जहां तक बात हो रही है और उन्होंने कहा मानक के हिसाब से तो वह मानक किस सन् में तय हुए थे क्या वह उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों के मानक के बराबर है और वह भारत सरकार के मानक के बराबर है या नहीं ?

श्री अभिषेक मिश्र-

अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार का गजट नोटीफिकेशन इक्स्ट्रा आर्डीनरी भाग-3 सेक्शन-4 जो 18 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित हुआ है इसमें सारे मानक हैं अगर आप आदेश करें तो मैं पढ़ दूं और आप चाहें तो इसको पढ़ा मान लिया जाय। मान्यवर, दूसरे सवाल में बताना चाहता हूं कि 2009 को यह मानक स्थापित हुए हैं उत्तर प्रदेश इन सभी मानकों को यथावत् मानता है और उन्हीं को लागू किया जाता है।

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि ताज की वजह से यह सारी इंडस्ट्री कोसीकलां में लगी हुई है इंडस्ट्री वाले पूरा जो अपना केमिकल का पानी है उसको लेकर अपर आगरा कैनाल में डाल देते हैं और वह पानी इतना विषैला है कि जब वह कैनाल में जाता है तो उससे किसानों की खेती भी बरबाद हो रही है और किसान काम भी नहीं कर पा रहा है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि वह जो केमिकलयुक्त पानी कैनाल में जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह आप जल प्रदूषण की बात ले आये वायु प्रदूषण की बात पूछिये। 3 प्रदूषण है जल, वायु और ध्वनि तो यह वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं उस पर पूछिये।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, यह प्रदूषण से ही सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप वायु प्रदूषण पर पूछिये।

श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां बागपत शुगर मिल है उसका जो जल निकलता है उससे इतनी बदबूदार महक आती है कि हमारे यहां पृथ्वी राज डिग्री कालेज है एक, उसकी 4 कन्याएं अभी 2 माह पहले बेहोश हो गयी। यह बात मैंने अपने भाषण में भी कहा था और फिर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक मलूकपुर शुगर मिल है जो मोदी का है बहुत बड़े पूंजीपति हैं। उसके दोनों तरफ कम से कम 10-15 गांव की तरफ को नाला है जिसमें इतनी बदबू आती है कि उधर से कोई निकल नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष-

आपने इसको अपने भाषण में भी कहा था। आज भी कह रहे हैं। यह वाटर प्रदूषण का मामला है। आज प्रदूषण पर 5 बजे के बाद नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा है, हम जो लोग प्रदूषण की बात करते हैं उनको निमंत्रित करता हूं कि सब लोग उस चर्चा में रहिये और उसको कहिये और मंत्री जी से जवाब लीजिये। बैठिये अब कुछ नहीं। आप लोग प्रश्न ही नहीं सीधे ला रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत ताज महल को बचाने के लिये धुआं छोड़ने वाली इकाइयों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और मेरे संज्ञान में ऐसा आया है कि मथुरा और आगरा जनपद में तमाम ऐसी धुआं छोड़ने वाली इकाइयां चल रही हैं और आपके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आड़ में चल रही है, उनके संरक्षण में चल रही हैं जो कि ताज महल को नुकसान पहुंचा रही हैं। क्या सरकार इस तरह की इकाइयों को प्रतिबन्धित करने के लिये सख्ती से कोई कार्यवाही करेगी ? नहीं मान्यवर, नहीं हो रहा है इसीलिये तो मैं आपसे कह रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या इसका पुनः सर्वेक्षण करवायेंगे और सर्वेक्षण करने के बाद कुछ सख्ती से कार्यवाही करेंगे ?

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य जी का कोई स्पेसिफिक प्वाइंटेड क्वेश्चन है और किसी स्पेसिफिक मिल के बारे में है तो आप हमें जरूर दे दें और मैं आश्वासन देता हूं कि हम दोबारा सर्वे करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब अब आश्वासन हो गया, अब क्या ? बैठिये। आप तो सीनियर मेम्बर हैं। कोई प्रश्न नहीं बचा 301 लेने दीजिये। इतना सवाल हो गया। आप सब 5 बजे आइये प्रदूषण पर है देखें आपकी कितनी रुचि है। यहां पूछ रहे हैं देखें तब आते हैं कि नहीं। अब बैठ जाइये।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में किसानों को उनके आलू का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु आलू क्रय केन्द्र खोलने की मांग

1-श्री सुरेश राणा-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उनकी आलू की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सरकार आलू क्रय केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

आवश्यकता नहीं।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उ0प्र0 निदेशालय से प्राप्त प्रदेश को प्रमुख मण्डियों में आलू के बाजार भाव उत्पादन लागत से कहीं अधिक चल रहे है जो कि उत्पादन लागत की दृष्टि से लाभकारी है।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के मण्डल मुख्यालय के जनपदों में संचालित वृद्धाश्रम की सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव

2-श्री सुरेश राणा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृद्धों की सहायता हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में वृद्धाश्रम खोलने एवं वहां रहने वाले लोगों को अनुमन्य सुविधायें प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

राज्य सरकार द्वारा पुरुषों हेतु लखनऊ में तथा महिलाओं हेतु वाराणसी में एक-एक राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह संचालित हैं। निराश्रित वृद्ध महिलाओं के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के 17 मण्डल मुख्यालय जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रम संचालित हैं। सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

प्रदेश के इण्टर पास सभी छात्रों को बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम0 के आगामी सत्र में प्रवेश दिलाने की जानकारी

3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रदेश में सरकार इण्टर पास सभी छात्रों को बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम0 में आगामी सत्र में प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार की क्या कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शासनादेश संख्या 1426/सत्तर-1-2011-16(20)/11 दिनांक 23 अगस्त, 2011 द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदेश में इण्टर पास छात्र-छात्राओं को कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश में आ रही समस्याओं के निदान हेतु वर्तमान सीटों में आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने के लिए विश्वविद्यालय के परिनियमावली में की गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में वृद्धावस्था पेंशन व पेंशन की राशि बढ़ाये जाने की मांग

4-श्री सुरेश राणा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सभी वृद्ध महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन देने व पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधानित कर दिया गया है। सम्बन्धित अधिकारियों को पात्र एवं अर्ह वृद्धजनों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दे दिये गये हैं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में पेंशन की राशि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद हरदोई में चकबन्दी प्रक्रिया को पूर्ण करने की जानकारी

5-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में चकबन्दी का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो राजस्व ग्राम नयागांव हबीबपुर, तहसील सदर, जनपद हरदोई में चकबन्दी की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हां।

ग्राम नयागांव हबीबपुर की चकबन्दी प्रक्रिया फरवरी, 2015 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से देने की जानकारी

6-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय योजना के तहत वर्ष 2009-10 में कितने वृद्धों की पेंशन स्वीकृत की गयी तथा वर्ष 2012-13 में कितने लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन देने का लक्ष्य निर्धारित है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बहराइच में पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन न मिलने की शिकायतें प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद-बहराइच में वित्तीय वर्ष 2009-10 में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 86,035 थी, जिनकी पेंशन स्वीकृत की गई। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में 86,035 अर्ह एवं पात्र वृद्धजनों को पेंशन दिये जाने का अनन्तिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत पेंशन की धनराशि 2 छमाही किश्तों में लाभार्थियों के खातों में सीधे प्रेषित की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के वृद्धावस्था पेंशनरों को पेंशन देने हेतु धनराशि की मांग

7-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के क्षेत्रीय सत्यापन में पात्र पाये गये 13823 अवशेष वृद्धावस्था पेंशनरों को जनपद स्तर से दो करोड़ अड़तालिस लाख इक्यासी हजार चार सौ रुपये की मांग की गयी है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जनपद से प्राप्त मांग का परीक्षण करने के पश्चात बजट के अनुरूप पेंशन की प्रथम छमाही की धनराशि जुलाई-अगस्त, 2012 तक प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

8-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

[1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मेरठ के सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि विश्वविद्यालय के फार्म के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भूमि सुधार व अधिक उपज का सार्थक प्रयास न करने के विरुद्ध कार्यवाही

9-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या कृषि शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ स्थित सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि विश्वविद्यालय के चिरोड़ी स्थित फार्म हाउस के कर्मचारियों द्वारा पिछले कई वर्षों से उत्पादन कम दिखाकर करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी के प्रकरण पर कुलपति द्वारा पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द सिंह-

जी हां, 03 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था।

जांच समिति द्वारा कोई घोटाला नहीं पाया गया परन्तु फार्म की मृदा जांच के आधार पर यह पाया गया कि फार्म की भूमि ऊसर है जिसमें फसल उत्पादन करने की समस्या रहती है। भूमि सुधार एवं अधिक उपज के लिए सार्थक प्रयास फार्म के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया, जिसके लिए प्रो0 समशेर, कार्यवाहक निदेशक को पद से अवमुक्त करते हुए चेतावनी, डा0 मोहन लाल, सह निदेशक की एक वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से तथा डा0 अतर सिंह, सहायक निदेशक फार्म की 02 वेतनवृद्धियां अस्थायी रूप से रोकते हुए डा0 सिंह को प्रभारी अधिकारी (चिरौडी फार्म) से अवमुक्त किया गया है। श्री रामस्वरूप, प्रक्षेत्र सहायक तथा श्री राजपाल, प्रक्षेत्र सहायक को भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रबुद्धनगर से होकर गुजरने वाली कृष्णा नदी में शुगर फैक्ट्री ननौता व अन्य फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषित जल प्रवाह को रोकने की जानकारी

10-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र थाना भवन, जनपद प्रबुद्धनगर से होकर गुजरने वाली कृष्णा नदी में शुगर फैक्ट्री ननौता एवं दुग्ध फैक्ट्री ननौता, बजाज हिन्दुस्तान शुगर फैक्ट्री थाना भवन व अन्य फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषित जल प्रवाहित किये जाने के कारण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कैंसर, पीलिया, ज्वर एवं अन्य जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार इसे प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र थाना भवन जनपद-प्रबुद्धनगर से होकर गुजरने वाली कृष्णा नदी में उद्गम स्थल से थाना भवन तक के कैचमेंट क्षेत्र में निम्न उद्योगों का शुद्धीकृत उत्प्रवाह निस्तारित होता है :-

1-मे0 यू0पी0 को-आपरेटिव शुगर फेडरेशन (आसवनी इकाई) ननौता, सहारनपुर।

2-मे0 किसान सहकारी चीनी मिल, ननौता, सहारनपुर।

3-मे0 एस0एम0सी0 फूड (दुग्ध फैक्ट्री), ननौता, सहारनपुर।

4-मे0 दुर्गा स्ट्रा बोर्ड, ननौता, सहारनपुर।

5-मे0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, शुगर यूनिट, थाना भवन (आसवनी इकाई) में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था स्थापित है। चीनी मिलों, दुग्ध फैक्ट्री तथा मिल बोर्ड में समुचित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित हैं। वर्तमान में चीनी मिलें आफ सीजन के कारण बन्द हैं। मिल बोर्ड भी स्वयं के कारणों से बन्द चल रही है। दुग्ध फैक्ट्री का दिनांक 14-5-2012 को शुद्धीकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया था जो कि बोर्ड मानकों के अनुरूप है।

जनपद बहराइच में वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि को अवमुक्त करने की मांग

11-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र 63,182 लाभार्थियों हेतु 12,05,43,200/-रुपये की मांग जिला प्रशासन द्वारा की गई है जिसके सापेक्ष 60,427 लाभार्थियों हेतु 11,56,81,900 रुपये की धनराशि जनपद को मिली थी ? यदि हां, तो क्या सरकार अवशेष 2,755 लाभार्थियों हेतु रु0 48,61,300 की धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी, बहराइच के पत्रांक-1955, दिनांक 26-11-2011 द्वारा प्रेषित मांग-पत्र के अनुरूप 63,182 लाभार्थियों की द्वितीय छमाही किश्त हेतु निदेशालय स्तर से जनपद-बहराइच के नोशनल खाते में रु0 1205.432 लाख की धनराशि स्थानान्तरित की गई है। मांग के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों/ब्लाकों में प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी

12-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों/ब्लाकों में जिला औद्यानिक मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में कौन-कौन सी योजनायें चलायी गयीं तथा वर्ष 2012-13 में कौन-कौन सी योजनाएं चलाने का लक्ष्य है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजनाओं को कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह-

जनपद बहराइच में जिला औद्यानिक मिशन योजना संचालित नहीं है। अतः विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों/विकास खण्डों में जिला औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में कोई भी योजना संचालित नहीं की गयी है।

वर्ष 2012-13 के लिए विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों/विकास खण्डों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा योजना) का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। इन दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत कृषक प्रक्षेत्रों पर आम, केला (टिश्यूकल्चर), लीची, अमरूद तथा शाक-भाजी एवं मसाला क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रश्नगत योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर के गांधी-फैज-ए-आम कालेज, में प्राचार्य की नियुक्ति की जानकारी

13-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की क्या नीति है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद शाहजहांपुर के गांधी फैजाम महाविद्यालय में 10 वर्षों से स्थायी प्राचार्य नहीं है ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य कब तक नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति का अधिकार महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति में निहित है, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की विहित व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है।

जी हां, गांधी-फैज-ए-आम कालेज, शाहजहांपुर में दस वर्षों से अधिक अवधि से स्थायी प्राचार्य नहीं है।

गांधी-फैज-ए-आम कालेज, शाहजहांपुर में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति हेतु दिनांक 27-5-2012 को साक्षात्कार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार के हवाई जहाज एवं हेलीकाप्टरों के ईंधन पर व्यय धनराशि का विवरण

14-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के पास वर्तमान में कितने हवाई जहाज एवं हेलीकाप्टर है तथा वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-2011 एवं 2011-2012 में इन पर कितने रुपये का ईधन वर्षवार व्यय किया गया है ?

श्री अखिलेश यादव-

14-प्रदेश सरकार के पास वर्तमान में 06 हवाई जहाज तथा 04 हेलीकाप्टर हैं। उक्त हवाई जहाजों एवं हेलीकाप्टरों के ईंधन पर व्यय की गई धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	धनराशि (रुपये)
2008-2009	2,78,49,138.00
2009-2010	3,36,12,084.00
2010-2011	3,13,66,312.00
2011-2012	3,28,57,294.00

जनपद प्रबुद्धनगर विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के सम्पर्क मार्ग के निर्माण का विवरण

15-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रबुद्धनगर में वर्ष 2010-11 व 2011-12 में मण्डी परिषद् द्वारा पक्का एवं खड़न्जा स्तर तक किन-किन सड़कों का निर्माण कराया गया है ? क्या विधान सभा क्षेत्र-थाना भवन में भी किसी मार्ग का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस मार्ग का एवं उसकी लागत क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

लेपन स्तर तक (पक्का) निर्मित सड़कों का विवरण निम्नवत् है:--

(वर्ष 2010-2011)

क्रमांक	सम्पर्क मार्ग का नाम
1	अम्बेहटा से गढ़ी दौलत।
2	ऊंचा गांव बीनड़ा मार्ग पर ग्राम किशोरपुर से आल्दी तक।
3	परासौली टीकरी मार्ग पर ग्राम बिराज से निरपुरा तक।
4	नया गांव से दथेड़ा तक।
5	भोगी माजरा से मछरौली।

(वर्ष 2011-12)

1	मखगूल से किवाना तक।
2	ग्राम गेगरू खास के पुल से गढ़ी दौलतपुर।

3	ग्राम कुरतान से लूम्ब की ओर जनपद बागपत सीमा तक।
4	ग्राम गढ़ी रामकौर नहर के पुल से ग्राम गंगेरू मार्ग तक।
5	खेड़ा मस्तान लिसाढ़ मार्ग से फुगाना डूगर मार्ग।

खड़ण्जा स्तर का कोई कार्य नहीं कराया गया है।

जी हां।

वर्ष 2010-11 में दो नग सम्पर्क मार्ग विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में पूर्व परिसीमन के अनुसार निर्माण कार्य कराया गया है। वर्ष 2011-12 में कोई सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है:--

क्रमांक	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (रु0 लाख में)
1	नया गांव से दथेड़ा तक।	59.53
2	भोगी माजरा से मछरौली।	58.16

नये परिसीमन के अनुसार उक्त दोनों सम्पर्क मार्ग अब विधान सभा क्षेत्र कैराना में सम्मिलित हैं।

जनपद प्रबुद्धनगर में विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की जानकारी

16-श्री सुरेश राणा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रबुद्धनगर में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद प्रबुद्धनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई भी विद्यालय संचालित न होने के कारण छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रबुद्धनगर के जिलाधिकारी कार्यालय, आवास, जेल एवं अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये आवास हेतु भूमि अधिग्रहण करने की जानकारी

17-श्री सुरेश राणा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रबुद्धनगर के जिलाधिकारी कार्यालय, आवास, जेल, अन्य प्रमुख कार्यालयों एवं उनके कर्मचारियों के आवास के लिए भूमि अधिग्रहीत कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

क्योंकि इस सम्बन्ध में जनपद प्रबुद्धनगर के मुख्यालय स्थित कार्यालयों, आवासों के निर्माण हेतु ग्राम मुण्डेट, बधैव कन्नूखेड़ा, गोहरनी, भैसवाल की कुल 107.144 हेक्टेयर भूमि के नामान्तरण का प्रस्ताव जिलाधिकारी प्रबुद्धनगर के पत्रांक-550/एस0टी0, दिनांक 07-11-2011 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया था, जिसके संवीक्षणोपरान्त शासन के पत्र संख्या-3178/एक-5-2011-40/2012, दिनांक 02-04-2012 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी, प्रबुद्धनगर को दिये गये थे, पत्रांक-260/एक-5-2012-40/12, दिनांक 03-5-2012 एवं पत्र संख्या-260(1)/एक-5-2012-40/12, दिनांक 05-6-2012 द्वारा अनुस्मृत कराने के बाद भी प्रकरण में शासन द्वारा अपेक्षित आख्या अभी तक प्रतीक्षित है। आख्या प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर 424 व 432 के विषय में जानकारी

18-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में राजस्व गांव खमरिया नवदिया की भूमि संख्या-424 व 432 के पट्टे अपात्र व्यक्तियों को करके उप निबन्धक कार्यालय द्वारा भूमि का हस्तान्तरण भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम खमरिया नवदिया तहसील बीसलपुर जनपद पीलीभीत के जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 में गाटा संख्या-424 में श्रीमती नन्ही पुत्री श्री रामरखी व श्रीमती कमला पुत्री देवी निवासी बीसलपुर का नाम श्रेणी-1(क) में दिनांक 05-09-1965 से दर्ज है। वर्तमान में श्री अवनीश कुमार, प्रकाश चन्द्र, आशीष कुमार पुत्रगण ग्रीश कुमार व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी ग्रीश कुमार व इतवारी लाल पुत्र पूसे व मिश्री लाल पुत्र रामभरोसे के नाम संक्रमणीय भूमिधर में दर्ज है।

गाटा संख्या-432 जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 में बांके लाल व रामविलास पुत्रगण नन्हें लाल के नाम श्रेणी-2 में दिनांक 05-09-1965 से दर्ज है। वर्तमान में श्री धर्मपाल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल निवासी बीसलपुर के नाम श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधर में दर्ज है। प्रश्नगत प्रकरण में किसी जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर आने वाले ग्रामों के अग्निकाण्ड पीड़ितों को अनुदान दिये जाने की मांग

19-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर, बहराइच के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के अग्निकान्ड पीड़ितों को अनुदान प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-04-2012 उप जिलाधिकारी, कैसरगंज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 सदस्य का संदर्भित पत्र दिनांक 14-4-2012 उप जिलाधिकारी, कैसरगंज को प्राप्त हुआ है किन्तु उस पत्र में जिन 41 प्रार्थना-पत्रों का सन्दर्भ दिया गया है उनमें से 12 आवेदन-पत्र तहसील में प्राप्त नहीं हुए हैं।

सम्बन्धित अग्निकाण्ड पीड़ितों का आवेदन प्राप्त हुआ था उनकी जांच कराई गई। जांच में पाये गये पात्र 14 अग्निकाण्ड पीड़ितों को गृह अनुदान रु0 27000/- एवं अहेतुक सहायता रु0 24000/- वितरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बहने वाली नदियों के कटान से प्रभावित बरेली व पीलीभीत की सीमाओं के विवाद का निस्तारण

20-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत के अन्तर्गत नदी देवहा, कटना, खन्नौत के कटान के कारण सीमावर्ती जनपद बरेली, शाहजहाँपुर व पीलीभीत की सीमायें प्रभावित रहती है जिससे नागरिकों के मध्य विवाद रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पैमाइश कराकर सीमाएं निर्धारित कर विवाद समाप्त किए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला पीलीभीत के अन्तर्गत बहने वाली नदी देवहा, कटना, खनौत के कटान के फलस्वरूप बरेली व पीलीभीत की सीमायें प्रभावित होती रहती हैं, जिससे कभी-कभी नदी के तटवर्ती किसानों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसे वहां के जिला प्रशासन द्वारा हल कर लिया जाता है। जनपद शाहजहांपुर से इस तरह के विवाद की सूचना नहीं है।

नदी द्वारा भूमि का कटान तथा भूमि छोड़ा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। ऊपर उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचनानुसार इस प्रकार के समय-समय पर उत्पन्न विवादों का निराकरण पैमाइश कराकर कराया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता करने वालों की जांच

21-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का फर्जी प्रवेश दिखाकर अरबों रुपये का घोटाला किये जाने का प्रकरण सरकार के संज्ञान में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितितायें किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें राज्य सरकार के संज्ञान में आयी हैं। इन शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच करायी जा रही है। जांच के आधार पर प्रभावी कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं।

22-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में लड़कियों की शिक्षा हेतु महाविद्यालय के निर्माण की मांग

23-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया केमरी, जनपद रामपुर में लड़कियों की स्नातक शिक्षा के लिये कोई महाविद्यालय न होने के कारण उन्हें बी0ए0 व एम0ए0 की शिक्षा नहीं मिल पा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये एक राजकीय महाविद्यालय का निर्माण टाउन एरिया केमरी में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

टाउन एरिया केमरी जनपद रामपुर से लगभग 16 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर, जनपद रामपुर अवस्थित है, जहां स्नातक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। जनपद रामपुर मुख्यालय में 02 राजकीय महाविद्यालयों यथा-राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर तथा राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर में स्नातक के साथ-साथ स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त जनपद रामपुर में 07 स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में स्नातक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में अर्ह एवं पात्र वृद्धजनों के पेंशन की स्वीकृति की कार्यवाही

24-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ब्लाकवार ग्राम पंचायतों में कुल कितने वृद्धावस्था बी0पी0एल0 सूची धारक हैं जो कि पात्र होने के बाद भी पेंशन की सुविधा नहीं पा रहे हैं ? क्या उन सभी नामों का प्रस्ताव ग्राम सभा/ब्लाक स्तर पर तैयार करवाकर भारत सरकार को भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद-बहराइच में विकास खण्ड-पयागपुर के 69, विशेश्वरगंज के 95, हुजूरपुर के 42 एवं चित्तौरा के 1010 कुल 1216 वृद्धावस्था पेंशन के प्रकरण लम्बित बताये गये हैं। पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधानित हैं। सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे नियमानुसार अर्ह एवं पात्र वृद्धजनों के पेंशन की स्वीकृति की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कर दें।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रायबरेली की तहसील डलमऊ के अन्तर्गत ग्राम गोंडा बाजार से ग्राम-नरायनपुर बन्ना सम्पर्क मार्ग खुलवाने की मांग

25-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली के तह0 डलमऊ के अन्तर्गत ग्राम-गोंडा बाजार से ग्राम-नरायनपुर बन्ना सम्पर्क मार्ग जो सैकड़ों वर्ष पुराना है को शशिभान सिंह पुत्र उदयभान सिंह द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग को कब तक खुलवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद राबरेली की तह0-डलमऊ के अन्तर्गत ग्राम-गोंडा बाजार से ग्राम-नरायनपुर बन्ना सम्पर्क मार्ग कीरतपुर चरूहार देवगना की गाटा संख्या 45 से होकर गुजरता है। गाटा संख्या-45 शशिभान सिंह, शिवभान सिंह पुत्रगण स्व0 उदयभान सिंह तथा देवकी सिंह पत्नी उदयभान सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। मौके पर मात्र पैदल व दुपहिया वाहनों के आने जाने के लिए उपरोक्त भूमिधर द्वारा 3-4 फुट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है, किन्तु भूमिगत भूमि से विधिक रूप से भूमि विनिमय कर कोई रास्ता दिये जाने को तैयार नहीं है। भूमिधर द्वारा न्यायालय सिविल जज डलमऊ कोर्ट रायबरेली में एक वाद योजित कर रखा है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा मौके पर यथा स्थिति बनाये रखने सम्बन्धी स्थगनादेश भी पारित है।

इस प्रकार मौके पर सम्पर्क मार्ग पूर्णतया अवरूद्ध नहीं है। किन्तु किसी भूमिधरी भूमि से बिना उसकी सहमति के एवं सक्षम न्यायालय स्थगनादेश प्रभावी होने से सम्पर्क मार्ग बनवाया जाना विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा में मुर्गी पालन हेतु अडानी ग्रुप द्वारा गैस पाइप लाइन की कनेक्टीविटी दिलाने की मांग

26-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर के खुर्जा में मुर्गी पालन उद्योग हेतु अडानी ग्रुप द्वारा गैस की पाइप लाइन बिछायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार

उक्त उद्योग के हित में गैस पाइप लाइन की कनेक्टीविटी दिलाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मै0 अडानी गैस लि0 द्वारा खुर्जा में विभिन्न उद्योगों, वाणिज्यिक उपयोगों तथा घरेलू उपयोगों हेतु प्राकृति गैस वितरण के लिए 50 किमी0 से अधिक पाइप लाइन बिछायी गयी है।

यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव उक्त कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार कर यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अग्निकाण्ड पीड़ितों को दी गई सहायता का विवरण

27-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अग्निकाण्ड पीड़ितों एवं उनके मृतक आश्रितों को गृह अनुदान प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक वि0प0/ ज0हि0/2012-13/226 दिनांक 11-04-2012 उप जिलाधिकारी, सदर, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

दैवी आपदा के अन्तर्गत शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गृह अनुदान/अहेतुक सहायता उपलब्ध करा दिया गया है जो निम्नवत् हैः--

पात्र व्यक्तियों की संख्या	वितरित गृह अनुदान	वितरित अहेतुक सहायता
74	1,11,000.00	1,35,000.00

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत व्यवस्थापकों के पदों का वेतनमान उच्चीकृत करके ए0सी0पी0 आदि का लाभ दिये जाने की जानकारी

28-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ई0-2608/32-1-2011-909 एस0ई0/2008 टी0सी0 दिनांक 09 मई, 2011 द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत व्यवस्थापकों के पद का वेतनमान रु0 5500-9000 को रु0 7450-11500 के स्तर पर उच्चीकृत करते हुये सादृश्य वेतन बैण्ड-2 में ग्रेड वेतन रु0 4600/- अनुमन्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सम्पत्ति विभाग के उक्त व्यवस्थापकों को उपरोक्त स्वीकृत वेतनमान के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 1996 से समस्त देय/बकाया लाभ यथा वेतन का उच्चीकरण, बकाया एरियर तथा ए0सी0पी0 आदि का लाभ प्रदान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त समस्त लाभ कब तक प्रदान कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वित्त समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय दिनांक 18-03-2011 के आधार पर राज्य सम्पत्ति विभाग के व्यवस्थापक के पद का वेतनमान रु0 5500-9000 को रु0 7450-11500 के स्तर पर उच्चीकृत करते हुये सादृश्य वेतन बैण्ड-2 में ग्रेड वेतन रु0 4600/-तात्कालिक प्रभाव दिनांक 09-05-2011 से अनुमन्य कराया गया है। अतएव व्यवस्थापकों को उक्त उच्चीकृत वेतन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया गया है। दिनांक 01-01-1996 से देय बकाया लाभ/एरियर दिये जाने का औचित्य नहीं है। जिन व्यवस्थापकों को ए0सी0पी0 आदि का लाभ देय था, को नियमानुसार अनुमन्य कराया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद बहराइच में आलू के भण्डारण की जानकारी

29-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू उत्पादन के सापेक्ष भण्डारण की क्षमता जनपद वार कितनी है ? क्या सरकार बहराइच जनपद में आलू के समुचित भन्डारण की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

प्रदेश में वर्ष 2011-12 में लगभग 128.77 लाख मी0टन आलू का उत्पादन हुआ है, जिसके सापेक्ष प्रदेश में कार्यरत 1522 शीतगृहों में 111.30 लाख मी0टन क्षमता उपलब्ध है। जनपदवार भण्डारण क्षमता सूची संलग्न है।†

आवश्यकता नहीं।

प्रश्न नही उठता।

बहराइच जनपद में वर्ष 2011-12 में लगभग 2250 हैक्टेयर क्षेत्रफल में 42900 मी0टन आलू का उत्पादन हुआ है। जनपद में 7 शीतगृह कार्यरत हैं, जिनकी भण्डारण क्षमता 41467.77 मी0 टन है। इन शीतगृहों में 24320.69 मी0टन आलू का भण्डारण हुआ जो की क्षमता के सापेक्ष 58.65 प्रतिशत ही है।

वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

30-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित धनराशि के अतिरिक्त क्या राज्य सरकार भी समतुल्य राशि का योगदान कर न्यूनतम 500 रुपया प्रतिमाह देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक तथा 79 वर्ष आयु वर्ग के अर्ह एवं पात्र वृद्धजनों को रु0 300/- प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-146-149 पर)

उसमें रु0 200/- भारत सरकार द्वारा तथा रु0 100/- राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से वहन किया जाता है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के अर्ह एवं पात्र वृद्धजनों को रु0 500/- प्रतिमाह भारत सरकार द्वारा पेंशन की राशि दी जाती है। सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

31-डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के अठदमा रूधौली में मेसर्स बजाज शुगर मिल में शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह संयंत्र के कार्यरत होने की जानकारी

32-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजाज शुगर मिल अठदमा, जनपद बस्ती द्वारा प्रदूषित जल आमी नदी में छोड़ने के कारण मवेशी प्रदूषित जल पीने के कारण बीमार होकर मर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अठदमा रूधौली जिला बस्ती में मेसर्स बजाज शुगर मिल के परिसर में शुगर इकाई एवं डिस्टलरी इकाई स्थापित है। उक्त उद्योग की शुगर का उत्पादन क्षमता 10000 टन/दिन क्रेन क्रसिंग करने की है एवं उद्योग से उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित है। वर्तमान में उक्त इकाई आफ सीजन के कारण बंद है। उद्योग का पेराई सत्र के दौरान कार्यरत अवस्था में दिनांक 20-1-2012 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शुद्धीकरण संयंत्र की समस्त इकाइयां कार्यरत पायी गयी एवं उद्योग से जनहित शुद्धीकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण के उपरान्त निस्तारित उत्प्रवाह में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पाई गई है। उद्योग से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण आमी नदी में होता है।

उक्त परिसर में स्थापित उद्योग की डिस्टलरी इकाई की उत्पादन क्षमता 160 कि0ली0/दिन एल्कोहल बनाने की है। उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु इन्टीग्रेटेड मल्टी इफैक्ट इवोपरेटर (फ्लूवेक्स इवापरेटर) तथा बायो कम्पोस्टिंग प्लान्ट की स्थापना की गई है। उद्योग का निरीक्षण दिनांक 11-5-2012 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया एवं शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु स्थापित शुद्धिकरण व्यवस्था कार्यरत पाई गई। उद्योग से कोई प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित होता नहीं पाया गया।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 7 जून, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें 17 सूचनाएं स्वीकृत की गयीं। पहली सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की जनपद देवरिया के रूद्रपुर में सत्तर प्रतिशत गांवों में कम विद्युत सप्लाई तथा लो वोल्टेज होने के कारण ग्राम सभा कंधौली या मदनपुर में 132 के0वी0ए0 सब स्टेशन की स्थापना

किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना पर माननीय सदस्य श्री धर्मपाल सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अनुपस्थित थे। तीसरी सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद प्रबुद्धनगर के ग्राम हरर फतेहपुर में स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने के है। चौथी सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद काशीराम नगर व जनपद बदायूं के बीच स्थित कहलाघाट को पक्का घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की मथुरा में यमुना के ऊपर कन्जौली घाट पुल के रूके निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। (सूचना पढ़ी गई) छठवीं सूचना श्री भगवती प्रसाद की अलीगढ़ स्थित करवल नदी पर पुल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में है। (सूचना पढ़ी गई) सातवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की है इन्होंने प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लालगंज की सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने एवं मंगापुर उदयपुर के नाम से नये विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की है इन्होंने बस्ती सदर में स्थित शुगर मिल के प्रदूषित जल से हो रहे जीव-जन्तुओं एवं किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री सुरेश बंसल की है इन्होंने गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मोती मस्जिद व मक्की मस्जिद के मध्य पड़े कूड़े से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। (सूचना पढ़ी गई) दसवीं सूचना श्री अमर पाल शर्मा की है इन्होंने गाजियाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र मे शुद्ध पेयजल हेतु गंगा वाटर की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की है यह अनुपस्थित हैं। बारहवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की है इन्होंने क्षेत्र गोरखपुर के ग्रामीण ब्लाक खोरावर के अन्तर्गत तरकुलानह रेगूलेटर पर पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की है इन्होंने जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड बडरांव के अन्तर्गत उसरी बुजुर्ग से झोटपुर तक की जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री मनीष रावत की है इन्होंने विधान सभा क्षेत्र सिधौली, सीतापुर में 55 नलकूप खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की है इन्होंने जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पिछले 01 जून, 2012 को आये भीषण तूफान से होने वाली धन जन हानि के सम्बन्ध में है। (सूचना पढ़ी गई) सोलहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की है इन्होंने जनपद पीलीभीत में कतिपय सरकारी चिकित्सालयों में सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सा विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सरकारी दवाओं व फर्जी दवाओं की बिक्री को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में है। (सूचना पढ़ी गई) सत्रहवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की है-अनुपस्थित हैं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः--

श्री उमाशंकर सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, सुश्री सावित्री बाई फूले, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री संजय कपूर, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्री दलजीत सिंह, श्री शारदा प्रताप शुक्ला, साध्वी निरंजन ज्योति, ठाकुर सूरजपाल सिंह और श्री गोमती यादव।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी नियम-301 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, विधवा पेंशन का मामला है, ले लीजिए। इसे स्वीकार कर लीजिए।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मेरी सूचना को स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

संजय कपूर जी, आपका पहले भी आ चुका है।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, इसके पहले कोई नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, ठीक है।

आपका भी कर दिया।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद देवरिया के रुद्रपुर में सत्तर प्रतिशत गांवों में कम विद्युत सप्लाई तथा लो वोल्टेज होने के कारण ग्राम सभा कंधौली या मदनपुर में 132 के0वी0ए0 सब स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[महोदय, किसी भी क्षेत्र के विकास में बिजली की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निजी जीवन हो, व्यापार हो, उद्योग हो, खेती हो, हर क्षेत्र बिजली की अबाध उपलब्धता पर ही निर्भर रहता है। जहां पर बिजली की सुगम, निर्बाध बिजली आपूर्ति होती है वहां पर विकास काफी तेजी से होने लगता है और वह क्षेत्र बहुत जल्दी प्रगति कर लेता है। वहां के लोग जीवन-यापन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार में बहुत तेजी से प्रगति कर लेते हैं। जहां बिजली की कमी हो, वहां पर इंसान के रोजमर्रा की जिन्दगी भी दूभर हो जाती है। विकास का पहिया रुक जाता है। जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में बिजली की समस्या से अनेकों समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। लगभग 70 प्रतिशत गांवों में बिजली के तार तो हैं परन्तु बिजली की सप्लाई बहुत कम समय के लिए हो पाती है और जब बिजली की सप्लाई मिलती है तो उसमें भी बहुत लो वोल्टेज रहता है जिससे उसका पूरा लाभ क्षेत्रवासियों को नहीं मिल पाता है, इसका मूल कारण विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में एक 132 के0वी0ए0 का विद्युत सब स्टेशन एवं दो 33 केवीए के सब स्टेशनों की कमी है। यदि जनपद देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक 132 केवीए का विद्युत सब स्टेशन एवं दो 33 केवीए के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना क्रमशः ग्राम सभा कन्हौली या इसके आसपास तथा दूसरा ग्राम सभा मदनपुर या इसके आस-पास कर दी जाय तो इस क्षेत्र की बिजली की समस्या से यहां के क्षेत्रवासियों को निजात मिल जायेगी और बिजली के कम वोल्टेज अथवा बिजली के शिफ्टवार न देने की समस्या से निजात क्षेत्रवासियों को मिल जायेगी।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रबुद्धनगर के ग्राम हरर फतेहपुर में स्थापित की ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश राणा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र थाना भवन जनपद प्रबुद्धनगर के ग्राम हरर फतेहपुर में 5 एम0वी0ए0 के दो ट्रांसफारमर है। यहां पर बिजलीघर से लगभग 20 गांव जुड़े हैं। जिनका पूरा भार इन्हीं ट्रांसफारमरों पर है। अधिभारित होने के कारण आये दिन ट्रांसफारमर फुंक जाते हैं। विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित रहती है। इस भीषण गर्मी के मौसम में ट्रांसफारमरों पर भार बढ़ गया है। जनता कई बार ट्रांसफारमरों की क्षमता वृद्धि हेतु मांग कर चुकी है तथा लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद काशीराम नगर व जनपद बदायूं के बीच स्थित कहलाघाट को पक्का घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद कांशीरामनगर व जनपद बदायूं के बीच में गंगा नदी पर कहला घाट है। जहां धार्मिक आस्था रखने वाले सैकड़ों लोग गंगा स्नान के लिए आते है। कहला गंगा घाट पर पक्का घाट न होने के कारण काफी लोग गंगा नदी में स्नान करते समय डूबकर मर जाते है। इस गंगा घाट को हरिद्वार व अन्य गंगा घाट की तरह तीर्थ यात्रियों के लिए गंगा स्नान हेतु पक्का घाट न बनने से क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गंगा नदी पर पक्का घाट गंगा स्नान हेतु बनाये जाने की मांग करता हूं।]

मथुरा में यमुना के ऊपर कन्जौली घाट पुल के रुके निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

महोदय, जनपद-मथुरा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेतु निगम के द्वारा यमुना के ऊपर कन्जौली घाट पुल का निर्माण शासन द्वारा 2010 में पूर्ण करके जनता के आने जाने के लिये शुरू, (चालू) कर देना था परन्तु वर्ष 2012 के अन्त होने को आ रहा है परन्तु अभी तक यह कंजौली घाट पुल जो कि बल्देव क्षेत्र से कन्जौली घाट पुल से नेशनल हाईवे-2, दिल्ली, मथुरा, आगरा को जोड़ता है का पुल निर्माण होने के बाद भी कन्जौली घाट पुल के दोनों ओर की सड़कें (कंजौली घाट के पुल से रेपुरा जाट एवं बल्देव मार्ग) सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया जिसके कारण आम जनता को दोनों ओर सड़कों की मरम्मत एवं सड़क चौड़ाई के अभाव में पूरे क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी हो रही है। कंजौली घाट पुल निर्माण का औचित्य ही समाप्त हो रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस जनहित व लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से जनहित में समस्या के निदान की अविलम्ब मांग करता हूं।

अलीगढ़ स्थित करवल नदी पर पुल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भगवती प्रसाद-

महोदय, जनपद-अलीगढ़ में स्थित करवल नदी जो खैर तहसील में से होकर निकलती है पर ग्राम बलरामपुर, सुदेशपुर डेटा कला नाई नगला बंजारा नगला से बुलन्दशहर के लिये सीधा रास्ता निकलता है जिस पर प्रति वर्ष अनेकों घटना होती रहती है जिससे यहां की जनता को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं कृषि कार्य के लिये बहुत घुमाव से जाना पड़ता है। जाने के लिये जनता को नदी पर पुल न होने के कारण काफी दूरी का चक्कर लगाना पड़ता है।

अतः मैं उपरोक्त इस मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने की अविलम्ब मांग करता हूं।

प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लालगंज की सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने पर मंगापुर उदयपुर के नाम से नये विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रमोद तिवारी-

[महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर एक ओर पेयजल की गम्भीर समस्या है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों/सम्पर्क मार्गों के अभाव में आवागमन की भी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। सई नदी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है जिसके कारण विकास खण्ड लालगंज का जो क्षेत्र सई नदी के दूसरी तरफ पड़ता है वहां के लोगों को ब्लाक मुख्यालय आने-जाने में पुल के अभाव में परेशानी होती है, वर्षाकाल के दौरान तो यह स्थिति और भी अधिक विस्फोटक हो जाती है, और लोगों का विकास खण्ड लालगंज मुख्यालय पहुंचना पूरी तरह असंभव हो जाता है, जिसके कारण जहां जनहित के कार्य प्रभावित होते है और क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है वहीं लोगों को अपना कार्य कराने में दिक्कतें आती हैं। अतः भौगोलिक दृष्टिकोण से भी लोगों को अत्यन्त परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिये एवं लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिये जनहित में यह अति आवश्यक है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज के अन्तर्गत **'मंगापुर उदयपुर'** के नाम से एक नये विकास खण्ड का सृजन किया जाय, जिससे जहां क्षेत्र का चतुर्दिक विकास होगा वहीं लोगों को भी सुविधा होगी। जनहित में मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे **'मंगापुर उदयपुर'** के नाम से एक नये विकास खण्ड की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है, जिसका प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है। विकास खण्ड का सृजन न होने से जहां लोगों को परेशानी हो रही है वहीं क्षेत्रीय जनता में रोष तथा क्षोभ व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बस्ती सदर में स्थित शुगर मिल के प्रदूषित जल से हो रहे जीव-जन्तुओं एवं किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर में बस्ती शुगर मिल स्थापित है इस शुगर मिल से नियमित प्रदूषित गन्दगी नरियांव ताल में निरन्तर रूप से गिर रहा है इसकी शिकायत समय-समय पर शुगर मिल प्रबन्धक से की जाती है प्रदूषित पानी गिरने से इस तालाब में मछलियां एवं जीव जन्तुओं एवं किसानों को भारी नुकसान हो रहा है तथा क्षेत्र में अनेक बीमारियां पैर फैला रही हैं निकट ही वर्षा का मौसम आने वाला है। अगर इस प्रदूषण को नही रोका गया तो वर्षा के पानी में गन्दगी मिलकर और अधिक क्षेत्र को प्रभावित करेगी।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मे मोती मस्जिद व मक्की मस्जिद के मध्य पड़े कूड़े से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

मान्यवर, मैं विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के केला भट्टा के अन्तर्गत मोती मस्जिद व मक्की मस्जिद के बीच में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। मान्यवर, यह क्षेत्र नगर निगम सीमान्तर्गत आता है और सफाई कार्य न होने से वहां की जनता में जनआक्रोश व्याप्त है। वहां पर इतनी गन्दगी फैली हुई है कि वहां पर लोगों को मस्जिद जाना दूभर हो रहा है।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।

गाजियाबाद की ट्रान्स हिण्डन क्षेत्र में शुद्ध पेयजल हेतु गंगा वाटर की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर पाल शर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद-गाजियाबाद के अन्तर्गत ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में जहां की आबादी लगभग 30 लाख से अधिक है और यह क्षेत्र नगर निगम की सीमान्तर्गत आता है। उक्त क्षेत्र के निवासी नगर निगम के टैक्स भोगी है किन्तु यहां के निवासियों को शुद्ध पेयजल हेतु गंगा वाटर की सप्लाई नहीं दी जा रही है, जिससे यहां के निवासियों मे जनआक्रोश है।

अतः आपके माध्यम से इस अति महत्वपूर्ण के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गंगा वाटर की सप्लाई कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण के ब्लाक खोरावर के अन्तर्गत तरकुलानह रेगुलेटर पर पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक खोरावार में जो शहर और गांव की आबादियों जिस रेगुलेटर से प्रभावित होती है उसकी स्थिति काफी दयनीय है। यह क्षेत्र बाढ़ के समय में जब यह रेगुलेटर बन्द हो जाता है ऐसे में जल जमाव की स्थिति ऐसी भीषण हो जाती है जिससे पचासों गांव जलमग्न हो जाते हैं व शहर के बुद्ध विहार, तारामण्डल, तुर्कमानपुर, शिवनगर जैसे इलाके की लाखों की आबादी भी प्रभावित होती है। बाढ़ के समय में एक तरफ बाई पास दूसरी तरफ बंधा और तीसरी तरफ गोरखपुर के रामगढ़ ताल का पानी व इन क्षेत्रों के बरसात का पानी मिलकर के बहुत बड़ा जलाशय का रूप ले लेता है। जिससे काफी सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। इस वजह से शहर और देहात का काफी बडा क्षेत्र प्रभावित होता है। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। यदि यहां पर पम्पिंग स्टेशन स्थापित हो जाये जिससे बरसात का पानी निकालकर नदी में डाल सकें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तरकुलानी रेगुलेटर पर पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये जोन की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड बडरांव के अन्तर्गत उसरी बुजुर्ग से झोटपुर तक की जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[महोदय, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड-बडरांव के अन्तर्गत उसरी बुजुर्ग से झोटपुर तक की सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उक्त सड़क पर से 50 गांवों से अधिक के निवासियों का अवागमन होता है और प्रतिदिन हजारों वाहन उस सड़क से गुजरते हैं। वर्षा से उस सड़क पर पैदल चलना भी अत्यन्त दूभर हो जाता है। आये दिन वहां पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है लोग चोटिल हो रहे है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त सड़क के लेपन कार्य हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उसरी बुजुर्ग से झोटपुर तक की सड़क का लेपन कार्य किये जाने की भी मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र सिधौली, सीतापुर में 55 नलकूप खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनीष रावत-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिधौली जनपद सीतापुर में 118 नलकूप स्थापित हैं जिसमें से 55 नलकूप बन्द पड़े हैं। पूर्व मायावती सरकार के समय से उक्त नलकूप बन्द पड़े हैं। किसी का मोटर जल गया है किसी के तार जर्जर होकर टूट गये हैं जिससे 55 नलकूप बन्द पड़े होने के कारण किसानों की फसलें सिंचाई के अभाव मे सूख गयी हैं। स्थानीय जनता में काफी रोष एवं आाक्रोश है। जनहित में खराब पड़े उक्त 55 नलकूपों को तत्काल ठीक कराये जाने की आवश्यकता है। मौजूदा हालत में मात्र 63 नलकूप चालू स्थिति में हैं जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है।

अतः इस लोक महत्व के जनहित के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल बन्द पड़े 55 नलकूपों को तत्काल ठीक कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पिछले 01 जून, 2012 को आये भीषण तूफान से होने वाली धन जन हानि होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया, बलिया में पिछले 01 जून, 2012 को भीषण आधी-तूफान आया था, जहां धन और जन की भारी क्षति हुई थी। इस तूफान में बिजली के खम्भें, तार जहां पूरी तरह धराशाही होकर जमीन पर गिर गये है, वहीं पर ट्रान्सफार्मर खराब हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति लगभग ठप्प हो गयी है। इस तूफान में हमारे क्षेत्र के शिवपुर कपूर दीयर, गड़ेरिया, सेमरिया, जगदीशपुर, लालगंज, नरदरा भुसौला, हृदयपुर, मुरादपट्टी, चिरंजीवी-छपरा आदि गांवों में स्थिति अत्यन्त भयावह हो गयी है। इस तूफान में जहां एक महिला की मौत हो गयी वही एक लड़के का हाथ पूरी तरह कट गया है। यह विषय अत्यन्त गम्भीर है।

अतः इस जनहित के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद पीलीभीत में कतिपय सरकारी चिकित्सालयों में सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सा विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सरकारी दवाओं व फर्जी दवाओं की बिक्री को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

महोदय, जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130 बीसलपुर के अन्तर्गत जोगीठेर, चुर्रासकतपुर, खांडेपुर एवं दियोरिया कलां चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा बिलसण्डा एवं बीसलपुर दो सामुदायिक केन्द्र हैं। बीसलपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ही फर्स्ट रेफरल यूनिट भी स्थापित है। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सृजित पदों के अनुसार चिकित्सक एवं कर्मचारी नियुक्त नहीं हैं विशेष रूप से रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, एनाथिस्ट, डायग्नोलाजिस्ट, महिला चिकित्सक आदि चिकित्सा विशेषज्ञों के अभाव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में क्षेत्रीय जनता को एक्स-रे, सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड, शल्य चिकित्सा एवं अन्य तकनीकी चिकित्साओं से वंचित ही नहीं होना पड़ता है अपितु अन्यत्र संदर्भित किए जाने पर भारी असुविधाओं एवं व्यय का सामना करना पड़ता है। गम्भीर चिन्तनीय यह है कि अपेक्षित दवाओं का भी अभाव है। उप मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी नियुक्ति के अनुसार रात्रि प्रवास विलासी सुविधा प्रदत्त नगरों में करते हैं तथा सामान्यतः विलम्ब से ही निर्धारित दायित्व का निर्वहन करने आ पाते हैं अथवा अनुपस्थित रहने के अभ्यस्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों पर पीने का पानी, प्रकाश व मरीजों के ठहरने तक समुचित व्यवस्था नहीं है। चर्चित है कि निजी दवाइयों की दुकानों पर सरकारी दवाओं की बिक्री की जाती है। ऐसी निजी दुकानों पर छापामार की कार्यवाही करके फर्जी एवं सरकारी दवाएं बरामद की जा सकती हैं। इस प्रकार जनजीवन संकटमय है।

यह लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उल्लिखित चिकित्सालयों में सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सा विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के अभाव को समाप्त करने तथा सरकारी दवाओं की बिक्री व फर्जी दवाओं के नियंत्रण की मांग करता हूं।

प्रदेश में विधवाओं, वृद्धों, विकलांगों एवं गरीब कन्या विवाह की धनराशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में समाज के कमजोर, अशक्त, निःसहाय एवं आर्थिक रूप से निर्बल व्यक्तियों के लिये विशेष अवसर, सुविधायें तथा आर्थिक सहयोग देना राज्यों का दायित्व होता है। लेकिन यह सहयोग एवं सुविधायें इतनी कम नहीं होनी चाहिये कि ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह सिद्ध हो।

राज्य सरकारें या तो अपने स्वतः के आधार पर या केन्द्र सरकार की योजनों के तहत विधवाओं, वृद्धाओं एवं विकलांगों के लिये पेंशन तथा राष्ट्रीय परिवारिक काम योजना के तहत एकमुश्त आर्थिक सहायता से व्यवस्था करती हैं।

लेकिन यह राशि इतनी कम है (पेंशन रुपये 300/- माह, परिवार के लाभ रु0 10,000 हैं कि यह सहायता की एक रश्म अदायगी भाव होनी है। 10 रुपये प्रतिदिन की आर्थिक सहायता, प्रो0 तेन्दुलकर कमेटी के 29 रुपये प्रतिदिन की गरीबी रेखा से भी 1/3 मात्र है। यह गरीबों की सहायता नहीं, बल्कि गरीबों की गरीबी का उपहास है।

केन्द्र सरकार के योजना आयोग की समिति ने श्रीमती मोहनी गिरी के नेतृत्व में इस बात को स्वीकार किया है कि यह राशि 300/- के स्थान पर कम से कम रु0 1000/- तो होनी ही चाहिये। स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार नौजवानों को 1000/- प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय किया है। अतः राज्य सरकार को आर्थिक सीमाओं का हवाला देने के स्थान पर अपनी ओर से वृद्धा पेंशन तथा अन्य की राशि रु0 1000/- प्रतिमाह तथा बालिकाओं की शादी की राशि रु0 30,000 करनी चाहिये।

कृपया नियम-301 के तहत इस विषय को विधान सभा में उठाने तथा सरकार को पटल पर जबाव देने के लिये निर्देशित करे।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय में एम0ए0, एम0काम0 व एम0एस0सी0 की कक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय कपूर-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थित राजकीय महाविद्यालय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यहां पर काफी समय से राजकीय महाविद्यालय संचालित है तथा यहां पर एम0ए0, एम0काम0 व एम0एस0सी0 की कक्षायें संचालित नहीं हो पा रही हैं। यहां पर इन कक्षाओं के संचालन के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उपरोक्त कक्षाओं के संचालन न होने से बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। यहां पर छात्र-छात्रायें काफी लम्बे समय से उपरोक्त कक्षाओं को संचालन की काफी लम्बे समय से मांग चली आ रही है। इस सम्बन्ध में अक्सर धरने प्रदर्शन भी होते रहे हैं। सरकार की नीति के अन्तर्गत मौजूदा परिस्थितियों में शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कक्षाओं के संचालन के लिए शासन स्तर पर अविलम्ब कार्यवाही किया जाना शिक्षा हित में नितान्त आवश्यक है। ताकि बच्चों में फैल रहे आक्रोश को रोका जा सके।

मैं इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 07 जून, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें श्री प्रमोद तिवारी की सूचना सुनी जायेगी। श्री उमाशंकर सिंह, श्री राज नारायण बुधौलिया और श्री अगयश राम सरन वार्म की सूचना अग्राह्य।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि नियमावली को पढ़िये, संविधान को भी पढ़िये कि कौन सा मामला नियम-300 में आयेगा। आप नये सदस्य हैं, नियम-300 के अन्तर्गत कौन आते हैं, इसको गम्भीरता से देखना चाहिए और अगर देखोगे तो इस तरह से सूचनाएं नहीं दोगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का समतलीकरण कर दिया गया, यह नहीं दोगे कि विधायकों को आवंटित सरकारी आवासों की मरम्मत, जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत एवं थाना बीसलपुर के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल के चतुर्थ श्रेणी का फर्जी वेतन आहरण। इस प्रकार की सूचनाएं इसमें नहीं आती है। आप नियमावली पढ़ लो, मैं रोज आप लोगों से कहता हूं लेकिन आप लोग उसे ध्यान नहीं देते हैं।

माननीय सदस्यों के प्रोटोकाल के सन्दर्भ में अध्यक्ष-पीठ से दिये गये निर्देशों एवं शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये पालनीय नियमों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी का माननीय सदस्यों के प्रोटोकाल के सन्दर्भ में अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों एवं शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये पालनीय नियमों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर जो मैंने प्रश्न उठाया है, नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य का उस पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, यह प्रश्न मैंने क्यों उठाया, इसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, समय-समय पर और खास तौर से मैं किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं बल्कि इसे मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में प्रोटोकाल का निरन्तर अभाव रहा है। मान्यवर, यह तो कई वर्षों से शुरू हो गया था लेकिन 5 वर्षों में बहुत हनन हुआ है और मेरे साथी अगर महसूस करें तो मैं समझता हूं कि मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि सम्मानित विधायकगण अपने निजी कार्य से कहीं नहीं जाते, वह प्रदेश के कार्य के लिए जाते हैं, प्रदेश के विकास के लिए जाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जाते हैं। मान्यवर, कदाचित देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और जब देश कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव किया। हमें खुशी है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जिन्दा है, अक्षुण है। जबकि इस देश की सीमाओं से लगे हुए जितने भी राष्ट्र हैं वहां लोकतंत्र की व्यवस्था समय-समय पर खण्डित होती रही है, टूटती रही है। लेकिन भारतवर्ष में वह जिन्दा है और इसके लिए सभी राजनीतिक दल बधायी के पात्र हैं और भारत की महान जनता बधायी की पात्र है। लेकिन उसका क्षरण हो रहा है। मैं मौखिक बात नहीं कहता। मैं लिखित बात कहता हूं। मान्यवर, मेरे पास आपके कार्यालय ने जो उपलब्ध करायी है 25 अप्रैल, 2007, यह शासनादेशों का संकलन है जिसमें स्पष्ट रूप से एक शासनादेश है जिसमें दिया है कि अगर एक विधायक किसी अधिकारी के कमरे में अपने कार्य से जाये तो उस अधिकारी का दायित्व है कि वह उठकर खड़ा हो जाये और सम्मानित विधान सभा के सदस्य को सम्मानपूर्वक बैठा लें और जब वह बैठ जायें तो उसके बाद वह अपना आसन ग्रहण करें। यह कितनी जगहों पर होता है। मैं आभारी हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जो मेरी बात से सहमति जता रहे हैं। मान्यवर, दूसरी बात यह कहनी है कि मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि सम्मानित विधायक इस बात से अपने आपको अपमानित महसूस कर रहे हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में जब वह जाते हैं तो उनके लिए स्थान नहीं होता और अगर स्थान होता भी है तो वह स्थान वह आसन प्रोटोकाल के नियमों के विरुद्ध होता है। मान्यवर, जैसे मैं आपको यह सुना रहा हूं। यह है संख्या-984 प्रोटोकाल 19-2-1989। इसमें लिखा है कि जब कोई राज्य विधान मण्डल दल का सदस्य किसी अधिकारी से मिलने जाये तो उस अधिकारी को चाहिए कि वह खड़े होकर उसका स्वागत करे तथा चलते समय खड़े होकर उनको विदा करे। छोटी-छोटी सद्भावनाओं का प्रतीक महत्व होता है। दूसरा अगर कोई सरकारी समारोह हो रहा है तो उसमें विधायक का जो स्थान है वह किसी अधिकारी से ऊपर होना चाहिए। अगर वह अध्यक्षता नहीं कर रहा है।

क्या उसके लिए सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। मान्यवर, इसमें साफ लिखा हुआ है कि राज्य विधान मण्डल दल के सदस्य को कोई असुविधा न हो। इसके लिए सामूहिक रूप से आरक्षित स्थानों को समारोह के अन्त तक खाली रखना चाहिए और उन पर अन्य व्यक्तियों को नहीं बैठने दिया जाना चाहिए। भले ही वह खाली क्यों न हों, सदस्यों के लिए जिन स्थानों की व्यवस्था की जाये तथा कम से कम उतने ही आरामदेह एवं प्रमुख स्थान होना चाहिए जितने वह अधिकारियों के लिये हो। यही नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सरकार की तरफ से बराबर यही मंशा रहती है कि अधिकारियों को टेलीफोन उपलब्ध कराये जायें। कृपापूर्वक आपने हम विधायकों को भी उपलब्ध करा दिये हैं। वह बहुत खुशकिस्मत विधायक हैं जिनके टेलीफोन का जवाब टेलीफोन जाने पर तत्काल कोई अधिकारी ले ले। अक्सर सुनने को मिलता है कि साहब मीटिंग में व्यस्त हैं, साहब उपलब नहीं हैं। उसके लिए भी स्पष्ट शासनादेश है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि कोई सम्मानित विधायक दूरभाष पर वार्ता करना चाहे तो अधिकारी का कर्तव्य है कि तत्काल वार्ता करे। अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वह उस समय वार्ता नहीं कर सकता तो उसका पहला दायित्व होगा कि जब अपरिहार्य कारण समाप्त होगा तो वह उस सम्मानित सदस्य को कालबैक करे। मान्यवर, कितने खुशकिस्मत सदस्य हैं जरा बता दें जिनके फोनों का जवाब आता है। मान्यवर, कल एक प्रश्न उठा था और आपने भी बहुत कृपा की और सरकार ने भी उस पर सहजता से लिया, आग लग जाती है मान्यवर, बाढ़ का मौका आ रहा है, अग्नि पीड़ितों को सहायता दी जाती है, बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी जाती है, मान्यवर, डाक बंगलों में बैठकर अधिकारियों के जो सबार्डिनेट होते हैं वह दे देते हैं, सम्मानित विधायक को सूचना नहीं दी जाती है। मान्यवर, यह आवश्यक है कि अगर किसी विधायक के विधान सभा क्षेत्र में सहायता बंट रही हो सरकारी, तो उस सम्मानित विधायक को बुलाये जाने के लिए शासनादेश है पर मान्यवर, बहुत जगहों पर इसका पालन नहीं होता है। मान्यवर, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि उस शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय और यह आदेश 31 जुलाई का है और यह राजस्व अनुभाग के श्री नरेश चन्द्र सक्सेना के हस्ताक्षर से जारी हुआ है, गांव में जब राहत बांटी जाय तो बांटने की तिथि का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए कि सम्मानित अतिरिक्त विधायक भी सूचित हों और उपस्थित रहें, मान्यवर, नहीं किया जाता है और एक चीज का और अनुपालन नहीं होता है, जब आप यहां बुलाते हैं तो हमारा सबसे हमारा कर्तव्य है कि हम सदन की बैठक में उपस्थित हों, लेकिन यह यदाकदा सूचना आती रहती है कि जिनके हम जिलों में सदस्य हैं सम्मानित विधायक उनकी बैठकें बुला ली जाती हैं, मैंने आपको एक आध बार दृढ़तापूर्वक निर्देश देते देखा है कि जब विधान सभा चल रही हो तो कोई ऐसी बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए, सोमवार से शुक्रवार तक लेकिन बुलाई जाती है मान्यवर। मैं इसी तरह कहना चाहता हूं कि रोज अखबार में फोटो छपती है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि फीता मा0 अधिकारी जी काट रहे हैं और विधायक जी ताली बजा रहे हैं। मान्यवर, यह पूरी तरह से प्रोटोकाल के खिलाफ है अगर कोई जनप्रतिनिधि मौजूद है विधायक मौजूद है तो यह स्पष्ट निर्देश है कि उसका फीता उसका उद्घाटन सम्मानित जनप्रतिनिधि करेगा और विधायक करेगा न कि अधिकारी करेगा, लेकिन कहां-कहां पालन हो रहा है। मान्यवर, मैं फिर कहना चाहता हूं। इस विषय को लाने के पीछे हमारा उद्देश्य आलोचना नहीं है।

श्री दलवीर सिंह-

एक चीज और क्लियर करा लें, जहां एम0एल0सी0 और विधायक दोनों हों तो।

श्री अध्यक्ष-

एम0एल0सी0 भी विधायक ही माना जाता है।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुना हूं, मेरा विरोधी जो हारा है वह एम0एल0सी0 बन गया। मेरे क्षेत्र में रोज झगड़ा होता है इस बात का, जयवीर सिह मेरे सामने हारे हैं, वह एम0एल0सी0 बना दिये

गये बहन जी द्वारा। मैं मंत्री भी रहा हूं, दो-तीन बार एम0एल0ए0 भी रहा हूं और अब भी एम0एल0ए0 हूं, उद्घाटन में विवाद हो सकता है, जबकि शासन की योजनाएं चल रही हैं चाहे पी0डब्ल्यू0डी0 से या किसी विभाग से, वह कहते हैं मैं उद्घाटन करूंगा, मैं कहता हूं कि नहीं, मैं उद्घाटन करूंगा। पूरा जिला प्रशासन परेशान है और कई जगह झगड़े की स्थिति आ जाती है। तो मेरे सामने यह समस्या है। शासन स्तर से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है, उसकी व्यवस्था हो जायेगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

यह कौन सा प्रश्न है, यह किस नियम के तहत है ?

श्री दलवीर सिंह-

नियम से हटके भी डा0 साहब, कभी-कभी बात बिना नियम के भी होती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सम्मानित विधायकों के प्रोटोकाल की बात हो रही है, अगर कहीं पर आपस में विवाद है तो उसके लिए तमाम तरह के प्राविधान हैं, उनको तो दूर किया जा सकता है, बात पहले प्रोटोकाल की हो जाए। मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था, मान्यवर, मैंने फिर कहा आपसे कि मेरा आशय सौभाग्य से मुझे यह सम्मान मिलता है, मेरा आशय इसलिए नहीं कि मुझे दिया जाय, मेरा आशय है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है, लोकतंत्र को जिन्दा रखना है, विधायिका को सम्मान देना है तो मान्यवर, पहली जिम्मेदारी उस पीठ पर बैठकर आपकी और इस सरकार की है कि विधायकों को सम्मान दिला दो, जनता का कार्य अपने आप होने लगेगा, जनता को सम्मान मिलने लगेगा, बहुत सी समस्याओं का अन्त हो जायेगा। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत अंधेर है, हम लोग साथ विधान सभा में आये, मान्यवर, धीरे-धीरे क्षरण हो रहा है। मैं इसमें कोई इल्जाम न लगाते हुए लेकिन सच्चाई है कहना चाहता हूं कि पिछले सालों में, आज तो सिर्फ विधायकों की बात मैं कर रहा हूं। मंत्रियों को मैंने लाइन लगाते हुए एक अधिकारी के यहां दुतकारे जाते हुए देखा है। अधिकारियों को बैठे देखा है मान्यवर। मान्यवर, वह बड़ा कठोर काल था। आज हमारे इन्द्रजीत भी बैठे हुए हैं, मैंने इनको नहीं देखा लेकिन इस बात से ये भी इंकार नहीं कर सकते। देखिये जो सच है वो सच है। कई अधिकारियों के यहां मैंने मंत्रियों को जाते हुए देखा है। मान्यवर, यह विषय उठाने के पीछे मेरा मन्तव्य सिर्फ इतना है कि एक दिन में कुछ नहीं हो जायेगा। लेकिन दृढ़ता दिखाते संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं उनकी दृढ़ता, नाम ले लूं उनका अगर उन्हें अनुचित न लगे तो ''आजम खां'' तो मैं खां पर ज्यादा जोर देते हुए मैं जानता हूं कि वो हर जगह कर भी रहे हैं तो बस उनकी बातों को उनके प्रयासों को बल देते हुए आपके माध्यम से एक फिर निर्देश चाहूंगा कि मान्यवर, व्यवस्था है कि अगर कोई अधिकारी किसी विधायक की अवमानना करे तो उसके लिये इस सदन में एक स्थान है। मान्यवर और वो स्थान है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी के बगल में और उस पर मैंने स्वयं अपने कार्यकाल में बाड़ा लगाकर अधिकारियों के इस सदन में बुलाकर प्रताड़ित करते हुए अपनी आंखों से देखा है। मान्यवर, अगर एक आध बार कोई विधायक की अवमानना करे तो जरा उसको यहां बुला लीजिये, उसके बाद विधायकों का सम्मान बढ़ जायेगा, विधायकों की गरिमा बढ़ जायेगी, विधायकों के अधिकारों की रक्षा हो जायेगी।

(मेजें थपथपाई गयीं)

आज यह विषय उठाते हुए मान्यवर, मुझे कष्ट भी है, दुख भी है लेकिन खुशी भी है कि मैं सबको अपने कर्तव्य को याद दिलाने के लिये मैंने कहा है किसी की आलोचना के लिये नहीं कहा है। मैं आपसे कहते हुए मान्यवर, एक बार मा0 आजम खां साहब से कहूंगा कि वे अपनी दृढ़ता दिखायें और एक बार पूरा संदेश चला जाये उत्तर प्रदेश में कि जब तक मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार है तब तक अगर कोई अधिकारी ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से जो इन प्रोटोकाल के नियमों का उल्लंघन करेगा, उन्हें जो सरकार के प्रोटोकाल है, उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा।

(श्री राज नारायण बुधौलिया के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठो, बुधौलिया जी। इसमें आप क्या बोलेंगे।

(विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा भी खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अगर कुछ हुआ है तो लिख के दे देना, रोज तो आपके साथ हो रहा है। लिख के दो, बैठो। लिख के दिया जाता है बैठिये, अरे ये क्या हो गया है इनको।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रमोद तिवारी जी का प्रश्न गम्भीर भी है और विचार करने योग्य भी है। इस पर फैसला कई बार आपकी पीठ से हुआ भी है। यह बात भी बिल्कुल सही है कि गुजरे हुए 05 सालों में जहां बहुत ज्यादा गिरावट आयी थी और गिरावट आयी है। ऐसे लोग जिनको जहाज भी सीधा चलाना नहीं आता था, वो लोग प्रदेश और सरकार चलाने लगे। जहाज का ड्राइवर देश का ड्राइवर बना, प्रदेश का ड्राइवर बना और अखबारों में ऐसी तस्वीरें छायी हुयी कि जिन लोगों ने उनके पैर नहीं छुए विधायक और सांसदों ने और यहां तक कि मंत्रियों ने भी अगर पैर नहीं छुए तो वो नाराज हो गये। बहुत अपमान हुआ है पिछले 5 सालों में लेकिन 5 सालों में तो उस अपमान में बढ़ोत्तरी हुयी है, इजाफा हुआ है। लेकिन पहले भी मान्यवर, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि यह प्रश्न प्रमोद तिवारी जी ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी रखा था और आपने बहुत कड़ा रुख लिया था। बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा कि हम लोग अपना सम्मान खुद भी गिराते हैं। बस औकात अधिकारियों के सामने जाकर बात को सही ढंग से रखने के बजाये हम गिड़गिड़ाने की कोशिश करते हैं। हम अगर गलत काम लेकर के जाते हैं तो अधिकारी हमारे साथ जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमने कहते हुए सुना है। कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि जब हमने अधिकारी महोदय से अपनी बात को वापस ले लिया है। इसलिये वापस ले लिया है कि बात को कहा गया और सुनने का सम्मान भी उस अधिकारी ने नहीं दिया। उसमें उस अधिकारी के पद की तौहीन तो है ही, उसके पीछे उसके संस्कार भी है। वह अपने बड़ों से क्या सीख कर आया है, उसने अपने परिवार से क्या लिया, उसने शिक्षा कहां से पायी है, उसे डिग्री कैसे मिली है, उसका प्रमोशन कैसे हुआ है। क्या वो इस प्रमोशन के काबिल और अहद था या नहीं था। ये सारी चीजें जिन्होंने मिलकर मान्यवर, बहुत बिगाड़ पैदा किया है। हमारी भी गलतियां हैं और उधर से भी है। मान्यवर, अधिकारी भी बहरहाल एक इंसान है, किसी परिवार से आते हैं। आम जिन्दगी में यह होता है कि कोई सम्मानित व्यक्ति अगर

हमारे पास आये तो हम खड़े हो जाते हैं और किसी के यहां कोई जाए इससे बड़ा सम्मान उसका और क्या होगा कि फलॉ व्यक्ति जो एम0एल0ए0 है, जन-प्रतिनिधि है, सांसद है वह किसी अधिकारी के पास जाए तो उनकी अपनी शराफत का तकाजा क्या है, यही बात कही जा सकती है। अधिकारियों से सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वह अपनी शराफत का परिचय क्या देंगे, वह अपनी शराफत का परिचय यह देंगे कि उनके पास एक मेहमान आया है, एक विधायक आया है, एक रिप्रजेन्टेटिव आया है और वह खड़े होकर उससे उसका पत्र नहीं ले सकते, खड़े होकर उसका स्वागत नहीं कर सकते, उसके जाने पर खुश होकर उसको विदा नहीं कर सकते तो यह उनके अपने संस्कारों की भी खता है। बहुत से मान्यवर, समाज में कानून ऐसे हैं जिन्हें कानून या नियम लागू नहीं कर सकते। सड़क पर गुजरती हुई बहन-बेटी के साथ बहुत से लोग छेड़खानी करते हैं, बहुत से लोग उन्हें सम्मान की निगाह से देखते हैं। सम्मान की निगाह से देखने के लिए दुनिया में कोई कानून नहीं बना है।

लन्दन में एक पुलिस अधिकारी ने महिलाओं के सिलसिले में कह दिया कि आपको अपने लिबास की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपका लिबास भी समाज में समस्या बनता है। उस बड़े अधिकारी के खिलाफ लन्दन में पूरी महिलाएं उतर कर आ गई और उस अधिकारी को माफी मांगनी पड़ी। खुद समाज अपना कानून अपने तौर पर बनाता है और हर व्यक्ति के कानून अलग होते हैं, उसकी सीमाएं अलग होती हैं, उसकी मान्यताएं अलग होती हैं तो उन अधिकारियों से मैं प्रमोद तिवारी जी के इस प्रश्न के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह पूरा सदन सरकार विपक्ष से मिलकर उन अधिकारियों से भी यह कहना चाहता है कि उनके अपने संस्कार क्या हैं, उन्होंने क्या तहजीब सीखी है, वह क्या उम्मीद करते हैं जब वह कहीं जायेंगे तो उनके साथ कैसा रवैया किया जायेगा। कानून तो कोई नहीं है इसके लिए समय-समय पर जी0ओ0 जारी हुए हैं, फिर हो सकते हैं। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी लेकिन एक सन्देश जाएगा आज कि सदन में आज अधिकारियों के रवैये को लेकर चुने हुए नुमाइन्दों के साथ अपमानजनक रवैये को लेकर बहस हुई है और उनके इस तरीके को पसन्द नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से यही काफी होगा और भविष्य में वह ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि वही नेता, कांग्रेस जो आज उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं उनके इस रवैये की निन्दा कर रहे हैं, यही सदन और यही प्रमोद तिवारी एक दिन खड़े होकर यह कहें कि अधिकारियों का रवैया अब पहले से बेहतर हो गया है। इसी आशा के साथ मैं प्रमोद तिवारी जी से उम्मीद करता हूं कि वह वापस ले लेंगे।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर मेरा सन्देश पहुंच गया हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इससे पहले कि आप रिजेक्ट करें मेरा भी सम्मान इसी में है कि मैं वापस ले लूं।

श्री अध्यक्ष-

क्योंकि मा0 प्रमोद तिवारी जी ने वापस ले लिया है इसलिए इस पर कोई निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम-56 के अन्तर्गत नियम 311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-56 ले रहे हैं। मैं एक निवेदन कर दूं कि जब नियम-56 में सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपको अधिकार है तो नियम-311 में क्यों देते हैं जबकि इसको लिया ही नहीं जाता है। अब अगर नियम-311 देंगे और वह रिजेक्ट हो जाएगा तो नियम-56 में भी नहीं लिया जाएगा, इसका ध्यान रखें।

आज दिनांक 07 जून, 2012 को नियम-311 में प्राप्त 2 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 में कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

श्री हुकुम सिंह, श्री प्रदीप माथुर, श्री उमा शंकर सिंह और श्री इन्द्रजीत सरोज की सूचनाएं ली गई हैं।

पहली सूचना श्री हुकुम सिंह जी की प्रदेश में फॉस्फेटिक खाद के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि से डी0ए0पी0 की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री संजय कपूर, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री संजय जायसवाल, श्री राधेश्याम, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, श्री कौशल सिंह, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री दलजीत सिंह, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री बंशी सिंह पहाड़िया और श्री विजय कुमार दूबे की गंगा एवं यमुना नदी के किनारे बसे नगरों से प्रदूषित पानी गिरने, उद्योगों का कचरे एवं गन्दे पानी गिरने से व्याप्त जनाक्रोश के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री उमाशंकर सिंह जी की सोनभद्र की माइन्सों का खनन कार्य शुरू न किये जाने से प्रदेश सरकार को होने वाली राजस्व क्षति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज जी की जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत थाना मंझनपुर में दिनांक 5-5-2012 को हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं। अतः अस्वीकृत की गई। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री वीरपाल, श्री बजरंग बहादुर सिंह, श्री सुल्तान बेग, श्री विजय बहादुर यादव, श्री पूरन प्रकाश (एडवोकेट), श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री अनीसुर्रहमान, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अगयश रामसरन वर्मा।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पूर्व जिस प्रकार पेट्रोलियम की, पेट्रोल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी, पूरा देश आन्दोलित हुआ, भारत बन्द का आह्वान हुआ। जनता उससे राहत की सांस ले भी नहीं पायी थी, यह दूसरा बम शायद फटा है मान्यवर। अगर किसान के इसका असर हुआ है तो यह भारत की पूरी जनता के ऊपर इसका असर हुआ है कि डी0ए0पी0 के दाम इस तरह से बढ़ा दिये गये हैं, एकदम से बिना किसी को विश्वास में लिए, बिना किसी मंच पर चर्चा हुए,

एकदम से डी0ए0पी0 के दाम बढ़ा दिये गये। मेरे पास इसके सरकारी आंकड़े हैं और वे आंकड़े जो मुख्य हैं, वह मैं पढ़ना चाहता हूं। मान्यवर, यह कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश का पत्र है जिसमें डी0ए0पी0 दिनांक 01-04-2010 में 502.70 पैसे रेट था उसका मान्यवर, आज वह बढ़ करके जो 31 रुपये किलो का दाम आया है, उससे साढ़े पन्द्रह सौ का रेट उसका बनता है। अगर साढ़े पांच की बढ़त पन्द्रह सौ तक पहुंचेगी तो किसान की कमर टूटेगी की नहीं टूटेगी, मान्यवर। संयोग की बात यह देखिए मान्यवर की 50 किलो डी0ए0पी0 1500 रुपये की तथा 100 किलो गेहूं 1285 रु0 का तो 100 किलो डी0ए0पी0 मान्यवर, 3000 रुपये की होगी। डी0ए0पी0 3000 रुपये की और उसके अलावा जो किसान की उपज में जो अन्य चीजें लगती हैं, यूरिया छोड़ दीजिए, पोटाश छोड़ दीजिए, लेबर छोड़ दीजिये, सिंचाई छोड़ दीजिए, बाकी और खर्चा छोड़ दीजिए अगर केवल एक मद में केवल खाद के मद में इतनी बढ़ोत्तरी होगी तो किसान की जो उपज है उसके दाम कहां से कहां जायेंगे। यह मामला सीधे-सीधे केन्द्र से जुड़ा हुआ है मान्यवर, लेकिन एक व्यवस्था यहां पर भी है, प्रदेश की सरकार भी जनता के प्रति उत्तरदायी है, किसान के प्रति उत्तरदायी है। मैं उम्मीद यह करता था कि मा0 कृषि मंत्री जी, यहां बैठे हैं, कम से कम इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ऐसी आयेगी कि जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, डी0ए0पी0 के दामों में, वह नहीं होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव जाना चाहिए था कि नहीं यह वृद्धि नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, आज मैं सदन की भावना के बारे में कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह प्रस्ताव न भी आए मान्यवर, अगर सदन की पूरी की पूरी भावना यह है कि हम केन्द्र सरकार को सूचित करें कि इस प्रकार से आप लोगों ने छूट दे दी लूटने की जो निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं मान्यवर, वह बाहर से इसको इम्पोर्ट करती है और इम्पोर्ट करने के बाद उनको अधिकार दे दिया कि जितना बढ़ाना चाहें, बढ़ा लीजिए आप। अगर वह इस तरह से बढ़ायेंगे तो कहां जायेगी खेती हमारी। एक ओर तो चिन्ता है कि कृषि की विकास दर बढ़नी चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए। यह भी चिन्ता है कि किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए और दूसरी ओर जिसकी जो इच्छा हो वह दर वे निर्धारित कर दें। पेट्रोल कम्पनियों ने पेट्रोल की कीमत निर्धारित कर दी, कुछ नहीं कर सके, हाथ खड़े कर दिये सबने।

आज डी0ए0पी0 जो लोग यहां पर आयात करते हैं, उन्होंने दाम बढ़ा दिये, हम लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। मान्यवर, आज इस सदन में निश्चित रूप से 90 प्रतिशत ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि होंगे जो किसी न किसी रूप में किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, तो यह चिन्ता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रदेश कहा जाता है और हमारी इकोनॉमी भी कृषि पर आधारित है। कम से कम 72 प्रतिशत हम सभी भी कृषि के ऊपर आधारित हैं। अगर हमारी कृषि की हालत यह होगी कि हम वहां पर उर्वरक भी नहीं दे पायेंगे तो आगे उसकी स्थिति क्या होगी मान्यवर, एक भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। मेरा आग्रह है कि डी0ए0पी0 के दामों में जो अप्रत्याशित वृद्धि की गयी है और बिना किसी को विश्वास में लिये एमदम से निकाल दिया आदेश कि रेट ये हो जायेंगे। मेरे पास मान्यवर, एक मेमोरेन्डम है, जिसमें सीधा-सीधा उल्लेख है कि ''डी0ए0पी0 एज 29.407 ए के0जी0 ऑन द प्रॉपोज्ड 612 बैंचमार्क प्राइज इट विल गो अप टू अराउण्ड 31ए के0जी0''। 31 रुपये किलो 50 किलो का दाम लगा लीजिए वह साढ़े पन्द्रह सौ रुपये बैठ गई। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए हमको हम खाली बैठे रहें। हमारे विचार आ जायेंगे, मान्यवर, वह कार्यवाही का अंश बन जायेंगे, आपकी व्यवस्था आ जाएगी। नहीं मैं अनुरोध करता हूं कि सदन को

इस मसले पर, बिन्दु पर निश्चित रूप से एक संकल्प लेना चाहिए और यह संकल्प हमारे विधान सभा का केन्द्र में भेजा जाना चाहिये कि इससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं, हमारे कृषक बहुत प्रभावित हैं और दाम बढ़ेंगे तो किसानों की उपज कम होगी, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, यह सारा मुद्दा मैंने आपके सामने संक्षेप में रखा है लेकिन मैं इस उम्मीद में कह रहा हूं कि इसे केवल आप औपचारिकता में न लें। इसमें दोष देने की बात नहीं है, उत्तरदायित्व फिक्स करने की बात नहीं है यह आदेश केन्द्र सरकार का है लेकिन यह केन्द्र सरकार का आदेश किसानों की कमर तोड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। यहां की कृषि दर को प्रभावित करने वाला है। यह सारे बिन्दु हमारे सामने हैं इनको दृष्टिगत रखते हुए इसे बजाय निरस्त करने के या तो इस पर आज चर्चा हो जाये या इस पर रोककर के जब भी आप चाहें, दोनों पक्षों के विचार आ जायेंगे, मान्यवर, डेढ़-दो घण्टे की चर्चा करा दें या केन्द्र सरकार को हमारी भावना से अवगत कराने का आश्वासन देते हो कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार और विपक्षी सब मिलकर के आन्दोलित हैं और आग्रह करते हैं कि अनुदान के माध्यम से या किसी और माध्यम से दामों को कम करें, व्यवहारिक बनाये किसानों के खरीदने लायक बनायें, यही मेरा आग्रह है।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

श्रीमन्, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कहा वह हर कृषक की बात है किसी एक कृषक की नहीं है। समस्त प्रदेश के कृषकों की है और मैं चाहूंगा कि हम लोग सब एक सर्वदलीय एक ऐसी बातें केन्द्र से कहें। यहां पर हम सब लोग किसान हैं और यह सही है कि 90 नहीं 95 प्रतिशत हम लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं खेती से जुड़े हैं। कृषि मंत्रालय की तरफ से मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि जो खाद जिस रेट पर आई है, उसी पर बेची जायेगी जो बोरों पर छपा होगा, उससे ज्यादा दाम हम नहीं लेंगे। लेकिन आगे कोई बढ़कर खाद आयेगी तो उसके लिये हमारी मजबूरी है। लेकिन जो हमारे पास 8 लाख टन खाद रखी हुयी है। खरीफ के लिये, उस पर इस मूल्य का कोई असर नहीं होगा। इस पर जो मूल्य छपा है, वही कृषकों से लिया जायेगा। आगे रबी के लिये हमने फिर 8 लाख टन की प्री-पोजीशनिंग की है। उसमें समय-समय पर जो भाव बढ़े हैं, जो भाव जिस समय पर बढ़ा है। उससे वही मूल्य लेंगे, हम उसको बढ़ायेंगे नहीं। यह नहीं कि अगला अगर हमने ज्यादा पर खरीदा है तो उसको अगले वाले मूल्य पर बेचें। जितनी डी0ए0पी0 जिस रेट पर खरीदी गयी है, उसके बोरों पर मूल्य छपा रहेगा, हर कृषक उसी दाम पर उसे खरीदे। यह हमारे विभाग की जिम्मेदारी होगी कि हम लोग देखें कि उससे ज्यादा कोई दाम न ले और कृषक को सही दाम पर खाद मिले।

श्री हुकुम सिंह-

8 लाख टन डी0ए0पी0 जो आपके पास में रखी है वह आपकी सहकारी संस्थाओं के पास में है या कृषि विभाग के पास में है क्योंकि आप यह कैसे जिम्मेदारी ले पायेंगे क्योंकि अगर यह निजी लोगों के पास इसका स्टाक होगा, आपके पास तो 8 लाख टन का स्टाक है तो इसका कुछ न कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र के लोगों के पास भी होगा। तो जो पी0सी0एफ0 के पास में होगा, गन्ना विभाग या कृषि विभाग के पास में होगा, उसके बारे में तो ठीक है आप व्यवस्था कर लेंगे लेकिन अगर व्यापारियों के पास में रखा होगा तो वह ब्लैक करेंगे और वह पूरा फायदा उठायेंगे तथा किसानों का पूरा शोषण करेंगे तो इसे आप कैसे रोक पायेंगे ?

कुंवर आनन्द सिंह-

इस पर भी हम लोग अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। डी0एम0 से या उसके जो अधिकारीगण हैं, उनको हम लिस्ट भेज देंगे कि उनके पास जो खाद रखी है। वह किस भाव पर है। आगे अगर हम ज्यादा भाव पर खरीदेंगे तो उसके लिये पहले ही तय हो गया कि उसके लिये सभी कहेंगे कि यह गलत है इसको रोका जाये, यह किसानों के हित में नहीं है। लेकिन जो खाद रखी है, मैं उसके बारे में बात कह रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

क्या इस सदन का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल आप गठित करेंगे और केन्द्र सरकार के पास आग्रह करने के लिये, बात करने के लिये आप लेकर चलेंगे ?

कुंवर आनन्द सिंह-

माननीय सदस्य जी, यह मा0 मुख्य मंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष-

मैं भी एक स्पष्टीकरण पूछ लूं। मा0 मंत्री जी जो बार्डर के जिले हैं वहां प्राइवेट लोग भी डी0ए0पी0 खरीदकर कम दामों में रखे हुए हैं। जैसा आपने कहा कि कलेक्टर वगैरह से दिखवायेंगे। व्यापारी भी अपने गोदामों में सस्ते दामों पर खाद मंगाकर रखे हुए हैं और जो भारत सरकार ने भाव निर्धारित किया है वह उसी रेट पर बेचने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में आपसे आग्रह है कि जो व्यापारी हैं, आप अपने अधिकारियों से उनके स्टाक की स्थिति ले लें और वितरण के समय आप अपने किसी अधिकारी के माध्यम से बेचवायें तभी वह रुक पायेगा, नहीं तो दिक्कत हो जायेगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इसको इसी प्रकार से लागू करवायें।

इस सूचना पर मैंने माननीय हुकुम सिंह जी व माननीय कृषि मंत्री जी को सुना, मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

दूसरी सूचना, गंगा और यमुना नदी के किनारे बसे नगरों से प्रदूषित पानी गिरने, उद्योगों के कचरे एवं गन्दा पानी गिरने से व्याप्त जनाक्रोश के सम्बन्ध में हैं मा0 प्रमोद तिवारी जी, शुरू करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। गंगा इस देश की सिर्फ पवित्र नदी ही नहीं है बल्कि जीवनदायिनी है। गंगा हमारी पहचान है। इधर काफी अरसे से प्रयास हो रहा है, अरबों रुपये गंगा की सफाई के नाम पर आया, लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाया। नतीजे के तौर पर ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि गंगा नदी का पानी कम होता चला जा रहा है। उसमें गिरने वाला कचरा, उसमें गिरने वाले और नदियों का प्रदूषण ज्यादा होता जा रहा है और गंगा कम होती जा रही है। पहले कहा जाता था कि गंगा जब आती है पहाड़ों से तो तमाम जड़ी-बूटियां ले करके आती है, जो उसमें नहाता है, उसका सेवन करता है तो बहुत सी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। अब कुछ उल्टा सा हो गया है। भगीरथ करोड़ों साल की तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाये थे और एक हम लोगों की पीढ़ी है उसमें इतना प्रदूषित किये दे रहे हैं कि गंगा नदी में आज आचमन तो छोड़ दें, अब तो स्थिति यह हो गयी है कि नहाने के लिए भी पर्यावरण विशेषज्ञ कह रहे

हैं कि ठीक नहीं है। मान्यवर, यह कहीं ऊपर से बन करके नहीं आया है। यह वही गंगा है जो हिन्दू और मुसलमानों दोनों के लिए एक प्रेरणादायिनी है, पहचान है। मैंने देखा है कि बहुत से गंगा के किनारे रहे हुए मुसलमान इसकी पवित्रता की ज्यादा हिफाजत करने के लिए चिन्तित रहते हैं, जबकि कभी-कभी हम सब भी लापरवाही कर जाते हैं। तो यह एक साझा संस्कृति की विरासत सी है। क्यों लाया हूं मैं इस सवाल को, मैं इसलिए लाया हूं कि आज नदियों के प्रदूषण को हमारे यहां जो उद्योग-धन्धे लगे हुए हैं, हमारे यहां जो नाले, सीवेज निकल रहे हैं उनको इसमें सीधे प्रवाहित किया जा रहा है। आज यह आचमन योग्य तो छोड़िये पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि नहाने के लिए भी उचित नहीं रह गयी हैं मैंने अपनी चिन्ता इसलिए व्यक्त की है क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद कुम्भ मेला आने वाला है। शपथ ग्रहण के बाद हमारे मा0 नगर विकास मंत्री जी पहली बात जो मुझसे कह रहे थे कि मैं सबसे पहले इलाहाबाद जाऊंगा। कुम्भ मेला जो दुनिया का सबसे बड़ा मानव मेला होगा या अब तक का है, यहां सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। यह उनके आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। बहुत जगह अनशन भी चल रहे हैं, बहुत जगह लोग अपना जीवन भी अर्पित करने की बात कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अभी समय बाकी है, 2013 में कुम्भ मेला होगा। मैं आपके माध्यम से शासन से एक अपेक्षा करूंगा कि तब तक यथासंभव प्रयास किया जाए जब कुम्भ मेला चले तो इसमें पर्याप्त मात्रा में जल हो एक चीज, दूसरा जितना रोका जा सके प्रदूषण को रोका जाना चाहिए जिससे पानी वहां पर आचमन योग्य बन सके। जहां मैं गंगा के बारे में कह रहा हूं। यमुना के किनारे मा0 प्रदीप माथुर जी का क्षेत्र है, मैं आग्रह करूंगा कि गंगा के बारे में मैंने कह दी, यमुना के बारे में प्रदीप माथुर जी रख दें।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष महोदय इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर आपने बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। जहां गंगा जीवनदायिनी कहलाती है वहीं यमुना मोक्षदायिनी कहलाती है। सूर्य की पुत्री यम की बहन शनि की बहन जहां यमुना का उद्गम यमुनोत्री उत्तराखण्ड से होता है आज देखें कि यमुना में पानी वैसे ही गंगा के मुकाबले कम होता है। परन्तु जब तक वह उत्तराखण्ड से क्रास करके आती है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में फिर उसके बाद दिल्ली में हरियाणा में होते हुए जब दिल्ली के पास आती है तो दिल्ली में बिल्कुल पानी रह ही नहीं जाता है। आप हथिनी कुण्ड में देखें हरियाणा का मामला है वहां से जो पानी का निकास होता है वहां कम से कम 100 कि0मी0 तक यमुना में पानी ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यमुना में असली पानी नहीं है। जो कुछ पानी यमुना में आ रहा है जो हम उत्तर प्रदेश के शहरों में देखते हैं वह या तो सीवर का पानी है या इण्डस्ट्रियल एफ्यूलिएण्ट है और जो सीवरेज और इण्डस्ट्रीज का गन्दा पानी है वह या तो एसिडिक होता है या रंगीन होता है वह बहुत बदबूदार होता है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यमुना नदी का धार्मिक महत्व है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दीपावली के बाद जो भैयादूज आती है जो यमद्वितीया पर्व कहलाता है पूरे देश भर की बहनें अपने भाईयों की दीर्घ आयु की कामना करने के लिए वहां आती है और यमुना में अपने भाइयों के दीर्घ आयु की कामना करती हैं दोनों हाथ पकड़कर स्नान करते हैं। पर वह पानी इतना प्रदूषित होता है कि स्नान और आचमन करना तो बहुत दूर उसके पास भी नहीं बैठा जाता है। तमाम औद्योगिक कचरा आप मथुरा शहर को ही लें तो वहां चांदी का उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है और उसकी जो सफाई होती है सह एसिडिक

वाटर से होती है। बाइब्रेटर्स के माध्यम से वह ब्राइवेटर्स शहर के अन्दर लगे हुए हैं। एसिडिक पानी सीधा यमुना नदी में गिरता है। 19 नाले मथुरा वृन्दावन में यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत लगाये गये थे वह सीधे यमुना में गिरते हैं। नगर पालिका सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट कभी नहीं चलाती है। आप समझ सकते हैं कि जितना मल मूत्र विसर्जन है शहर का वही बहता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इससे तमाम धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। लोग आचमन करने से कतराते हैं सुबह जब लोग स्नान करने आते हैं तब उन्हें दिक्कत होती है इसके अतिरिक्त समय-समय पर लाखों की संख्या में मछलियां मरती रहती हैं। यह सारा का सारा मामला विचलित कर देता है। उन आस्थाओं को जिन आस्थाओं के बलबूते पर हम इन नदियों के ऊपर जिन्दा रहते हैं। मान्यवर, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बड़े-बड़े आन्दोलन चल रहे हैं हमारे बरसाना के रमेश बाबा जी ने पिछले दो साल से आन्दोलन चला रखा है। इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक पदयात्राएं निकाली गईं जिसमें पूरी दुनियां भर के लोगों ने हिस्सेदारी की। सन्त महात्माओं ने हिस्सेदारी की। शिक्षाविदों ने हिस्सेदारी की आम जनता ने हिस्सेदारी की यमुना भक्तों ने हिस्सेदारी की। मान्यवर, चतुर्वेदी समाज को यमुना पुत्र कहते हैं। उनकी रोजी रोटी यमुना और तीर्थयात्रियों पर निर्भर करती है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया।

श्री प्रदीप माथुर-

आज स्थिति यह है कि आपको प्रदेश सरकार को कहना पड़ेगा कि जो गिरते हुए नाले हैं उनको रोका जाय और जो बाइब्रेटर्स और इण्डस्ट्रीज शहर के अन्दर लगी हुई हैं उनको बाहर शिफ्ट किया जाय और सख्त कदम उठाये जाएं जिससे पूरे देश के लोग जो यमुना को यमुना मैया कहते हैं और जो आन्दोलनकारी बराबर पिछले दो साल से बैठे हुए हैं उसको रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जाएं और सख्त कार्यवाही की जाये जिससे यमुना को उस यमुना मैया को हम बचा सकें और आन्दोलनकारियों को एक आश्वासन मिल सके कि यमुना प्रदूषण मुक्त होगी और उस मोक्षदायिनी यमुना में लोगों को स्नान करके वाकई में मुक्ति पाएगा। धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पंडित कमलापति त्रिपाठी और लोकपति त्रिपाठी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। उनके पौत्र ललितेश जी यहां बैठे थे उन्होंने कहा था कि मैं इस पर बोलना चाहता हूं। मेरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है। उनको इस पर दो मिनट बोलने का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं उनको जानता हूं। ठीक है वह अपनी बात रख लें।

श्री ललितेशपति त्रिपाठी-

धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपका आभारी हूं जो विश्व की सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है वह आज विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। काशी जिस नगरी से हम लोगों का ताल्लुकात है वह नगरी भी उसी गंगा से जानी जाती है। वह पूरे प्रदेश के अन्त पर है। गंगा नदी पर। वहां पर हम लोग अपने जीवन में

लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से गंगा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। काशी में साधु समाज का अनशन पिछले कई दिनों से चल रहा है। मैं आज इसलिए बोलने के लिये तैयार हुआ कि आज दो चर्चाएं हो रही हैं एक गंगा की अविरलता पर वह विषय भारत सरकार से सम्बन्धित है उसमें कई मुद्दे हैं मगर जो उस पवित्र नदी की निर्मलता की बात है उसमें मैं यह कहना चाहता हूं। यह कोई नई बात नहीं है। विश्व स्तर पर सन् 1800 से 1950 तक विश्व में एक इण्डस्ट्रियल रेवेल्यूसन चला था। औद्योगीकरण बहुत तेजी से हुआ था और उस समय विश्व में यूनाइटेड किंगडम में थेम्स नदी के किनारे कई उद्योग लगे थे और सन् 1950 में प्रदूषण के कारण थेम्स नदी को घोषित कर दिया था कि यह बायोलाजिकली डेड है उसमें कोई चीज जिन्दा नहीं बची थी। सन् 2001 में वही थेम्स नदी एक बार पुनर्जीवित हो गई तो यह इस तरह का दूसरा उदाहरण है। सन् 1986 में राइन नदी के किनारे बैजल में एक केमिकल फैक्ट्री से वहां पर घटना हुई और वह नदी इतनी प्रदूषित हो गयी कि उसमें भी कुछ जिन्दा नहीं बचा। सन् 1986 में यह सौभाग्य की बात है कि जब वहां पर घटना घटी तो उसी सन् में काशी में सन् 1986 में स्व0 राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान की स्थापना की। उसको लांच किया और आज जहां राइन नदी पेयजल योग्य नदी माना जाता है। वहां गंगा उसमें अधिक प्रदूषित हो गयी हैं। राइन नदी 6 देशों से होते हुए अपने संगम तक जाती है। राइन नदी में हर 6 मिनट में पानी को निकाला जाता है उसका जांच किया जाता है। उनके पास इस तरह का तंत्र है कि वह जांच कर सकते हैं कि अगर नदी में पल्यूसन आ रहा है तो वह किस इण्डस्ट्री से पल्यूसन आ रहा है। उसके खिलाफ वह तुरन्त कार्यवाही कर सकते हैं। हर 6 मिनट में वहां पानी की जांच की जाती है। सन् 1986 में जब गंगा एक्शन प्लान लांच हुआ तो यही हम लोगों के लिए गम्भीर विषय है कि गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत अरबों रुपये आने के बाद इस तरह का न तो टेस्टिंग सेन्टर बन पाया न ही उस जगह की प्रगति हुई है गंगा नदी के पल्यूसन पर। एक अन्तिम निवेदन आपके माध्यम से यह है कि जलवायु बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। आपने अगले सप्ताह शायद पर्यावरण पर मौका दिया है बात करने के लिए।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय आज ही है।

श्री ललितेशपति त्रिपाठी-

अगर आज ही हम लोग इसी गंगा नदी को उस पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानकर इसको उसका एक प्रतीक बना लें कि हम लोग अपने जीवन में एक बार फिर गंगा जल ग्रहण कर पाएं तो न सिर्फ हम लोग बल्कि इतिहास भी इस चीज का गवाह रहेगा कि एक बार सदन ने राष्ट्रीय नदी को बचाने को निर्णय लिया। मैं आपका आभारी हूं कि आपने अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रमोद तिवारी और माथुर साहब का प्रश्न गम्भीर है और नौजवान सदस्य ने बहुत अच्छी तरह रखा है उन्हें इसके लिए मुबारकवाद। यह सही है कि हमारी दोनों नदियां राष्ट्र की धरोहर हैं और इस पर बहुत काम भी हुआ है अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मान्यवर, गंदगी है जो तमाम औद्योगिक स्थान हैं उनसे जो गन्दा पानी आता है उसको रोकने के लिये संयंत्र लगे हुए हैं और कोशिश यह की जा रही है कि उसे इतना प्रभावी बनाया जाय कि वह गन्दा

पानी उसमें शामिल न हो सके। मान्यवर, इसमें जितने धन के एतबार से यह काम हो सकता है हम लोग यह काम करेंगे अब आप लोग जानते हैं कि लोग अपनी तरफ से भी उसमें कितनी गन्दगी डाल देते हैं।

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि सवाल बहुत गम्भीर है और राज्य सरकार इसे अत्यन्त गम्भीरता से ले रही है। केन्द्र सरकार से इसमें बहुत पैसा आया है। मान्यवर, यह जो हमारी पवित्र नदियां हैं यह धर्म, आस्था और इंसानियत से जुड़ी हुई हैं। मान्यवर, हमारे सामने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 स्कीम है उसमें यह है। यह बात है कि गंगा की जो स्थिति है वही स्थिति जमुना की भी है। पैसा आने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। बात यह है कि उस पैसे का कितना सदुपयोग हुआ है।

मान्यवर, हमने यूरोप की नदियों को भी देखा है। पर्यटन की दृष्टि से उनको कितना सुन्दर बनाया गया है उनके किनारों को कितना सुन्दर बनाया गया है उन नदियों के आधार पर उनका बजट बनता है वह आय का स्रोत है। हम मान्यवर, लखनऊ को सुन्दर नहीं बना सकते, गोमती नदी को स्वच्छ नहीं बना सकते क्या। हमने अपने पूर्व के शासनकाल में गोमती नदी के तट के सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रारम्भ किया था। दुर्भाग्य से पिछली सरकार के समय में वह काम रोक दिया गया वह पत्थर उखाड़ दिये गये। हमारा यह मानना है कि नदियों का सौन्दर्यीकरण आय का स्रोत हो सकता है। उस समय जो भी पैसा लगा था हमारे शासनकाल में, वह पैसा किसका है वह खजाने का पैसा है। हर मेहनतकश व्यक्ति का वह पैसा है उसको चालू रखना चाहिए था।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां रामपुर में विक्टोरिया लैम्पस लगे थे 104, सब चोरी चले गये अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहां पर म्युजिकल फाउंटेन लगा था उसका सारा सामान उठा लिया गया कौन ले गया कुछ पता नहीं चल पाया है। वह साढ़े बारह करोड़ रु0 की योजना बनायी थी। मान्यवर, वहां पर दस्तकारी हाट बनाया गया था उसका सामान चोरी चला गया। कुछ पता नहीं चल सका है कि कौन इस सबको ले गया है। तो यह बातें भी हुई हैं पिछले सरकार के समय में। यह सब इसलिए भी हुआ कि मैं वहां पर रहता हूं और वहां से विधायक हूं। हम चाहते हैं कि लोगों में इसके बारे में एहसास जाग सके और उनमें जज्बात इनके प्रति पैदा हो सके तो बहुत सारा काम हो सकता है। भारत सरकार से पैसा जो आया उसका सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ यह देखने की बात है। वह सब किसी से छिपा नहीं है कि यहां पर क्या-क्या हुआ पिछले समय में।

मान्यवर, जो सवाल आया है वह लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद में आगामी समय में कुम्भ होने वाला है। पिछली बार अर्द्ध कुम्भ का पर्व था मैं उस समय मंत्री था मुझे कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। जब मेरे अध्यक्ष बनने की घोषणा हुई तो मेरे खिलाफ पुतले जलाये गये। लोग शंकराचार्य जी से मिले डेलीगेशन के रूप में। उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम उसका चेयरमैन बन गया है तो उन्होंने कहा कि शुभ है। उनसे फिर कहा गया कि आजम खां साहब को उसमें चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह अति शुभ है और मान्यवर हम लोगों ने उसी आस्था और भावना के साथ उसमें काम किया उसके लिये पूरे देश के लोग गवाह हैं विश्व के लोग गवाह है कि कैसा इंतजाम था वहां। माननीय प्रमोद तिवारी जी इस बात के गवाह हैं कि बड़ा सक्सेसफुल वह आयोजन हुआ था। उससे पहले कदाचित ऐसा इंतजाम अर्द्धकुम्भ के मेले में नहीं हुआ

था। उसमें मुझे साधु संतों ने बुलाया था और सम्मानित किया था मुझे चांदी का थाल दिया गया था मुझे शाल पहनायी गयी थी। मान्यवर, उस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए जल निगम, सी0 एण्ड डी0एस0 नगर निकायों के लोग और दूसरे सभी अधिकारी लगे थे और पूरा अमला उसमें लगा हुआ था। हमने उसमें यह कहा था कि इंतजाम सफाई और स्वच्छता का ऐसा हो कि अगर सुई गिरे तो सुई नजर आये। मान्यवर, वहां पर कोई गन्दगी नजर नहीं आयी ऐसा बढ़िया इंतजाम सब हुआ था। हम लोगों ने वहां पर देखा था कि महिलाओं को टायलेट जाने की प्राब्लम थी क्योंकि गन्दगी में कोई कभी भी किसी को इंफेक्शन हो सकता है। इस बार हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि इस तरह के टायलेट्स बनें जिनमें आटोमेटिक पानी का सिस्टम हो और हर 5 मिनट के बाद वह साफ हो जाये और यह भी कोशिश कर रहे हैं, एक तजुर्बा हम यह भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा परमानेन्ट स्ट्रक्चर हमारा वहां पर हो, पानी का इन्तजाम हो। अब एक नई टेक्निक्स आई है। कंक्रीट की बनती है टंकियां, बनते ही उसमें मरम्मत शुरू हो जाती है, बनने के बाद वह हिलने लगती है। स्वजल योजना के तहत जितनी टंकियां उत्तर प्रदेश में बनी जब पानी भरने लगा तो उनकी डांसिंग शुरू हो गयी और वह पानी रुकवा दिया गया, उन सारी टंकियों को गिराने के आदेश दिये जा रहे हैं। हम एक ऐसी तकनीक पर गौर कर रहे हैं जो दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हो गयी है स्टेनलेस स्टील की टंकियां हैं उसके अन्दर से लैमिनेशन किया हुआ है। बहुत कम वक्त में बन जाती है और कंक्रीट की टंकी अगर फेल हो गयी तो उसे गिराने में भी पैसा लगता है और उसके मलबे को उठाने में भी पैसा लगता है। हमारा विचार है कि ऐसी टंकियां जिस कीमत पर आज लगायी जायेंगी अगर 50 साल बाद उन्हें हटाने की जरूरत होगी तो आज से ज्यादा कीमत उसकी मिल जायेगी। इस पर भी विचार हो रहा है और उसका तजुर्बा पहली टंकी की शुरूआत हम इलाहाबाद के महाकुम्भ से कर रहे हैं। मैं वहां पर इस टंकी को लगा रहा हूं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आप तो कह रहे हैं, मैंने कहा था हम वहां पर मीटिंग कर आये थे और यह भी आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि पिछले अर्द्धकुम्भ में जितना सामान खरीद लिया गया था पानी का, बिजली का उसे वापस कराया था। मैंने क्योंकि वह क्वालिटी का सामान नहीं था। वह सारा सामान वापस कराकर नया सामान खरीदा गया था हैवेल्स की लाइट्स ली गयी थी, काम्पटन के पम्प लिये गये थे इसी तरह से इस बार भी शुरू में ही जाकर इस बात की कोशिश की है कि कोई शिकायत न हो सके। अभी कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी बैठक रखी थी, किन्हीं कारणों से मेरी किसी व्यस्तता के कारण वह मीटिंग सोमवार में रखी गयी है। जो कमियां होंगी उनको दूर करेंगे और यह भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि इस मेले के लिए किसी भी प्रकार से धन की कोई कमी नहीं आयेगी और जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी सरकार उतना पैसा देगी और बेहतर से बेहतर व्यवस्था, ऐसी ऐतिहासिक व्यवस्था होगी जिसकी सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी सराहना की जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह गजट बजट न हो बल्कि यह संदेश के साथ ही जाय मैं आपसे विनम्रतापूर्वक चूंकि माननीय मंत्री जी ने मुझे प्रेरित कर दिया है तो मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूं यहां लोग बैठे हैं, जो इलाहाबाद के हैं खास तौर से अनुग्रह नारायण सिंह जी। गंगा नदी मान्यवर, एक समस्या हो गयी है वह धारा बदल रही है और अब वह गंगा नदी जो संगम पर मान्यवर, किले के बगल से बहती थी, आप पढ़ते रहे होंगे कभी गये होंगे, अब गंगा नदी

झूसी चली गयी है और उसका मुझे दुखद अनुभव अभी अपने यहां दुखद घड़ी में हुआ जब ढाई किलोमीटर, तीन किलोमीटर बालू पर जाकर लोग गंगा के किनारे पहुंचे। मेरा एक छोटा सा सुझाव है और मैं जानता हूं कि आजम खां साहब उसको पूरा कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। मान्यवर, यह ढाई किलोमीटर को बचत देने के लिए अगर गंगा को दो कि0मी0 ढाई किलोमीटर पर वह गंगा वहां पर घुमाव लेती है तो अगर उसी धारा से निकालकर हरि की पौड़ी की तरह आपको डिजाइन दे दूंगा, आपसे बात कर लूंगा। जब आप बुलायेंगे तो हम और अनुग्रह नारायण सिंह जी आपके पास आ जायेंगे अगर मान्यवर, जहां पर किला, जहां पर यमुना है उधर अगर एक 4-5 फिट गहरी ज्यादा गहरी नहीं 5-6 फिट गहरी एक पक्की कैनाल बन जाये तो मैं इतना कह सकता हूं कि 10 महीने, 9 महीने में लोग गंगा में वहीं स्नान करेंगे और आशीर्वाद देंगे, एक बहुत बड़ा काम हो जायेगा और यह अरबों का काम नहीं होगा, कुछ पैसों का काम होगा। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर लें, डिजाइन ले लें, अगर हो जाय तो वह गंगा की पौड़ी कहलाये। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत कम पैसे में, अब करोड़ों लोगों की आस्थायें उससे पूरी हो जायेंगी। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वह माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके इसको करा लें बहुत आसान सा काम है और इसमें सिंचाई विभाग से मिलकर करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं इसके पक्ष में हूं कि वहां ज्यादा से ज्यादा परमानेन्ट स्ट्रक्चर या पानी का इंतजाम भी परमानेन्ट होना चाहिए। मैंने जब अधिकारियों से इस बारे में कहा कि हर साल यह तो हर साल ही होता है इस्तेमाल, बाकी बड़े मेले तो थोड़ा बफे से भी होते हैं। मैंने जब पानी की लाइन के लिये कहा कि इसे मुस्तिकिल डालना है वरना हर साल इसे खोला जाता है, हर बार इसको लगाया जाता है तो मुझे जैसे सबको समझाते हैं मुझे भी समझाया। मैंने कहा ईरान से हिन्दुस्तान तेल की लाइन समन्दर पार करके आ सकती है और हमारे यहां एक नदी में पक्की लाइन नहीं बन सकती तो जहां तक हम जिन-जिन कामों को पक्का कर सकते हैं उन्हें कर रहे हैं। रिहाइश के लिये भी इन्तजामात कर रहे हैं। कुछ इलाका आर्मी का आ गया था उन लोगों ने जमीन देने से इंकार कर दिया। अब यह गुजर जाए तो उन लोगों से भी बात करेंगे। फौरी तौर पर तो मेले का इंतजाम करना है, स्नान का इंतजाम करना है लेकिन जो आपका सुझाव है आप बता दें उसी में जोड़ लेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, जब-जब महाकुम्भ इलाहाबाद में होता है तभी एक अर्द्ध कुम्भ की बैठक वृन्दावन में होती है जिसमें सारे के सारे साधु संत वहां से उठकर इलाहाबाद जाते हैं। प्रदेश सरकार हमेशा उसके लिये भी व्यवस्था करती है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जरा इस पर भी गौर फरमा लें और दूसरी बात आप एक हाई पावर अधिकारियों का डेलीगेशन यमुना के प्रदूषण देखने के लिये मथुरा और वृन्दावन में भेज दें क्योंकि तमाम एन0आर0आई0 वहां पर आते हैं यमुना की स्थिति देखकर बड़े परेशान होते हैं। गुजरात के खास तौर से जो रिहायशी हैं वह लोग और वहां के सारे लोग यमुना को मां की तरह मानते हैं तो यदि आप एक डेलीगेशन अधिकारियों का वहां भेज देंगे सख्त कार्यवाही करने के लिये तो आपकी सख्ती से ही काफी प्रदूषण स्थानीय स्तर पर रुक जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अनुग्रह नारायण जी, इस पर कितनी चर्चा करवायेंगे। नाम से क्या हुआ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, नेशनल रिवर गंगा बेसिन एथारिटी द्वारा जहां पर यह महाकुंभ लगता है गंगा के किनारे घाट, शिवकुटी बनाने के प्रस्ताव आ गये हैं काम भी शुरू हो गया है। किला घाट महावीर पुरी दशाश्वमेघ घाट पर और तीन चार घाट पर वहां पर आपके विभाग द्वारा सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि जैसा कि माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि गंगा जी की एक दूसरी धारा निकालकर अगर हम उन घाटों तक ले आयें। यह बात सही है कि यह अभी नहीं हो पायेगा लेकिन अगर हम लोग ले आयें तो जिस तरह से बनारस के घाट हैं उस तरह के घाट इलाहाबाद में भी बनाये जा सकते हैं और हरिद्वार की तर्ज पर बनाने का बाद में कर लें तो अच्छा रहेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अनुग्रह नारायण सिंह जी भी गवाह हैं इसके और माननीय प्रमोद तिवारी भी कि वहां काम कराने में कितनी तत्परता बरती जा रही है, कितनी तेजी कराई जा रही है जो शिथिलता थी वहां उसे सख्ती से दूर किया गया है। क्वालिटी वर्क कराने की कोशिश की जा रही है जो पैसा बर्बाद किया अधिकारियों ने मान्यवर, इस तरह लूटा है पैसे को सुनकर बुरा लग रहा था मीटिंग में और समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लड प्रेशर को कैसे कन्ट्रोल रखा जाय। चौराहे डिजाइन करना था जिसे मेरे जैसा अनपढ़ आदमी बैठकर डिजाइन कर देगा, स्केच कर देगा। उन चौराहे के डिजाइन करने के लिये न तो निर्माण निगम के पास कोई अच्छा डिजाइनर है, न आर्किटेक्ट है न पी0डब्ल्यू0डी0 के पास है और न हम जो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं हमारा अपना विभाग सी0 एण्ड डी0एस0 ने उसके पास है। किसी के पास नहीं है। दिल्ली से डिजाइन कराया गया। मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश दिल है हिन्दुस्तान का। कौन नहीं है यहां, कौन सी क्वालिटी नहीं है यहां। आखिर हमारे बच्चे जो आई0आई0टी0 या दूसरी यूनिवर्सिटी कालेज से निकल रहे हैं, आर्किटेक्ट की डिग्री लेकर अगर हम उनको मौका नहीं देंगे। उनकी फर्म्स को मौका नहीं देंगे। दिल्ली जायेंगे, गुड़गांव जायेंगे, पंजाब और हरियाणा से लेकर आयेंगे, कलकत्ता और गोवा से लेकर आयेंगे, सिर्फ इसलिये कि जांच के लिये कोई पूछने नहीं जायेगा कि तुम्हें कितना पैसा मिलना था और कितना मिला। जब हमने यह पूछा कि क्या यह सब चौराहे डिजाइन हो गये तो उन्होंने कहा कि जी नहीं अभी तो नहीं हुए। पैसे का क्या हुआ ? पैसा सब दे दिया। एक चौराहा डिजाइन नहीं हुआ और सारे चौराहों के डिजाइन करने का पैसा उस आरगनाइजेशन को दे दिया। क्या कर सकते थे पहले आदेश हमने किया कि नहीं यह पैसा वापस लीजिये हम अपने उत्तर प्रदेश के अपने नौजवानों से करायेंगे। उन्होंने कहा कि सारा पैसा दे दिया। सारा तो कोई देता नहीं। अपने लिये कोई कोठी मकान खरीदेंगे तो क्या सारा पैसा दे देंगे ? 10 लाख का मकान है तो 2 हजार बयाना दोगे। इसमें पूरा दे दिया तो जो हमें मिला है मान्यवर, वह काफी सड़ा-गला मिला है, बहुत क्वालिटी का काम हो, इसकी कोशिश जारी है, जो प्रपोजल दिया है, प्रमोद तिवारी जी ने और अनुग्रह नारायण सिंह जी ने, आप जब चाहें, आपके लिये तो दिल के दरवाज खुले हैं, वह तो दफ्तर का दरवाजा है, यह ऐतिहासिक कार्य हो जाएगा आप उसे दीजिये उस काम को कराने में कोई दल का तआस्सुर नहीं होगा उसे हम करायेंगे कराने का श्रेय सबको होगा। पूरे सदन को होगा। परीक्षण करायेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपका मामला भी ऐतिहासिक है। अब जब आपने इतनी बड़ी कुर्सी सदन में हासिल कर ली और कैसे ? चोरी-चोरी, चुपके-चुपके तो आपकी बादशाहत तो मान ही ली गई तो आपकी बात भी मानेंगे। (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 प्रमोद तिवारी जी, मा0 अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 प्रदीप माथुर जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। अब इसमें दोनों पक्ष से इसके निर्माण में धारा बदलने और सारी बातों को मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके सुझाव पर आश्वासन दिया, इसलिए अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहता है। इसलिए मैं इसको निरस्त करता हूं। अब उमाशंकर सिंह जी हैं वैसे इसमें दो मा0 सदस्यों को सुना जाता है। लेकिन समय है तो चार सदस्यों को सुन लेंगे।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने नियम-56 के तहत इस महत्वपूर्ण सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जो समस्या लेकर हम आये हैं यह बहुत ही जनहित से जुड़ी समस्या है, जिस तरह से कुम्भ मेले पर चर्चा हुई और जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुम्भ मेले के कार्यों में प्रगति की बात कही है, मान्यवर, हमारा कहने का यह मकसद है कि पूर्वांचल सहित लगभग 40 जनपद ऐसे आते हैं इन जनपदों में चाहे विकास कार्य कराना हो, चाहे सड़क बनवाना हो, चाहे पुल पुलिया बनवानी हो, चाहे कुम्भ मेले के घाटों की सीढ़ियां बनवानी हों, चाहे गरीब आदमी को अपने घर की छत डलवानी हो। मान्यवर, सोनभद्र ही एक ऐसा जिला है जहां से इन 40 जिलों में विकास हेतु गिट्टी रूपी सामग्रियां जाती हैं। लेकिन मान्यवर, 6 मार्च से पूरी गिट्टी+मौरंग की सामग्री जाने पर रोक लग गई है। जिससे कि इन 40 जनपदों में विकास के कार्य अवरुद्ध हो गये हैं। विकास के कार्य तो मान्यवर, छोड़ दीजिए, एक गरीब आदमी अगर अपने घर की ईंट से जुड़ाई करा लिया है तो वह उस पर छत नहीं डलवा पा रहे हैं। किसी तरह से अगर वह मान्यवर, व्यवस्था भी करता है तो पहले जो सामग्री 20 हजार रुपये ट्रक की आती थी वह आज एक लाख रुपये ट्रक की भी नहीं आ पा रही है। इधर एक सप्ताह से जो परिवहन होता था जो लोग स्टाक करके समान रखे थे और अधिक मूल्यों पर दे देते थे वह भी बन्द हो गया है परिवहन बन्द होने से। आज सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के लिए है, आप चेक करा लें यह रिकार्ड में है जो राजस्व की प्राप्ति सोनभद्र से होती थी वह 5-7 परसेन्ट आकर रह गई है इतनी बड़ी क्षति सरकार को हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इतनी गम्भीर समस्या का आप कोई हल निकालें जिससे कि पूर्वांचल सहित लगभग 40 जनपदों के विकास कार्यों को गति दी जा सके, उन तमाम गरीब और अमीर लोगों की छत का लिंटर डलवाया जा सके।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात सरकार के संज्ञान में आ गई है।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, उमाशंकर सिंह जी का है कि सोनभद्र की माइन्स जो हैं, उससे गिट्टी नहीं निकालने दी जा रही है, जिससे सड़कों का काम रुका है, गरीबों के जो घर बनने हैं, जिसमें गिट्टी का प्रयोग होता है, गिट्टी आने नहीं पा रही है, सरकार ने रोक लगा दी है। इनका कहना है कि उसे खोला जाए। इसमें आपको जो कहना हो, बता दीजिए।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, जो मानक की लीजें हों, जिस पर वह अपना मानक तय करते हों, पर्यावरण से लेकर सारे जितने सरकार के मानक हैं, यदि वह तय करते हों, उन लीजों को खोलने में अगर कोई आपत्ति न हो।

डा0 वकार अहमद शाह-

इसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब चौथा इन्द्रजीत सरोज जी का जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत थाना मंझनपुर में दिनांक 5-5-2012 को हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-56 की सूचना पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं जनपद कौशाम्बी में घटित एक अत्यन्त हृदयविदारक जो घटना है, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद कौशाम्बी में ग्राम सिमीछा के अन्तर्गत एक मिलादुर्रनवी का जलसा आयोजित किया गया था जिसमें मंझनपुर कस्बे से 14 नौजवान एक क्वायलिस पर सवार होकर उसमें शामिल होने के लिए गये थे। जलसा जब रात को समाप्त हुआ, वह 14 लोग अपनी क्वायलिस से लौट रहे थे, ग्राम कोतारी के जो थाना मंझनपुर के अन्तर्गत आता है, वहां पर एक जिप्सी में पुलिस वाले खड़े थे और जो भी साधन उस रोड से गुजर रहे थे, उनको रुकवाकर वह लोग अवैध वसूली कर रहे थे। एक ट्रैक्टर जो उधर से आया था, ट्रैक्टर को खड़ा कराकर उसके ड्राइवर को बुलाकर उससे लेन-देन का काम वह लोग कर रहे थे। इसी बीच मान्यवर, जो जलसे में शामिल होने वाले नौजवान गये थे, उनकी गाड़ी भी जब दिखायी पड़ी तो पुलिस वालों ने एकाएक टार्च गाड़ी पर मार दिया। एक तरफ ट्रैक्टर खड़ा था, दूसरी तरफ पुलिस की जिप्सी खड़ी थी, एकाएक जब टार्च पड़ी, ड्राइवर चौंधिया गया और उसकी समझ में नहीं आया कि मैं दायें काटूं या बायें काटूं और ले जाकर के उस गाड़ी को ट्रैक्टर में भिड़ा दिया। उसका नतीजा क्या हुआ, मान्यवर, कि उसमें सात लोग मौके पर ही खत्म हो गये। जिसमें सभी नौजवान थे, मैं नाम पढ़ देता

हूं। मोहम्मद फरीद अहमद पुत्र मोहम्मद शरीफ, 28 वर्ष, मोहम्मद गुलाम हसनैन पुत्र मोहम्मद रफी, उम्र 27 वर्ष, मोहम्मद कोहनुर पुत्र शराफत अली, 27 वर्ष, मोहम्मद अफरोज अहमद पुत्र अब्दुल खलिक, 26 वर्ष, मोहम्मद वसीम अहमद पुत्र मोहम्मद अकबर हुसैन, 25 वर्ष, मोहम्मद तस्लीम पुत्र मोहम्मद हनीफ, 24 वर्ष, मोहम्मद कैसर पुत्र गुल मोहम्मद, 22 वर्ष। 7 लोगों की मान्यवर, मौके पर मौत हो गयी और सात लोग उसमें गम्भीर रूप से घायल हुए। घायलों में सईद अहमद पुत्र मुस्ताक, 28 वर्ष, मोहम्मद सहवाज पुत्र मोहम्मद इदरीश, 25 वर्ष, मोहम्मद नूसिन पुत्र अब्दुल कलाम, 25 वर्ष, मोहम्मद अश्फाक पुत्र वाहिद अली, 22 वर्ष। मो0 नौशाद पुत्र अगन अली 25 वर्ष। मो0 तौशीक पुत्र मो0 इदरीस, 26 वर्ष, मो0 मुस्तकीम पुत्र मुश्ताक हैदर 11 वर्ष। इस तरह मान्यवर, एक हृदयविदारक घटना वहां पर घट गयी जिसमें सात लोगों की मौत हो गयी और सात लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। मान्यवर, वैसे समाचार-पत्र का संज्ञान यहां पर नहीं लेते हैं। लेकिन पुलिस की वसूली के कारण इतनी बड़ी घटना वहां पर घट गयी। समाचार-पत्रों ने वहां पर प्रमुखता से छापा फिर खाकी पर लगा मौत का कलंक, आखिर पुलिस ने क्यों दिखायी टार्च, 7 लोगों की मौत की जिम्मेदार है, खाकी, पुलिस की वसूली के चक्कर में खड़े ट्रैक्टर में पीछे से टकरायी क्वालिस, टार्च बना मौत का कारण। मान्यवर, प्रमुखता से अखबारों ने वहां पर यह खबर छापी। पुलिस की गलती के कारण इतनी बड़ी घटना वहां पर घट गयी जिसमें 7 नौजवानों की मौत हो गयी, सात नौजवान घायल हो गये।

सउदी अरब में रहकर अपने घर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके घर में बहन की शादी थी। इसलिए वह अपनी बहन की शादी कराने आये थे और शादी के उपरान्त यह घटना घट गयी। मान्यवर, मैं आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ। लेकिन मान्यवर, जब यह घटना घटी तो पुलिस को तुरन्त घायलों को अस्पताल ले जाना चाहिए था। यह काम न करके उनके मोबाइल, उनके पर्स, उनकी घड़ी यह हथियाने में पुलिस लग गयी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस ने संवेदनशीलता का परिचय देने का काम नहीं किया। उन्होंने मानवता की सारी हदें पार कर दीं। जिनकी मृत्यु हुयी उनको जे0सी0बी0 में लादकर बोरे की छल्ली की तरह एक दूसरे के ऊपर लादकर पुलिस ने उनको थाने ले जाने का काम किया। इस तरह पुलिस ने अमानवीयता का परिचय देने का काम किया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, पेपरों में प्रमुखता से छपा। कोई भी माननीय मंत्री, शासन से वहां पर जाने का काम नहीं किया। मैं मानता हूं कि मंत्रीगण की बहुत व्यस्तता होती है वह नहीं जा पाये लेकिन मंझनपुर जिले का मुख्यालय है एक कि0मी0 के अन्दर है। एस0पी0, डी0एम0 साहब बैठते हैं उन्हें जाना चाहिए। उन्होंने वहां पर जाने की जहमत नहीं उठायी। मान्यवर, हम लोग वहां पर गये। लोग आन्दोलित थे, चक्का जाम करने जा रहे थे। हमने मना किया। परिवार में इतनी बड़ी घटना हो गयी, आप ख्वामखाह मुकदमें में फंस जाओगे। आपको इनका दाह संस्कार करना चाहिए। मान्यवर, हमने किसी तरह उनको मनाने का काम किया। एक अच्छा वातावरण पैदा करने का काम किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बहराइच के अन्दर जिन जायरीजों की मौत हुयी, अभी आपने मथुरा के अन्दर देखा, आपने 5-5 लाख रुपया देने का काम किया। यह नौजवान जो साउदी अरब में रहकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे, वह अपनी रोजी-रोटी चलाते थे। आज वह कालकवलित हो गये। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना शौहर खो दिया, किसी तीन साल के दुधमुंहें ने अपना पिता खो दिया। मान्यवर, हर परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा है। लेकिन उनको शासन स्तर से कोई भी आर्थिक सुविधा मुहैया कराने का काम नहीं किया गया। डी0एम0 के स्तर से शासन में रिकमन्डेशन भी

आई है, मृतकजनों के परिवारीजनों को आर्थिक अनुदान के लिए लेकिन आज तक उस पर मान्यवर, कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आपने जगह-जगह पर दिया है। लोग अनाथ हो गये, बूढ़े मां-बाप की लाठी चली गई, किसी दुधमुंहे बच्चे ने अपना पिता खो दिया, किसी ने अपना शौहर खो दिया, इसलिए उनके परिवारीजनों के आंसू पोछने के लिए मान्यवर कम से कम पांच-पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता अगर सरकार दूसरे जगह दे सकती है तो उनको भी आर्थिक मुआवजा देना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, जो घायल हैं गम्भीर रूप से गरीब हैं, अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। वह जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन परिवारों को भी मान्यवर, जो भी उनके ऊपर चोट लगी है उसके आधार पर लाख रुपये, दो लाख रुपये शासन की तरफ से आर्थिक अनुदान देने की यह सरकार कोशिश करे, कृपा करे, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और मान्यवर, इतना ही नहीं जिन पुलिसवालों ने गलती किया है, जिन पुलिसवालों ने अमानवीयता का काम किया है, इस घटना की जांच होनी चाहिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं। मान्यवर, इसलिए यह विषय अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है, इस विषय पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जब खड़े हों तो इनकी सरकार ने समय-समय पर जगह-जगह पर उत्तर प्रदेश में ऐसी जो भी घटनायें हुई हैं, उसमें इन्होंने सहृदयता का परिचय देते हुए आर्थिक अनुदान दिया है वैसे ही इन गरीबों के भी आंसू पोछने के लिए यह सरकार आर्थिक अनुदान देने की कोशिश करे, कृपा करे, धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो प्रकरण रखा है, बहुत ही गम्भीर है, बहुत दिल दहलाने वाला है कोई दो राय नहीं और पुलिस की जिस कार्यशैली का जिक्र किया है, वह उससे भी ज्यादा चिन्ताजनक है। इसे तो जरूर दिखवायेंगे और यह भी दिखवायेंगे कि पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया, ठीक करेंगे, पुलिस के तरीकों को भी ठीक करेंगे। पुलिस की तो जो शिकायत है बिल्कुल सही है, इसको बिल्कुल दुरुस्त किया जायेगा, बहुत बेलगाम हो गये हैं, बुरी आदतें डल गई हैं, बुरी आदतें जरा देर से छूटती हैं, उन बुरी आदतों को भी छुड़वाने की कोशिश करेंगे। दूसरे जहां तक सहायता की बात है मान्यवर, यह परीक्षण का विषय है, ऐसी दैवीय आपदा में या बहुत ही दर्दनाक हादसों में ऐसा किया गया है। ऐसा हुआ है गरीब बच्चे मिट्टी निकालने के लिए जब तालाबों में गये हैं तो वह पूरी की पूरी मिट्टी के टीले गिर गये हैं और छः-छः, सात-सात बच्चे दब कर मर गये हैं, बच्चियां मर गई हैं, जवान, ऐसी बच्चियां जिनकी आठ दिन बाद शादी होने वाली थी, ऐसी बच्चियों की मौतें हो गयी हैं और वह सिर्फ गुरूबत की बिना पर ऐसा हुआ तो ऐसे मामलों में आर्थिक मदद की गई है, लेकिन इस मामले में जैसा कि ऐक्साडेन्ट का यह केस है और यह भी देखा जाता है कि वह परिवार कितने सम्पन्न हैं या नहीं हैं। सऊदी अरब में काम करते हैं जाहिर है मेहनतकश लोग होंगे, गरीब लोग होंगे। अपना वतन छोड़ कर कौन जाता है और अब तो सऊदी अरब वह सऊदी अरब नहीं है जो कभी हुआ करता था, बड़ी सख्त जिन्दगी है वहां की और पहले कफील यहां आता था तो कफील ले जाने वालों को पैसा देता था अब तो कफील को उल्टा देना पड़ता है तो दिखवाते हैं मान्यवर, जो भी इसमें उचित होगा, वही कार्यवाही इसमें की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वहां के डी0एम0 की तरफ से जो रिकमण्डेशन आई है, उसको भी दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसको दिखवा लिया जायेगा। मैंने मा0 इन्द्रजीत सरोज जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना है, मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री अध्यक्ष-

अब बजट पर चर्चा, मा0 नेता लोकदल।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट पर बहुत विस्तार से मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता भाजपा, मा0 नेता कांग्रेस विस्तार से बोल चुके हैं और एक-एक बिन्दु को उन्होंने बड़े अध्ययन के साथ पढ़कर यहां सदन में अवगत कराया है। जिस तरह से सरकार ने महात्मा गांधी, डा0 राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ-साथ चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धान्तों पर आधारित काम करने की बात कही है। मैं इसका स्वागत करता हूं परन्तु मैं चाहूंगा कि महात्मा गांधी, डा0 राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जय प्रकाश नारायण के नाम पर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का नामकरण किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप पढ़ रहे हैं कि बोल रहे हैं। इसमें खड़े हो करके पढ़ा नहीं जाता है।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, ये जिस तरीके से किया है कि सभी के नाम पर जो योजनायें चलायी हैं। मैंने इस बजट भाषण में पढ़ा है, इन सबके नामों पर तो योजना है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर भी कोई योजना शुरू की जाये। इसमें यातायात व्यवस्था हेतु प्रदेश के तीन महानगरों का चयन किया गया है। लगभग सभी 13 महानगरों की यातायात व्यवस्था खराब है। मैं चाहूंगा कि सरकार समान रूप से प्रदेश के सभी महानगरों में सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगाने की व्यवस्था करे जिससे कि मा0 मुख्य मंत्री जी, जो समान रूप से विकास करने की बात करते हैं वो सही साबित हो। एक चर्चा यहां पूरे सदन में बुन्देलखण्ड पैकेज के लिये 900 करोड़ रुपये, पूर्वांचल की विशेष योजना के लिये 291 करोड़ रुपये, बुन्देलखण्ड विशेष योजना के लिये 109 करोड़ रुपये है। बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल इन सबकी चर्चा होती है इस सदन में लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई चर्चा नहीं होती है, न इस तरह के कोई पैकेज की व्यवस्था वहां है। मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से चाहूंगा कि पूरे प्रदेश का समान विकास करने के लिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये भी इसी तरह का पैकेज बनाया जाय जैसे कि पूर्वी क्षेत्रों का है। मा0 मुलायम सिंह यादव जी द्वारा कृषक दुर्घटना बीमा योजना में सबसे पहले 1 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया था। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को कि इन्होंने उसको 5 लाख किया है लेकिन जैसे किसानों के सामने दुर्घटना होती है उसी तरह से खेतों में काम करने वाले मजदूरों की भी यही समस्या है। मैं आपके

† दिनांक 5 जून, 2012 की कार्यवाही से।

माध्यम से चाहूंगा कि सरकार किसान दुर्घटना बीमा योजना की तरह खेती में काम करने वाले मजदूरों का भी बीमा कराने की व्यवस्था करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। विकलांग पेंशन के लिये जो 276 करोड़ रुपये का जो प्राविधान किया है, वो बहुत कम है। प्रदेश के रिक्शा चालकों के लिये जो पैसा एलॉट किया है, वह बहुत कम है। आप बेरोजगारी भत्ते से 9 लाख बेरोजगार नवयुवक, नवयुवतियों को लाभान्वित करने की बात करते हैं (इस समय 1 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए) अभी दो तीन दिन पूर्व मैंने खुद अखबार में पढ़ा था कि इस कार्यक्रम की शर्तों ने और कठिन बना दिया है कि लोग इस बेरोजगारी भत्ते को लेने के लिये बहुत परेशानियां उठाने के बाद भी नहीं ले पायेंगे। मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सरलीकरण कर दिया जाये। एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के इलाज के लिये 5 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फण्ड की योजना है। मेरा प्रस्ताव है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोयडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर के लोगों को यहां आने में बहुत आपत्ति होती है। इस तरह का रिवाल्विंग फण्ड पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिये नोयडा, गाजियाबाद में बनाया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। आज 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-13 के लिये 51000 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है। जो पिछले वर्ष से मात्र 4000 करोड़ रुपये अधिक है, यह बढ़ती हुयी मंहगाई के हिसाब से बहुत कम है। प्रदेश को पार्कों से ज्यादा विकास की आवश्यकता है, ऐसे में मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था और मेरा सोचना भी ऐसा ही है कि पिछली सरकार ने जनता के अरबों रुपये पार्क बनवाने में लगवा दिये। अब आपकी सरकार ने भी लखनऊ में 500 एकड़ भूमि में जनेश्वर मिश्र पार्क की स्थापना का प्रस्ताव किया है जबकि मा0 मुख्य मंत्री पिछली सरकार के कार्यकाल में बने पार्कों में अस्पताल और स्कूल खोलने की बात करते थे। लिहाजा इस पार्क का कोई औचित्य नहीं है जो पार्क उन्होंने बनाया ऐसा कि पार्क आप बनाने जा रहे हैं। पार्क का कोई औचित्य नहीं है। जो किसानों की सरकार कही जाती है और किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। खेती पर सबसे कम पैसा दिया गया है इस बजट में जो मात्र 2.6 प्रतिशत। जब यह कृषि प्रधान देश है और प्रदेश भी कृषि प्रधान है और सरकार भी किसानों की है उस अनुपात से पैसा बहुत कम आवंटित किया गया है। लोहिया पर्यावरण उद्यान बनाने के लिए प्रदेश के लिए मात्र साढ़े चार करोड़ रुपया दिया गया है, एक जिले के लिए मात्र 6 लाख रुपया आता है, जो बहुत कम है। पशुधन के लिए केवल 15 करोड़ रुपये जो बहुत कम है। प्रदेश के किसानों के नलकूप हेतु मुफ्त बिजली के लिए हम प्रस्ताव करते हैं, जब हम प्रदेश के छात्र-छात्राओं को 2700 करोड़ के लैपटाप और टेबलेट दे सकते हैं तो किसानों के लिये मुफ्त बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों के लिये मुफ्त बिजली की व्यवस्था करायी जाए। यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है आप सभी लोग इसे सुन लें प्रदेश के सहकारी बैंकों से कृषि सम्बन्धी लिये गये ऋण में राहत की बात की गयी है। इसमें निश्चित अधिकतम राशि का उल्लेख किया गया है, यह निश्चित अधिकतम राशि क्या मानी जाए ? इसके साथ ही सहकारी बैंकों के साथ-साथ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए गये कृषि ऋणों पर राहत का प्राविधान किया जाना आवश्यक है। यहां जो उल्लेख सरकार ने किया है वह केवल सहकारी बैंकों के लिए किया है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या अन्य राष्ट्रीयकृत बैकों से लिए हुए ऋण को भी इस दायरे में रखा जाएगा। कृपया इसका संज्ञान लें। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में बढ़ती हुई विद्युत मांग एवं उद्योग के विकास के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 660 मेगावाट की प्रस्तावित हरदुआगंज परियोजना के साथ-साथ निकट भविष्य में अन्य विद्युत परियोजना लाने की भी आवश्यकता है। इस बजट में बिजली पर बहुत कम प्राविधान

किया गया है। मैं चाहूंगा कि 660 मेगावाट की प्रस्तावित हरदुआगंज परियोजना के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कराई जाए। जनपद अलीगढ़ में सेन्ट्रल डेयरी फार्म की लगभग 800 बीघा भूमि खाली पड़ी है उस पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करायी जाए। प्रदेश में एक मात्र काला हिरण संरक्षण केन्द्र अलीगढ़ में है उसकी बाउन्ड्री और उसके विकास की कोई कार्ययोजना प्रस्तावित नहीं है और न ही इस बजट में कोई प्राविधान है। मैं चाहूंगा कि इस बजट में इसे शामिल किया जाए। मा0 मुख्य मंत्री जी आपने दुग्ध विकास के लिए वर्तमान दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिये तथा निष्क्रिय संघों के पुनर्गठन की बात कही है। परन्तु इसके लिए बजट में एक पैसे का भी कोई प्राविधान नहीं है।

इसकी व्यवस्था कहां से होगी ? इस प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में, सी0सी0 रोड तथा इंटरलाकिंग नाली इत्यादि के लिए मात्र 100 करोड़ रुपये का प्राविधान है जो कि बहुत कम है। प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, गांव-देहातों में अवारा पशुओं द्वारा खेती में नुकसान किया जाता है। इसके लिए खेती की तारकसी का प्राविधान होना चाहिए। कब्रिस्तान और अंत्येष्टि स्थलों पर चारदीवारी बनाने के साथ-साथ उनमें टीन शेड के निर्माण का प्रस्ताव भी होना चाहिए। जहां तक पर्यटन का सवाल है पूरे प्रदेश में पर्यटन के सम्बन्ध में इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अलीगढ़ जनपद में मगलायतन जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। मैं चाहूंगा कि उसके विकास के लिए इस बजट में प्राविधान किया जाए। बहुत अधिक पशुओं की कट्टी हो रही है आप दूध बढ़ाने की बात कह रहे हैं और अलीगढ़ जनपद में, अलीगढ़ शहर में कम से कम 40-50 कट्टी घर हैं। आस-पास के 4-6 जिलों से भैसों एवं अन्य पशुओं को वहां लाकर काटा जाता है। मैं आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से चाहूंगा कि जो मांस का निर्यात हो रहा है उसे रोका जाए। गन्ना किसानों के बाकी के भुगतान के लिए केवल 400 करोड़ रुपये का इसमें प्राविधान किया गया है। जबकि निजी क्षेत्र की मिलों का 3798.40 करोड़ रुपया बकाया है और सहकारी क्षेत्र की मिलों का 622 करोड़ रुपया बकाया है। इस बजट में जो 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है वह बहुत कम है। मैं चाहूंगा कि इस बजट को बढ़ाकर पिछला किसानों का जितना भुगतान बाकी है, वह किया जाये, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ऐतिहासिक बजट जो माननीय अखिलेश यादव, मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हम लोग साक्षी हैं पिछले 5 साल के दौर को हमारे साथ-साथ आपने भी देखा है और आपने बहुत लम्बा समय इस सदन में बिताया है। जब किसी सवाल को लेकर किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष के लोगों ने कभी अपनी बात उठानी चाही तो सत्ता पक्ष के लोगों ने उस समय के संसदीय कार्य मंत्री की भाषा, उनका बोलने का तरीका यह सदन साक्षी है और बहुत सारे ऐसे मौके आये जब विद्वान साथियों ने नियमावली की चर्चा करके, नियमों की तरफ इशारा किया नियमों की बात कही तब उस दौरान जो जवाब आता था, लगता था कि इस सरकार के दौरान नियमावली निरस्त कर दी गयी या निलम्बित है और एक अपनी मनमानी तरीके से सत्ता को चलाया जा रहा है। मैं कल माननीय नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहा था। बहुत सारी बातें उन्होंने बड़े जोर-शोर के साथ कहीं। पहले भी जब इन्होंने सहकारिता का बजट पेश किया था उस समय भी एक बात कहीं थी और कल भी उनके व्यवहार को

देखकर मैं यह कहने को मजबूर हूं कहा है किसी ने कि जब बात कमजोर हो तो इतना तेज बोलो कि वह झूठी बात भी सच दिखाई देने लगे। झूठी बात तेज बोलकर सच का सहारा बनने का काम कर जाये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

(बैठे हुए) यह हिटलर ने कहा था।

श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)-

जी मान्यवर, यह हिटलर ने कहा था कि झूठ का भी सही तरह से प्रचार कर दो तो झूठ भी एक दिन सच हो जायेगा। मान्यवर, बहुत सारी कमियां गिनाई बजट में। लेकिन यह बात नहीं कही कि उस बजट में एक ऐसी बात है जो पूरे देश को हिला रही है। एक ऐसा बजट जिसमें इस प्रदेश के रहने वाले हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें बंधी हैं। एक ऐसा बजट आया है जिसने उत्तर प्रदेश के हर उस शख्स को अपनी ओर आकर्षित किया है और शायद वह यह कहने पर मजबूर हैं कि 60 साल, 64 साल गुजर जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सरकार बनी जो सत्ता को गरीब की तरक्की का साधन बनाना चाहती है जो नाउम्मीदों को उम्मीद की तरफ ले जाना चाहती है। इसमें सबसे पहली घोषणा है बेरोजगारी भत्ता। जिस बेरोजगारी भत्ते पर माननीय नेता प्रतिपक्ष मजाक में कह रहे थे, मैं आज उन्हें याद दिलाना चाहता हूं और दुनिया के उस इतिहास को भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दुनिया में पहले 1911 में यूनाइटेड किंगडम और उनके सम्बन्धित देशों में और अमेरिका में बेरोजगारी भत्ता बंटने का काम हुआ था। हिन्दुस्तान देर से सही बल्कि 101 साल के दौरान, 100 साल गुजर जाने के बाद उत्तर प्रदेश में एक ऐसी हुकूमत आई, एक ऐसा नौजवान मुख्य मंत्री बना जिसने यूरोप के सामने उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम किया और अपने बजट में संसाधन जुटाकर उस नाउम्मीद नौजवान को यह अहसास कराने का प्रयास किया कि है बेरोजगारों, किसानों के बेटों, कोई तुम्हारे साथ है कि नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तुम्हारे साथ है तुम्हारे दर्द को किसी ने समझा हो या न समझा हो पर हमने महसूस किया है और तुम किसी के बेटे नहीं हो बल्कि इस उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हो और उस हिस्से से हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मान्यवर, उस बजट के माध्यम से लाखों बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम शुरू हुआ। मान्यवर, एक और काम जो हिन्दुस्तान के लिए अनोखा है, इसलिए अनोखा है कि शायद हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त में कोई ऐसी सरकार बनी हो जिसने यह कहा हो कि कोई किसान को बेटा जो हाई स्कूल और इण्टर की परीक्षा पास करेगा तो उसे हम टैबलेट और लैपटॉप देंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की एजूकेशन में जब हमारा पढ़ा लिखा नौजवान इस कम्प्यूटर के युग की पढ़ाई के सामने मुकाबला करता है तो ऐसा लगता है कि सारी डिग्री जीरो है क्योंकि सारी व्यवस्था कम्प्यूटर पर डिपेन्डेड हो गई। अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट है तो कम्प्यूटर से चलता है, मेडिकल में कोई जाता है तो इलाज कम्प्यूटर के माध्यम से होता है, एकाउन्ट्स के सारे काम कम्प्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं तो हमारी सारी डिग्रियां जीरो हो रही है और किसान इस तरह से कर्ज में डूबा है, उसकी माली हालत खराब है इसलिए लैपटॉप उसके लिए सपना था। वाह रे। नौजवान मुख्य मंत्री तुमने उस दर्द को समझा, आपने उन्हें लैपटॉप नहीं दिया है बल्कि किसान के बेटों को उद्योगपतियों के बेटों के साथ आने का मौका दिया है और कहा है कि मैं तुम्हें लैपटॉप, कम्प्यूटर देता हूं। तुम इसे सीखो और मुकाबला करो। क्योंकि इस

मंहगाई की हालत में किसान के बेटों को लैपटॉप और टैबलेट नहीं मिलता और इस अज्ञानता के कारण उसकी सारी डिग्रियां जीरो हो जाती।

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को इस निर्णय के लिए सरकार को बधाई देना चाहिए था लेकिन मान्यवर, बधाई न दे पाये बल्कि आलोचना कर रहे थे। मान्यवर, कन्या विद्या धन योजना, जिसके बारे में कल एक बहुत अच्छी बात कही थी आपने, आपने संस्कृत की कोई कहावत सुनाई, संस्कृत की बात सुनाकर लोगों को आकर्षित किया लेकिन मान्यवर, यह सदन गवाह है, यह उत्तर प्रदेश गवाह है, कन्या विद्या धन योजना माननीय मुलायम सिंह यादव की पिछली सरकार में चालू हो गई थी वह तीन साल चल भी चुकी थी और वह समय भी शायद लोग भूल नहीं पाये होंगे कि जब परीक्षा चल रही थी तो किसानों की बेटियां मेहनत से पढ़ाई कर रही थीं, यह उम्मीद लेकर पढ़ रही थीं कि हम इण्टर की परीक्षा पास करेंगे और जैसे ही हम पास होंगे तो सरकार द्वारा 20 हजार रुपये हमारे पिता को मिलेंगे, वह हमारी अच्छे घर में शादी कर देंगे या हम आगे की पढ़ाई करके देश की सेवा के लिए कुछ तैयारी करेंगे। लेकिन मान्यवर, वह दुर्भाग्य का दिन देखो परीक्षा देते समय समाजवादी पार्टी की सरकार और जब रिजल्ट निकलने वाला था तब सरकार बदल गई और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई। मान्यवर, इनकी सरकार बन गई, बहन मायावती जी मुख्य मंत्री बन गईं, वह महिला थीं, दुनिया की योजनाएं उन्होंने बन्द कीं लेकिन उन्होंने इतना भी रहम नहीं किया कि उस किसान की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसने एक सपना देखकर इण्टर की परीक्षा दी थी कि 20 हजार रुपये हमें मिलेंगे, सरकार बनते ही उन दो लाख बेटियों के हाथों से कन्या धन छीन लिया गया। मान्यवर, योजना बन्द कर दी गई, उन्हें इस अपराध का पश्चाताप होना चाहिए और इस बात का कोप होना चाहिए कि हमने गलत निर्णय लिया था। लेकिन मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और फिर एक बार एलान कर दिया गया कि इस प्रदेश के किसान की बेटी यदि इण्टर की परीक्षा पास करेगी तो उसे हम कन्या विद्या धन देंगे। मान्यवर, यह कन्या धन नहीं है। बल्कि किसान की बेटी को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना है। गांव के लोग क्या कहते हैं, घर में जब लड़की पैदा हो जाए तो गांव के लोग कहते हैं कि यह पराया धन है, उसकी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते, शहरों में लोग बेटियों को पढ़ाते हैं लेकिन गांव की गरीब बेटियां पढ़ नहीं रही थीं लेकिन जब हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने कन्या विद्या धन योजना लागू की, मान्यवर, आंकड़े बताते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई में 2 सौ से 3 सौ फीसदी अन्तर आ गया। मान्यवर, समय कम है मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत सारी बातें थीं उनको मैं नहीं कहूंगा लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातें मैं जरूर उन्हें याद दिलाना चाहूंगा। मान्यवर, कमियां निकालने से कोई बड़ा नहीं बना है, कमियां बताने वाले बड़े नहीं हुए, सच को स्वीकारने वाले आगे बढ़े हैं और सच को स्वीकारने वाले बड़े नेता बने हैं। मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं शायद आप देख नहीं पाये कि इस सरकार में जो वृद्धि है वह कितने फीसदी है। शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता के लिए 20 फीसदी वृद्धि की गई है कि किसी तरह से प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये पिछले बजट की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिससे कि लोगों के जानों की रक्षा की जाए। समाज कल्याण की योजनाओं में पिछले बजट की तुलना में 14 फीसदी की वृद्धि की गई है और सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य के वेतन सम्बन्धी मामलों में 20 फीसदी की वृद्धि की गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने रिकार्ड तोड़ा है, इस क्षेत्र में पिछले बजट की तुलना में 47 फीसदी की वृद्धि की गई है। मान्यवर, यह

कमियां गिना रहे थे, वाह-वाहियां भूल गये, नेक काम भूल गये। नगर विकास योजनाओं के लिए हमारे मा0 संसदीय कार्य व नगर विकास मंत्री जी ने 32 फीसदी बजट की वृद्धि की है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री दीप नारायन सिंह (दीपक यादव)-

मान्यवर, दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। बेसिक शिक्षा के बजट में पिछली सरकार की तुलना में 24 फीसदी की वृद्धि की गयी है, उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 17 फीसदी की वृद्धि है। मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो इस देश तथा दुनिया का उदाहरण बन रहा है कि पिछले बजट की तुलना में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 81 फीसदी की वृद्धि की गयी है, जो ऐतिहासिक है। पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं में पिछले बजट की तुलना में 40 फीसदी की वृद्धि की गयी है। इसलिए मा0 नौजवान मुख्य मंत्री जी द्वारा लाया हुआ बजट जनकल्याणकारी है और इस प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने वाला है और सत्ता को गरीब की तरक्की का साधन बनाने वाला है। मैं इसका समर्थन करता हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द, जय समाजवादी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता विरोधी दल आपकी तरफ से तीन सूचियां आयी हैं, तीनों में क्रम संख्या-1 से है। मैं बता दूं, पहले राजबली जैसल जी, फिर डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी, मा0 विवेक जी और उसके बाद सत्यवीर मुन्ना जी।

श्री अखिलेश सिंह-

मान्यवर, मेरा भी नाम होगा।

श्री अधिष्ठाता-

दलों की तरफ से जो सूची आयी है, उसी क्रम में बोलवा रहा हूं।

*श्री राजबली जैसल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2012-2013 के बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जो 2012-2013 का बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट में लगता है कि बजट प्रस्तुत करते समय मा0 मुख्य मंत्री द्वारा कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखायी गयी है। अगर इस बजट में संवेदनशीलता दिखायी गयी होती तो एक तरफ मा0 मुख्य मंत्री जी यह कह रहे हैं कि हम समाज के हर वर्ग को इतना शक्तिशाली और समृद्धि बनाने तथा ऐसी चेतना से सम्पन्न कराना चाहते हैं उसमें अपने उत्थान के लिए स्वयं सामर्थ्य पैदा हो सके। इस बजट भाषण में उन्होंने कहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उन कमजोर वर्ग के उन्नति के अवसर खोलने के लिए जहां उन्होंने अपनी संकल्पबद्धता को दोहराया है वहीं उन्होंने कहा है कि हम बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को दो-दो साड़ी और वृद्ध को एक-एक कम्बल दिये जाने का काम करेंगे। सही बात है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी एक मा0 सदस्य ने कहा था कि मेरी सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मैं इस बात को समझता हूं कि यह आज तक कोई सरकार ऐसा ऐतिहासिक निर्णय नहीं लिया कि किसी महिला को दो-दो धोती देने का काम करके उनको अपमानित करने का काम करता हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दो धोती की कीमत क्या हो सकती है, एक कम्बल की कीमत क्या हो सकती है ? दो धोती की कीमत 100 रुपये भी नहीं आंकी जा सकती एक कम्बल की कीमत 100 रुपये भी नहीं आंकी जा सकती। अगर वास्तव में आपने उनको समृद्ध बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की इच्छाशक्ति है तो उनको एकमुश्त कुछ धनराशि दे देनी चाहिए। पांच हजार दे देते, दस हजार दे देते, उससे वह कुछ कर सकते विकास की बात सोच सकते। आपने उनको दो धोती देने की घोषणा किया, यही एक ऐतिहासिक निर्णय युवा वर्ग के मा0 मुख्य मंत्री जी का है। अधिष्ठाता महोदय कहना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि आपने गरीबी रेखा के नीचे मुस्लिम परिवार की दसवीं पास लड़कियों के लिए अगर बजट में प्राविधान किया, एक धनराशि का प्राविधान किया तो ऐसे लोगों के अन्य जातियों की लड़कियों के लिए भी आपको अपने इस बजट भाषण में प्राविधान करना चाहिए था।

मान्यवर, अन्य जातियों में भी गरीब लड़कियां हैं। मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज में गरीबी है और इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने यह प्रावधान उनकी बच्चियों के लिये किया है। मैं आपको इसके लिये बधाई देता हूं। लेकिन आपको अन्य जातियों की गरीब बच्चियों के लिये भी इसी तरह की समान व्यवस्था करनी चाहिये। मान्यवर, आपके द्वारा इस बजट भाषण के तमाम विषमताओं को दूर करने की बात कही गई है और यह भी कहा गया कि हम ऐसी विषमताओं को दूर करने का काम करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड में वास्तव में समस्या है। इसलिये बुन्देलखण्ड के विकास के लिये जो धनराशि दी गई है वह अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ पूर्वांचल का भाग है जहां के विकास के लिये धनराशि को बढ़ाये जाने की जरूरत है। उसके लिये बजट में प्रावधान को बढ़ाये जाने की जरूरत थी, मान्यवर, बुन्देलखण्ड की तर्ज पर आपका सोनभद्र, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, इलाहाबाद में जमुना पार का क्षेत्र मांडा, मेजा, कोरांव और शंकरगढ़ का इलाके हैं इसी तरह से चित्रकूट है जो बिल्कुल बुन्देलखण्ड की तर्ज पर विकास की राह देख रहा है वहां पर पिछड़ापन व्याप्त है। इसके विकास के लिये भी आपको इस बजट में आपको प्रावधान करना चाहिये था। उसकी अनदेखी की गई है और उसके विकास के प्रति इस बजट भाषण में संवेदनहीनता दिखायी गयी है। मा0 मैं कहना चाहता हूं कि सोनभद्र, राबर्टसगंज, मिर्जापुर, इलाहाबाद के जमुनापार के इलाकों में कोल जाति के लोग रहते हैं आपको चाहिये था कि इन जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का काम करते। आपने नहीं किया है तो कम से कम आपको इस बजट भाषण में कोल जाति के लोगों के आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान, कल्याण एवं विकास के लिये अलग से कोई योजना प्रस्तुत करते ताकि उनको भी लगता कि यह गरीबों की, मजदूरों की और युवाओं की सरकार आई है। मान्यवर, मंहगाई की बात कही जाती है कि हर तरफ मंहगाई बढ़ गई है। सीमेंट, बालू, ईंट सभी के दाम बढ़ गये हैं। इसी आधार पर माननीय सदस्यगण भी मांग कर रहे हैं कि उनके वेतन भत्तों में भी वृद्धि किये जाने पर विचार किया जाना चहिये। मान्यवर, इस मंहगाई के युग में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा सामान्य जाति की गरीब लड़कियों के विवाह के लिये शादी अनुदान की राशि मिलती है वह विगत कई वर्षों से वैसी की वैसी ही पड़ी है। जबकि आज हर चीज में मंहगाई बढ़ गई है। तो मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं

कि उस अनुदान राशि को बढ़ाकर दुगुना करने पर विचार किया जाय। क्योंकि उस सीमित अनुदान की राशि में गरीब अपनी लड़की का विवाह कर पाने में असमर्थ पा रहा है। इस बजट भाषण में इस बात को शामिल किया जाय मैं इसकी मांग करता हूं। मान्यवर, हैण्डपम्पों की स्थापना की बात कही गई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि कटोरे का माप क्या है। आपको इस बजट भाषण में माननीय विधायकों के लिये हैण्डपम्प आवंटन की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये। मान्यवर, आपके उधर के विधायक हैण्डपम्पों के लिये कटोरा लिये बैठे हैं लेकिन आप उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये जरूरी है कि आपको प्रत्येक विधायक को 200-200 हैण्डपम्पों का आवंटन करने पर विचार करना चाहिये। पेयजल की समस्या है उस पेयजल की समस्या के मद्देनजर इसमें और बजट करने की आवश्यकता थी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मछुआ समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नदियों के किनारे रहने का काम करते हैं जिनके लिये आवास का प्राविधान मात्र 1500 किया गया है जब बड़े पैमाने पर मछुआ समुदाय है और उसके लिये 1500 आवास की व्यवस्था है तो मैं नहीं समझ सकता कि उ0प्र0 के कुछ जिले सैफई, इटावा, मैनपुरी, एटा के लिये व्यवस्था है या पूरे उत्तर प्रदेश के लिये व्यवस्था है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश के लिये मछुआ समुदाय के लोगों को आवास देने की व्यवस्था की बात कही जाती है तो इस बजट में और भी व्यवस्था होनी चाहिये थी जिससे मछुआ समुदाय के लोगों को हर जनपद में, हर विधान सभा क्षेत्र में कुछ न कुछ आवास मिल सकता जो तमाम लोग नदियों के किनारे रहा करते हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा चूंकि बेरोजगारी की बात करते हैं तमाम अपने वायदा करके, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कह करके शासन में आये हैं, मुझे लगता है कि आपने बेरोजगारों की बात करके यहां पहुंचने के बाद एक सीमा तय कर दी कि इतने साल में इतने साल के लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। मैं नहीं समझता कि वह तमाम बेरोजगार नौजवान जो आपके साथ बड़े पैमाने पर लग करके चुनाव जिताने का काम किये आज उनको क्या समझ में आता होगा, आप बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं। कौन बेरोजगार है, क्या बेरोजगारी का मानक है क्या 30 साल के नीचे के लोग बेरोजगार नहीं है, उनको बेरोजगार की श्रेणी में नहीं लेते हैं या 30-40 साल के ऊपर जो वास्तव में रोजगार पाने के काबिल नहीं रह जाते हैं 30-35 साल में रोजगार तो उनको मिल भी सकता है लेकिन वह 40 वर्ष की उम्र पार करने के बाद वह वास्तव में बेरोजगार की श्रेणी में आ जाते हैं तो उनके लिये भी कम से कम आपने दया दिखाई होती इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विरोधी दल के नेता ने कल जो बात कही थी, एक एक बात को उन्होंने निचोड़ कर रख दिया था इसलिये मैं ज्यादा न कहते हुए इतना जरूर कहना चाहेंगे कि 2012-13 का जो बजट है निश्चित रूप से उसमें पूर्ण रूप से संवेदनहीनता दिखाया गया है इसमें दो राय नहीं है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

राज्याधीन लोक सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष किये जाने सम्बन्धी निर्णय की सूचना

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी इजाजत से एक बहुत अहम सूचना देना चाहूंगा सदन को। राज्यधीन लोक सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किये जाने संबंधी निर्णय से माननीय सदन को अवगत कराना है।

प्रतियोगी परीक्षार्थियों द्वारा सतत् यह अनुरोध किया जा रहा था कि राज्याधीन लोकसेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु अधिकतम् आयु सीमा 35 वर्ष को बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया जाय। अधिकतम् आयु सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रकरण माननीय मंत्री समूह को संदर्भित किया गया। ग्रामीण परिवेश में आने वाले प्रतियोगी परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री समूह द्वारा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 18/2/81क-2/12 दिनांक 6 जून, 2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती आयु सीमा तथा संशोधन नियमावली, 2012 प्रख्यापित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य की सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। अधिसूचना दिनांक 6 जून, 2012 के प्राविधान भविष्य में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों पर प्रभावी होंगे अर्थात् उक्त नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व जिन सेवाओं पदों के विज्ञापन प्रकाशित किये जा चुके हैं उन पर प्रश्नगत नियमावली के प्राविधान प्रभावित नहीं होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा की पूर्ववत् छूट रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

एक बहुत सकारात्मक निर्णय लिया गया है, जो स्वागत योग्य है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस सभी के विचारों से अपने आपको जोड़ते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बधाई दूंगा कि प्रदेश ने आज सबसे नौजवान मुख्य मंत्री प्राप्त किया है। एक ओर जो जहां बधाई है वहीं दूसरी ओर चुनौती भी है। एक ओर जहां नौजवानी सकारात्मक कामों को करती है वहीं अगर सही दिशा न हो तो गलत कामों को भी करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस देश के पहले मुख्य मंत्री नहीं हैं जो इस नौजवानी की उम्र में मुख्य मंत्री बने। माननीय ए0के0 एन्टानी केरल के उदाहरण, माननीय शरद पवार, महाराष्ट्र के उदाहरण, वहीं मधु कोडा जी झारखण्ड के उदाहरण, प्रफुल महन्तो जी असम के उदाहरण। मैं प्रदेश का उदाहरण नहीं देना चाहता। आपने देखा होगा कि इन चार नौजवानों में से दो आजकल ऊंचाइयों पर है। एक राजनीति के भयावह जंगल में और एक इस पूरे देश में बदनुमा दाग। इसलिये नौजवानी किस ओर जायेगी, किस दिशा को जायेगी वह स्वयं इसलिये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह समाजवादी पार्टी के हित में नहीं है और न इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी का अहित है यह सम्पूर्ण प्रदेश का हित होगा अगर कोई नौजवान इतनी कम उम्र में राजनीति में आया है और उसने मुख्य मंत्री के पद से अपना काम शुरू किया है। उसे एक बहुत लम्बी राजनीति करनी है। 38 साल की उम्र से अगर अपने पिता की तरह 88 साल तक यह राजनीति जाय तो 50 साल की राजनीति। 50 साल की राजनीति में अगर किसी नौजवान को सही दिशा मिल सके, सही गति मिल सके, सही काम मिल सके तो इस बात की सम्भावना होगी कि आने वाले 50 सालों में, जो सपना माननीय मुलायम सिंह यादव जी देखा करते थे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का उनका पुत्र उसको पूरा कर पायेगा। हम सबके लिये यह गौरव का विषय है लेकिन अध्यक्ष महोदय नौजवानी सिर्फ उम्र से नहीं होती। नौजवानी सोच से होती है। नौजवान का एक जज्बा होता है, नौजवान प्रश्न खड़े करना चाहता है, नौजवान परिस्थितियों से लड़ना चाहता है, नौजवान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असंतुष्टि का भाव व्यक्त करना चाहता है, नौजवान दुनिया को बदलने का सपना देखना चाहता है, नौजवान टकराना चाहता है समस्याओं से और नौजवान खतरे उठाकर समस्याओं को समाधान करना चाहता है। कुछ चलते हैं पदचिन्हों पर, कुछ पदचिन्ह बनाते हैं। नौजवान किसी बनी बनाई लीक पर चलने की जगह अपने रास्ते खुद बनाना चाहता है। हमारे यहां कहा जाता है-**मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है।** इसलिये नौजवान अगर हौसले लेकर प्रदेश को बहाने चले तो हम सबके लिये एक सुखद अनुभूति का बड़ा क्षण होगा राजनीति में हर दल, हर व्यक्ति चाहता है कि वह सत्ता में आये। लेकिन हम इसलिये सत्ता में आना चाहते हैं कि सत्ता में आकर हम प्रदेश की बेहतरी में अपना योगदान कर सकें। हम नहीं कर पाये तो क्या हुआ। **मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिये।** जिसे अवसर मिला है अगर वह बदले तो हम सबके लिये गर्व का विषय होगा और मैंने जब माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभिभाषण खोला और माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट पढ़ा मैं कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहा था मुझे लगता था कि इतने सालों में यह जो परम्परागत बजट कि इतने रुपये फलां विभाग को, इतना रुपया फलां छूट के लिये, यह जो परम्परागत बजट हमारे यहां आता है, हम लोग कम से कम निजी रूप से अपने आप को बहुत असंतुष्ट महसूस करते हैं और मुझे लगता था कि कम से कम नई सोच का नौजवान जिसके बारे में आपको एहसास है कि नहीं है पूरे प्रदेश में जाने अनजाने में बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी कल्पनायें करके बैठे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी समाजशास्त्र का एक सिद्धान्त है। समाज आपके व्यक्तित्व के बारे में जिस प्रकार का मूल्यांकन कर ले, जैसी सोच आपके बारे में बना ले, आने वाले समय में आपका मूल्यांकन उसी बनाई हुई सोच के अन्तर्गत करता है। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कैसे हैं। महत्व इस बात का है कि समाज आपके बारे में कैसा देखता है। और ज्यों ही आप उससे हटते हैं आपका मूल्यांकन घटता है।

आज इस मुख्य मंत्री के बारे में लोगों के मन में जो एक कल्पना है कि शायद इस प्रदेश को एक नई दिशा मिलने वाली है। शायद जो परम्परागत राजनीति आपस की दकियानूसी घटिया राजनीति इस प्रदेश का दुर्भाग्य बन चुकी है और वह प्रदेश जो पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जो स्वतंत्र होता तो शायद दुनिया का छठवां या सातवां सबसे बड़ा देश होता आज आर्थिक विकास के पैमाने पर अगर 14 सबसे बड़े प्रदेशों में 13वें स्थान पर है तो अगर हमें कोई नया मुख्य मंत्री मिला है, तो शायद यह विकास की ऊंचाईयों को धीरे-धीरे चढ़ाते हुए प्रदेश को सचमुच ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के मन में पीड़ा होनी चाहिये, इस बात की पीड़ा होनी चाहिये कि ऐसी कौन सी बेसिक शिक्षा हम अपने प्रदेश के नागरिकों को दे रहे हैं जहां गुणवत्ता नाम की चीज नहीं है। असर कमेटी की रिपोर्ट आई है 2012 की रिपोर्ट आई है उसको पढ़कर देखिये कक्षा पांच के बच्चों की जानकारी कक्षा-एक के बराबर नहीं है। कक्षा आठ के बच्चों की जानकारी कक्षा-तीन के बराबर नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह एक निष्पक्ष रिपोर्ट कह रही है, जिसने पूरे प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का अध्ययन किया। यह प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री के दिल में खड़ा होना चाहिये कि इतना पैसा हम देते चले जा रहे हैं, आखिर कौन से कारण है, भवन पर भवन बनते चले जा रहे हैं सुविधायें देते चले जा रहे हैं इसके बावजूद भी जिस शिक्षा को हम जड़ कहते हैं, और उस जड़ पर जो मट्ठा डालने का काम करते हैं हम उनके ऊपर कुठाराघात नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रश्न मुख्य मंत्री जी के दिल में खड़ा होना चाहिये कि क्या कारण है कि माध्यमिक शिक्षा से निकले नौजवान के चेहरे पर कोई तेज नहीं होता, उसके कोई सपने नहीं होते, उसके अन्दर

कोई आत्मविश्वास नहीं होता है कि मैं माध्यमिक विद्यालय से निकलकर जा रहा हूं नौकरी मिले या न मिले मैं अपने रोजगार की व्यवस्था स्वयं कर लूंगा। आज की शिक्षा पद्धति अगर आत्मविश्वास से भरे नौजवान का निर्माण नहीं कर पा रही है और नौजवान मुख्य मंत्री अगर इस बात का सपना नहीं देखेगा तो सपना देखेगा कौन ? आज उच्च शिक्षा की जो स्थिति है। उच्च शोधों के लिये इन उच्च विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है और आप अच्छी तरह जानते हैं आप इससे सहमत होंगे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे, विश्वविद्यालयों में शोध के सिवाय और सब कार्य हो रहे हैं। यह प्रश्न खड़ा होना चाहिये मुख्य मंत्री के मन में। मान्यवर, गर्भवती महिलायें 52 प्रतिशत गर्भवती महिलायें ऐसी होती हैं जो खून की कमी लेकर अपने बच्चों को पैदा करने का काम करती हैं। मैं स्वयं डाक्टर हूं और मैंने तीन-तीन चार-चार परसेन्ट हीमोग्लोबिन की माताओं को बच्चा जनते देखा है। यह प्रश्न खड़ा होना चाहिये मा0 मुख्य मंत्री जी के मन में, कौन सा कारण है, उस दिन चर्चा हो रही थी, बालबाड़ी विकास योजनाओं की चर्चा हो रही थी सिर्फ 22 परसेंट बच्चों का टीकाकरण होता है। कौन सा कारण है कि एक से तीन साल के बच्चों में कुपोषण की दर 52 परसेन्ट बढ़ती चली गई और कौन सा कारण है कि आज छोटे से बच्चों में खून की दर पिछले सालों में अगर 47 परसेन्ट थी वह बढ़कर 53 परसेन्ट हो गई है। यह सवाल भी उठना चाहिये मा0 मुख्य मंत्री के मन में, क्योंकि जब तक यह सवाल नहीं खड़े होंगे, जब तक इन सवालों का चिन्तन नहीं करेंगे और जब तक इन सवालों का समाधान नहीं करेंगे।

आज की बात नहीं है, आज से 10-15 साल बाद नौजवान कहेगा कि बड़ी आशा और विश्वास के साथ हमने एक नौजवान मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव को बनाया था हमने सोचा था कि आने वाले बीस साल के अन्दर, क्योंकि यह एक दिन में होने वाला काम नहीं है, एक साल के बजट में होने वाला काम नहीं है एक पंचवर्षीय काम नहीं है एक लम्बी राजनीति करने वाले के लिये आज से बीस साल बाद यह प्रश्न खड़ा होने वाला है क्या किया तुमने इन बीस सालों में, तुमने भी हम पर कुठाराघात करके वही राजनीति की, जो इस देश और प्रदेश का भाग्य बन चुकी है। एक प्रश्न खड़ा होगा हम बार-बार चर्चा करते हैं गन्ना मूल्य की, मान्यवर, दो मिनट का समय देंगे, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जानबूझ कर अपनी बात नहीं रखी थी। हम धान की चर्चा करते हैं, गेहूं की चर्चा करते हैं, गन्ना की चर्चा करते हैं कौन से वह किसान हैं जो अपना धान, गेहूं, गन्ना बेचने आते हैं, मैं तो शहर का विधायक हूं, आप गांव से आते हैं, लेकिन मान्यवर, सच्चाई यही है कि 100 में से 80 किसान ऐसे होते हैं जिनके पास अलाभकारी जोतें होती हैं जो बेचना तो दूर है अपने पेट भरने की कमायी, अपने लिये नहीं कर पाते हैं। हम चर्चा करते हैं उन 20 परसेंट किसानों की, हम उन 80 परसेन्ट लोगों के लिये योजनायें बनायें उनकी अलाभकारी जोतों को हम कैसे लाभकारी बनायें कौन से वह क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकें, जिससे उन गरीबों के अनुत्पादक खेतों को हम उत्पादकता खेतों में बदल सकें। यह सवाल मा0 मुख्य मंत्री के बजट में दीखना चाहिये। यह प्रश्न पैदा होना चाहिये कि वह उत्तर प्रदेश जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना पैदा करता है 44 प्रतिशत गन्ना हम पैदा करते हैं और सिर्फ 28 परसेन्ट चीनी पैदा करते हैं। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ रहा था मुझे बहुत खुशी हुई राज्यपाल के अभिभाषण में था कि चीनी का पड़ता बढ़ाया जायेगा। मैं बहुत आशान्वित था कि जब बजट के पन्ने पलटे जायेंगे तो किस प्रकार से रिकवरी रेट बढ़ाने के लिये कोई विशेष योजना लेकर सरकार हमारे बीच में आयेगी। लेकिन मैं बहुत दुखी हुआ इस बात से आज हमारा नौजवान, जब अंग्रेज इस देश में होते थे। जब अंग्रेज इस देश में हुआ करते थे तो उत्तर प्रदेश

और विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश का नौजवान फिजी जाता था, गुआना जाता था, मारीशस जाता था, विदेशों में जा करके मजदूरों की तरह भटका करता था। अंग्रेजों ने जो किया वह समझ में आता है लेकिन आजादी के बाद इन 60 सालों में उत्तर प्रदेश में यही होता रहा, हमारा नौजवान लुथियाना जाता था, पंजाब जाता है, सूरत जाता है, गुजरात जाता है, मुम्बई जाता है, चेन्नई जाता है और अपमानित होता है। क्या उसे शौक है ? मजबूर किया जाता है, उसे क्योंकि हम उसे रोजगार नहीं दे पाते, क्योंकि हम उसे उद्योग की परिस्थितियां नहीं दे पाते, क्योंकि हम उसको काम नहीं दे पाते और इसलिये अध्यक्ष महोदय, जब एक नौजवान का बजट मेरे पास सारे आंकड़े हैं, मैं बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश देश के विकास में कितना पीछे है, सारे के सारे मापदण्ड किसी भी आधार पर देख डालियेगा प्रति-प्रति आय का आंकड़ा अधिष्ठाता महोदय, आपको बता दिया जाय, आज स्थिति यह है कि आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 23 हजार रुपये है, जबकि देश की औसत व्यक्ति आय 46 हजार रुपये है। एक भारत के नागरिक को एक उत्तर प्रदेश के नागरिक के बीच में अगर 50 प्रतिशत का अन्तर है तो हम इस बजट से उम्मीद करते हैं कि ऐसी योजनाएं बन करके आयेंगी जो इस अन्तर को पाटने का काम करेगी, आय को बढ़ाने का काम करेगी, रोजगार देने का काम करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अधिष्ठाता महोदय, मैं समाप्त ही करने जा रहा हूं लेकिन मैंने इस बजट को पलट करके देखा है, सिर्फ 4 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था की गई है, इसलिये मैं यह कहने को बाध्य हूं कि सम्भवतः यह नौजवान मुख्य मंत्री का बजट नहीं है। यह वह बजट है जो अधिकारियों ने बनाया है क्योंकि बजट बनने में समय लगता है, अपनी सोच को डालने में समय लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जब अगला बजट लायेंगे तो जिन लक्ष्यों की हम बात करते हैं, टारगेट की बात करते हैं, जिन समस्याओं के जमीनी समाधान की बात करते हैं, यह एक दिन में होने वाला काम नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री देश के सर्वोत्तम अर्थशास्त्रियों की मदद लेंगे, देश के सर्वोत्तम कृषिशास्त्रियों की मदद लेंगे और प्रदेश की आर्थिक समस्याओं और जन समास्याओं का समाधान करने का काम करेंगे और अगले साल एक ऐसा बजट देंगे और इसी सदन में हम गर्व के साथ जिसे हम माननीय अखिलेश यादव का बजट कह सकें, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

अब माननीय सत्यवीर सिंह मुन्ना जी, श्री राम करन आर्य जी, श्री मदन चौहान जी, जियाउद्दीन रिजवी जी।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने बजट भाषण पर हमको बोलने का मौका दिया। बजट भाषण और इसके पहले राज्यपाल का अभिभाषण जो हुआ, यह सरकार का काम करने का जो भी तरीका था और उसको हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने रखा। मुझे दुख हुआ जब नेता प्रतिपक्ष और उनके दल के लोग माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का और माननीय मुख्य मंत्री के बजट भाषण का बहिष्कार किया। थोड़ा सुनने की आदत भी होनी चाहिये, सार्थक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आलोचना जो होती है, उसका निश्चित रूप से सरकार भी संज्ञान लेती है और सुधार भी किया जाता है। मगर लकीर का फकीर बन करके अगर रोज विरोध ही किया जाए, यह लोकतंत्र के लिये ठीक नहीं है। यह इसलिये भाग रहे थे क्योंकि अपने पांच साल के किये हुए कार्यों को यह नहीं सह रहे थे कि नई सरकार जिसको आज पूरे प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया और उससे अपेक्षायें हैं और सरकार ने भी जो बजट बनाया है। वह इसी जनता के अनुरूप पूरा बजट है और इस बजट को जब प्रदेश की जनता ने देखा और दूसरे दिन समाचार-पत्रों में पढ़ा तो हर वर्ग के लोगों ने इसकी सराहना की। हर वर्ग के लोगों ने जब सराहना की तो विपक्ष के सबसे बड़े दल को अच्छा नहीं लगा। कल हमारे नेता प्रतिपक्ष अपनी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे हम लोग भी उनको सुन रहे थे। वह कह रहे थे जब हम लोग वहां रहते हैं तो जनता के गुस्से का अंदाजा नहीं लगता। और जनता में कितना गुस्सा था। आपके सारे कैडर आपकी पार्टी के कोआर्डिनेटर पूरे जिले और थाने को चला रहे थे और जिला हेड क्वार्टर बसपा के कार्यालय बन गये थे। किसी आदमी का सम्मान सुरक्षित नहीं था। हम एक दिन बलिया जा रहे थे। रास्ते में एक जगह कई मोटर साइकिलें खड़ी थीं हमारी गाड़ी को देखकर के उन्होंने रोका और कहा कि दरोगा जाति पूछ रहा है और जाति के नाम पर गाड़ियां चलान हो रही हैं। जब मैं थाने में गया तो देखा कि इनकी पार्टी का एक कोआर्डिनेटर दरोगा के टेबिल पर जूता पहने हुए बैठा था और दरोगा आगे बैठा था और वहां प्रधानाचार्य से लेकर जिला पंचायत का मेम्बर खड़े थे और इतनी भी तमीज उस आदमी को नहीं थी कि दरोगा सामने बैठा हुआ है और उसकी टेबिल पर जूता रखे हैं। यह हाल था मान्यवर, इनके कार्यकाल में कोई ऐसी योजना नहीं चलाई गई जिससे आम जनता को राहत मिले। जो दवायें दी जा रही थीं वह एक्सपायरी डेट की दवायें थी। मैं एक दिन अपने क्षेत्र के गांव में एक मरीज को देखने चला गया तो जब हमने उसकी दवा देखी तो वह एक साल पहले की एक्सपायरी थी। हमने पूछा कि यह कहां से लाये हो तो कहा कि हम खेजरी अस्पताल से लाये हैं। हमने कहा कि यह तुम्हारी जान ले लेगी। उसने कहा कि इसी को मैं खा रहा हूं। बुखार आ रहा है और रोज बढ़ता जा रहा है। इनकी सरकार जनता को दवायें दे रही थी वह भी एक्सपायरी डेट की दवायें दे रही थी और गरीबों को मारने का काम कर रही थी। जो इन्होंने गांव में एक बक्शा भेजा उस पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लिखा था।

जब हमने देखा तो उससे पूछा कि इसमें कौन डाक्टर है। हमको एक ने बताया कि हमको बुखार हुआ था जब हम दवा लेने गये तो हमको मलेरिया पकड़ लिया। उल्टे रोग बढ़ गया। उमसें न कोई डाक्टर था बस एक कर्मचारी बैठा रहता था और उसको शुगर नापना भी नहीं आता था केवल नारों से पांच साल तक इस प्रदेश को चलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा सर्वजन सुखाय हुआ। आपने सर्वजन को दुखाय दिया और बहुजन को सुखाय दिया है। यही कारण है कि आपकी जितनी पालिसी थी वह फेल हो गई। आपने सारा पैसा हाथी और हाथी पार्क बनाने में लगाया है। आम जनता के लिये ग्रामीण के लिये किसान के लिये विद्यार्थी के लिये, अल्पसंख्यक समाज के लिये यहां तक कि दलित समाज के लिये कोई ऐसा काम नहीं किया गया जो गांव के अन्दर दिखाई दें। हम आज भी मलिन बस्तियों में, दलित की बस्तियों में जाते हैं एक भी आवास हमको नहीं दिखाई दिया कि किसी गांव में एक कालोनी बनाई जाये। इन्होंने नगरी विकास में कालोनी बनाई है हमने देखा है। उनकी इमारतों की यह हालत है कि आज गिरना शुरू हो गई है और गिर रही है। गांव में किसी दलित का भला नहीं हुआ। कौन सा दलित लखनऊ आएगा और हाथी पार्क में जाएगा। पत्थर की मूर्ति देखेगा और इससे क्या उसे लाभ मिलेगा, कोई योजना नहीं बनाई गई और इसलिये इनके पास कहने

के लिये कोई कार्यक्रम अब बचा ही नहीं अब केवल हमारे नेता प्रतिपक्ष को एक कानून-व्यवस्था दिखाई दी और रोज यह सोंच रहे हैं कि पिछली बार भी हमने बहुत हल्ला किया तो हम सरकार में आ गये, जनता में गुस्सा आ गया, कानून-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और इनके पार्टी में एक तरफ तो हम लोग जब बचपन में जाते थे कुत्ता पालना होता था तो हम लोग देखते थे, जब कुत्ते का कान पकड़ कर उठाते थे तो कौन कूं-कूं करता था और जो कूं-कूं करता था उसको पाल लिया जाता था और जो नहीं बोलता था, उसको भगा दिया जाता था। तो इनकी पार्टी में देखा गया कि कौन आदमी तेज बोलता है सरकार पर हमला करता है, उसको इन्होंने बना दिया कि एक ही प्वाइण्ट रोज रटो, अखबार की सूचनाएं लो, इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं न कहीं कुछ घटनायें होंगी और घटनाओं को रोकने का उपाय भी सरकार कर रही है, सरकार की मंशा भी साफ है, काम भी हो रहे हैं। मगर रोज एक ही अलाप किया जाता है, कानून, व्यवस्था खराब, आपके राज में कौन सी कानून व्यवस्था सही थी। हमारे बलिया जनपद में सात व्यापारियों की हत्यायें हुई हैं जो अपनी वसूली कर के जाता था तहसील रोड से, जो रसड़ा से, जो कहीं दूसरी जगह से तो उसकी हत्या कर दी जाती थी, कितनी डकैतियां, चोरियां, हत्यायें, बलात्कार आपके समय में कितने हुए यह सही है बढ़ा, आंकड़ा मंगा लीजिये, देख लीजिये सरकार चाहती है अंकुश लगे। सरकार बदली है, हमको मानने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि कानून व्यवस्था अभी नहीं बदली, व्यवस्था बदलने में हमको समय लगेगा, क्योंकि अभी वही अधिकारी है जो आज वहां बैठ गये हैं, इधर का उधर उसी में जा रहे हैं, मानसिकता तो उनकी वही है, अब उसको सही करने में हमारे मुख्य मंत्री जी को और हमारी सरकार को थोड़ा समय कम से कम छः महीने का समय आप लोग दीजिये, मा0 डाक्टर साहब सही हो जायेगा छः महीने में हमारे युवा मुख्य मंत्री हमारी सरकार के हमारे नेता मा0 शिवपाल जी को, माननीय आजम खां साहब को और अपने मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतने दिन के अन्दर सारे घोटाले पकड़ा है, जहां सी0एम0ओ0 की तीन-तीन हत्यायें हुई, जहां आम जनता का जीना दूभर हो गया। समाज के एक वर्ग को छोड़ दिया जाय, समाज के सारे वर्ग का अपमान हुआ था पिछली सरकार में, वह अपने आपको अपमानित महसूस करता था, कहीं भी उसका काम नहीं होता था। यहां सारे चक्की-चौराहे यह सचिवालय के गलियारे इस बात की गवाही देते हैं कि उस समय एक भी आदमी नहीं आता था क्योंकि उसका काम नहीं होता था, सारे दुकानदार रो रहे थे आज हरियाली आ गई है लखनऊ के अन्दर। वहीं कानून व्यवस्था जहां हमारे कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ हमला करते थे तो आपका डी0आई0जी0 हजरतगंज चौराहे पर उनको [x x x] है, उसकी तस्वीरें छपती हैं यह कानून व्यवस्था है। आपकी पुलिस हमारे सपा कार्यालय पर गोलियां चलाई, हमारे आदरणीय नेता उस वक्त जनेश्वर मिश्रा थे, हमारे कर्मकर्ता उबाल में आ गये थे उन्होंने रोका और रोका ही नहीं जनेश्वर मिश्रा स्वर्गीय हो गये, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पीछे हाथ में रुमाल बंधवा दिया, कहा कोई हाथ नहीं उठेगा, लोगों के हाथ पीछे रुमाल में बंधवाया और हम लोगों ने मार्च किया और उसके बाद हम लोग मा0 राज्यपाल जी के दरवाजे तक गये, यह भी हालत थी, कार्यालय पर गोली चलाई गई और आज वह लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कोई विकास कार्य नहीं हुआ, हैण्डपम्प के बारे में यह अध्यादेश जारी हुआ था कि कोई विपक्ष का एम0एल0ए0 चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, उसको हैण्डपम्प नहीं दिया जाता था, दिया जाता था किसको सत्ताधारी पक्ष के विधायकों को, इतना भेद-भाव। यहां प्रमोद तिवारी कहते हैं सारे विधायकों को एक जानों और पिछली सरकार में मा0 मुलायम सिंह

नोट :-[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

यादव जी ने पांच किमी0 सड़क दिया और चार-चार गांव विद्युतीकरण के लिये दिया और सारी योजनायें और सारे एम0एल0ए0 का सम्मान, हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं।

कहीं न कहीं बसपा इस लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है और कहते हैं तानाशाही सरकार आज कायम है। मान्यवर, अभी एक पूर्व मंत्री ने बयान दे दिया हमारे नेता मा0 आजम खां साहब के खिलाफ, जौहर विश्वविद्यालय चन्दा उगाही करके बनाया गया है। मैं कहना चाहता हूं आजम खां पर आरोप लगाने वाला आदमी [x x x] वह आदमी जिसकी जिन्दगी फकीरी की है और फकीरी से एक-एक रुपया मांग कर जैसे सर सैय्यद अहमद खां ने मुस्लिम विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय ने बनारस यूनिवर्सिटी को बनाया था, उसी तरीके से मो0 आजम खां ने एक-एक रुपया चन्दा गरीब से ले करके जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया है और मंत्री इतना आवेश में है कि पैसा लिया गया है, चन्दा ले करके बनवाया जा रहा है क्यों नहीं आपने अपनी सरकार में दे दिया।

श्री अधिष्ठाता-

रिजवी साहब हो गया आपका।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे समाज कल्याण के पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यकों के लिये जितने धन की व्यवस्था की गयी है, उतना पिछली सरकार ने नहीं किया। दुग्ध समितियां इनकी सरकार में निष्क्रिय हो गयी थीं। हर जिले में उसको सक्रिय करने के लिये आज उपाय किये जा रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण में 2074.11 करोड़ का बजट इस बार 81 परसेन्ट बढ़ा करके दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मुस्लिम लड़कियों के लिये, गांव की लड़कियों के लिये विशेष राहत योजना बनायी गयी है। मैं बधायी देना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी को डा0 लोहिया जी के नाम पर आवासीय योजना चलेगी और जनेश्वर मिश्रा जी जो हमारे स्वर्गीय नेता रहे हैं। समाजवादी उनके नाम पर भी योजनायें गांवों में हमारी सरकार शुरू करने जा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत पैसा दिया है। प्राविधिक शिक्षा हो, चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो उसको आगे बढ़ाने का पूरा ख्याल किया जा रहा है। हम चिकित्सा मंत्री जी को बधायी देना चाहते हैं कि उन्होंने सभी जिला मुख्यालयों पर सीटी स्कैन, एम0आर0आई0 मशीन जहां अब तक नहीं पहुंची थी, उसको भेजने का काम करने का काम किया है। डा0 लोहिया के नाम पर नलकूप योजना और तमाम योजनायें चालू करने का काम किया है इसलिये हमारी लोकप्रियता से घबरा करके आज बहुजन समाज पार्टी के लोग आज वाक आउट कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

रिजवी जी, अब समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

हमारे मुख्य मंत्री जी का अभिभाषण सुनना नहीं चाहते हैं। अभी शंका है कि जब हमारे मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अपनी बात तो सुना दी इन्होंने, ये भागते हैं बहुत तेज और भागने के बाद कोई बात नहीं करते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 रिजवी साहब, अब आपकी सब बात आ गयी।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मैं कहना चाहता हूं कि जो इसकी आलोचना हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है। हमारी सरकार सभी वर्गों की रक्षा करने के लिये सक्षम है, कर रही है। इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विवेक कुमार सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, उस क्षेत्र में कहावत है कि ''गगरिया न टूटे खसम मरि जाय''। पानी के लिये बेहाल क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं यहां पर। हमारे साथी बैठे हुए हैं यहां पर। दो बातें कहना चाहूंगा कि मैं युवा मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को बधाई दे दूं कि बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने बजट को पेश किया। लेकिन इस बजट में पता नहीं कुछ अन्दर से अण्डर स्टेन्डिंग हो गयी है पक्ष और विपक्ष में कि बातों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। जरा ये बताने का प्रयत्न करना चाहिए था इस बजट में। 5 सालों के अन्दर प्रदेश में जितना कर्ज लिया गया कि 20 करोड़ जनता में से न जाने कितने लोग कर्जदार हो चुके हैं। हम रोज पढ़ते हैं कि इतने का घोटाला हुआ। मुख्य मंत्री जी ने बड़े शौक से यहां कहा कि 25000 करोड़ रुपये का घोटाला केवल एम0ओ0यू0 साइन करने में हुआ है बिजली विभाग में। बेईमानी सरकार व अधिकारी करें और इनकी बेईमानी की सजा जनता भुगते। जिन्होंने बेईमानी की है वे एसी में बैठ के, लाल बत्ती लगा करके घूम रहे हैं। क्यों नहीं अब तक बंद किया गया उनको। इसीलिये पूरे बुन्देलखण्ड में त्राहि-त्राहि मची हुयी है, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। दावा होता है कि 18 घण्टे बिजली देंगे लेकिन 10 घण्टे भी बिजली नहीं मिलती। जबकि बुन्देलखण्ड के अन्दर यह प्राविधान है कि विशेष परिस्थितियों में ही बुन्देलखण्ड में बिजली काटी जायेगी। शासनादेश है कैबिनेट का डिसीजन है या तो कैबिनेट का डिसीजन बदल दीजिये। अन्यथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आपको बिजली कटौती करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल आपात स्थिति में कटौती की जाती है। इस बार सारी बातें छप गईं, रोज अखबारों की सुर्खियों में छपा रहता है कि इतने का घोटाला पकड़ा गया, इतने घोटाले पकड़े गये। इस पूरे बजट में इस बात को क्यों नहीं प्राविधान किया गया कि लोकायुक्त को मजबूत किया जाएगा। लोकायुक्त को पुलिस अब तक दे देनी चाहिए थी, इतना भाषण हो रहा है, इतनी तेजी के साथ भाषण हो रहा है, यह सब बन्द हो जाता। क्यों घूम रहे हैं, इधर-उधर छापा मारते हुए। केवल बांदा में ही ले लीजिए, भारत सरकार के ट्रैक्टर परिवारों के नाम दे दिये गये। जमीनों की हालत यह है कि वहां पर एक बीसवां जमीन मिलना मुश्किल है। सारी मंत्री और मंत्रियों के परिवारों के नाम जमीन है, तत्कालीन सरकार के। क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, क्यों नहीं वे जेल में सीखचों में जा रहे हैं। मैं तो उस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां बी0एस0पी0 की हार हुई और दावा किस बात का करते हैं। अरबों रुपया दिया गया और सड़कें ध्वस्त हैं। पुल बनते हुए हमने देखे हैं लेकिन बने हुए पुल तेरहवें दिन गिर जाए, यह भी हमने देखा है, आपने भी देखा है। सड़कों की हालत यह है कि अगर सड़क से कोई गर्भवती महिला गुजर रही हो और बच्चा ठीक से न हो रहा हो, उसे सड़क में घुमा दीजिये डिलेवरी हो जोयगी। एक सड़क 5 साल में 4 बार बनती है और चारों बार उखड़ जाती है। ठेकेदारी किसने की है, यह छात्र सभा किसकी है। आपके प्रमुख सचिव से लेकर आपके मंत्रियों की है। इनके नाम

प्रकाशित किये जाने चाहिए इनको जेल के अन्दर किया जाना चाहिए। सदन के विधायक बांदा में जाकर सड़क देख लें।

(सत्ता पक्ष से बोला गया कि छात्र सभा नहीं वह छात्र शक्ति है।)

चलिए छात्र सभा नहीं है छात्र शक्ति है, भूल गया। इनको बन्द होना चाहिए।

श्री उमाशंकर-

क्या यह बजट में है, जो बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 उमाशंकर जी आप बैठ जाइए।

(दोनों सदस्यों के बातचीत करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग आपस में बातचीत न करें, कृपया शांति बनाये रखें।

श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में हर एक दिन, दो दिन में मौतें हो रही हैं, लेकिन अभी तक वहां पर हमारे किसी मंत्री ने पहुंचने का जोखिम नहीं उठाया है। मान्यवर, यह भगवान राम की कर्मभूमि है। नवाब बांदा जो स्वतंत्रता संग्राम के एक योद्धा थे, 1857 के एक नायक थे। एक राखी पर जिन्होंने अपनी गद्दी की तिलांजलि दे दी यह वह क्षेत्र है। वहां का अभिशाप मत लीजियेगा। वहां का अभिशाप लिया है तो आज यहां पर इस तादाद में बैठे हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह पंचम तल, जिस मुख्य मंत्री के साथ चौक के साथ लग जाता है, उस मुख्य मंत्री को खा जाता है और जो मुख्य मंत्री इस पंचम तल के तंत्र से उभर कर सामने आता है वह सामने आ जाता है। युवा मुख्य मंत्री हैं, मैं श्री अग्रवाल साहब की बातों का समर्थन करता हूं कि एक सोच है अखिलेश जी में मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वह कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस नौकरशाही के तंत्र से बाहर निकले और जनता की वास्तविकताओं को देखें। बात को छुपाये मत कि किसने क्या किया है ? आज एक चर्चा है कि क्या पक्ष और विपक्ष पूर्ववर्ती सरकार के बीच में कोई सांठ-गांठ हो गई इसलिए ''न तू मेरी कह, न मैं तेरी कहूं'' इस रास्ते पर हम चल रहे हैं। मान्यवर, इसको देखना होगा कि अरबों रुपये नहरों के लिए दिये जाने के बावजूद बुन्देलखण्ड में पानी नहीं है। रोज कागज पर नहर खुदती है और ठेके दिये जाते हैं करोड़ों रुपये के और वह नहर ध्वस्त पड़ी हुई है और यह आरोप लगा दिया जाता है कि मध्य प्रदेश हमको पानी नहीं दे रहा है, लेकिन हालत यह है कि करीब 34 क्यूसिक पानी हमको मिलना चाहिए मध्य प्रदेश से और 17 क्यूसिक पानी उठाने की क्षमता ही हमारे सहारे की ऊपर नहीं है। यह एक बड़ी विषम स्थिति है और मान्यवर, जिस तरीके से अवैध खनन हुआ है बुन्देलखण्ड के अन्दर नदी की धारा मोड़ दी गयी फाकलैण्ड मशीन के द्वारा, पूरा का पूरा वातावरण ध्वस्त कर दिया गया है। ऊपर से पहाड़ टूट गये हैं, अब नीचे से पहाड़ खोदे जा रहे हैं। खुलेआम बस्ती पर बारूद बिछाकर विस्फोट किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड में अगर यह स्थिति बरकरार रही तो आने वाले दिनों में वहां पर आपको टैंकर से और ट्रेनों से पानी पहुंचाना पड़ेगा वरना वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। इस खनन कार्य को माननीय मुख्य मंत्री जी बन्द करायें और ये क्या पोन्टी चड्ढा का भूत अब भी सिर चढ़कर बोलेगा। इस बात पर विशेष ध्यान दीजियेगा, हमारे युवा मुख्य मंत्री की बड़ी बदनामी हो रही है। बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं, मुख्य मंत्री जी यहां पर होते तो निश्चित रूप से इस बात को अहसास करते कि बदनामी हो रही है। जैसे शराब पर

बोले थे माननीय मुख्य मंत्री जी, इलाज की दवा सस्ती मिलेगी लेकिन जरा देखिये दवा के क्या हाल हैं। जो-जो आप बोले हैं उसका उल्टा हो रहा है। वही तंत्र इस तंत्र पर भी हावी हो रहा है। इसको रोकना होगा अन्यथा हमारे युवा मुख्य मंत्री की छवि खराब हुयी तो निश्चित रूप से जनता माफ नहीं करेगी इसलिये कि बड़ी आशा के साथ मैं उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मुख्य मंत्री बनाया है और आशा की है कि शायद यह युवा मुख्य मंत्री प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार का सफाया करेगा अगर इस पर भी हम फेल हो गये तो निश्चित रूप से प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, युवा शक्ति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा मैं इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि आपकी लाल बत्ती जल चुकी है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

*श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि नवनियुक्त मुख्य मंत्री ने कहा है कि अभी लखनऊ में एक 5 लाख लीटर दूध का प्लांट लगेगा और उसके लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है लेकिन यह 5 लाख लीटर दूध आयेगा कहां से ? आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अन्दर 70 प्रतिशत सेन्थेटिक दूध बनाया जा रहा है। मान्यवर, किसान के पास दो श्रोत होते हैं, पहला श्रोत होता है उसकी जमीन धरती माता, जिस पर वह हल चलाकर के अपने परिवार का पालन पोषण करता है और पूरे भारतवर्ष को अनाज, चीनी, दाल, सब्जी देने का काम करता है और दूसरा उसका श्रोत होता है गाय का दुधारू पशु। माननीय मुख्य मंत्री साहब ने कई हजार लाख का बजट तो पेश कर दिया लेकिन असलियत में जो दूध है उस पर कुछ भी नहीं कहा। जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा झुनझुना तो किसान के हाथ में झुनझुना भी नहीं रहा। हवा हवा हो गयी। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि दूध एक ऐसी वस्तु है यह चीज नहीं, यह अमृत है। जब डाक्टर के पास बच्चे को लेकर जाते हैं तो डाक्टर कहता है कि अगर इसको मां का दूध पूरा नहीं पड़ रहा तो इसको गाय का दूध पिलाओ, पर गाय का दूध आये कहां से। गाय खत्म होती जा रही हैं। दुधारू पशु खत्म होता जा रहा। किसान को कोई लोन नहीं मिलता। पूंजीपति आता है अपनी दो-तीन फाइल लेकर के और 100 करोड़, 500 करोड़ रुपया, हजार करोड़ रुपया मैनेजर से मिलकर, नेताओं से मिलकर, मंत्रियों से मिलकर चाहे सरकार कोई भी हो, वह अपना लोन पास करा लेता है। पर किसान के बेटे को दो भैंस के लिये लोन कराने के लिये बैंक के कम से कम 50 चक्कर काटने पड़ते हैं। लोन देने वाला मैनेजर और नीचे से दलाली करने वाला ऊपर तक उसका आधा पैसा डकार जाता है। दो की जगह एक भैंस ही उसको मिल पाती है। पर दूध कहां से आयेगा, इस पर तो चर्चा होनी चाहिये। मान्यवर, दूध एक अमृत है और वह अमृत पूरे भारतवर्ष से गायब हो रहा है। पहले कहते थे कि भारत में दूध की नदियां बहती थीं, लेकिन अब नदियां तो छोड़ दीजिये, जल भी नहीं रहा, दूध तो बहुत बड़ी बात है। मैं मान्यवर, आलोचना नहीं करना चाहता। दूध एक ऐसा विषय है कि इस पर विशेष रूप से चर्चा होनी चाहिए और मैं कहना चाहता हूं सामने बैठे मंत्री जी से कि 20 करोड़ रुपये से कुछ होने वाला नहीं है अगर आपको यह पांच लाख लीटर का प्लाण्ट लगाना है तो उसके लिए कम से कम 540 करोड़ रुपये के दुधारू पशु आपको चाहिए। मुझे मालूम है कि यहां 60, 70, 80

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिशत किसान के बेटे बैठे हैं मान्यवर, अगर एक भैंस लेने के लिए जाएं तो 80-85 हजार रुपये से कम में भैंस नहीं आती और 40-50 हजार रुपये से कम में गाय नहीं आती। मेरा नवयुवक मुख्य मंत्री जी से कहना है कि कम से कम किसान के लिए ऐसी सुविधा हो जैसे कि अभी उद्योग के लिए बात हो रही थी तो यदि पशुपालन का उद्योगीकरण हो जाए तो यह उद्योग तो बिल्कुल प्रदूषण फैलाता ही नहीं है। यह तो प्रदूषण को रोकता है, हमारी माताएं बहनें गाय के गोबर से जब घर को लीपती हैं तो आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह 20 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है यह तो किसान के साथ धोखा और छलावा है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसान की दुर्घटना हो जाने पर मिलने वाली राशि को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि एक किसान है और उसके खाते में जमीन चढ़ी हुई है, हमारे यहां परम्परा है कि बाप के रहते बेटे के नाम जमीन नहीं चढ़ती, बिटिया के नाम जमीन नहीं चढ़ती, उसके पोते के नाम जमीन नहीं चढ़ती और जिनके नाम जमीन नहीं चढ़ी है यदि उनमें से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि खाता-खतौनी में उसका नाम नहीं है जबकि वह उसी किसान का बेटा, बेटी या बहू है, जिसके नाम खेती है। उसको क्यों नहीं लाभ मिल पाता, मान्यवर, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, किसी किसान परिवार के साथ हो सकती है। मान्यवर, हमारे परिवार में 20 आदमी हैं और जमीन हमारे बाबा के नाम है क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं कहती कि बाबा के रहते हुए पोते के नाम जमीन आ जाएगी। जब उसका अन्तिम संस्कार हो जाएगा उसके बाद सबके नाम जमीन चढ़ती है इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नवयुवक मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए या डूबने से किसी बालिग बहू-बेटी की मृत्यु हो जाए तो हमने यदि जिलाधिकारी को फोन किया तो जिलाधिकारी कहते हैं कि इसका तो खाता-खतौनी में नाम ही नहीं है। मान्यवर, खाता-खतौनी में उसका नाम भले ही नहीं है लेकिन वह भी किसान की बेटी, बेटा, बहू है उसे भी लाभ मिलना चाहिए यह बिल्कुल सत्य है, इस पर विचार भी होना चाहिए और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा प्वाइन्ट और है, हमारा जिला बागपत है, हमारा विधान सभा क्षेत्र बड़ौत है। बड़ौत से 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर के क्षेत्र पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। जो दो सौ, पांच सौ रुपये प्रति गज की जमीन थी आज उस जमीन को भू-माफिया पांच, छः, दस हजार रुपये प्रति गज में बेच रहा है, इससे राजस्व की बहुत बड़ी हानि हो रही है। मेरा कहने का मतलब है कि अवैध रूप से भू-माफिया जो कालोनी काट रहा है उससे देश और प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भोले-भाले किसान, मजदूर, गरीब को पटा करके दलाल और भू-माफिया ले जाते हैं और सब्जबाग दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, यह हकीकत है राजनीतिक मामला नहीं है, भोले-भाले लोगों को 50-50, 100-100, 200-200 गज के प्लाट दे दिये जाते हैं और वहां 10-15 साल तक लाइट नहीं आती इस प्रकार से वह झुग्गी और झोपड़ी से भी बद्तर हालत में रहता है। परम आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर विशेष रूप से गौर किया जाए। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे विशाल प्रदेश है इस विशाल प्रदेश के बजट चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं। सबसे पहले यह बजट उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक नई उम्मीद ले करके आया है और जनता ने जो विश्वास और समर्थन सरकार को दिया है और नई उम्मीद के साथ दिया है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जनता के उस उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास अपने इस बजट भाषण में किया है। महोदय, आपने देखा होगा विगत पांच वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अन्दर तानाशाही का माहौल रहा, कोई लोकतांत्रिक परम्परा नहीं रह गयी थी, सारी ध्वस्त हो गयी थी, किसी को अपनी बात कहने के लिए आजादी नहीं थी। अगर कोई अपनी बात को कहने की कोशिश करता था, उसको दबा दिया जाता था या कुचल दिया जाता था। अर्थ-व्यवस्था ध्वस्त थी, सरकारी खजाने का पैसा जनता के हितों में न लगा करके उससे व्यक्तिगत एजेण्डों को पूरा करने का काम किया गया और उस पैसे को बर्बाद किया गया। आज का जो बजट, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह बजट उत्तर प्रदेश के नौजवानों को समर्पित करते हुए इसमें 1100 करोड़ रुपया दे करके मा0 मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भलाई का काम किया है, बेरोजगारी भत्ता देने के रूप में। इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के छात्रों को, चाहे वह हाई स्कूल पास हों, चाहे इण्टरमीडिएट पास हो, टैबलेट व लैपटॉप देने का काम किया गया है। यह बजट छात्रों को भी समर्पित करने का काम किया गया है। कन्या विद्याधन के रूप में हमने 446.35 करोड़ रुपये दे करके उत्तर प्रदेश की बेटियों को एक आधार देने का काम किया है, एक हौसला आफजाई करने का काम किया है जिससे उच्च शिक्षा में वह आगे बढ़ सके। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। किसान दुर्घटना बीमा पर अभी हमारे एक मित्र चर्चा कर रहे थे, यह सही है कि जो किसान दुर्घटना बीमा योजना एक लाख रुपये का था, उसे बढ़ाकर पांच लाख रुपया करने का काम किया गया है लेकिन एक बात से उनसे सहमति दर्ज कराना चाहता हूं चूंकि परिवार के अन्य सदस्य इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं, परिवार का मुखिया ही लाभ ले पाता है, अगर यह व्यवस्था की जाए तो पूरे किसान समुदाय का हित होगा।

मित्रों सबसे बड़ी चीज यह बजट अब तक प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है और इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर, सड़क, सेतु, सिंचाई, ऊर्जा पर 23,591.72 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई ज्योति जगाने का काम करेगी। कृषि एवं उससे सम्बद्ध सेवाओं पर, शिक्षा के विस्तार एवं उसकी गुणवत्ता के सुधार पर भी बजट में बहुत अच्छा प्राविधान किया गया है। यहां शिक्षा पर विशेष करके पिछले बजट की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक धनराशि देने का काम हुआ है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सेवाओं पर पिछले बजट के सापेक्ष 21 प्रतिशत अधिक बजट देकर चिकित्सा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की गई है। समाज कल्याण के अन्दर सभी योजनाओं पर लगभग साढ़े 14 प्रतिशत अधिक धनराशि देकर समाज के सभी वर्गों के उत्थान के बारे में सोचने का काम किया गया है। डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना 720 करोड़ रुपये खर्च करके लगभग 1600 गांवों के विकास की योजना इस बजट में बनाई गई है। इसके साथ ही साथ डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप तथा लोहिया आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं भी इस बजट में रखी गई हैं। बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं तथा वृद्धों को साड़ी और कम्बल उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है। रानी

लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 1111.85 करोड़ रुपया इसके साथ ही साथ रिक्शा चालकों के हित के लिए भी 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से टकराहट की राजनीति खत्म करके उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में सोचने का काम किया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना बन्द थी। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बन्द थी इस सरकार ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लिए बजट का प्राविधान किया है और यह उम्मीद भी है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना पर पैसा आएगा जिससे गांव में रोशनी या विद्युतीकरण का कार्य बड़े पैमाने पर हो सकेगा। प्रधान मंत्री सड़क योजना बन्द होने के नाते उत्तर प्रदेश के अन्दर सड़कों का काम खत्म हो गया था। आशा है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना शुरू होकर उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया आयाम पैदा करने का काम करेगी। उम्मीद करता हूं कि यह बजट जो पेश हुआ है सबसे अच्छा बजट है और इस बजट का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

*डा0 अरुण कुमार-

सम्मानित अध्यक्ष महोदय आज मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सदन में बोलने का मुझे मौका दिया। हमारे युवा मुख्य मंत्री जिन्होंने इस 16वीं विधान सभा का पहला बजट एवं इस पंचवर्षीय योजना के पहले साल का बजट पेश किया है। वह युवा हैं उनमें काम करने की तमन्ना है मैं चाहता हूं कि उनकी काम करने की तमन्ना पूरी हो तथा वह प्रदेश को एक अच्छी हालत की ओर ले जाएं। अवस्थापना सुविधाओं के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत जरूरी है हर जगह के लिए अवस्थापना सुविधाएं बहुत जरूरी हैं। विशेषकर मेरे बरेली नगर में बहुत ज्यादा मलिन बस्तियां हैं सड़कों पर खड़न्जा नहीं है और अगर खड़न्जा है तो बिल्कुल बेकार हो चुका है। उनमें पानी भरा रहता है। गर्मियों में बिना जूता उतारे निकलना मुश्किल है। बरसात में हालत आप समझ नहीं सकते घुटनों तक पानी हो जाता है और बच्चों का स्कूल जाना बन्द हो जाता है। लोग अपने कार्यालयों में जूते उतारकर और पैंट ऊपर करके जा पाते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बरेली की जो मलिन बस्तियां हैं उनमें सड़क नाली व पानी का इंतजाम करें बिजली की भी हालत बहुत खराब है। पोल बहुत कम जगह पर हैं लोग बल्लियों पर तार लिए हुए हैं। तार लटके होते हैं कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बोल्टेज बहुत लो आता है। जब बल्लियां हैं तो स्ट्रीट लाइट का तो नाम ही भूल जाइए। इस तरह की मलिन बस्तियां हमारे बरेली शहर में बहुत ज्यादा तादात में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं कि बहुत सी कालोनी ऐसी हैं जहां पानी बिजली सड़क जल निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं है। जब कालोनी बन रही थी तो वहां के कालोनाइजर और विकास प्राधिकरण ने मिलजुल कर कालोनी काट दी कालोनी पास कराई या नहीं यह किसी को कुछ नहीं मालूम। कालोनी पास नहीं हुई लोगों ने मकान बनवा लिए अब वहां पर कोई डेवलपमेन्ट नहीं होता क्योंकि कालोनी विकास प्राधिकरण से पास नहीं है जबकि विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों की मिली भगत से ही कालोनी बनी। मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि इस तरह की क्षतिग्रस्त गलियों और मुहल्लों के बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मलिन बस्तियों के उत्थान की बात करनी चाहिए। उनके उत्थान की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। ताकि वहां पर आदमी अपना जीवन जी सकें। वहां पर भी पानी की सुविधा हो जल निकासी की सुविधा हो वहां पर सड़क मार्ग हों। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए और अपनी नीति बनानी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए कि किस तरह वहां पर डेवलपमेन्ट किया जाये। मान्यवर, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट (यू0आई0एस0डी0) के माध्यम से मीडियम एवं स्माल इलाकों के विकास की जो बात है जो स्कीम है उस योजना को बरेली शहर में भी लागू किया जाय वहां इसकी बहुत आवश्यकता है ताकि वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बढ़ सके। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बरेली शहर में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट पर काम करने की बात है उस पर पिछले छह साल से काम चल रहा है। वह तैयार नहीं हो पा रहा है। करोड़ों रुपये की धनराशि उसमें नगर निकाय और राज्य सरकार की लग चुकी है। मान्यवर, उसके लागू न होने से कूड़े के उठान की समस्या वहां पर बनी हुई है। जगह जगह आपको कूड़ा पड़ा हुआ मिलेगा सड़क को इधर से उधर पार करना मुश्किल है। उस कूड़े की वजह से लोगों का सड़कों पर चलना दूभर है। मान्यवर, मैंने जब पता किया कि वह प्रोजेक्ट तैयार है तो हमारे यहां नगर निकाय उसको लागू क्यों नहीं कर पा रही है तो पता चला कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पिछले तीन माह से कोई अध्यक्ष नहीं है जो अध्यक्ष थे वह पुरानी सरकार द्वारा नामित थे जैसे ही सरकार चली गयी वह भी चले गये। अब नये अध्यक्ष की नियुक्ति की फाइल चल रही है तो उनके क्लीयरेंस के अभाव में बरेली शहर में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि शासन स्तर पर इसको देखा जाय और वहां पर सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट को अतिशीघ्र लागू कराया जाये।

मान्यवर, हमारा बरेली शहर दो भागों में बंटा हुआ है एक साउथ साईड है और एक नार्थ साइड है। साउथ साइड में सभी बड़े-बड़े दफ्तर कोर्ट कचेहरी और जजेज के कम्पाउंड हैं और उच्च वर्ग के लोग निवास करते हैं जबकि हमारे नार्थ साइड में आम जनता रहती है वहां पर पापुलेशन का घनत्व भी ज्यादा है। वहां पर दो तीन सड़कें हैं जो तुरन्त ठीक की जानी आवश्यक है। क्योंकि उनके खराब होने से लोगों को इस पार से उस पार जाना मुश्किल हो जाता है। कार से जाना तो और भी दिक्कतमय है। स्कूटर, मोटर साइकिल से भी जाने में आधा घण्टा पौन घण्टा का समय लग जाता है एक साइड से दूसरी साइड में जाने में। अगर किसी महिला की रिक्शा में या स्कूटर में साड़ी फंस जाये तो उन्हें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, इसमें एक सड़क है बरेली कालिज से थाना बारादरी तक। फिर उसके बाद सड़क है। आई0वी0आर0आई0 का गेट है वहां गली पर। फिर है हवाई अड्डे से पीर बहोड़ा तक (एन0टी0 रोड है)। इन सड़कों को तुरन्त ठीक करवाया जाये। इससे वहां का प्रशासन भी अवगत है। इसी तरह से इज्जतनगर से बहेड़ी तक रोड बहुत खराब है उसको तुरन्त ठीक करवाये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि बरेली को नेशनल गंगा रिवर बोर्ड अथारिटी में शामिल किया जाय क्योंकि वहां का पानी रामगंगा में मिलता है। वह रामगंगा गंगा नदी की ट्रिग्यूटरी है। अगर रामगंगा में पोल्यूशन नहीं रहेगा तो फिर गंगा में भी पोल्यूशन समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, इस सरकार की योजना हर मण्डल में मेडिकल कालेज खोलने की है सरकारी क्षेत्र में तो मैं मांग करता हूं बरेली में एक सरकारी मेडिकल कालेज खोला जाय। प्राइवेट मेडिकल कालेज तो वहां पर है लेकिन उसमें पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर और फेसिलिटीज नहीं है। दूसरे गरीबों के इलाज की व्यवस्था के लिए सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना वहां पर जरूरी है। आप देखें मान्यवर, लखनऊ से मेरठ तक के बीच में और फिर इटावा से लेकर उत्तरांचल तक कोई सरकारी मेडिकल कालेज नहीं है और बरेली इन सबका केन्द्र बिन्दु है। यहां पर सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फायदा होगा। मान्यवर, जो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं उनमें एडमिशन में कैपिटेशन फीस बहुत लग जाती है। गाजियाबाद में संतोष मेडिकल कालेज

है वहां पर कैपिटेशन फीस लिये बिना एडमिशन नहीं हो पाता है तो बरेली में सरकारी मेडिकल कालेज होने से मेडिकल शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और अभ्यर्थियों को कम फीस पर एडमीशन मिल सकेगा। इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे। मान्यवर, बरेली महानगर के अन्तर्गत कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी आजादी के साठ वर्ष के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पायी है। वहां पर बिजली पहुंचायी जाये। इसी तरह से बी0पी0एल0 कार्डधारक को तो सुविधा है परन्तु बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड नहीं हैं परन्तु अत्यन्त गरीब है। उनको भी बी0पी0एल0 कार्डधारकों की भांति पूरी सुविधायें और सहायता उपलब्ध करायी जाये। मान्यवर, जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू की है उसी भांति गरीबों के लिए भी कोई पेंशन योजना शुरू की जाये। मान्यवर, हम चाहते हैं कि बरेली शहर में जो खड़न्जें, नाली, बिजली, स्वच्छ पानी की समस्या है, जो स्लम एरियाज में ज्यादा है उसको ठीक करवाया जाय। धन्यवाद।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि 2012-13 के बजट पर मुझे आपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं बहुत देर से सुन रही हूं और मैं यह समझती हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बजट होता है वह एक बहुत ही अहम दस्तावेज होता है। वह केवल राज्य की आय और हानि का ब्यौरा नहीं होता है वह एक दृष्टिपत्र होता है, वह एक विजन डाकूमेन्ट होता है जो हमें यह दिखाता है कि इस प्रदेश की आवाम का, जनता का किस तरह से विकास होगा, वह इस प्रदेश के लोगों की क्या दिशा और दशा देगा। मैं बधाई देती हूं अपने नये मुख्य मंत्री जी को, युवा हैं, बहुत जज्बा है, इनके वक्तव्य पढ़ती हूं, कैबिनेट के निर्णय पढ़ती हूं। इन्होंने जो बजट पर अपनी स्पीच दी उसमें एक वाक्या ने मुझको थोड़ा चिन्तन करने को मजबूर किया। उन्होंने कहा कि हम बख्शीस नहीं देना चाहते हम व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं यानि कि हम विकास करना चाहते हैं, एक ऐसी ही व्यवस्था देना चाहते हैं जिसमें सतत् ग्रोथ हो। मैं स्मरण करना चाहूंगी सच्चाई से बहुत ज्यादा आंख बन्द करके जीने में कोई लाभ भी नहीं है। यह वह प्रदेश है जो 2 लाख करोड़ के कर्जे में चल रहा है। यह वह प्रदेश है जिसके हर नागरिक पर एक हजार रुपये का कर्ज है, यह वह प्रदेश है जो लगातार पिछले 20 वर्षों से भारतवर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में एच0डी0आई0 (ह्यूमन डेवलपमेन्ट इन्डेक्स) मानव विकास सूचकांक गिरता चला जा रहा है जो आज हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में एच0डी0आई0 में सबसे नीचे है। 10 प्रतिशत विकास दर की परिकल्पना हमारी सरकार कर रही है। परन्तु यह न भूले कि हमारा जो राष्ट्रीय विकास दर है उससे हमारा प्रदेश कहीं पिछड़ा हुआ है चाहे वह कृषि विकास दर हो, चाहे वह समान विकास दर हो। सच्चाइयों को अगर मद्देनजर रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझती हूं कि यह सरकार सफल होगी, हम शुभकामना देते हैं, हम चाहते हैं सरकार अच्छा काम करे। जनता का अटूट विश्वास है और इस विश्वास को वह कायम रखें। लगभग 2 लाख करोड़ का आपने बजट प्रस्तुत किया और आय में 22 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की है, अब यह 22 प्रतिशत वृद्धि आप कहां से ला रहे हैं ? कौन से आप टैक्स लगाने वाले हैं, नये बजट में आपने उनका कोई उल्लेख नहीं किया है तो क्या हम मानकर चलें कि 22 प्रतिशत प्रस्तावित आय आप व्यवस्था से निकालेंगे या डायरेक्ट टैक्सेस से आप निकालेंगे। इस पर स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि हम बख्शीस नहीं देना चाहते लेकिन आप महिलाओं को दो-दो साड़ियां, एक-एक कम्बल वृद्धों को दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम गृह योजना लायेंगे जिसकी व्याख्या अभी समझने की आवश्यकता है। स्वयं सहायता समूह केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी

योजना है उसने कायापलट कर दी है। महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में। केरल देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए और अन्य प्रदेशों को देख लीजिये परन्तु स्वयं सहायता ग्रुप का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दो साड़ी कितने दिन चलेगी महिलाओं को इतना सक्षम कर दें कि वह साल में 12 साड़ी खरीदने के योग्य हो जाये और हो सकती है कि अगर स्वयं सहायता समूहों पर हमारी सरकार तवज्जह दे। आपको जानकार हैरानी होगी कि हिन्दुस्तान में स्वयं सहायता समूहों के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है, बिहार से भी पीछे है। तो मैं चाहूंगी कि यह सरकार जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उनको और मजबूत करे।

यह सरकार जो व्यवस्थाएं हैं उनको और मजबूत करे और लोगों को बखशीश न दें उनको सक्षम बनाने का काम करें। आपने कहा कि हम लैपटॉप देंगे। मेरी उम्र हो गई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूं, कम्प्यूटर सीखने में मुझको एक साल लग गया। अभी भी मैं यह नहीं कह सकती कि कम्प्यूटर को मैं अच्छी तरह से औपरेट कर लेती हूं। लेकिन आपने कहा कि हम लैपटॉप देंगे। कनेक्टिविटी कहां से आयेगी ? बिजली है नहीं कैसे लेंगे वो इन्टरनेट का कनेक्शन। जिसका कम से कम 300 रुपये प्रतिमाह का खर्च है। उसका खर्च छात्र कहां से लायेंगे ? 10 हजारे रुपये से कम कोई साफ्टवेयर मिलता नहीं है वह कहां से आयेगा। मेरा डर है, मेरा शक है कि पायरेसी होगी। जब अच्छा साफ्टवेयर वो नहीं ला पायेंगे तो फिर चोरी होगी, बेईमानी होगी नकली पायरेटेड साफ्टवेयर मिलेगा और उसको लोग इस्तेमाल करेंगे। एक बहुत बड़ा रैकेट पूरे प्रदेश को घेर लेगा। लैपटॉप एक डिब्बा बन जायेगा। मास्टर हैं नहीं। अब देखिये कितनी वेकेन्सीज हैं ? 2 लाख 78 हजार वैकेन्सीज हैं टीचरों की। आप कहते हैं कि हमारी सरकार शिक्षा मित्रों को 3 साल में प्रशिक्षित करके लाख सवा लाख शिक्षक लायेंगे। दो तीन साल तक बच्चों को कम्प्यूटर इनको प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था होगी ? कैसे कम्प्यूटर सिखाया जायेगा ? मैं समझती हूं कि जैसे राजीव गांधी जी ने कनेक्टेविटी के लिये लोगों से सम्पर्क बांधने के लिये पी0सी0ओ0 बनाये थे वैसे ही अगर हम साइबर कैफे बना देते। हम स्कूल में, कालेज में, यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग का प्रोग्राम व्यवस्थित कर देते तो जितना रुपया हम हर साल खर्च करेंगे उतने रुपये में हम एक-एक बच्चे को कम्प्यूटर में बहुत-बहुत होनहार बना सकते थे। मेरा शक है कि आपका यह तोहफा यह डिब्बा बन जायेगा और बाजार में कम दामों में बेच दिया जायेगा इसका इस्तेमाल नहीं होगा। रोजगार कैसे सृजित करेगा ? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इस पर भी आप गम्भीरता से विचार करें कि धन का अपव्यय न हो और वह वास्तव में युवाओं को रोजगार के लिये प्रेरित करें। इसके अलावा आपने कहा कि हम कृषकों के लिये बहुत काम करना चाहते हैं। हम जानते हैं चाहे हमारे पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी हों या चौधरी चरण सिंह जी हों यह लोग कृषि के बहुत बड़े हिमायती माने जाते थे लेकिन जब आप कृषि की बात करते हैं तो आपने कहा है कि हम 500 करोड़ माफ करेंगे पर सहकारी बैंकों का। जिन किसानों ने 50 हजार रुपये तक राष्ट्रीय बैंकों से लिया है वह क्यों नहीं वापस करेंगे आप अध्यक्ष जी, वह भी सरकार को वापस करना चाहिए सरकार ने कहा था कि हम किसानों का 50 हजार तक का ऋण माफ करेंगे। अब यह बंटवारा मत करिये कि किस बैंक से उसने लिया। जिस भी बैंक से उसने ऋण लिया है उसको वापस करना चाहिए। मैं इसके अलावा थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगी। अभी तो सिर्फ जांच चल रही है एन0आर0एच0एम0 की। पर इसमें त्वरित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। यदि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ठीक से लागू हो जाये तो मैं समझती हूं जच्चा-बच्चा से लेकर वृद्ध हर ग्रामीण नागरिक को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। मेरा एक और सुझाव है आपके माध्यम से कि सरकार गुटका पर

प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा सकती ? कैंसर के इलाज के लिये आप सैकड़ों करोड़ रुपयों का प्राविधान कर रहे हैं और कैंसर पैदा करने वाली वस्तु को आप रोकना नहीं चाहते हैं। कई राज्यों ने गुटका पर प्रतिबन्ध लगाया है। हमारी सरकार को भी गुटका जो ओरल कैंसर का सबसे बड़ा कारण बनी है को प्रतिबन्धित करने का प्रयास करना चाहिए। आदरणीय पंडित जनेश्वर मिश्र जी को मैं बहुत मानती थी और सम्मान करती हूं।

पर्यावरण पर विशेषज्ञ हैं हमारे मुख्य मंत्री जी, लेकिन 4 लाइन में पर्यावरण को हमने निस्तारित कर दिया। एक सफारी पार्क बना देने से या सिर्फ एक बड़ा सा पार्क उनके नाम से बना देने से मैं सोचती हूं कि उनकी स्मृति को हम किसी तरह से सम्मानित नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें जानती हूं वह एक ऐसे समाजवादी नेता थे कि अगर उनके पास 2 रुपया होता तो वह 3 रुपया जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते। कोई ऐसी योजना बनाते आप, पेयजल की योजना बनाइये। लखनऊ में 65 फीसदी जगह पर सीवर नहीं है गन्दगी की यह हालत है कि चार महीने में पांच लोग सीवर के अन्दर गये, वहां गैस से उनकी मृत्यु हो गई। कोई ऐसी बड़ी योजना महापुरुषों के नाम से दीजिए, जिसका लाभ जनता को मिले। हमारी नई सरकार आई, इसने कहा कि हम सौन्दर्यीकरण करेंगे। इसमें पहला काम हुआ कि जो मुख्य मार्ग पर पटरी दुकानदार हैं उनको निकालो, आज की तारीख में लखनऊ में मैं जिस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती हूं, लखनऊ कैन्ट वहां कम से कम दो हजार पटरी दुकानदार निकालकर फेंके जा चुके हैं। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो अधिष्ठाता जी सफाई करिए, शहर को सुन्दर बनाइये, लेकिन किसी का रोजगार मत छीनिए उनको वैकल्पिक व्यवस्था देने के बाद ही आप उनको हटाइए। श्रीमन् मैं दो-तीन बातें और कहूंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में चाइल्ड लेबर, पर सरकार की निगाह नहीं है। हमारे हिन्दुस्तान में हर पांचवां बच्चा श्रमिक है। 70 प्रतिशत बच्चे खेत खलिहान में काम करते हैं, 30 प्रतिशत लघु उद्योग में काम करते हैं, इन बच्चों के लिए कौन सी ठोस योजना हमारी सरकार बना रही है। हमसे कहेंगे तो हम भी प्रस्ताव बनाने को तैयार हैं, लेकिन जो खासतौर से लेबर हैं उस पर विशेष ध्यान इस सरकार का आना चाहिए जो नहीं आ पा रहा है। ''राइट टू एजूकेशन'', शिक्षा के अधिकार कानून को बहुत मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। जहां तक शहरों का सवाल है 35 फीसदी आबादी शहरों में रहती है 2030 तक 50 फीसदी आबादी रहेगी। शहरों के प्रबन्धन पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। मैं लखनऊ कैन्ट से हूं वहां लगभग 6-7 लाख की आबादी है। लेकिन एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के नाम से वहां एक 100 बेड का अस्पताल बना दीजिए या 50 बेड का बनवा दीजिए, वहां पर अभी तक कोई सरकारी महिला महाविद्यालय नहीं है। मान्यवर, सरकारी महाविद्यालय लखनऊ कैन्ट में प्राविधानित किया जाए। लखनऊ में तीन-चार जगह ऐसी है कि हम तेजी से जा रहे हैं और रेलवे क्रासिंग बन्द हो जाती है तो आर0ओ0बी0 केन्द्र सरकार से मिलकर बनाई जाए। एक बात कहना चाहूंगी कि अगर हम लखनऊ को पानी नहीं दे पा रहे हैं लखनऊ को बिजली नहीं दे पा रहे हैं, लखनऊ को सीवर समस्या से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी बहुत लम्बा भाषण मैंने क्राइम अपराध पर सुना, कानून व्यवस्था पर सिर्फ दो जुमले कहकर समाप्त करूंगी। जो हमारे उधर सबसे बड़ा दल बैठा है उन्होंने कानून-व्यवस्था के बारे में बोला था कि 3 प्रदेश की कानून-व्यवस्था बहुत उत्साहवर्धक और बेहतरीन थी। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी होर्डिंग लगी थी और आपको भी याद दिलाऊंगी जिस पर लिखा था कि 'उत्तर प्रदेश में है दम, क्योंकि अपराध है कम'। ऐसे ही नहीं बी0ए0पी0 और वर्तमान सत्ता दल को 100 के नीचे ले गये। कुछ व्यवस्था को परिवर्तित

करिए, युवा मुख्य मंत्री आपको मिले हैं। आप उनको घेरकर ऐसा मत कर दीजिए कि वह भी फेल हो जाएं। हम चाहते हैं युवा सक्सेजफुल हों, आप सक्सेजफुल होइए, लेकिन अपराध को कम करिए यह आंकड़े हैं मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में तीन महीने में हत्या 19, बलात्कार 5, बलात्कार का प्रयास 8, चेन स्नैचिंग के मामले 5, मारपीट 11, डकैती और लूट 13, जहां आप और हम निवास कर रहे 66 वारदातें हुई हैं। ऐसे में मेरा आपसे निवेदन है हम सहयोग करने को तैयार हैं। आप अपनी व्यवस्था दुरुस्त करिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री मनीष रावत-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा पेश किये गये, बजट का मैं पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी का पहला बजट पत्थर और मूर्तियों, स्मारकों के लिए नहीं, बल्कि नौजवानों के लिए है। हमारी पार्टी ने जनता से जो वायदा किया था, यह बजट उस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरेगा। मान्यवर, पिछले पांच सालों में जो कुछ हुआ है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार, जंगलराज। तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जब हमारी सरकार थी, चलाई गई थी, बन्द कर दी गयी थी, छात्र-छात्राओं का अपमान किया गया। व्यापारियों का शोषण किया गया, किसानों को समय पर खाद नहीं मिल सकी, उनको पानी नहीं मिल सका, अन्य तमाम समस्याएं विद्यमान रहीं लेकिन अब हमारी सरकार का जो पहला बजट पेश हुआ है, हमारी प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को दुरुस्थ करने की है। जनता मूर्तियां, पार्क नहीं चाहती है, जनता विकास चाहती है पूरे प्रदेश में पिछले पांच सालों में किसानों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं हो सका। मान्यवर, हम अपने सिधौली विधान सभा की समस्या के बारे में अवगत करना चाहते हैं। हमारे सिधौली विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ विधान सभा क्षेत्र बिसवां है, जिसमें चीनी मिल स्थापित थी, वह चीनी मिल पूर्व सरकार के समय से बन्द है जो गन्ना किसान हैं, उसका करोड़ों रुपया बाकी पड़ा हुआ है, किसानों ने गन्ना बोना बन्द कर दिया है। मान्यवर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वह चीनी मिल पुनः चले ताकि किसानों को लाभ मिल सके। मान्यवर, मैं अनुसूचित जाति, पासी समुदाय से चुनकर आया हूं, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग डेढ़ करोड़ के आस-पास है। पासी जाति बहादुर और साहसपूर्ण कौम होती है। इस बिरादरी के अधिकांश लोग थानों में चौकीदारी करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनके मानदेय को बढ़ाकर दूना करने का काम किया है। उनको एक-एक साइकिल और एक-एक टार्च देने का काम किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं मांग करता हूं कि लखनऊ में तमाम पार्क बने हुए हैं, जिन लाखन पासी के नाम से यह लखनऊ बसा हुआ है। हमारा निवेदन है कि लाखन पासी के नाम से कोई पार्क बनाया जाए। माननीय अधिष्ठाता जी, पूर्व में माननीय नेता जी के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के लोगों की पट्टे वाली भूमि को 10 साल में संक्रमणीय घोषित किया गया था। इस प्रकार अनुसूचित जाति के लोग उस भूमि के मालिक बन गये थे। पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, जे0एन0एन0आर0, धारा-157 (ए) द्वारा अनुसूचित जाति को ऐसी भूमि को बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं जब अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को इलाज कराना पड़ता है, शादी करनी पड़ती

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, तब ऐसी भूमि को बेचने में दिक्कत आती है। अतः आपसे निवेदन है कि धारा-157 (ए) को विलुप्त करने का काम किया जाए। मान्यवर, हमारी सिधौली विधान सभा जो है, लखनऊ से सीतापुर तक 88 कि0मी0 की दूरी है, यह नेशनल हाई-वे बना हुआ है, आये दिन उस पर एक्सीडेन्ट होते रहते हैं। आपके सीतापुर से लेकर कोई हाई-वे ट्रामा सेन्टर नहीं है। अतः आपसे मेरा विनम्र निवेदन है सिधौली में एक हाई-वे ट्रामा सेन्टर स्थापित करने का काम किया जाये। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर, यह बजट इस दौर में आया है जब विगत पांच सालों से जो बजट आ रहे थे उनका प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं था। अब तक प्रस्तुत किये गये बजट स्वहित में तैयार होते थे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों के हितों से उसका कोई मतलब नहीं था। विकलांगों का पैसा, किसान हित का पैसा, कारखानों का पैसा, नौजवानों का पैसा, रोजगार का पैसा स्मारकों, पत्थरों और पार्कों में लगाया जा रहा था। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री युवा हैं और उन्होंने युवा आकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट को प्रस्तुत किया है। अंधेरी काली रात ढल चुकी है सुबह के प्रभात की तरह से इस बजट का उदय हुआ है। मान्यवर, इस बजट में बेसिक शिक्षा के लिए 25 हजार 109 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसी भी राष्ट्र की प्रारम्भिक शिक्षा उस राष्ट्र की नीव होती है और उसमें जो बजट दिया गया है 3466 प्राथमिक विद्यालय, 421 उच्च प्राथमिक विद्यालय। इसका मैं स्वागत करता हूं। पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष ध्यान दिया गया है। 2074.11 हजार करोड़ रुपये अल्पसंख्यकों के लिए रखे गये हैं जो पिछले बजट से 81 प्रतिशत अधिक है। इनको अभी तक इस देश, प्रदेश में केवल वोट बैंक के रूप में देखा गया है। उनकी समस्याओं को नहीं समझा गया है। यह बजट यह दर्शाता है कि सरकार अल्पसंख्यकों को लेकर कितनी संवेदनशील हैं जहां तक नौजवानों की बात है, नौजवानों को रोजगार देने के लिए अनेक योजनाएं इस बजट में रखी गयी हैं। अक्सर देखा गया है कि दुनिया का कोई भी इंकलाब नौजवान लाते हैं लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नौजवानों के लिए रोजगार की योजनाएं हैं जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा उन 9 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। पहले कहावत थी कि जल ही जीवन है और आधुनिक कहावत है कि जल और ऊर्जा ही जीवन है। मान्यवर, 8225.56 करोड़ ऊर्जा के मद में रखे गये हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से इस बजट में यह नहीं बताया गया है कि बिजली उत्पादन के लिए हम कितने थर्मल पावर लगायेंगे। विद्युत उत्पादन के लिए स्पष्ट घोषणायें इस बजट में होती तो बहुत ही अच्छा होता। मान्यवर, जब समाज स्वस्थ होता है तब ही राष्ट्र स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7033.86 करोड़ रुपये रखे गये हैं जो कि पिछले बजट से 21 प्रतिशत अधिक है। जगह-जगह पर अगर अस्पतालों की स्थापना की जाएगी तो मैं समझता हूं कि हम प्रदेश को एक स्वस्थ समाज दे सकते हैं। पेयजल के लिए 41 हजार हैण्डपम्पों का प्राविधान किया गया है। जो हम समझते हैं कि कम है और इन हैण्डपम्पों को लगाने का अधिकार पिछली सरकार ने हम विधायकों से छीनकर नौकरशाही को दे दिया था। क्योंकि पिछली सरकार नौकरशाही पर आश्रित थी। वह जनता की सरकार नहीं थी। मैं इस सरकार से चाहूंगा कि हैण्डपम्प लगाने का जो अधिकार हम लोगों से छीना गया था वह हम लोगों को दिया जाये। मान्यवर, समाज

कल्याण विभाग के लिए 14950 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जो पिछले बजट से 14.6 प्रतिशत अधिक है। समाज कल्याण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, इसके अन्दर विधवा, वृद्ध और विकलांग भी आते हैं, अक्सर देखा जाता है कि छः-छः महीने, एक-एक साल विधवाओं को, वृद्धों को, विकलांगों को पेंशन नहीं मिलती है, बहुत से लोग तो अभाव में ही चल बसते हैं। हम मांग करेंगे कि इस बजट में ऐसी व्यवस्था की जाय कि अन्य मदों में पैसा चाहे बाद में दिया जाय लेकिन हर महीने इन निराश्रित लोगों को इनकी पेंशन का जो पैसा मिलता है, वह दे दिया जाय। जिस राष्ट्र में यातायात के साधन सुगम होते हैं, वही राष्ट्र उन्नति करता है, सड़कों के लिए इस बजट में 4,595.68 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है यह पर्याप्त है और मैं समझता हूं कि हमारे पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री एक उत्साही और कर्मठ मंत्री हैं सड़कों के निर्माण में जिस तरीके से सरकार ने गम्भीरता दिखाई है, यह बजट दर्शाता है कि आने वाले वक्त में इस प्रदेश का भविष्य सुनहरा होगा। हमारे जनपद रायबरेली में बिजली नहीं रहती है, विद्युत कटौती का जिला है, इस बजट में जनपद रायबरेली को विद्युत कटौती से मुक्त करने का या अगर न मुक्त हो सके तो 20 घण्टे बिजली देने का कोई भी प्राविधान नहीं है।

हमारे रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, जगदीशपुर में लगभग 64 छोटे-बड़े कारखाने बन्द हो चुके हैं धन के अभाव में और पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण। इस बजट में इस बात का कोई प्राविधान नहीं है, न ही स्पष्ट किया गया है कि उन कारखानों को चालू करने के लिए क्या योजनाएं अपनाई गई हैं। कृषि हमारे देश का आधार है, आज हमारे प्रदेश और देश की 80 प्रतिशत आबादी गांव में बसती है और कृषि पर आधारित है। अगर यूं कहा जाय तो गांव ही भारत की आत्मा है और कृषि ही हमारा मुख्य जीविकोपार्जन है। कृषि के क्षेत्र में 5,432.37 करोड़ रुपये रखे गये हैं और गन्ना किसानों को अवशेष के लिए चार सौ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, विशेषकर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने पर आश्रित हैं। हमारे रायबरेली जनपद में शुगर मिल लगी थी और वहां के किसान गन्ने की खेती करने लगे थे, जिससे उनको नगद पैसा मिलने लगा था, लेकिन गन्ना मिल की सरकारी अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण गन्ना फैक्ट्रियों में नहीं गया, तो पैसा नहीं मिला और हालत यह हो गई कि किसानों को अपना गन्ना फूंकना पड़ा। जिस रायबरेली में गन्ना फैक्ट्री चालू हुई थी वह गन्ना फैक्ट्री बन्द हो गई और किसान फिर बद्तर हालत में पहुंच गया। बहुत स्वागत योग्य कदम है, चार सौ करोड़ रुपये किसानों को जो गन्ना के लिए आवंटित किया गया है। नगर विकास के मद में 5,031 करोड़ रुपये दिया गया है, जो 32 प्रतिशत अधिक है। हमारी जो विधान सभा हैं, मैं रायबरेली सदर से विधायक हूं, उसमें शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, शहर की समस्याओं से हम वाकिफ है और हम उम्मीद करेंगे, नगर विकास मंत्री से कि विशेषकर हमारे रायबरेली में सीवर की समस्या है, वहां पर सीवर का पानी, पीने के पानी में मिल जाता है और ढाई सौ करोड़ रुपया प्रदेश और केन्द्र की लड़ाई में अटका हुआ है, पिछली सरकार में ढाई सौ करोड़ रुपया केन्द्र को देना था, प्रदेश को देना था, मिलाकर नहीं दिया, तो इस बजट में प्राविधान होना चाहिए कि जो ढाई सौ करोड़ रुपया रायबरेली शहर का अटका हुआ है, प्रदेश और केन्द्र की लड़ाई में क्योंकि वह लड़ाई मैं समझता हूं कि अब खत्म हो चुकी है, पिछली सरकार का कोई विकास से मतलब नहीं था। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं बजट अभिभाषण पर बोलते हुए मैं बजट का समर्थन करता हूं, अपनी तरफ से और पीस पार्टी की तरफ से भी।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2012-2013 के प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जब इस सम्मानित सदन में बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, उस समय इस सूबे की 20 करोड़ जनता आस लगाये बैठी थी। इस नये ऊर्जावान और प्रतिभावान मुख्य मंत्री की तरफ आस लगाये बैठी थी कि जब इस सूबे का बजट प्रस्तुत किया जायेगा तो इस उत्तर प्रदेश के अन्दर क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब इस सूबे का बजट प्रस्तुत हुआ और हमने अध्ययन किया इस बजट पुस्तिका को पूरा-पूरा अध्ययन किया। अध्ययन के उपरान्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ है, उस उत्तर प्रदेश की जनता भोलीभाली जनता है। यह सरकार खुद को किसानों की हितैषी कहती है। किसानों की बुनियाद पर बनने वाली यह सरकार, बेबस लाचार लोगों की बुनियाद पर बनने वाली यह सरकार, नौजवानों की बुनियाद पर बनने वाली यह सरकार इससे उन लोगों के साथ छलावा करने का काम किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज इन लोगों के साथ छलावा करने के बाद अगर किसी ने बेबस, लाचार, मजदूर, किसान के लोगों की आवाज सुनने का काम किया तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा शोर की स्थिति उत्पन्न करने के मध्य)

श्री उमेश पाण्डेय-

बात सुन लो भैया, बात सुन लो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, मा0 अधिष्ठाता महोदय, साढ़े तीन साल के जंगल राज को पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। ये क्या बात करेंगे और इन महीनों के शासनकाल में कितनी गुण्डागर्दी, माफियागर्दी और दहशतगर्दी इस सूबे के अन्दर हुयी है उसको पूरे प्रदेश को जनता व पूरा हिन्दुस्तान जानता है। ये बात करते हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 पाण्डेय जी, आप कोई भी बात सम्बोधित करें तो पीठ को सम्बोधित करें।

श्री उमेश पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने 2007-08 के बजट भाषण में उन्होंने सबसे पहले बेसहारों का सहारा देने के लिये विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन को दूना करने का काम किया, दूना करने का काम किया, 150 रुपये से 300 रुपये करने का काम किया। अगर आपमें दम था, आप में दम था तो क्यों नहीं इसको बढ़ाने का काम किया। हमारी सरकार ने 150 रुपये से बढ़ा करके 300 रुपये करने का काम किया। हम बधाई देना चाहते हैं, अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यही नहीं निचले पायदान पर जीवन यापन करने वाले मजदूरों की मजदूरी को 50 रुपये से बढ़ा करके 100 करने का काम किया तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने। आप बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था, 2007-08 की बजट प्रस्तुति में अपने भाषण में कहा था कि मैं बेरोजगार नौजवानों को मैं गलत रास्ते पर ले जाना नहीं चाहती, मैं उनको स्थायी रोजगार देना चाहती हूं। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अपने वायदे के मुताबिक बैकलॉग की रोक को हटा करके लाखों बेरोजगार नौजवानों को स्थायी

रोजगार देने का काम किया तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आप बेरोजगारों की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। यहां कांग्रेस के नेता लोग बैठे हैं अभी ये बात कर रहे थे घोटालों की, चले गये वो मा0 सदस्य यहां से **''सूप हंसे तो हंसे, पर चलनी हंसे जिसमें 72 छेद''।** सारा घोटाला केन्द्र सरकार के द्वारा होता है तो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। घोटाले करती है केन्द्र की सरकार। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सरकार बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है, मैं स्वागत करता हूं, मैं स्वागत भी करता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 50-60 गांवों का दौरा किया, बैठक किया। मैंने 50-60 गांवों का दौरा किया। बैठकर दौरा किया। मैंने दौरा किया और बैठकर उन गांव के लोगों से पूछा कि बी0पी0एल0 में कितने ऐसे लोग हैं, जो हाई स्कूल पास है। मा0 अधिष्ठाता महोदय बी0पी0एल0 में आज उनका नाम है जो आज नौकरी में हैं, जिनके पास जमीन, जायदाद है, जिनके पास ट्रैक्टर है, उनका नाम बी0पी0एल0 में है। पहले बी0पी0एल0 की जांच हो जाए उसके बाद बेरोजगारी भत्ते का वितरण किया जाए।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा श्री उमेश पाण्डेय का विरोध करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया, आप लोग शांति बनाये रखें।

श्री उमेश पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इनको सच सुनने की आदत नहीं है। अभी यह बात कर रहे थे कि हमारी पिछली पांच साल की सरकार में गुंडागर्दी हुई। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हमारी पार्टी के किसी नेता ने गलती की है तो उसे जेल की सींखचों में भेजने का काम हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया। ये बता दें कि पिछली जो साढ़े तीन साल की सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उसमें जितने गुण्डे थे समाजवादी पार्टी के और कितने लोगों को इन्होंने जेल की सींखचों में भेजने का काम किया। उदाहरण के तौर पर मेरे भाई की सरेआम दिन-दहाड़े तीन-तीन लोगों की हत्या होती है। उसके साथ क्या होता है। मा0 प्रमोद तिवारी जी चले गये, वह गये थे वहां। मा0 विधायक दल के नेता मेरे घर गये थे, किस तरीके से निर्मम हत्या की गयी थी, मैं कहना नहीं चाहता मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता। आज वह जेल की सींखचों में हैं, उसको आजीवन कारावास हुआ, मैंने कानून की लड़ाई लड़ी मेरे ऊपर कितना अत्याचार किया गया। मुझको कितना टार्चर किया गया। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी मेरा परिवार और मैं डर भरी जिन्दगी जीने को मजबूर हूं। मैंने प्रमुख सचिव गृह जी को भी पत्र लिखा, मा0 अध्यक्ष जी को भी दिया, मा0 मुख्य मंत्री जी को भी दिया कि सुरक्षा लेकिन कोई गारण्टी नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे सत्ता पक्ष के सभी मा0 सभी मंत्रिगण और वरिष्ठ सदस्यगण द्वारा हमारे प्रतिपक्ष के नेता मा0 स्वामी प्रसाद मौर्या जी एवं हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण के ऊपर जो व्यंग्य बाण छोड़े गये हैं, उनसे मुखातिब हो करके एक शेर पढ़ रहा हूं :-

''वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से, तो फूल से कटना पड़ा है,
चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे कितनी की कड़ी हो,
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है।''

मा0 अधिष्ठाता महोदय इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे वर्ष 2012-2013 के बजट भाषण के विरोध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यवीर ''मुन्ना''-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस पर मुझे बोलने का जो अवसर आपने दिया है उसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है निःसंदेह यह बहुत ही शानदार, शोषित दलित पिछड़े और किसान उन्मुखी बजट है। यह बजट वस्तुतः इसको ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि समाजवादी जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। हमारी पार्टी ने जो भी चुनावी वायदे किये हैं, उनको पूरी शिद्दत से निभाया हमारे नेता और मा0 मुख्य मंत्री जी ने युवा वर्ग और अन्य सभी वर्गों के हितों का समान रूप से ध्यान रखने का प्रयास किया है और अगर पिछले 5 साल का यह लूट खसोट का तंत्र अर्थात् बी0एस0पी0 की सरकार न होती तो मेरे ख्याल से वायदों से ज्यादा हमारे नेता इस बजट में प्रावधान करते। अधिष्ठाता जी, बजट प्रस्ताव से यकीनन जनता की गाढ़ी कमाई का धन समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, यह सुनिश्चित किया जायेगा और पिछले साल में जो जनता की गाढ़ी कमाई का धन लखनऊ और स्मारकों में दफन हो गया, उसको पीछे धकेलते हुए इस पत्थर राज को खत्म करके जनता का राज स्थापित होगा। मान्यवर, बजट विकासोन्मुखी है और अगर हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ नजर डालें तो जो विकास का लक्ष्य है वह 10 प्रतिशत है। इस हिसाब से जो हमारी सरकार का लक्ष्य है वह बहुत ही सराहनीय है। निःसंदेह जो राजस्व प्राप्तियां हैं वह करीब 22 प्रतिशत से अधिक उसमें और भी अभिवृद्धि करके उत्तर प्रदेश को अपने पुराने गौरवशाली इतिहास की तरफ ले जाने का काम किया जायेगा। अगर प्रति व्यक्ति आय की तरफ नजर डालें तो अधिष्ठाता जी, निःसंदेह प्रति व्यक्ति आय हमारे प्रदेश की बहुत चिन्ता का विषय है इसमें राष्ट्रीय स्तर से लगभग 50 प्रतिशत का अन्तर है। लेकिन इस पर भी बजट में प्रकाश डाला गया है और माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी इस पर संकल्प व्यक्त किया गया है और इसमें अवश्य ही गुणात्मक सुधार किया जायेगा। अधिष्ठाता जी, बजट का सबसे शानदार पहलू यह भी है कि लगभग 70 प्रतिशत बजट का आवंटन गांव और किसानों के हित के लिये किया गया है। साथ ही विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लिये जो बजट आवंटन किया गया है वह बहुत ही ऐतिहासिक है। अभी हमारे पीस पार्टी के सदस्य ने भी इसका उल्लेख किया कि अब तक उन्हें वोट की राजनीति और केवल वोट के लिये समझा जाता था लेकिन समाजवादी सरकार ने और हमारे नेता ने बजट आवंटन में 81 प्रतिशत की अभूतपूर्व अभिवृद्धि की है और पूरे प्रदेश में खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय में इसको लेकर खुशी की लहर व्याप्त हैं खासतौर से कब्रिस्तानों की अगर बात करें तो गांव में तमाम तरह के झगड़े इसको लेकर होते थे और भूमि पर कई तरह के अवैध कब्जे किये जाते थे। लेकिन अब यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कब्रिस्तानों और धार्मिक स्थानों की चहारदीवारी तो एक दायरे में आयेगी ही, साथ ही तमाम विवादों में और कानून-व्यवस्था में भी इससे सुधार करने में मदद मिलेगी। मान्यवर, बजट में समग्र विकास की शुरूआत की गयी है और इसे नकारा नहीं जा सकता कि 280 से अधिक नई योजनाओं के लिये लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया गया है। इसके लिये मैं बधाई देना

चाहता हूं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सुयोग्य पुत्र हैं मैं उनके लिये आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि :-

'वह खुद ही जानते हैं बुलन्दी आसमानों की,
परिन्दों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की'

ऐसे हमारे नेता अखिलेश जी ने खासतौर से प्रथम बार प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ से ऊपर का प्रस्तुत किया है। वह स्वयं ही अपने आप में उनकी विकासोन्मुखी सोच को प्रतीत करता है और उनकी चिन्ता को भी प्रतीत करता है कि प्रदेश को फिर से अपने गौरवशाली पुराने इतिहास में ले जाना है। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखें तो निःसंदेह ऊर्जा की स्थिति केवल प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की खराब है। बहुत अगर हरियाणा, पंजाब जैसे विकसित प्रदेशों की तरफ भी अगर नजर डालें तो वहां भी बिजली की कमी महसूस की जा रही है। लेकिन गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर हमारे नेता ने ध्यान दिया और बजट आवंटन किया है सौर ऊर्जा पर इसके लिए भी वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, राजकोषीय घाटा यद्यपि चिन्ता का विषय है। 21 हजार करोड़ से ऊपर का राजकोषीय घाटा है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.96 प्रतिशत है। एक नजरिये से देखें तो विकास का जो प्रबन्धन है उसके मानक तीन प्रतिशत के अन्दर ही यह आता है लेकिन हम ऐसी आशा करते हैं और बजट में भी ऐसी व्यवस्था कर राजस्व को ले करके की गई है कि राजकोषीय घाटे को यकीनन कम किया जायेगा। भू-राजस्व, स्टाम्प एवं पंजीयन, आबकारी एवं वाणिज्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे कर राजस्व में यदि विशेष ध्यान दिया जाए तो 22 की जगह 30 प्रतिशत कर राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना और कर्ज माफी जैसी योजनाएं हमारी समाजवादी सरकार की किसानोन्मुखी और गांवोन्मुखी सोच को प्रदर्शित करता है। अगर हम देखें तो पिछली पांच साला सरकार ने कीमती जनता की गाढ़ी कमाई को उलूल-जुलूल तरीके से खर्च किया और जिसका परिणाम भारी राजकोषीय घाटे के रूप में सामने आया है। मान्यवर, गेहूं खरीद के लिये बोरे के आकलन में कमी की गई, आज तमाम बातें हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खाद या बीज का जो आवंटन होता है उसके लिए साल-छः महीने पहले से नीति बनाई जाती है। बोरों की कितनी आवश्यकता होगी, कितना उत्पादन होगा इसके लिए पिछली सरकार में कोई सोच नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप अगर कुछ अव्यवस्थाएं हैं तो हमारे नेता मा0 मुख्य मंत्री जी ने खुद जा करके गेहूं क्रय केन्द्रों का दौरा किया और व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये उन्होंने प्रयास किया और उनका संकल्प इस बात से भी प्रदर्शित होता है कि आगे आने वाली फसल के लिए जो खाद और बीज की आवश्यकता है उसके लिए पहले से बजट में व्यवस्था कर दी गई है और यह चीज सुनिश्चित कर दी गई है। अभी हमारे साथी मनीष रावत जी ने बड़ा अच्छा उल्लेख किया, मैं भी पासी बिरादरी से हूं, पासी जाति से हूं, पिछली सरकार की तो पासियों की ओर कभी नजर ही नहीं रहती थी लेकिन हमारे नेता ने जो चौकीदारों को अनेकों सुविधाओं का आवंटन किया है, उनकी तरफ जो नजर की है उससे पासी बिरादरी में बहुत हर्ष का माहौल है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो हमारे समाज के महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी और महाराजा बिजली पासी का किला है इसके संवर्धन और सुधार के लिए भी कुछ व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि यह

सरकार प्रदेश को अपने पुराने गौरव में वापस लायेगी और अपनी बात को मैं एक शेर कहकर समाप्त करता हूं कि -

''अभी न पूछो हमसे मंजिल कहां है,
अभी तो हमने चलने का इरादा किया है।
न हारे हैं न हारेंगे कभी,
यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।''

*श्री विजय बहादुर यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो मुझे 2012-2013 के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में जनआकांक्षाओं की पूर्ति के लिये प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कहा कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर किसी के लिए हम अपने बजट में प्रावधान देंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो कहा कि हम बिजली देंगे, पूरे पूर्वांचल की विद्युत दुर्दशा को आपने देखा है। जब हम गांव में जाते हैं तो जब गांव के बच्चों के पढ़ने का समय होता है, ऐसे में हमारे गोरखपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में जो खूराबाद ब्लाक है, पिपरौली ब्लाक है।

उन गांवों में जब हम जाते हैं, जो रोस्टर प्रणाली लागू की गयी है उसमें ऐसी स्थिति है जब बच्चे सोते हैं तो विद्युत आती है और जब बच्चों के पढ़ने का समय होता है तो विद्युत चली जाती है। ऐसे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसी रोस्टर प्रणाली को समाप्त करें। चूंकि उन्होंने प्रदेश के समग्र विकास के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए लैपटांप, कम्प्यूटर देने की बात कही है, मान्यवर, लैपटांप व कम्प्यूटर देंगें, ठीक है, लेकिन उसके संचालन के लिए जब विद्युत होगी तभी लैपटांप, कम्प्यूटर चल पायेंगें, तभी टेलीफोन चल पायेंगें? ऐसे में आवश्यक है कि जब हमारे बच्चों के पढ़ने का समय हो, जब औरतों के घर का काम करने का समय तब बिजली मिल सके। रोस्टर प्रणाली ऐसी लागू करें, सप्लाई व्यवस्था ऐसी हो जिसमें आम जनता को लाभ मिल सके। हमारे ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की स्थिति ऐसी है कि रात को 12 बजे सप्लाई दी जाती है और भोर होते ही जब 5 बजता है तो सप्लाई काट दी जाती है। दिन में सुबह के वक्त जब उनको विद्युत की आवश्यकता होती है ऐसे समय में गर्मी के समय 8 से लेकर 5 बजे तक विद्युत सप्लाई नहीं की जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शाम को 5 बजे से 11 बजे तक विद्युत दी जाए और दिन में सुबह के समय बिजली दी जाए जिससे जरूरत पड़ने पर किसान अपने खेतों में पानी चला सकें। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो शहरी क्षेत्र हैं, उनमें तार और पोल की बहुत जर्जर स्थिति है। तार के खम्भे पुराने लगे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में भी हम लोगों ने देखा जो विद्युत तार बदलने की व्यवस्थायें थीं, वह केवल दिखावा मात्र थीं और कहीं भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे नये तार और पोल का सृजन हो सके, जिससे विद्युत की सुचारू रूप से सप्लाई की जा सके। ऐसे में हम आपके माध्यम से यह मांग करते हैं कि जो तार और पोल की जर्जर व्यवस्था है नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उसकों ठीक किया जाए जिससे कम से कम जो गोरखपुर में 15-16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति है, उसमें भी कम से कम 16 घण्टा सप्लाई मिल सके। जो सप्लाई की व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। कम से से कम गोरखपुर पूर्वान्चल का एक बहुत बड़ा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केन्द्र है, एक हब है। चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो ऐसी स्थिति को देखते हुए गोरखपुर को चौबीसों घण्टे विद्युत की आपूर्ति की जाए। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि पूर्वांचल में गोरखपुर एक अलग महत्व रखता है ''गुरू गोरक्षनाथ'' की नगरी है। ऐसे में यह प्रयास किया जाए कि गोरखपुर को 24 घण्टे की सप्लाई दी जाए। जहां तक सवाल है पानी का तो, मान्यवर, पानी की स्थिति ऐसी है कि अभी एक दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी माननीय वित्तमंत्री ने कहा कि स्वजल धारा की जो टंकियां बनी हुई हैं, उन टंकियों की स्थिति ऐसी है कि वह अपने-आप में डगमगाती हैं।

हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार की जो योजना है स्वजल धारा की, ऐसी योजनायें जब फेल हो जाती हैं तो किस प्रकार से पानी की सप्लाई की जाए। हम आपके माध्यम से यह मांग करते है कि ऐसी स्वजल धारा की बनी टंकियों में जो दुर्व्यवस्था है उसको ठीक करके ग्रामीण अंचल में सही पानी की व्यवस्था की जाए। कम से कम प्रत्येक विधायक को 500 इंडिया मार्का हैण्डपम्प दिया जाए जिससे कि ग्रामीण अंचलों की जनता को सुचारू रूप से पानी दिया जा सके। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं, जहां तक शिक्षा की बात है आप जानते हैं कि जो प्राइमरी पाठशाला देहात क्षेत्रों में हैं उनकी स्थिति बहुत बदतर है। हम कहते हैं कि बच्चे क्यों नहीं प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ने जाते हैं। एक तरफ देखेंगें कि कान्वेण्ट के विद्यालय है, कान्वेंट के विद्यालयों में ऐसी सुविधा है जिस पर सबका विश्वास बढ़ा है। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे कान्वेण्ट में पढ़े। जो गरीब है वह भी चाहते हैं कि एक टाइम का भोजन हम न करें लेकिन अपने बच्चों को कान्वेंट की शिक्षा दें। ऐसे में हमारे प्राइमरी विद्यालय जहां शिक्षक नहीं हैं, जहां शिक्षक दौड़ते हैं मिड-डे-मील के खाद्यान्न के लिये, दिन भर वह लाइन लगाते हैं कि हम खाद्यान्न व्यवस्था को दुरुस्त करें, बच्चों के मिड-डे-मील का भोजन लायें, लकड़ी लायें। ऐसे में अगर किसी प्राइमरी स्कूल में एक भी अध्यापक है तो वह मिड-डे-मील भोजन की तरफ ध्यान देता है न की शिक्षा की तरफ। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों को ऐसा विद्यालय देना चाहिये जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हों, इन विद्यालयों के टक्कर में हमको पहले इसको जिला स्तर पर बड़े विद्यालय की स्थापना करनी चाहिये जिससे हम लोग ऐसा विद्यालय दें। हम लोग आम जनता को विश्वास दे सकें कि हम इन विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं और बच्चे अच्छी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो शिक्षा का पैसा जा रहा है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में प्रति माह कम से कम पांच लाख रुपया जाता है इस पांच लाख रुपये का केवल दुरुपयोग हो रहा है कहीं भी किसी भी प्राथमिक स्कूल में ऐसे बच्चे नहीं हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। इसमें किसी का कोई विश्वास नहीं है। इस पूरे विधान मण्डल में 403 सदस्य हैं लेकिन कोई भी विधायक यह नहीं कह सकता है कि हम उन विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। हम आपके माध्यम से यह आग्रह करते हैं कि उन विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिये एक अच्छी योजना बनाई जाए और एक ऐसी योजना डेवलप की जाय जिससे यह जो कान्वेंट के विद्यालय हैं उन कान्वेंट विद्यालयों के टक्कर में हम एक अच्छा विद्यालय स्थापित कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो सड़कों की हालत है अगर हम अटल जी की चतुर्भुज योजनाओं को छोड़ दें तो कोई हम ऐसी सड़क नहीं पायेंगे जिस पर हम चल सकें। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो माननीय अटल बिहारी बाजपेई जी के द्वारा लागू की गई थी आज अगर पूरे प्रदेश में देखा जाय तो उस योजना का लाभ ही हम लोगों को मिल रहा है पूरे प्रदेश में जो भी धन सड़कों के लिये जा रहा है उसका केवल

दुरुपयेाग हो रहा है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं पर पांच साल की गारण्टी दी जाती है कि पांच साल उन सड़कों का रखरखाव उन ठेकेदारों द्वारा करना है जो उनका निर्माण कार्य करते हैं उसी प्रकार जो सड़कों के लिये धन जाय उसमें भी उसी प्रकार का बांड बनवाया जाय जिससे कम से कम हमारे प्रदेश की जनता का धन बरबाद न हो। जिससे हम लोगों की जो सड़कें बनें वह कम से कम 10-20 साल चल सकें। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की गुणवत्तायुक्त सड़कें हमारे प्रदेश के लिये बननी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री विजय बहादुर यादव-

माननीय अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र जो ग्रामीण और शहर दोनों को मिलाकर बनाया गया है। गोरखपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र हैं सीवर की स्थिति बद से बदतर है जो नाले बनाये गये हैं उनके लिये भी कोई योजना नहीं बनी है प्रतिवर्ष वह नाले बनाये जाते हैं लेकिन वह योजना के अनुसार नहीं बनाये जाते हैं कहीं एक फुट ऊंचे हैं कहीं एक फुट नीचे हैं उनके लिये ऐसा ड्रेनेज सिस्टम लागू किया जाय जिससे पानी की निकासी की सही व्यवस्था हो सके। अध्यक्ष जी आपने मुझे मुख्यमंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री मौ0 इरफान-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय आपने बजट के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारे युवा मुख्य मंत्री ने ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया है जो अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा ही नहीं पुराने बजट से 18 प्रतिशत अधिक है जिसमें 280 नई योजनायें प्रस्तावित हैं ऐसा बजट पहली बार आया है। अधिष्ठाता महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस दूर अंदेशी का परिचय इस बजट में दिया है अह अपनी मिसाल आप है। अब तक पूरी विधान सभा के इतिहास में इतना बढ़िया बजट पेश नहीं किया जा सका है। पुरानी सरकारों के बजट हमने देखे हैं, सुने हैं, और पढ़े हैं। हमारे माननीय विपक्ष के सदस्यों ने व हमारे बहुत से साथियों ने बजट के समर्थन में भी अपनी बात कही है। लेकिन नेता विरोधी दल है उन्होंने अपने भाषण में कुछ इस तरह की बातें कहीं हैं जिनका मैं जवाब देना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय मेरा मानना है कि आलोचना का जब तक लोजिक न हो तब तक उसका कोई महत्व/अर्थ नहीं रह जाता है। केवल आलोचना करने के नाम पर हर चीज को एक ही आइने से नहीं देखना चाहिये। यह कहीं का इंसाफ नहीं है। मान्यवर, इस समय नेता विरोधी दल महोदय हाउस में नहीं हैं मैं उनकी शान में एक शेर एक शेअर पढ़ना चाहता हूं। ''औरों की खामियों पे नजर है जनाब की, उनकी अपनी कमी पे आंख कमियों पर आंखें कभी खोलते नहीं। पिछले जो यहां पर पांच साल गुजर चुके हैं उन्होंने उस समय क्या क्या नहीं किया है। आप ही अपने समय के कार्यों का जवाब दे पायेंगे क्योंकि आप जवाबदेह हैं। मान्यवर, यहां पर काफी पुराने सदस्य मौजूद हैं काफी नये सदस्य भी चुनकर आये हैं। उनके सामने एक अनुठा बजट है। आज जो बजट युवा मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसकी मैं सराहना करता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो लाख एक सौ दस दशमलव इकसठ करोड़ रुपये का बजट

पेश करके एक सराहनीय कार्य किया है। उससे आम नागरिक में एक उम्मीद की किरण जागी है कि इससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे युवा मुख्य मंत्री जी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिये काफी योजनायें बनाई हैं और जिनको इस बजट में उल्लिखित किया है। आपने दोनों क्षेत्रों के लिये अलग-अलग फीडर बनाने की योजना पेश की है वह एक बेहतरीन तरीका है, नमूना है। उसमें कम से कम जितनी बिजली उस क्षेत्र में मिल रही है उसको कन्ट्रोल किया जा सकेगा। मान्यवर, इस बजट भषण के पृष्ठ-48 पर उल्लिखित है कि ''मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस सम्मानित सदन के माननीय विद्वान सदस्य चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्ध क्यों न रखते हों, प्रदेश के समग्र विकास की इस पहल में हमारा सहयोग करें।'' मान्यवर, हमारे विपक्ष के सम्मानित सदस्यों को मुख्य मंत्री जी की इस अपील पर दिल से गौर करना चाहिये और सहयोगात्मक रवैया सरकार के साथ अपनाना चाहिये। मान्यवर, मैं मुरादाबाद जिले में नवसृजित सीट विलशि से चुनकर आया हूं। मैं बड़े अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिलारी नगर मुरादाबाद के लिये इस बजट में कुछ अलग प्रावधान किया जाये।

मान्यवर, हालांकि मैं इस सारे बजट के बारे में बिल्कुल यह नहीं कहूंगा कि कहीं खामी है, मैं उस क्षेत्र से विधायक हूं इसलिये अपने क्षेत्र और जिले मुरादाबाद के दर्द का जिक्र करना चाहूंगा कि वहां विकास की बहुत जरूरत है। अंत में पूरे बजट की सराहना करते हुए यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से यह बजट प्रस्तुत किया है उससे वह एक आदर्श मुख्य मंत्री सिद्ध होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे इधर के विधायक हों या उधर के सब लोग मिलजुलकर इस सरकार को सहयोग करें और इस उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनायें। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की साधारण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैंने इस पूरे बजट भाषण को पढ़ा है पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो घोषणायें समाजवादी पार्टी के माननीय नेताओं ने चुनावों के समय की थीं उसको पूरा करने का कोई काम इस बजट में नहीं किया गया है। मान्यवर, आज आजादी के 65 सालों के बाद भी हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। यह सबसे बड़ा बजट होने के बावजूद भी यहां स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है इसमें कि जो चुनावी घोषणायें की गई थीं वह कैसे पूरी होंगी और कब पूरी होंगी। आज पूरे मीडिया में हर जगह चर्चा है कि लैपटाप बटेगा, टेबलेट बंटेगा किनको लैपटाप मिलेगा, किनको टेबलेट मिलेगा यह स्पष्ट नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि गांवों के छात्रों को शहरी छात्रों के बराबर लाकर उनको बराबरी में बैठाने का काम करूंगा ताकि गांव का छात्र यह महसूस न कर सके कि वह कहीं से कमजोर है लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, लैपटाप गांव के छात्र को मिलेगा, टेबलेट गांव के छात्र को मिलेगा लेकिन गांव में बिजली नहीं है कैसे चलेगा लैपटाप, आज गांव में प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है अभी माननीय राधा मोहन जी बता रहे थे पूरी रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि कक्षा-5 के छात्र को कक्षा-2 के सवाल नहीं आते। नकल की व्यवस्था से पास छात्र जब लैपटाप लेगा तो कैसे चलायेगा। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज हम सब लोग यहां चुनकर आये हैं आजादी के 65 साल के बाद हमारे प्रदेश की क्या हालत है इसके लिये न आप जिम्मेदार हैं और न मैं जिम्मेदार हूं जनता ने हमको जिसलिये यहां चुनकर भेजा है, साथियों मेरी बात को सुनने का काम

करिये यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं किसी पर आरोप लगाने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी बहुत आदर करता हूं मेरी उनसे कई बार मुख्य मंत्री बनने से पहले भेंट भी हुई है। उनके अन्दर जो सोच है जो विजन है, जो विदेश से पढ़ाई करके आये हैं वह यहां वाकई जमीन में लागू हो, यह मैं चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं इस सरकार से। जब प्रदेश में लखनऊ की राजधानी से पहली बार किसी जनपद के दौरे पर वह निकले तो वह बाढ़ का जायजा लेने लखीमपुर गये। बाढ़ प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है और बाढ़ हमारे क्षेत्र की भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से मुख्य मंत्री जी लखीमपुर खीरी के बाद कहीं देखने नहीं गये मैंने अखबारों में पढ़ा था कि मुख्य मंत्री जी के दौरा होने के कारण वहां के अधिकारियों ने पानी छोड़ दिया ताकि कहीं सही जांच न हो जाय। लेकिन आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, बाढ़ को लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। पूरे प्रदेश में मानसून आने वाला है बरसात आने वाली है लेकिन बाढ़ को रोकने की कहीं कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। 2010 में हमारे क्षेत्र में भी भीषण बाढ़ आई थी, 2011 में बाढ़ आई थी मेरा सुझाव है सरकार से कि बाढ़ आई तो अनुदान के नाम पर 15 करोड़ 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया बांट दिया गया लेकिन जिनको अनुदान मिला उससे जो उनका नुकसान हुआ उससे उसका कहीं 5 परसेंट भी भरपाई नहीं हो पा रही है।

मैं यह मांग करता हूं कि यह अनुदान खैरात बांटने की जगह बाढ़ को रोकने के उपाय खोजे जायें। जिससे कि हम बाढ़ को रोक सकें। मैं पढ़ रहा था इस बजट भाषण को आप सबने भी पढ़ा होगा, इसमें किसानों के कर्ज माफी के लिये आपकी पार्टी ने घोषणा की थी कि हम 50 हजार रुपये का कर्ज माफ करेंगे लेकिन इसमें केवल सहकारी बैंकों के कर्जों की माफी के लिये 500 करोड़ का प्राविधान किया गया है। बाकी अन्य बैंकों के कर्ज की माफी नहीं होगी। यह जनता के साथ छलावा है आप केवल सहकारी बैंक का माफ करेंगे बाकी जो बैंक के कर्जदार हैं वह कहां जायेंगे अधिकतर लोग गांव से चुनकर आते हैं। अधिकतर विकास यहां जो हमारे विधान सभा गांव क्षेत्र की हैं और पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि अगर गांव के किसान के चेहरे पर खुशहाली होगी गांव में फसल अच्छी होगी तो लखनऊ के हजरतगंज के मार्केट में दुकानदारों के चेहरे पर चमक होगी वरना लखनऊ में भी दुकानदार सन्नाटे में बैठा रहेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो वायदा हुआ है कि किसानों का 50 हजार का कर्जा माफ किया जायेगा तो एक तरफ से जितने भी बैंक हैं चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हों, शिड्यूलड बैंक हों, चाहे सहकारी बैंक हों सबके कर्जे माफ करने की व्यवस्था बजट में की जाय। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी अग्रवाल साहब बहुत अच्छी बात रख रहे थे कि चिन्ता प्रदेश के विकास की होनी चाहिये, चिन्ता होनी चाहिये कि गांव का विकास कैसे हो, लेकिन मैं आपको बड़े अफसोस के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय है, उसकी हालत इतनी खराब है कि वहां के जो कर्मचारी हैं यहां लखनऊ में किसी विशष सचिव के यहां, प्रमुख सचिव के यहां अपने को अटैच कराये हुए हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं और यहां विद्यालय में सफाई करने वाला कोई नहीं है, ताला खोलने वाला कोई नहीं है। आज यह हालत है शिक्षा की। आजादी के 65 साल बीत गये हैं। 65 सालों के बाद जब आज चर्चा हो रही है तो प्रदेश जब देश के पूरे प्रदेशों में तुलना होती है तो सबसे पीछे जा रहा है। इसके लिये कोई एक जिम्मेदार नहीं है। स0पा0 की सरकार भी चार बार रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो विद्युत

सप्लाई है वह दो जनपदों से आती है। दो विकास खण्ड से जनपद बदायूं से सप्लाई आती है एक विकास खण्ड में शाहजहांपुर से आती है। मैंने एक प्रस्ताव शासन को भेजा था कि हमारे यहां एक 132 के0वी0ए0 का सब स्टेशन बनाया जाय जिससे पूरी तहसील को विद्युत सप्लाई मिल सके। मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी इस मांग को इस बजट में शामिल करके हमारे क्षेत्र में एक 132 के0वी0ए0 का एक पावर हाउस लगाया जाय। हमारे यहां प्राविधिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये एक आई0टी0आई0 की मांग हमारे क्षेत्र में हो रही थी। आई0टी0आई0 बनाये जाने के लिये जो सारी व्यवस्था उसकी है वह शासन को मंजूर हो गई है। वहां उसके लिये जमीन भी उपलब्ध हो गई है लेकिन अभी तक बीच में आचार संहिता लग गई। नई सरकार बनी है, मैं मांग करता हूं कि उस आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जाय। हमारे क्षेत्र में एक पालीटेक्निक का निर्माण कार्य चल रहा है उसको दो महीने से पता नहीं क्यों किन कारणों से रोक दिया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह पालीटेक्निक जो निर्माणाधीन है उसके निर्माण को गति देते हुए काम को तेजी से चालू कराया जाय। कानून व्यवस्था के बारे में भी आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हाहाकार मचा हुआ है। हमारे क्षेत्र में थाना मिर्जापुर है वहां के एक निवासी रमेश चन्द्र जी हैं उनके बेटे का अपहरण हो गया उसके बारे में सारे अखबारों में खबर निकली है। वहां पर उनकी एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जा रही है। कहा जा रहा है कि खुद ढूंढ़ो। हमारे यहां जलालाबाद कोतवाली में गांव है कोला। कोला गांव में एक हमारे सौरभ पाण्डेय जी हैं उनके मकान में कब्जा हो गया है। लगातार वह चक्कर लगा रहे हैं। मैंने भी पुलिस अधीक्षक से बात की लेकिन आज तक वह खाली नहीं कराया गया है। ऐसी सैकड़ों घटनायें जो आज हो रही हैं, यह कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय मुलायम सिंह जी ने अनुरोध किया है कि 6 महीनें का समय सरकार को दिया जाय। लेकिन जो यह 3 महीने बीते हैं यह नहीं दिखा रहे हैं कि 6 महीने में आप स्थिति को सम्भालेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बजट की चर्चा में मैंने अपनी बात रखी है उस पर बल देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

(शोर)

सुश्री सावित्री बाई फूले-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करती हूं तथा सदन में जीतकर आए सभी सदस्यगण, मंत्रीगण, विपक्ष के हमारे नेतागण मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं पहली बार विधान सभा का चुनाव जीतकर आई हूं। मान्यवर, 28 तारीख से जो मुझे सदन में देखने और सुनने को मिला है वह आरोप-प्रत्यारोप के अलावा और कुछ सुनने को नहीं मिला है। मान्यवर, पूरा देश और प्रदेश टी0वी0, रेडियो, अखबार के माध्यम से सुन रहा है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब हम चुनाव लड़ने के लिये जाते हैं तो सत्यनिष्ठा, अखंडता, प्रभुता, भारत के संविधान के प्रति शपथ लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भी हम सभी लोग शपथ लेते हैं। भारत का संविधान, समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व और न्याय पर आधारित संविधान है। भारत के संविधान के तहत भारत का संचालन होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, और विधायिका के रूप में हम सब सदन में उपस्थित हुए हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं कि सदन में बन्दे मातरम् से सदन की शुरुआत होती है, और इसके बाद भारत माता के प्रति देश प्रदेश की जनता के प्रति जब हम चुनाव के मौके पर खरे नहीं उतरते हैं तो जनता सोचने

को मजबूर हो जाती है और उसका खामियाजा पिछली सरकार को भुगतना पड़ता है। मैं कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी की सरकार है और इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में गुण्डाराज कायम था। चोरी, डकैती, शोषण, अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर था। इस सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने विकल्प के रूप में, समाजवादी पार्टी की सरकार को चुना। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आशा थी लालसा थी, जिस आशा और विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, नई उम्र के हैं नया जोश है, नई सोच है, नई सोच के नाते जनता को बहुत आशा थी लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जबसे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी हुए हैं आपको टी0वी0 रेडियो और अखबार के माध्यम से पढ़ने सुनने और देखने को मिला होगा। हम नये सदस्य के रूप में चुनाव जीत कर आये थे और हम सोचते थे कि हमारा नया मुख्य मंत्री होगा और हम सदन में जायेंगे, जनता के बीच में हम बहुत से वायदे करके आये हैं, पिछली सरकार में लगातार घटनायें हुई हैं, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार जो हुआ है, उससे जनता पूरी तरह से डरी हुई थी, हम लोग जनता के बीच में वायदा करते थे कि आप हमें विधान सभा का सदस्य बना कर भेजिये, आपके क्षेत्र में हम भयमुक्त सरकार देंगे। लेकिन मान्यवर, मुझे कहना पड़ता है कि आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में जैसे पिछली सरकार में गुण्डाराज, जंगलराज कायम था, ठीक उसी तरीके से आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अधिकारियों और कर्मचारियों में जरा सी भी दहशत नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जिस तरीके से बसपा की सरकार में खुले आम घटनायें होती थीं, खुलेआम अत्याचार होता था, खुलेआम शोषण होता था, उसी तरीके से आज समाजवादी पार्टी की सरकार में हो रहा है। इसलिये मान्यवर, मैं सदन में कहना चाहती हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से विनती करना चाहती हूं कि मुख्य मंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी, जिस आशा और विश्वास के साथ चुनाव जीतकर आये हैं, जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको बहुमत दिया है, इस सरकार को देखते हुए आप विचार कीजिये और इस देश में, प्रदेश में जनता भयमुक्त सरकार चाहती है। आप कह चुके हैं, आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जाना सरकार की प्राथमिकता होगी। मान्यवर, आपका बजट पेश होने के बाद भी किसी भी जिले में अधिकारियों में किसी प्रकार का भय नहीं है, डर नहीं है। हम लोग विधायक हैं और विधायक होने के बाद क्षेत्र में कोई घटना होती है, लेकिन घटनायें होने के बाद भी अधिकारी चिन्तित नहीं हैं। मान्यवर, खाद्य विभाग, कोटा सम्बन्धी मामलों को मैं बताना चाहती हूं। मैंने स्वयं जा करके जांच किया है, जांच करने के बाद उस कोटेदार को सस्पेंड किया गया लेकिन 2-3 महीने के बाद उस कोटेदार को बहाल कर दिया।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

सुश्री सावित्री बाई फुले-

तहसील नानपारा के अन्तर्गत 27 कोटों को पहले सस्पेंड करते हैं, उसके डेढ़ महीने बाद कोटे को बहाल कर देते हैं। मान्यवर, जिस आशा के साथ जनता ने आपको यहां भेजा है, उस गरीब जनता का पेट काटा जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है, आपको कोटे के मामले पर विशेष

ध्यान देना होगा। मान्यवर, आपने हमें समय दिया है, सभी को समय देते हैं, मैं महिला हूं और जब आपने मुझे समय दिया है तो मैं कहना चाहती हूं, हमारा 282-बरहा विधान सभा क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में चार नदियां हैं-गेरुआ नदी, घाघरा नदी, राप्ती नदी और भादो नदी। चार नदियों के बीच में हमारा विधान सभा क्षेत्र है और लगभग 70 कि0मी0 तक जंगल से लगा हुआ भाभर क्षेत्र है। उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, थारू और पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में चाहे स्कूल हों, चाहे अस्पताल हों, वहां पर काफी दिक्कतें हैं। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में सड़कें इतनी जर्जर अवस्था में हैं, सुदौली, विछुया मार्ग आदि सड़कें लगभग 15 वर्षों से जर्जर पड़ी हुई हैं। लोग कहते हैं कि रोड पर गड्ढ़ा है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इस क्षेत्र में गड्ढ़े में रोड है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं भारतीय संविधान के तहत मैं सुरक्षित सीट से चुनाव जीतकर आई हूं। इसलिये मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि 282 विधान सभा क्षेत्र के प्रति आपका ध्यान आकर्षित हो। हमारे क्षेत्र के प्रति विशेष ध्यान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

*श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया और माननीय युवा मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो वर्ष 2012-13 का बजट प्रस्तुत किया गया है। उसमें तमाम वह योजनायें शामिल की गई हैं, तमाम उन चीजों की तरफ इशारा किया गया है जो आज की आवश्यकता है। मान्यवर, यह समाज और इस देश, प्रदेश की तरक्की हमारे समाज के बहुत सारे घटकों पर निर्भर करती है। जिस तरह से हमारे देश की विकास दर 10 प्रतिशत के आसपास आती है लेकिन हमारे प्रदेश की विकास दर बहुत नीचे है। और उसमें भी जो हमारे गांव में रहने वाला मजदूर और किसान है उसकी विकास दर लगभग एक प्रतिशत होगी। मान्यवर, हम लोग जनता के आशीर्वाद से चुनकर आते हैं और जनता का विश्वास होता है कि हम लोगों को राहत मिलेगी, मजदूर को रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा और जो बीमार है उनको चिकित्सा का इंतजाम होगा। इस तरह से अगर उनकी उम्मीदें नहीं पूरी होती तो हमारा मकसद इससे पूरा नहीं होता कि हम विधान सभा में आकर बैठकर चर्चा करके चले जायें। मान्यवर, युवा मुख्य मंत्री आदरणीय सम्मानित और हमारे सदन के नेता मा0 श्री अखिलेश यादव जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मान्यवर, जिस तरह से किसान है, गरीब मजदूर है, युवा हैं, छात्र है, महिलायें हैं यह तमाम लोग इस समाज को बनाते हैं अगर इनकी तरक्की की बात नहीं की गई इनके लिये बजट में व्यवस्था नहीं की गई तो हमारा समाज तरक्की नहीं करेगा। विकास दर और नीचे जाएगी। मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहता हूं कि किसान, गरीब, कमजोर, वृद्ध और विकलांग को जिस तरह से यह बजट में व्यवस्था की गई है वह वास्तव में सराहनीय है। मान्यवर, इस देश में 10-20 प्रतिशत लोग इसकी सम्पत्ति को खा रहे हैं। वह 20 प्रतिशत लोग पूरे धन के मालिक हैं। हम लोगों का एक मिशन होना चाहिये कि 20 प्रतिशत लोगों के पास इस देश का जो धन है वह मजदूर और किसान में किस तरह से बटे। उसका एलोकेशन कैसे हो। किसान जिस तरह से मेहनत करता है लेकिन उसकी विकास दर 01 प्रतिशत है तो उसको कैसे बढ़ाया जाये। अगर किसान को खाद समय पर न मिले तो उसकी फसल खराब होती है। अगर कभी दुर्घटना हो जाये तो उसे क्या राहत मिलती है। अगर बिजली न

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिले तो कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर किसान कर्जदार हो जाये तो उसको राहत कैसे मिलेगी। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें खाद का भी इंतजाम किया गया है। पहले से ही खाद का प्रबन्ध होगा। उसके बजट की व्यवस्था होगी। उसी प्रकार से अगर किसान की अप्राकृतिक घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये पूर्व में जो समाजवादी की सरकार ने एक लाख रुपये की व्यवस्था की थी उसको बढ़ाकर पांच लाख किया है। यह वास्तव में किसानों के हित में बड़ा काम किया गया है। विद्युत के फीडर अलग करना, ऋण राहत देना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन वह अदा नहीं कर पाते हैं। और कर्ज अदा न करने से पूरे घर परिवार में उनको परेशानी होती है। तो इस ऋण व्यवस्था में उन्होंने राहत दी है वह भी प्रशंसनीय है। मान्यवर, आप किसान को उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा उसकी देखरेख नहीं होगी, जो उसने उत्पादन किया है उसकी लूट होगी अगर इसको नहीं रोका जायेगा तो मान्यवर, यह भी उसके साथ नाइंसाफी होगी। इसके लिये भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बात का प्रबन्ध किया है कि सब लोगों को लाभकारी मूल्य मिले।

(इस समय 4 बजकर 50 मिनट पर श्री अधिष्ठाता पुनः पीठासीन हुए।)

हम गरीब और कमजोर की बात अगर न करें तो यह भी बेइन्साफी होगी, गरीब और कमजोर के लिये, मजदूर के लिये और जो रिक्शा चालक है वह भी मजदूर है, पूर्व की सरकार ने कभी रिक्शा चालक के लिये कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं नोएडा में रहता हूं, नोएडा में हजारों-हजार की संख्या में रिक्शा चालक हैं, पूर्व की सरकार ने वहां के चेयरमैन ने रिक्शा चालकों को बन्द कर दिया कि यहां की सड़कों पर रिक्शा नहीं चलेंगे। मान्यवर, उनकी रिक्शा तोड़ी जाने लगी, बहुत परेशान हुए तो नोएडा नया-नया बसा था और उसमें बहुत दूर का वह व्यक्ति जो बगैर पढ़ा लिखा है और मजदूरी करना चाहता है, रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता था, लेकिन जैसे ही पूर्व की सरकार ने उनके रिक्शा बन्द कर दिये जो सब लोगों को बड़ी परेशानी हुई। बहुत आग्रह के बाद भी नहीं खोला गया, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया और फिर हाईकोर्ट ने एक रूलिंग दी कि इन रिक्शा वालों का क्या दोष है, तो हमने भी कहा ऐसा कौन सा कानून है कि रिक्शा वालों को रोका जायेगा, जो प्रदूषण नहीं करते, जो किसी तरह का व्यवधान नहीं करते। तो मान्यवर, उन रिक्शा वालों के लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की और मा0 नगर विकास मंत्री जी की बहुत भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहूंगा कि सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था करके उन रिक्शा चालकों के लिये मोटर और बैटरी और सौर ऊर्जा से चालित रिक्शा का इंतजाम किया है। तो यह वास्तव में पिछड़े वर्ग के साथ लेकर चलने की व्यवस्था का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। साथियों, मान्यवर, युवा को अगर दिशा नहीं मिलेगी, छात्र को दिशा नहीं मिलेगी, बेरोजगार को दिशा नहीं मिलेगी, तो कहां जायेगा यह समाज, कौन सी दिशा में जायेगा, अपराध की दिशा में जायेगा या तरक्की की दिशा में जायेगा, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस तरफ अपने युवा होने का पूरा परिचय दिया है कि नौ लाख बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह बेरोजगारी भत्ता देखने में या पढ़ने में एक हजार रुपये प्रति माह लगता है, लेकिन वास्तव में जिसके पास पैसा नहीं होता है और वह मजदूरी का पैसा सौ रुपये कमा कर लाये जो रात को भी गिनगिन कर देखता है कि सौ रुपये मेरा खो तो नहीं गया। तो यह एक हजार रुपये वही एक लाख रुपये का काम करेगा, उस बेरोजगार के लिये और उसके लिये ग्यारह सौ करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की है वह अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मान्यवर, उसी तरह से अगर छात्र को पढ़ने-लिखने के बाद भी

उसको यह नहीं लगता कि वह पढ़ा लिखा है या जब वह शहर में जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि वह अनपढ़ है, शहर में पढ़े लिखों की लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, उसको ताकत देने के लिये दसवीं पास को टेबलेट देने की व्यवस्था की गई है और बारहवीं पास के लिये लैपटाप की व्यवस्था की गई है मान्यवर, यह एक बहुत बड़ा काम छात्रों के लिये, बेरोजगारों के लिये और युवाओं को दिशा देने के लिये जो काम किया गया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय उतनी ही कम है। यह सबने माना है, विपक्ष ने भी माना है, हर दल के नेताओं ने माना है कि युवा मुख्य मंत्री ने युवा सोच के साथ एक नई दिशा देने का काम किया है और सराहना भी की है फिर हम क्यों न एक साथ मिलकर इस बजट का सभी लोग समर्थन करें, तो यह बहुत अच्छा कार्य होगा। मान्यवर, अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता जिस तरह से घटती रही है उसको बढ़ाने का काम अगर नहीं किया गया तो हमारा शिक्षा का स्तर गिर जायेगा। उस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये बेसिक शिक्षा के बजट में 24 परसेन्ट का इजाफा किया है जो अपने आप में एक मानक है और जो शिक्षामित्र पढ़ा रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे करके उनको समायोजन करने का जो कार्य सरकार करने जा रही है, वह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं अगर स्वास्थ्य ठीक न हो इस प्रदेश में तो और ज्यादा भयानक दिक्कत पैदा होती है। स्वास्थ्य के लिये जरूरी है उन गरीब, कमजोरों का ध्यान रखना जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जिनकी बड़े-बड़े हास्पिटलों में पैसे देकर के व्यवस्था नहीं हो सकती है, उनके लिये प्रदेश के सभी अस्पतालों में असाध्य रोग, जैसे हार्ट अटैक है, जैसे कैंसर है, उनके इलाज का उचित प्रबन्ध होना चाहिये, लेकिन जिला चिकित्सालयों में जिस तरह से अल्ट्रासाउण्ड की कमी है, जिस तरह से सीटी स्कैन की कमी है, एक्सरे मशीन नहीं है, तो इन मशीनों की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। आज हमारा चिकित्सा का जितना अच्छा प्रबन्ध होगा, उतना ही गरीब, कमजोर को मौका मिलेगा वह आगे बढ़ेगा। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं मान्यवर, सभी अस्पताल, जितने भी ब्लाक स्तर पर हैं, हाइवे पर हैं वहां पर आधुनिक चिकित्सा का प्रबन्ध होना चाहिये। वहां पर आधुनिक चिकित्सालय का राष्ट्रीय हाइवे पर प्रबन्ध होना चाहये। इस तरफ हमारे मुख्य मंत्री का प्रयास जारी है। मान्यवर, इसके लिये फीडर की व्यवस्था यह भी अपने आप में प्रशंसनीय है। अगर जहां पर चिकित्सा में ही बिजली न मिले, आपरेशन किया जा रहा है और बिजली भाग जाये और वहां कोई प्रबन्ध न हो तो उसके फीडर अलग करने की व्यवस्था की है। वो भी अपने आप में प्रशंसनीय है। मान्यवर, दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि महिला को अगर उत्थान में न लिया जाये, महिला को अगर दिशा न मिले, महिला का सम्मान न हो, महिला की तरक्की न हो तो भी उनके साथ नाइंसाफी होगी। कन्या विद्या धन जो हमारी पूर्व की सरकार ने शुरू किया था, उसको बढ़ाने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

चौहान साहब हो गया अब।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, आंगनबाड़ी कार्यकत्री जो हैं वो गांव-गांव जा करके समाज के सब लोगों का ध्यान रखती हैं उन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिये 1500 रुपये से 3000 रुपये देने का काम किया है तो यह भी प्रशंसनीय है। मान्यवर, इसी तरह से सहायिकाओं के लिये 750 से 1500 का काम किया तो यह क्या सराहनीय नहीं है। यह भी अपने आप में महिलाओं के साथ बहुत बड़ा काम किया गया है ।

मान्यवर, बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं के लिये जो कभी ऐसा नहीं हुआ, दो-दो साड़ी का इंतजाम किया। जिनकी पूरी सर्दियां निकल जाती हैं उनको कपड़ा नहीं मिलता, उसके लिये कम्बल देने की योजना दी है सरकार ने। मान्यवर, यह जो बहुत बड़ा कार्य हमारे युवा मुख्य मंत्री के निर्देशन में किया जा रहा है। मान्यवर, इसकी प्रशंसा होनी चाहिये। विकलांगों की पेंशन के लिये 75000 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। इसी तरह बी0पी0एल0 परिवारों के लिये रानी लक्ष्मी बाई योजना और बुजुर्गों के लिये सम्मान देने की योजना है। आज कमजोर किसान देख रहा है कि हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है। मान्यवर, अगर हम इस देश को इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिये मजदूर को, रिक्शा चालक को, जो हमारे मा0 नेता ने बात कही है कि **"शिक्षा, चिकित्सा मुक्त होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी"** तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। बीमा दुर्घटना योजना जो 5 लाख कर दिया है। उससे किसान कितना खुश होगा। मान्यवर, हमें याद आता है कि किसानों की जहां बात करते हैं पिछली सरकार में आपने भट्टा-परसौल का काण्ड सुना होगा, घोड़ी-बछेड़ा का काण्ड भी सुना होगा। जहां पर लोग अपनी भूमि का मुआवजा, उसका प्रतिकर मांगने गये और उनको मौत मिली, 6-6, 7-7 लोग अथॉरिटयों पर मारे गये। मान्यवर, अगर उस किसान की बात करना, उसको इंसाफ देना, आज जो नीति बनी, समाजवादी सरकार ने जो नीति तैयार की है कि उनका आधुनिक नीतियों में परिवर्तन करके उनको सर्किल रेट का 5, 6 गुना मिलेगा तो यह अपने आपमें सराहनीय है। मान्यवर, इस तरह से मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर पवित्र गंगा नदी के तट पर है और हरिद्वार....

श्री अध्यक्ष-

चलिये, आपका टाइम हो गया।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, अभी मेरा टाइम कहां हुआ है। आप अभी तो आये हैं। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सुनिये तो आप भी महत्वपूर्ण बतायेंगे इसको। मान्यवर, जब से हरिद्वार, मान्यवर, आप भी नहाने गये होंगे।

श्री अध्यक्ष-

हां, हां गये हैं।

श्री मदन चौहान-

आप नहाने गये ? अभी गंगा नहाने नहीं गये क्योंकि हरिद्वार तो वहां चला गया, आप गढ़ में गये। मान्यवर, जब से हरिद्वार उत्तराखण्ड में गया है और उत्तराखण्ड में जाने के बाद हरिद्वार की तर्ज पर हमारे गढ़मुक्तेश्वर घाट को विकसित करने की योजना शुरू हुई है। इसको बहुत बड़ा आयाम देने की आवश्यकता है। बृज घाट पर आपको भी मौका मिला होगा कि जब वहां पर भीड़ होती है बृज घाट पर तो 4-4, 6-6 घण्टे जाम लग जाता है। कभी पूर्णिमा पर, कभी दशहरा पर वहां इतनी भीड़ होती है तो ऐसे पवित्र स्थान के लिये हमको उसमें अच्छा बजट मिले, मैं अपनी ओर से इस बात का सुझाव के तौर पर दर्ज कराना चाहता हूं और एक बात और है जो सब जगह लागू होती है। कहीं भी इतिहास में कहीं भी वो नहीं है कि डूबने वाले लोगों को क्या मिलेगा, किसने बचाया, कितने लोग डूबे प्रदेश में गंगा स्नान के मौके पर और जब पूर्णिमा और दशहरे के मौके पर विभिन्न-विभिन्न जगह पर जब लोग गंगा स्नान करते हैं तो बहुत से लोग डूब जाते हैं तो उनको बचाने वाला कोई नहीं है,

उनको राहत राशि देने वाला कोई नहीं है, उस पर भी एक व्यवस्था होनी चाहिये मान्यवर। मान्यवर, जहां ऐसा स्थान है उसको तो पर्यटन की दृष्टि से इसमें बहुत ज्यादा, मेरा इसमें सुझाव है कि उसमें अगर पैसे का, धनराशि का ज्यादा उपयोग हो और इसी के साथ मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, पिछली बार सफाई कर्मचारी जो नियुक्त किये गये थे। मान्यवर, वह नियुक्त तो हो गये लेकिन वह सफाई कर्मचारी अभी भी सफाई नहीं करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइए, बहुत हो गया।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश बंसल-

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, मा0 अध्यक्ष जी मैं पहली बार चुनकर आया हूं, इसलिए मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी इस बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए 2074.11 करोड़ की योजना बजट में प्रस्तावित है, जिसमें दो सौ करोड़ रुपया कब्रिस्तानों की बाउन्ड्री के लिए है। मा0 अध्यक्ष जी मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में केलाभट्टा सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जिसमें कब्रिस्तान में नई कबरों के लिए कोई जगह नहीं है। कृपया उसके लिए जगह चिन्हित करके उसकी बाउन्ड्री की व्यवस्था करा दीजिये। इसमें गरीबी रेखा से नीचे आगे शिक्षा व रहने वाली मुस्लिम बालिकाओं के लिए दसवीं पास बालिकाओं के लिए उनकी शादी के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरे केलाभट्टा में उनकी शिक्षा के लिए कोई भी न हाई स्कूल है और न इण्टर कालेज है। कृपया इसकी भी व्यवस्था करा दीजिये। इसके साथ-साथ बच्चियों की शादी के लिए कोई स्थान नहीं है। एक सामुदायिक केन्द्र की स्थापना करा दीजिये और अध्यक्ष जी मेरे शहर की जो सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरे शहर के बीचो बीच से लाइन जाती है। इधर की तरफ विजय नगर क्षेत्र है और उधर की तरफ शहर है, उसमें इधर एक अंडरपास है जो कि बहुत सकरा है और इधर कोट गांव में एक रेल फाटक है। जो रेल फाटक है उसमें पिछले वर्ष दुर्घटनाएं हुई हैं और अब वह भी बंद लाइट वाहनों का हो गया है। हमने पिछले साल कोशिश की जिलाधिकारी के माध्यम से रेलवे को पत्र भी लिखे लेकिन उसमें यह हुआ है कि कोटगांव के ऊपर धोबीघाट पर ओवर ब्रिज बनाने की व्यवस्था बनी है, जिसमें उन्होंने 93 लाख करोड़ रुपये का प्राविधान किया है यदि कोट गांव का फाटक बन्द हो जाएगा तो आधा पैसा रेलवे देगा। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि गाजियाबाद शहर बहुत प्रसिद्ध शहर है दिल्ली के पास है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है ओवर ब्रिज की। कृपया इसके लिए इस बजट में इधन का प्राविधान करा दीजिए। अध्यक्ष जी, जो मेरा विजय नगर क्षेत्र है, जिसकी आबादी 6 लाख है, जिसमें कई ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं, जिसमें तमाम भारतवर्ष के लोग उसमें आकर रहते हैं, जिसके एक तरफ नोएडा है और एक तरफ दिल्ली है। सब गरीब लोग उसमें आकर रहते हैं, उसमें शिक्षा के लिए कोई हाई स्कूल विद्यालय भी नहीं है और कोई इण्टर कालेज भी नहीं है। मैं मा0 अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक डिग्री कालेज, हाई स्कूल या इण्टर कालेज बनवा दीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, उस स्थान में चिकित्सा के लिए कोई अस्पताल भी नहीं है।

मा0 अध्यक्ष जी, एक अस्पताल भी बनवा दीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, बजट में 33 करोड़ रुपये का प्राविधान है कि जो जिला अस्पताल है, मशीनें खरीदवाने, उनमें उपकरण उपलब्ध करायेंगे, पर गाजियाबाद जिले में जो एम0एम0जी0 हास्पिटल है, सबसे पुराना कहलाने के लिये है। परन्तु उसमें न तो कोई हार्ट यूनिट है और न कोई आई0सी0यू0 है और न कोई बर्न की यूनिट है। मा0 अध्यक्ष जी, आप उसकी भी व्यवस्था करा दीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, इस बजट में शहरी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आवास की 100 करोड़ की योजना है। आज भी हम देखते हैं कि हजारों लोग मेरे क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, रात को सड़कों पर सोते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, अधिक से अधिक मकान बनवा दीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में जो चांद मारी क्षेत्र है वहां पर हजारों झुग्गियां पड़ी हैं, जिनमें से आधे लोगों को मकान पिछली बार मिल चुके हैं, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया बचे हुए लोगों के लिए इस बार मकान बनवाकर उनकी भी व्यवस्था करा दीजिए। मा0 अध्यक्ष जी मेरे प्रताप बिहार क्षेत्र में खारा पानी पीने को मिलता है और गंगाजल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट वहीं पर है और उससे वैशाली, इन्द्रापुरम् को पानी मिलता है। खारे पानी से बच्चों को बीमारियां हो गयी हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रताप बिहार के निवासियों को जो गरीब लोग रहते हैं, उनको भी मीठा पानी दिला दीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मेरी इन समस्याओं का इस बजट में प्राविधान करा दीजिए। आपको बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब 5 बज गया है। आप सब लोग कल बोलियेगा। अभी कल का समय है। अभी चर्चा भी होनी है। इस पर आप लोग कल बोलियेगा।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 07 जून, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 65 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर की वक्तव्य हेतु निर्धारित हुई है जो जनपद मथुरा के वृन्दावन में उपमण्डी समिति शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री शिवेन्द्र सिंह की वक्तव्य हेतु निर्धारित हुई है जो जनपद महराजगंज के निर्वाचन क्षेत्र सिसवा में बरसात एवं बाढ़ की अवधि में आने वाली विभीषिका से बचने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की वक्तव्य हेतु निर्धारित हुई है जो जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला निवासी श्री राजेन्द्र गुप्ता द्वारा ट्रैक्टर हेतु लिये गये कर्ज की किश्तों को माफ करके उनके ट्रैक्टर को वापस किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री राजबली जैसल की वक्तव्य हेतु निर्धारित हुई है जो जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड माण्डा एवं मेजा में पेयजल की भीषण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री बब्बन चौहान की वक्तव्य हेतु निर्धारित हुई है जो जनपद-बलरामपुर में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग के टेण्डर की बिक्री के समय हुए उपद्रव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री बावन सिंह की केवल वक्तव्य हेतु निर्धारित हुई है जो प्रदेश में बी0पी0एड0 डिग्री धारकों की नौकरी के लिए आयु सीमा अधिक होने के कारण रोजी रोटी के संकट के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री अलगू प्रसाद चौहान की वक्तव्य हेतु निर्धारित हुई है जो जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के ग्राम पंचायत पौली, टाड़ा, काली जगदीशपुर, कांटे, बेलहर में नये थाने बनाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना

श्री सुल्तान बेग की केवल वक्तव्य हेतु निर्धारित हुई है जो जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज व तहसील मीरगंज के बहेड़ी-पिथौरा मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री अली यूसुफ अली की केवल वक्तव्य हेतु निर्धारित हुई है जो जनपद-रामपुर के समस्त मिनी विद्युत केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति समय से न होने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई है जो जनपद-बलरामपुर के निर्वाचन क्षेत्र उतरौला के तुलसीपुर मार्ग पर स्थित राप्ती नदी के ऊपर स्वीकृत पिपराघाट सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई है जो जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों के लगभग 40 किसानों द्वारा नलकूप हेतु विद्युत कनेक्शन लेने के लिए धनराशि जमा करने के उपरान्त भी स्थानीय विद्युत अधिकारियों द्वारा विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री संगीत सिंह सोम की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई है जो मेरठ के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सलावा में जर्जर पन-विद्युत उत्पादन इकाइयों का नियंत्रण उत्तर प्रदेश में स्थापित करने एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई है जो आगरा के ब्लाक गजनेर पहाड़ी क्षेत्र से घिरा होने के कारण किसानों की फसलों को बचाये जाने हेतु चहारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मेरी सूचना पर ध्यानाकर्षण करा दें।

श्री अध्यक्ष-

ध्यानाकर्षण करने से क्या हो जायेगा ?

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, ध्यानाकर्षण से ही काम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

फिर करा देंगे।

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, मेरी नोटिस कल भी नहीं आई और आज भी नहीं ली गयी।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, हो जायेगा।

श्री बब्बन-

मान्यवर, मैं लगातार 7 दिन से नोटिस लगा रहा हूं, मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला। मेरी सूचना नहीं ली जाती।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने नेताजी से बात कर लो। अभी तो आपका पढ़ा है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपने सुना नहीं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

अब आप लोग देते हैं पुलिया बनाने का, नाला सफाई का, तो यह तो मैंने शुरू करा दिया था वरना यह सब इसमें नहीं लिया जाता। आप लोग बैठिये।

(श्री पूरन प्रकाश के खड़े होने पर)

अभी आपने इतना भाषण दिया फिर भी संतुष्ट नहीं हुए आप बैठिये।

जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ब0स0पा0 कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर के .....

प्रोटोकाल, राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में विधान सभा आम चुनाव 2012 के उपरान्त क्षेत्र में आये दिन चुनावी रंजिश को लेकर ब0स0पा0 कार्यकर्ताओं का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न व शोषण किये जाने तथा मंत्री पद पर रहे श्री राम अचल राजभर की राइस मिल, ट्रैक्टर, बाइक आदि कीमती सामनों में आग लगाकर पूरी सम्पत्ति जला दिये जाने तथा फर्जी मुकदमें में फंसाने तथा अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में थाना सम्मनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-37/12 धारा-147/148/149/307/336/323/504/506 तथा भादवि दर्ज कर उसे 307 भादवि का मुल्जिम बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

2-इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है :-

3-दिनांक 8-3-2012 को सायंकाल लगभग 4.00 बजे होली के दिन थाना सम्मनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बसोढी में डी0जे0 बजाने को लेकर श्री राम अचल राजभर पूर्व परिवहन मंत्री के पुत्र अजय राजभर उर्फ मुन्ना राजभर, संजय राजभर एवं उसके अन्य सजातीय समर्थकों द्वारा ग्राम बसौढ़ी के वर्मा (कुर्मी) जाति के अनिल कुमार वर्मा पुत्र राम जोहार वर्मा, विपुल वर्मा पुत्र जनार्दन वर्मा व अन्य लोगों के मध्य वाद-विवाद होकर मारपीट, पत्थरबाजी व आगजनी की घटना घटित हुई जिसमें वर्मा पक्ष के अनिल कुमार वर्मा को गम्भीर चोटें आयीं। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री राम जोहार वर्मा, नि0 बसौढी थाना सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 08-3-2012 को थाना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्मनपुर में मु0अ0स0-37/12 धारा-147/148/149/307/336/323/504/506, 120बी भा0द0वि0 विरुद्ध अजय राजभर उर्फ मुन्ना, संजय राजभर पुत्रगण राम अचल राजभर, राम सकल, रक्षा राम, राम अचल राजभर, निवासीगण शेखपुर कयामुद्दीनपुर थाना सम्मनपुर व 2-3 व्यक्ति अन्य नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया। विवेचना से राम अचल राजभर की नामजदगी गलत पायी गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्त पतिराम, अंगद कुमार, निवासीगण शेखपुर कयामुद्दीनपुर थाना सम्मनपुर व संग्राम राजभर निवासी रावी बहाउद्दीनपुर थाना अकबरपुर का नाम प्रकाश में आया जिन्हें दिनांक 9-3-2012 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में धारा-435/325 भा0द0वि0 की वृद्धि करते हुए तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-13 दिनांक 30-4-2012 को एवं अभियुक्तगण अजय राजभर उर्फ मुन्ना राजभर, संजय राजभर, राम सकल एवं रक्षा राम के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-13ए, दिनांक 24-5-2012 को प्रेषित किया गया है।

4-इसी घटना के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष के वादी श्री फूलचन्द्र राजभर पुत्र संतराम निवासी बसोढी, थाना सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना सम्मनपुर में मु0अ0स0-37ए/12, धारा-147/148/149/452/307/323/504/506 भादवि विरुद्ध अनिल वर्मा पुत्र राम जौहार वर्मा, मोनू, सुनील वर्मा, सोनू वर्मा आदि 17 नफर नामजद एवं 4-5 व्यक्ति अन्य निवासी बसौढी, थाना सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकरनगर पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त दिनेश वर्मा पुत्र लखपत वर्मा निवासी बसोढी, थाना सम्मनपुर को धारा-147/148/336/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत दिनांक 09-3-2012 को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया। अभियुक्तगण मोटू उर्फ प्रमोद कुमार, अरुण कुमार, राम जोहार वर्मा, सरयू, सुरेन्द्र वर्मा उर्फ भोलू दिनांक 29-3-12 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल भेजे गये। विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र दिनांक 30-4-2012 को प्रेषित किया गया है। विवेचना से नामित अभियुक्तगण मोनू उर्फ आनन्द, सुनील कुमार वर्मा, आलोक कुमार वर्मा व राम बहादुर वर्मा की नामजदगी गलत पायी गयी। शेष अभियुक्तगण अनिल वर्मा, छोटू, विजय बहादुर, प्रमोद कुमार वर्मा, संदीप वर्मा, राकेश वर्मा, सोदू उर्फ परमेन्दर के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।]

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं केवल एक बात का निवेदन करूंगा कि जनपद अम्बेडकर नगर में मुकदमा अपराध सं0-37/12, इसमें धारा-307 जानबूझकर लगाया गया, मेडिकल रिपोर्ट में कोई फायर नहीं, कोई इंजरी नहीं, ए0डी0जी0 के बयान में भी कोई फायर नहीं और इसी प्रकार से एक दूसरा मुकदमा इसी के क्रास केस के रूप में दर्ज हुआ था 37ए/12ए, इसमें जांच के बाद 452, 307 निकाल दिया गया, मेरा अनुरोध है कि इसमें भी निष्पक्ष जांच करा लें। यह केवल प्रताड़ित करने की नीयत से लगाया गया है, नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का भी बयान है कि गलत किसी को नहीं फंसाया जायेगा तो हम केवल इतना चाहते हैं कि 307 जो गलत तरीके से लगाया गया है इसको जांच करके निकलवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब जो हुआ हो सो हुआ हो। बहुत जुल्म किये हो आप लोग, बहुत सताये हो, दिल तो नहीं चाहता मगर इंसानियत का तकाजा यह है कि इंसाफ होना चाहिए।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र पाठा मानिकपुर में गिरते जल स्तर से उत्पन्न पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 31-5-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई .....

प्रोटोकाल, राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[सूचना में उल्लेख किया गया है कि जनपद-चित्रकूट पाठा मानिकपुर 237, विधान सभा क्षेत्र में जल स्तर बहुत गहरा हो गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता के सामने पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट के पाठा मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड मानिकपुर मऊ, रामनगर एवं कर्वी (आंशिक 08 ग्राम) आते हैं। वर्ष 2012-13 में प्रति विकास खण्ड 50 नग नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं 50 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के रि-बोर का लक्ष्य निर्धारित है जिसके अनुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र हेतु कुल 155 नग नये इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प का अधिष्ठापन एवं 155 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प रि-बोर कराने के लक्ष्य के सापेक्ष सम्प्रति कुल 42 नग नये हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं एवं 28 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग करायी जा चुकी है।

3-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र पाठा मानिकपुर में वर्तमान समय तक कुल 7596 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस विधान सभा क्षेत्र की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 371000 थी तथा 2.37 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार वर्ष 2012 की अभिकल्पित जनसंख्या 467720 है। इस प्रकार इस विधान सभा क्षेत्र में प्रति 62 व्यक्तियों पर 01 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प उपलब्ध है।

4-जनपद चित्रकूट में ग्रीष्मऋतु में जल स्तर गिर जाता है। कुछ क्षेत्रों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण ऐसे क्षेत्रों में इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों में जी0आई0 पाइप की लम्बाई बढ़ाकर एवं गहरे हैण्डपम्पों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पाठा मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 638 अति गहरे हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं एवं जल स्तर में गिरावट के दृष्टिगत जल स्रोत के स्थायित्व हेतु 58 नग चेकडैमों का निर्माण प्रस्तावित है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-उक्त के अतिरिक्त पाठा मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के 332 ग्रामों में 6 ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं एवं 32 ग्रामों में एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

6-यह भी अवगत कराना है कि बरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना से 38 गांवों के लगभग 46583 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

इसी विधान सभा क्षेत्र में मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 58 गांवों की लगभग 117575 जनसंख्या को स्थाई रूप से शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सकेगा।

7-उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चित्रकूट के पाठा मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति कराने तथा भू-गर्भ जल स्रोत के ह्रास के प्रबन्धन हेतु पेयजल स्रोत के स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत यथासंभव कार्यवाही की जा रही है और लोक महत्व के इस कार्यक्रम के प्रति राज्य सरकार सजग एवं प्रतिबद्ध है।]

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

मान्यवर, जो जवाब दिया गया है वह गुमराह करने वाला जवाब दिया गया है। 155 नग बोर के लिए बताये गये हैं यह भी राहत के लिए उपलब्धता में कम है और जो कहा जा रहा है कि 42 लगा दिये गये हैं यह सही नहीं है अभी मेरी कल अधिशासी अभियन्ता से बात हुई थी। मैं चाहता हूं कि हैण्डपम्पों की संख्या थोड़ी सी बढ़ाई जाए क्योंकि वहां पर समस्या बहुत जटिल है, यह मेरा अनुरोध है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

मैं यह चाह रहा हूं कि एक तो वहां का लक्ष्य बढ़ा दिया जाए और अगर बढ़ा रहे हैं तो मुझे बताया जाए कि कितना बढ़ा रहे हैं अगर नहीं बढ़ाना है तो उसका जवाब दे दें। दूसरी चीज यह है कि जो वहां पर प्रस्तावित है, माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें क्योंकि यह पाठा क्षेत्र है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आवश्यकतानुसार जितना बढ़ाने की जरूरत आयेगी उतना बढ़ाया जाएगा।

जनपद इलाहाबाद के थाना धूमनगंज के अन्तर्गत ग्राम मरियाडीह तथा थाना करैली क्षेत्र में नाले के किनारे बसी झुग्गियों में भू-माफियाओं द्वारा किये गये बम विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, थाना धूमनगंज क्षेत्रान्तर्गत चौकी बम्हरौली के दो आरक्षीगण श्री संजय सिंह व श्री सुजीत राय एक प्रार्थना-पत्र की .....

प्रोटोकाल, राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[जांच में ग्राम मरियाडीह जाकर गांव के मो0 तुफैल उर्फ झुर्री पुत्र स्व0 नियाज अहमद आयु 45 वर्ष को साथ लेकर वापस आ रहे थे। तुफैल को छुड़ाने के लिए गांव के लोग आरक्षियों पर ईंट पत्थर चलाने लगे। जनता की सूचना के अनुसार आरक्षी संजय सिंह द्वारा फायर किये जाने से मो0 तुफैल के पैर में गोली लगी जिससे गांव वाले और उत्तेजित हो गये तथा आरक्षीगण का पीछा करते हुए बम्हरौली पुलिस चौकी पहुंच कर चौकी में आग लगा दी। फलस्वरूप चौकी में रखे अभिलेख आदि के साथ-साथ वहां खड़ी पांच छः मोटरसाइकिलें व एक कार जलकर राख हो गई। आग को नियंत्रित करने के लिए आने वाली फायर सर्विस की गाड़ी उत्तेजित भीड़ द्वारा जला दी गई। अनियंत्रित भीड़ द्वारा शिवाला चौराहा थाना धूमनगंज पर रोड जाम कर दी तथा बांयें खड़ी एक पुलिस कर्मी की मोटर साइकिल में आग लगा दी एवं आने-जाने वाले वाहनों पर पथराव करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंच गये तथा घायल तुफैल को उपचार हेतु स्वरूपरानी अस्पताल में दाखिल कराया गया। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा भीड़ को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसी समय यह अफवाह फैली कि मो0 तुफैल की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। इस अफवाह पर भीड़ द्वारा पथराव शुरू कर देने से अपर जिलाधिकारी नगर, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर सहित करीब एक दर्जन पुलिस कर्मियों को चोटें आयीं। उत्तेजित भीड़ में किसी के द्वारा किये गये फायर से अबू फैज उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र मो0 जाहिद निवासी मरियाडीह थाना धूमनगंज, इलाहाबाद की गोली लगने से इलाज के दौरान स्वरूपरानी अस्पताल में मृत्यु हो गई। घायल पुलिस कर्मी हे0का0 प्रो0 फायर सर्विस महेन्द्र तिवारी, हे0का0 जनार्दन प्रसाद, का0 मुकेश, का0 राजीव एवं का0 रामानन्द सिंह को इलाज हेतु स्वरूपरानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों द्वारा भीड़ को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया।

घटना के सम्बन्ध में (1) वादी श्री मो0 शकील पुत्र लईक अहमद निवासी रसूलपुर मरियाडीह थाना धूमनगंज, इलाहाबाद की तहरीर पर मु0अ0स0 205/12 धारा-307 भा0द0वि0 बनाम का0 संजय सिंह व का0 सुजीत राय चौकी बम्हरौली थाना धूमनगंज, इलाहाबाद (2) वादी उप निरीक्षक श्री संजय शर्मा थाना धूमनगंज की तहरीर पर मु0अ0स0 206/12 धारा-147/148/149/ 332/353/336/337/338/307/435/436/452/427/395/397 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट व 3/5 डी0पी0पी0(प्रि0)ए बनाम 24 नफर नामजद व 500-600 व्यक्ति (3) वादी अशफाक अहमद पुत्र अबरार अहमद निवासी रसूलपुर मरियाडीह थाना धूमनगंज, इलाहाबाद की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 207/12 धारा-302 भा0द0वि0 थाना धूमनगंज, इलाहाबाद बनाम अज्ञात कुल तीन मुकदमें पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है। फैज अहमद की मृत्यु पीड़ित पक्ष के अनुसार पुलिस की गोली लगने से हुई है जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसके शरीर में गोली नहीं पायी गई।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

घटना के समय थानाध्यक्ष धूमनगंज के पद पर नियुक्त रहे उप निरीक्षक श्री संजय शर्मा को थानाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है एवं चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। का0 संजय सिंह व का0 सुजीत राय को दिनांक 19-5-2012 के आदेश द्वारा निलम्बित किया जा चुका है।

2-दिनांक 23-5-2012 को लगभग 15.30 बजे थाना क्षेत्र करैली जनपद इलाहाबाद के मोहल्ला सी ब्लाक जी0टी0बी0 नगर, नाले के किनारे स्थित बिहारी झोपड़ पट्टी में मोनू के मकान में हुए विस्फोट से वहां मौजूद बच्चों सहित कुल 11 लोग घायल हो गये जिन्हें इलाज के लिए स्वरूपरानी अस्पताल एवं मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय भेजा गया। रास्ते में ही पांच बच्चे (1) इजराइल पुत्र मजीद आयु 12 वर्ष (2) रिजवान पुत्र नाजिर आयु 7 वर्ष (3) अब्दुल रहमान पुत्र वसीम शेख आयु 13 वर्ष (4) सिराजुल पुत्र नेहरूख शेख आयु 11 वर्ष (5) नईमा पुत्री मो0 आलम आयु 10 वर्ष की मृत्यु हो गई।

प्रारम्भिक छानबीन से ज्ञात हुआ है कि राजमहल जनपद साहबगंज (झारखण्ड) के गरीब तबके के लोग उक्त झोपड़ पट्टी में रहते हैं। उनके बच्चों द्वारा घूम-घूम कर विभिन्न मोहल्लों से कूड़ा कबाड़ एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। इन्हीं बच्चों द्वारा कूड़े के ढेर से प्राप्त एक मेटल के कन्टेनर जैसी ठोस वस्तु को हथौड़े से तोड़ा जा रहा था फलस्वरूप उक्त विस्फोट की घटना घटित हुई। इस सम्बन्ध में ए0टी0एस0/एफ0एस0एल0 की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर विस्फोटक के अवशेषों को परीक्षण हेतु ले जाया गया है। जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक भू-माफिया की निगाह जमीन पर होने का प्रश्न है ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। घटना संयोगवश घटित हुई है, किसी अराजक तत्व द्वारा कारित नहीं की गई है।]

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इलाहाबाद में दो घटनाएं हुईं। एक मरियाडीह गांव में हुई, मरियाडीह गांव लगभग पूरे माइनारिटी का क्षेत्र है। वहां से एक सांसद होते थे, हम लोगों के यहां विधायक भी थे, पुरानी सरकार उनकी काफी खोज करती थी। कई मामलों में उनके ऊपर गैंगेस्टर और तमाम अपराध लगे थे। पुलिस वाले अक्सर उस गांव में जाकर उनके नाम पर कि तुम उनके साथी हो, इसलिए पकड़कर लाते थे और वसूली करके छोड़ देते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा, वह अभी भी चल रहा था। इत्तेफाक से 19 तारीख को मरियाडीह गांव में पुलिस वाले गये वसूली के चक्कर में। जुमे की नमाज होनी थी और तुफैल उर्फ झुर्री को जबरदस्ती पकड़कर ला रहे थे। उसमें लोगों ने विरोध किया जो कांस्टेबिल थे उन लोगों ने उसके पैर में गोली मार दी, जनता उत्तेजित हो गयी। सड़क पर आयी और सड़क पर आने के बाद वहां पर कई गांव के लोग इकट्ठे हो गये। चूंकि यह जुल्म कई गांवों में लगातार चलता रहा है। इसलिए काफी लोग वहां इकट्ठा हो गये। लगभग 04 घण्टे तक गोली, पत्थर, बम चलते रहे, उसमें कई लोग घायल हुए। एक नौजवान अबू फैज पुत्र जाहिद जो अपने मां-बाप का अकेला लड़का था उसकी गोली लगने से मृत्यु हो गयी। उसे तीन गोलियां लगी थीं। मान्यवर, इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि उसके शरीर में कोई गोली नहीं मिली जबकि उसके शरीर में 03 इण्ट्री वुन्ड थे और 02 एक्जिट वुन्ड थे। सरकार ने उसमें घोषित किया कि इसको 05 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा जो अभी तक नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहली बात कि इस सारे मामले की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच की घोषणा की गयी है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

लड़ाई तो हुई है। उसमें तमाम ऐसे बेगुनाह लोगों को पुलिस फिर पकड़ रही है कि तुम लोग भी इसमें शामिल हो, उत्पीड़न चल रहा है। पहला क्या मा0 मंत्री जी, जब तक सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच चल रही है वहां पर किसी की भी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की कृपा करेंगे ? दूसरा जाहिद जिसका इंतकाल हो गया है गोली लगने से और मुआवजे की घोषणा की गयी है। 5 लाख रुपये की उसको तत्काल दिलाने की घोषणा करेंगे ?

इसी के साथ दूसरी घटना 23-5-2012 को करैली में वहां पर तमाम झोपड़ पट्टी में गरीब लोग रहते हैं। उनकी औरतें घरेलू काम करती हैं, पुरुष रिक्शा चलाते हैं, ठेला खींचते हैं, उनको अक्सर कुछ लोग बंगलादेशी कह कर हमेशा भगाने की कोशिश करते रहे हैं। भू-माफिया लोग भी उनको धमकाते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप चाहते क्या हैं ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मरियाडीह केस में चूंकि सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच चल रही है जब तक सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच पूरी नहीं होती, वहां पर लोगों का फिर उत्पीड़न शुरू किया जा रहा है कि तुम इस केस में शामिल हो, उसको तत्काल रुकवाने की कृपा करेंगे। जाहिद जिसकी मौत हो गयी है, उसको 05 लाख रुपये देने की घोषणा की गयी थी क्या उसको तत्काल दिलायेंगे ? पहले इसका उत्तर आ जाए फिर दूसरी घटना का जिक्र करूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि गोली लगने की अफवाह फैली कि पुलिस ने गोली मारी, उससे काफी बेचैनी हुई और हालात खराब हुए। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तो हमें भरोसा करना पड़ेगा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली नहीं है तो उसे कहां से बना दी जाए ? किसी एक चीज पर तो हमारा यकीन होगा या तो हम अफवाह पर यकीन करेंगे या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यकीन करेंगे। अफवाह की बुनियाद पर ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगना सिद्ध नहीं है। जहां तक घोषणा का प्रश्न है, अगर घोषणा सरकारी स्तर पर हुई है तो उसका पालन होगा और अगर यूं ही जैसे गोली लगने की अफवाह थी, ऐसे 05 लाख रुपये की घोषणा हुई है तो जरा परेशानी होगी और उसके भी पोस्टमार्टम की जरूरत होगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

ऐसी बात नहीं है, यह घोषणा पुलिस कप्तान ने की और खबर छपी की वहां दे भी दिया, लेकिन अभी मिला नहीं। जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सवाल है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, पुलिस कप्तान का यह अधिकार क्षेत्र है नहीं कि वह 05 रुपये की भी घोषणा करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

लेकिन मान्यवर, उन्होंने ऐसा किया है। आप उनसे पता कर पूछ सकते हैं कि क्यों किया है और किया है तो किससे पूछकर किया है ? दूसरी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली नजदीक से मारी दिखायी गयी है। इण्ट्री वुन्ड है, एक्जिट वुन्ड है। निश्चित है कि गोली इधर लगी, उधर निकल गयी। गोली तो लगी ही है और वह कह भी रहे हैं कि गोली की चोट है, लेकिन बुलेट अन्दर नहीं मिले। इसका मतलब बुलेट क्रास कर गयी है। जहां पर चोट लगी है वहां पर ब्लैकनिंग है, उसका मतलब है कि शार्ट रेंज से मारी गयी है और गोली इतनी पावरफुल थी। इसमें गोली मिली नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि गोली चली नहीं है इसमें बुलेट मिली नहीं है। गोली इतनी पावरफुल थी कि वह आर-पार बाहर निकल गई।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह जरूरी नहीं है कि बुलेट मिले लेकिन गोली लगने से जो फोरेंसिक जांच होती है उसमें गोली लगना नहीं है उसमें गोली का जख्म ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली का लगना ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आपके पास होनी चाहिए। आप चेक कर लें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगना नहीं है सिर्फ जख्म है जिसे आप गोली समझ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सी0बी0सी0आई0डी0 जांच हो रही है फिर वक्तव्य का क्या मतलब है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसे दिखवा लेंगे। गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में भी दिखवा लेंगे। इसमें यह बात है कि ए0टी0एस0 और एफ0एस0एल0 की टीम ने घटना स्थल का दौरा भी किया है उसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। रिपोर्ट अभी सरकार को मिली नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

इसमें ए0टी0एस0 और एस0टी0एफ0 जांच के बाद आर्मी वालों ने भी जांच की है वह अखबारों में भी छपा है जैसा इन्होंने कहा है कि इसमें एल्यूमिनियम और आइरन के ग्रेनेड के पार्ट मिले हैं। लेकिन आर्मी वालों की रिपोर्ट में उन्होंने टी0एन0टी0 का प्रयोग बताया है। टी0एन0टी0 अपने आप ब्लास्ट नहीं करता हैं वहां पर भू-माफिया लोग उन लोगों को जमीन खाली कराने की लगातार धमकी दे रहे हैं। इसकी रिपोर्ट भी लिखित रूप से दी गई। एक बार धरना-प्रदर्शन भी किया। उसी के बाद यह घटना हो गयी। इस घटना में भू-माफियाओं की कारस्तानी है। वह जबरदस्ती खाली कराना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो वक्तव्य दिया था उस पर सरकार का जवाब आ गया है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि इसको दिखवा लेंगे तो आप मंत्री जी को दिखवा लेने दीजिए। मैं अब अगली मद ले रहा हूं।

जनपद आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल में विद्युत से लगाये गये सुरक्षा उपकरणों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल की सुरक्षा के सम्बन्ध में....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[डा0 धर्मपाल सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 31-5-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद आगरा पर्यटन एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। हजारों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटक ताजमहल को निहारने के लिए आगरा आते हैं। इन पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से ताजमहल परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं अन्य सुरक्षा उपकरण लगाये गये हैं, जो कि विद्युत कटौती के दौरान काम करना बन्द कर देते हैं और इस दौरान कोई भी शरारती व्यक्ति कोई भी आपराधिक घटना कर सकता है और उनकी सी0सी0टी0वी0 फुटेज भी नहीं आ पायेगी। आये दिन स्नेचिंग व लूट की घटनायें हो रही हैं। अभी हाल ही में विगत 08 मई, 2012 को विश्वदाय स्मारक ताजमहल के ऊपर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान गजराज आई0एल0-76 ने स्मारक के ऊपर बहुत नजदीक से उड़ान भरी, जिससे ताजमहल को बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। यह एक अति गम्भीर विषय है, जिसका निदान सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आगरा में विद्युत की आपूर्ति दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के निर्देशन में टोरण्ट पावर लि0 द्वारा की जाती है। आगरा विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार विद्युत की मांग व उपलब्धता के अनुरूप प्रणाली नियंत्रण इकाई द्वारा समय-समय पर करायी जा रही आकस्मिक कटौती को छोड़कर ताजमहल को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। दिनांक 8-5-2012 को एयरक्राफ्ट आई0एल0-76 ताजमहल के काफी करीब से गुजरा, इस बिन्दु पर एयरफोर्स कमाण्डिंग आफीसर खिरिया, आगरा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भारतीय वायुसेना द्वारा ताजमहल को नो फ्लाइंग जोन मानते हुए कार्यवाही की जाती है और खिरिया, एयरफोर्स पर जो मुख्य रन वे हैं, उसकी अभी मरम्मत चल रही है, जिस वजह से जो दूसरा छोटा रन-वे है, उससे आपरेशन किया जा रहा है। आगरा-जयपुर रेलवे लाइन के हाईटेंशन विद्युत केबल रन-वे संख्या-12 को अवरुद्ध करता है, जिसकी वजह से उड़ान रन-वे संख्या-30 से शहर की ओर होती है। ताजमहल एयरक्राफ्ट के रास्ते से लगभग दो-तीन किलोमीटर दूरी पर स्थित है और आई0एल0-76 भारतीय वायुसेना को सबसे बड़ा विमान है, जो छोटे रन-वे से उड़ान भरता है तो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उसका पाथ मानूमेण्ट के काफी करीब लगता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सही दूरी बनाकर रखता है। ए0एस0आई0 द्वारा विद्युत विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु पुनः लिखा गया है तथा एयरक्राफ्ट ताजमहल से उचित दूरी बनाकर उड़ान भरे, इस सम्बन्ध में कमाण्डिंग ऑफिसर खिरिया, आगरा को लिखा गया है। जहां तक ताजमहल परिसर में आये दिन चेन स्नेचिंग व लूट की घटनाओं का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ताजमहल परिसर के अन्दर के क्षेत्र को रेड जोन में रखा गया है, जिसकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ए0एस0आई0 तथा सी0आई0एस0एफ0 की है। ताजमहल से 500 मीटर येलो जोन है, जिसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी सिविल पुलिस द्वारा निर्वहन की जाती है। चेन स्नेचिंग व लूट की घटनाओं को रोकने के लिये तीनों संगठनों द्वारा समन्वय स्थापित करके कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं।]

श्री अध्यक्ष-

समस्या यह है कि वक्तव्य की कापी जैसे माननीय सदस्य को मिली तो उन्होंने पढ़ ली लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के पास बहुत सा कार्य है। संसदीय कार्य मंत्री जी मेरा आपसे आग्रह है कि पहले यह परम्परा रही है कि जिस मंत्री के पास नियम-51 की सूचना जाती थी तो वह खुद आकर जवाब देते थे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुख्य मंत्री जी से बात करके...

श्री मोहम्मद आजम खां-

असल में हमारे साथी लोग जानते हैं कि मैं सक्षम हूं जवाब देने में इसलिए वह तशरीफ नहीं लाते हैं। मेरी खराबी का फायदा उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें दिक्कत यह है कि आप जवाब तो दे ले जाते हैं लेकिन अगर मंत्री होते तो वह पूरी रिपोर्ट पढ़ते और तैयारी करते।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पढ़ तो मैं उनसे बेहतर दूंगा।

*डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल है। ताजमहल की सुरक्षा में बहुत सारी खामियां हैं उन खामियों को लेकर मैंने नियम-51 में यह सवाल लगाया था। मान्यवर, ताजमहल परिसर रेड जोन में है वहां सी0सी0 कैमरे लगे हुए हैं ताजमहल परिसर से बाहर 500 मीटर का जो क्षेत्र है वह यलो जोन में है वहां भी 8 बैरियर और सी0सी0 कैमरे लगे हुए हैं लेकिन बिजली न आने के कारण वह कैमरे अक्सर बन्द हो जाते हैं। ताजमहल के पीछे यमुना नदी है यमुना नदी में 8 वाच टावर लगे हुए हैं लेकिन उनके ऊपर पुलिस कभी नहीं रहती। पिछले दिनों 8 मई को हद ही हो गई एक एयर क्राफ्ट आई0एल0-76 बिल्कुल ताजमहल के ऊपर उड़कर निकल गया। जबकि ताजमहल नो फ्लाई जोन में आता है मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि क्या सरकार ताजमहल की सुरक्षा की उच्च स्तरीय समीक्षा करेगी और उसमें इन बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए समीक्षा करने पर विचार करेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

दो सोचें हैं ताजमहल के बारे में एक सोच सफेद ताजमहल की है जो वहां मौजूद है और एक काले ताजमहल की जो बन रहा था जिसकी बुनियादें आज भी मौजूद हैं जो शाहजहां अपने लिये बना रहे थे। मान्यवर, सफेद की सोच वह है जो साहिल ने कहा है। वहां एक दूसरा और है। मान्यवर, शाहजहां ने तो दौलत के सहारे गरीबों की मुहब्बत का मजाक उड़ाया है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, काला ताजमहल का जो आपने जिक्र किया है वह सौभाग्य से मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है। दो साल पहले वहां एक हैलीकाप्टर ताजमहल के ऊपर आ गया था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक समस्या जो थी सी0सी0टी0वी0 कैमरे की तो उसमें इन्वर्टर की व्यवस्था हो गयी है। मुस्तिकिल रोशनी मिलेगी। मान्यवर, ब्रिटेन में एक जहाज ऐसा बना था दुनिया में एक ऐसा जहाज बना था जो कांकर्ड नाम से था तो उसकी बात आप छोड़ दें। मान्यवर, इसमें वायु सेना ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि यह मालवाहक है और इससे किसी इमारत को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ताजमहल अपनी मजबूती के कारण नहीं रुका हुआ है बल्कि हमारी आपकी मुहब्बत के कारण खड़ा हुआ है (मेजों की थपथपाहट) वरना यह गुलामी की निशानी बहुत पहले ही गिर चुकती।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, ऐसा नहीं है वायुसेना के अधिकारी ने गलती मानी है और यह कहा है कि आगे कोई ऐसी गलती नहीं होगी क्योंकि वह ''नो फ्लाई जोन'' घोषित है। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप ताजमहल की सुरक्षा के बारे मे एक बार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर लेंगे तो उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गयी।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में ग्राम कम्हैडा थाना ककरौली में अराजक तत्वों द्वारा फर्जी मुकदमें दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मो0 जमील अहमद कास्मी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री के द्वारा वक्तव्य पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मो0 जमील अहमद कास्मी जी हैं। नहीं हैं। इसलिए इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के अन्तर्गत आबादी के अनुरूप खोड़ा कस्बा को नगरपालिका घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा सूचना .....

बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[गयी है कि विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत खोड़ा कस्बा आता है जहां की आबादी 7 लाख से अधिक है। इतनी आबादी होने के बावजूद इसे अभी तक नगरपालिका नहीं घोषित हुई है, जिससे यहां की जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार शासनादेश संख्या-6250/9-1-86-77सा (3)/82, दिनांक 10 सितम्बर, 1986 के परिप्रेक्ष्य में जनपद गाजियाबाद स्थित खोड़ा कालोनी को नगरपालिका घोषित किये जाने हेतु उनके पत्र दिनांक 22-5-2003 एवं 18-8-2009 द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा गया। जिलाधिकारी, गाजियाबाद के अनुसार खोड़ा कालोनी की अनुमानित आबादी वर्तमान में लगभग 5 लाख से अधिक है तथा ग्राम सभा को नगरपालिका परिषद् बनाने हेतु ग्राम सभा की सहमति तथा भू-खण्डों की सूची एवं अन्य अर्हताओं की पूर्ति विषयक सूचना भी उपलब्ध करायी गयी है।

उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, गाजियाबाद को सम्बोधित एवं शासन को पृष्ठांकित निदेशक, स्थानीय निकाय के पत्र दिनांक 29-6-2009 द्वारा शासनादेश दिनांक 10 सितम्बर, 1986 के प्रस्तर के बिन्दु संख्या-10, प्रस्तावित क्षेत्र का मानचित्र, बिन्दु संख्या-11, प्रस्तावित क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले भू-क्षेत्र का दिशावार/गाटावार विवरण तथा बिन्दु सं0-12 के प्रस्तावित क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु ग्राम सभा का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 27-8-2009, 8-4-2011, 21-6-2011 एवं 22-11-2011 द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को निर्देशित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में नवगठित व सीमा विस्तार वाली नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के परिसीमन विषयक राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 29-4-2011 द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव के दृष्टिगत दिनांक 10 मई, 2011 के पश्चात से नागर निकाय सामान्य निर्वाचन, 2011 की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक परिसीमन सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।]

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, श्री अमरपाल शर्मा जी नये सदस्य हैं एक मौका दे दें कृपया करके।

श्री अमरपाल शर्मा-

मान्यवर, तीन दिन पहले यहां नगर विकास मंत्री ने यह घोषणा की थी सरकार की ओर से कि जो पहले की संचालित योजनायें हैं वह बन्द नहीं की जायेंगी। मान्यवर, यह कालोनी नोएडा,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इंदिरापुरम् योजना के बीच में बसी हुई है। यहां पर हर प्रदेश के लोग निवास करते हैं। पिछली बी0एस0पी0 की सरकार में सालों में यहां के विकास के लिये तीन सौ करोड़ रु0 की योजनायें स्वीकृत की गयी थीं। मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिये यह पैसा स्वीकृत हुआ था। इसमें बिजली का अस्सी प्रतिशत काम हो चुका है। सत्तर प्रतिशत सीवर के पाइप बिछ चुके हैं। लेकिन जैसे ही सरकार चेन्ज हुई वह सारे कार्य रोक दिये गये। मैं चाहता हूं कि जो काम रोक दिये गये हैं जबसे सरकार चेंज हुई है उसको रोका न जाय और उसको सुचारु रूप से चालू कराया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमारे यहां रामपुर में बिजली और सीवर के क्षेत्र में नब्बे प्रतिशत काम हो चुका था लेकिन बाकी कामों को रोक दिया गया था। मान्यवर, केवल आपकी जानकारी के लिए इसी तरह का काम बिजली का, सीवर का रामपुर में 90 प्रतिशत हो चुका था, 90 प्रतिशत और वह सारा पैसा हमारा, आपका और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का था। नतीजा यह हुआ कि 5 साल में वह 90 प्रतिशत सीवर का काम जिसे रोक दिया था अपने ध्वस्त हो गया, मेरा कुछ नहीं गया, मेरी जेब का पैसा कब था यह 20 करोड़ जनता का पैसा था लेकिन हम न्याय करेंगे, दिखवायेंगे इसे।

श्री अमर पाल शर्मा-

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी का लेकिन अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं भी नया हूं पहली बार इस विधान सभा में आया हूं। हर व्यक्ति जो अपने क्षेत्र की बात कहता है बड़ी उम्मीद के साथ कहता है। आपसे अनुरोध है। आप कार्य नहीं करना चाहते मना कर दें पर बगैर कटाक्ष के बात करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 5 वर्ष इसी उम्मीद के साथ इस सदन में अपमान सहा है 5 वर्ष, अभी आपको 5 दिन हुए हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं ताकि यह सबक रहे और सनद रहे।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत कालोनियों में पानी व सीवर की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है .....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[कि ''मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कानपुर रोड पर कालोनी विकसित की है, उसमें सेक्टर-डी-1 का एक पाकेट ऐसा भी है जिस पर दो मंजिला/तीन मंजिला आवंटित द्वारा बनाकर रहा जा रहा है। परन्तु एल0डी0ए0 ने इसे ग्रीन बेल्ट घोषित कर रखा है। जब ग्रीन बेल्ट थी तो उस पर आवास कैसे बने और कैसे आवंटित किये गये, इसी तरह अंसल कम्पनी ने आवासीय समस्या दूर करने के लिये प्लाट डेवलेप किये, जिसकी बुकिंग हुई। अंसल द्वारा बनाये गये आशियाना कालोनी के सभी सेक्टर नगर निगम को आज तक हस्तान्तरित नहीं किये गये और न ही नगर निगम उक्त कालोनी को लेने के लिये तैयार है जिससे पानी की सप्लाई, सीवर, बिजली समस्या, सड़क समस्या आदि का अभाव बना हुआ है। यहां तक की सड़कों के किनारे बड़े-बड़े पेड़ निकल जाने के कारण गन्दगी बनी रहती है, नालियां भी नहीं बनी हैं। एल0डी0ए0 ह्यूम पाइप डालकर अण्डर ग्राउन्ड नाला बना रहा है जो स्वयं में डेढ़ फुट ऊंचा है। इससे पानी व सीवर का बहाव ठीक तरीके से नहीं हो पायेगा, तमाम तालाबों को पाटकर मकान भी बना दिये गये हैं। नगर निगम द्वारा इस तरह पूरे कालोनी में सफाई के नाम कोई कार्यवाही भी नहीं कर रहा है। इसी प्रकार एल्डिको कालोनी के कई सेक्टरों में पानी का भराव बना रहता है। सारे सीवर चोक पड़े हैं। यह बहुत बड़ी कानपुर रोड वासियों की समस्या बनी हुई है, इसका निराकरण तत्काल कराये जाने की आवश्यकता है। अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।''

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत कानपुर रोड पर अंसल द्वारा विकसित कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है। नगर निगम द्वारा अंसल कालोनी में विकास हेतु पत्र दिनांक 2-6-2009 द्वारा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से नगर निगम द्वारा बनाये गये व्ययानुमान रु0 19.13 करोड़ की धनराशि नगर निगम को अवमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया था जिससे हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा सके, आशियाना कालोनी की हस्तान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा आशियाना कालोनी के सेक्टर जे0के0, के-1, एम0, एन0, एम0-1 एन0-1 में कराये जाने वाले अति आवश्यक कार्यों हेतु संयुक्त निरीक्षणों उपरान्त रु0 19.13 करोड़ की कार्य योजना उस समय लागू दरों पर तैयार कर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कालोनी हस्तान्तरण हेतु मेसर्स अंसल हाउसिंग कन्स्ट्रक्शन लि0 को तत्समय पत्र भेजा गया परन्तु अभी तक मेसर्स अंसल हाउसिंग कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा न तो धनराशि उपलब्ध करायी गयी और न ही कालोनी में अति आवश्यक कार्य कराया गया जिससे जन समस्या बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आशियाना कालोनी का हस्तान्तरण नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जाना संभव नहीं है। प्रश्नगत कालोनी में रख-रखाव की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की ही है। यदि ग्रीन बेल्ट पर आवास बने हैं या सेक्टर-डी-1 में आवंटियों द्वारा अवैध निर्माण किया गया है तो यह एल0डी0ए0 के अधिकार क्षेत्र में है एवं नगर निगम से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

आशियाना कालोनी में पानी की सप्लाई हेतु 09 नलकूप लगे हैं जो कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। जनता को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। सेक्टर-एन0 में 01 नया नलकूप लगाने का भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रस्ताव किया गया है। आशियाना कालोनी की सीवर व्यवस्था के अनुरक्षण का कार्य जलकल विभाग द्वारा देखा जा रहा है।

आशियाना कालोनी का सीवर, ट्रंक सीवर में डिस्पोजल होता है। आशियाना कालोनी के सीवर समस्या की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। एल्डिको-1 की सीवर के डिस्पोजल हेतु 02 नग के आर0टी0यू0 पम्प (एक पम्प एल्डिको-1 सेक्टर-4 में तथा 01 पम्प उसरी गांव में) लगाये गये हैं जिससे सीवर का डिस्पोजल ट्रंक सीवर में किया जाता है। एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड योजना, आशियाना कालोनी, शारदा नगर योजना, एल्डिको कालोनी आदि की सीवर का डिस्पोजल ट्रंक सीवर से होते हुए 03 सीवरेज पम्पिंग स्टेशनों द्वारा किया जाता है।]

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह केवल वक्तव्य है बस एक प्रश्न पूछेंगे आप।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

माननीय नगर विकास मंत्री जी, मैं आपकी मेहरबानी चाहता हूं। जब पूर्व में यह योजना वहां आई थी एल0डी0ए0 की और अंसल की उस समय स्वर्गीय विक्रमादित्य पाण्डेय जी नगर विकास मंत्री थे मैं उनको उस कालोनी में ले गया था और मैंने वहां की जो समस्याएं थीं वह दिखया था। आज वहां पर यह स्थिति है कि एल0डी0ए0 कालोनी का सेक्टर डी-I का एक भाग है जिसमें ग्रीन बेल्ट के नाम से दर्ज है और मकान बने हैं दो मंजिल, तीन मंजिल और सारे के सारे कर्मचारी उसमें रह रहे हैं। जिन्होंने अपनी जिन्दगी का 25 लाख, 30 लाख रुपया कमाई का फूंक दिया और आज ग्रीन बेल्ट के नाम पर उसको गिराने की तैयारी है उसी तरह से अंसल ने जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई वहां पर 20 साल से उन्होंने रुपया 19 करोड़ 13 लाख नहीं अदा किया नगर निगम को इसलिए कालोनी नहीं ट्रांसफर हो सकी तो मैं चाहता हूं कि जैसे माननीय विक्रमादित्य पाण्डेय जी ने मेरे साथ दौरा किया था 20 साल बाद मैं लौटा हूं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में, मैं चाहता हूं आजम साहब आप लखनऊ में निवास करते हैं राजधानी में और आप बहुत ही रहमदिल आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष-

सवाल तो पूछिए।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

मान्यवर, क्या आप मेरे साथ उस कालोनी का जायजा लेंगे और वहां के निवासियों की समस्या का समाधान करने की कृपा करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपके साथ याद होगा माननीय सदस्य, आपके साथ पहले भी गये हैं, एक बार दौरा किया है वैसी और किस्म की समस्याओं को लेकर आप जब चाहेंगे आपके साथ चलेंगे। लेकिन, इसका उत्तर पढ़कर आपको आभास हुआ होगा कि किन कारणों से पैसे के अलावा भी, तालाब पाट लिये गये, गैरजरूरी जमीनों पर कब्जे कर लिये गये अब अगर सरकारी संस्थाएं ऐसा करेंगी, एल0डी0ए0 ऐसा करेगा, मां ही अगर बच्चे खाने लगेगी तो नस्ल का क्या होगा तो कुछ ऐसी परेशानी है जिसके कारण नगर निगम इसको नहीं ले सका है, मैं इस जवाब के अलावा भी विभागीय अधिकारियों से बात करूंगा कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, विधायक जी से भी कोई सहयोग की जरूरत होगी तो आपको भी कष्ट दूंगा।

(श्री शारदा प्रताप शुक्ला के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह केवल वक्तव्य है, एक प्रश्न हो गया, बैठे।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

अगर माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी अगर उन प्रापर्टीज को नीलाम कर दें तो नगर निगम का जो बकाया है 19 करोढ़ 13 लाख रुपया वह अदा हो सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमारे अधिकार क्षेत्र में अगर आयेगा तभी ऐसा कर सकेंगे और अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो हम ब0स0पा0 की सरकार तो हैं नहीं।

जनपद बहराइच के क्षेत्र मटेरा के थानों एवं तहसीलों का नवीन परिसीमन से उत्पन्न विसंगति के सम्बन्ध में श्री यासर शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

यह भी वक्तव्य है पढ़ लेते खत्म हो जाता। इसमें पूछने-वूछने की जरूरत नहीं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

विधान सभा क्षेत्र मटेरा जनपद बहराइच के थानों एवं तहसीलों का नवीन परिसीमन कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[श्री यासर शाह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 31-5-2012 को सूचना दी गयी है कि विधान सभा क्षेत्र मटेरा जनपद बहराइच में कुल 14 थानें एवं चौकियां हैं और स्थिति यह है कि विधान सभा क्षेत्र का मात्र 01 गांव थाना रूपईडीहा में पड़ता है जिसकी दूरी मेरे क्षेत्र से 40 किलोमीटर है और तो और थाना सोनवा जो जिला श्रावस्ती में है। इस थाने में मेरी विधान सभा क्षेत्र के 08 गांव हैं। यही स्थिति लगभग तहसीलों एवं पूरे प्रदेश की है इस विसंगति की वजह से क्षेत्रीय जन समस्याओं के निराकरण में भारी कठिनाई हो रही है। प्रकरण से सम्बन्धित थानें एवं तहसीलों के नवीन परिसीमन हेतु त्वरित कार्यवाही की जाय।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर थाना क्षेत्रों के सीमा निर्धारण की कार्यवाही की जाती है। मा0 सदस्य द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में पत्र संख्या ए0क्यू0-10(3)पी/छः-पु-6-2012, दिनांक 5-6-2012 के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को निर्देशित कर दिया गया है।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(श्री यासर शाह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे अपने पिता जी से पूछ लेना वह मंत्री हैं। बैठो, खत्म हो गई बात। देखों सुनो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नियम जो है वह मैं आपको बता दूं। जिसमें वक्तव्य लिखा रहता है उसमें माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण पूछा जाता है जिसमें केवल वक्तव्य लिखा रहता है इसको आप पढ़ लो बाद में कोई बात हो तो बात कर लो। माननीय मंत्री जी से निवेदन करो वो जवाब देने को तैयार हों तो जवाब दें। अच्छा पूछो।

*श्री यासर शाह-

मान्यवर, इसमें थानों के परिसीमन के लिये पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है, यह सही है, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपका भी, माननीय मुख्य मंत्री जी का भी, माननीय आजम साहब का भी। लेकिन इसमें तहसीलों के परिसीमन के लिये शायद भूल-चूक वश छूट गया है इसलिये यह कहना चाहते हैं कि परिसीमन के लिये जो कार्यवाही होती है मुझे पता नहीं क्या कार्यवाही होनी चाहिए, मैं पहली बार खड़ा होकर बोल रहा हूं। मगर जो कार्यवाही होती है वह कार्यवाही करवा दें, बस इतना कहना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दिखवा लेंगे और यह आश्वासन भी आपको देते हैं कि जिलाधिकारी को चाहिए कि वह इसको देखें और जो भी जरूरी कार्यवाही हो करें।

प्रदेश की नदियों के जल प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न कल कारखानों द्वारा इसमें डाले जाने वाले विषैले रसायन युक्त जल तथा कचरे को रोकने हेतु कठोर प्राविधान करने विषयक दिनांक 29 मई, 2012 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा दी गई सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घन्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी नहीं हैं। सुरेश खन्ना जी आप ही संक्षेप में करिये। आधे घंटे में होना है। इसका टाइम आधा घंटा ही है। दो मिनट आप रखिये फिर मंत्री जी बोलेंगें फिर माननीय सदस्य पूछेंगें फिर मंत्री जी अंतिम वक्तव्य देकर खत्म करेंगें। यही इसका नियम है।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-49 के अन्तर्गत यह जो प्रदूषण के सम्बन्ध में आज जो चर्चा माननीय सदन के समक्ष है, उस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश में अधिकांश नदियों में सीधे-सीधे नाले गिरते हैं और वर्षों से यह सवाल इस सदन में आता रहा है और किसी न किसी रूप में इस पर चर्चा भी बहुत हुई और बकौल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के सरकारी जवाब तो आते रहे लेकिन समाधान कभी नहीं हुआ। मान्यवर, कानपुर में जितने कारखाने हैं उन्नाव कानपुर रोड पर उनमें अधिकांश कारखानों में पाल्यूशन कन्ट्रोल प्लान्ट तो लगे हैं लेकिन उनका खर्च इतना ज्यादा है कि वह चलाते ही नहीं। दिखाने के लिये तो लगे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, निरीक्षण भी किया है, सर्वे भी किया है। जैसा विषैला और मटमैला जैसा प्रदूषित पानी बनता है वह सीधे कानपुर में नदियों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चला जाता है। यह समस्या एक जगह की नहीं है पूरे प्रदेश में जहां कहीं पर नदी है यह उन सभी स्थानों की दिक्कत है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी बहुत ही विद्वान हैं, इनके बारे में बहुत कुछ समाचार-पत्रों में पढ़ रखा है। व्यक्तिगत रूप से तो कभी साक्षात्कार नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष-

शाहजहांपुर बुलाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, शाहजहांपुर की आज मैंने एक समस्या उठाई थी कि हड्डी के जितने भी कारखाने हैं। जहां-जहां पर उन हड्डी के कारखानों में पॉल्यूशन कन्ट्रोल के जितने भी इन्तजामात हैं वह इन्तजामात नहीं किये जा रहे हैं और उसके बाद भी पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वह उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं। हर प्रकार के जो भी सर्टिफिकेट उनके पास हैं जो इसके लिये अनुन्मन्य है। लेकिन व्यावहारिक स्थिति यह है कि भयंकर प्रदूषण है। नदियों में भी प्रदूषण है और वायु प्रदूषण भी है लेकिन चूंकि आज चर्चा केवल नदियों के प्रदूषण के सम्बन्ध में है इसलिये मैं अपने आप को उतने तक ही सीमित रखूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सदन का। मैं आपके माध्यम से दो बातें माननीय मंत्री जी से चाहता हूं। एक तो यह कि प्रभावी कार्यवाही ऐसी हो जो स्पॉट पर दिखाई पड़े। दूसरा समयबद्ध कार्यवाही हो, यथा शीध्र देख लेंगे, या दिखवा लेंगे। यह जवाब हम 25 सालों से सुन रहे हैं। यथा शीध्र देख लेंगे, और दिखवा लेंगे, ऐसा जवाब हो, तो यह ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी की योग्यता का कायल हूं, और मैं उस योग्य मंत्री से यह जरूर चाहूंगा यह मुख्य मंत्री जी से अपने सम्बन्धों का हवाला दें या न दें, पूरा प्रदेश जानता है लेकिन अगर वह चाहेंगे तो कम से कम प्रभावी तरीके से नदियों के प्रदूषण को कम करने में हमको कामयाबी मिलेगी। जिनके यहां पाल्यूशन कन्ट्रोल प्लान्ट लगा तो है लेकिन मंहगा होने के कारण वह चलाते नहीं हैं, मेरी निश्चित जानकारी है कि वह चलाएंगे तो दो घंटा, चार घंटा लेकिन दिखाएंगे 16 घंटा, इसलिए मान्यवर, इसके सम्बन्ध में कोई प्रभावी योजना, कोई प्रभावी कार्यवाही हो और दिखाई पड़े और समयबद्ध हो।

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आज मुद्दा उठाया है वह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। यह बात सच है कि बहुत जगह, बहुत सारे प्वाइन्ट्स पर, जो आज नदियों में पाल्यूशन की स्थिति है वह कर्न्सन का एक मैटर है। जो आज सुबह मा0 सदस्य जी ने एक स्पेसिफिक मुद्दा उठाया था, जनपद शाहजहांपुर का मोहम्मदी रोड ग्राम करौंदा का वोन्स मिल के सम्बन्ध में, मैंने इसमें जानकारी मांगी थी मुझे कुछ जानकारी मिली है, वह जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेसर्स दीवा वोन्स प्राइवेट लिमिटेड में 31-5-2012 को एक इंस्पैक्शन कराया गया था बोर्ड की तरफ से, जिसमें उनकी तरफ से जल एवं वायु के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है जो भी मानक भारत सरकार ने स्थापित किए हैं और जिनको उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से मानती है उनके तहत उनको सही पाया गया है और उनको उसके ....

श्री सुरेश कुमार खन्ना

यथाशीघ्र देख लेंगे, या दिखवा लेंगे। यह जवाब हम 25 सालों से सुन रहे हैं। यथा शीघ्र देख लेंगे, और दिखवा लेंगे, ऐसा जवाब हो, तो यह ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री की योग्यता

का कायल हूं, और मैं उस योग्य मंत्री से यह जरूर चाहूंगा यह मुख्य मंत्री जी से अपने सम्बन्धों का हवाला दें या न दें, पूरा प्रदेश जानता है लेकिन अगर वह चाहेंगे तो कम से कम प्रभावी तरीके से नदियों के प्रदूषण को कम करने में हमको कामयाबी मिलेगी। जिनके यहां पाल्यूशन कन्ट्रोल प्लान्ट लगा तो है लेकिन मंहगा होने के कारण वह चलाते नहीं हैं, मेरी निश्चित जानकारी है कि वह चलाएंगे तो दो घंटा, चार घंटा लेकिन दिखाएंगे 16 घंटा, इसलिए मान्यवर, इसके सम्बन्ध में कोई प्रभावी योजना, कोई प्रभावी कार्यवाही हो और दिखाई पड़े और समयबद्ध हो।

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आज मुद्दा उठाया है वह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। यह बात सच है कि बहुत जगह, बहुत सारे प्वाइन्ट्स पर, जो आज नदियों में पाल्यूशन की स्थिति है वह कर्न्सन का एक मैटर है। जो आज सुबह मा0 सदस्य जी ने एक स्पेसिफिक मुद्दा उठाया था, जनपद शाहजहांपुर का मोहम्मदी रोड ग्राम करौंदा का वोन्स मिल के सम्बन्ध में, मैंने इसमें जानकारी मांगी थी मुझे कुछ जानकारी मिली है, वह जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेसर्स दीवा वोन्स प्राइवेट लिमिटेड में 31-5-2012 को एक इंसपैक्शन कराया गया था बोर्ड की तरफ से, जिसमें उनकी तरफ से जल एवं वायु के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है जो भी मानक भारत सरकार ने स्थापित किए हैं और जिनको उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से मानती है उनके तहत उनको सही पाया गया है और उनको उसके तहत नया सहमति पत्र भी प्रदान कर दिया गया है। जो आर्डर की बात है, जो स्मैल की बात की थी, माननीय सदस्य ने, उसके तहत मुझे वह सूचित करना है कि किसी भी तरह का कोई मानक आर्डर के मामले में आज की तारीख में व्यवस्थित नहीं है। भारत सरकार ने आर्डर के मेजरमेंट के लिए कि आर्डर कैसा होना चाहिए कितनी दूर तक बदबू जा रही हैं, इसके रिलेटेड में, कोई भी मानक नहीं है। हम लोग भारत सरकार को भी लिखने की कोशिश करेंगे कि कोई एक टैक्निकल कमेटी बनाकर के, जरूर से, उसके लिए मानक स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाए जिससे उसके तहत कार्यवाही कर सकें। एक मुद्दा माननीय सदस्य ने उठाया कि फ्लो ठीक से नहीं कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहां ऐसे जो इंस्टॉल प्लान्ट्स हैं उनमें प्रॉसेस फ्लो अगर ऐसा है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं कि वह सच में 24 घण्टे प्लान्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है कई सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो साल में चार महीने चलती हैं, 6 महीने चलती हैं आठ महीने चलती हैं वह 24 घंटे नहीं चल सकती है तो हो सकता है माननीय सदस्य किसी ऐसे दिन गए हों कि वह फैक्ट्री बन्द रही हो। लेकिन यह बात सच है कि मॉनीटरिंग से अगर इसमें सुधार किया जा सकता हो तो समाजवादी पार्टी के मैनिफैस्टो का भी एक हिस्सा था कि चाहे छोटे से छोटा प्लान्ट हो उसके लिए एफीसेन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, सी0ई0जेड0पी0, हैवी मैटल रिकवरी प्लान्ट को क्रोमियम रिकवरी प्लान्ट जिस चीज की भी आवश्यकता होगी उसको लगाना बाध्य होगा उसके बाद ही उसको चलाने की परमीशन मिलेगी अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस मा0 सदस्य या कोई और भी उसको हाईलाइट करता है तो इसकी जांच बहुत सख्ती से कराई जाएगी।

(शोर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सीधे-सीधे नदियों में नाले गिर रहे हैं।

*श्री सुरेश राणा-

मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाहोम से भी एक नदी गुजरती है, कृष्णा नदी और सदन को साक्षी मानकर कहता हूं कि जब मैं छोटा था, अनेक अवसर ऐसे आए कि मैंने उस नदी का पानी पिया और दीपावली पर जब हम लोग दिया रखने के लिए नदी पर जाते थे तो निश्चित रूप से घाटों पर नहाते थे और वहीं बैठ करके भोजन करते थे और वहीं सब लोग नदी का पानी पिया करते थे। आज नदियों की हालत ऐसी है और उस नदी की, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, कृष्णा नदी की जो थानाहोम विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरती है। पीने की बात तो छोड़ दो, उसके पास से हम गुजर नहीं सकते। एक सवाल के माध्यम से मैंने जवाब मांगा था और वास्तव में धरातल से हट करके एक पूरा कागजी जवाब मिला है। मैंने कुछ फैक्ट्रियों की चर्चा की थी, कुछ इकाइयों की चर्चा की थी जिसका प्रदूषित जल उस नदी में गिरता है लेकिन जवाब में है, उन सारी फैक्ट्रियों को क्लीनचिट दी गयी है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ननौथा के अन्दर शुगर फैक्ट्री है, ननौथा के अन्दर ही स्ट्राबोर की फैक्ट्री है, थाना भवन के अन्दर शुगर फैक्ट्री है और यह सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहां मौके पर जाकर देखते हैं, मैं तो उसी विधान सभा में हूं, रोज जाता हूं तो बाकायदा नाले निकल रहे हैं, बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 से बाकायदा नाला निकल रहा है और वह सीधा जा करके नदी में गिरता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखायी देता है और जवाब में आया है कि जीरो डिस्चार्जिग है, वहां से कोई पानी नहीं निकल रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि लगभग 25-30 गांव हमारी विधान सभा के उस नदी के किनारे बसे हुए हैं और उन गांवों की हालत यह है कि वहां जो पीने का पानी है, यदि बर्तन में पानी रख दिया जाए तो बर्तन का रंग भी घण्टे-दो घण्टे बाद पीला पड़ जाता है और उन गांवों में ज्वाइंडिस की, कैंसर की, बुखार की अनेकों ऐसी शिकायतें हैं, ऐसी गंभी बीमारियां फैली हैं। कुछ सक्षम लोग हैं, वहां तो सबमर्शिबल पम्प का सहारा लिया गया है लेकिन उन गांवों की जो गरीब जनता है, जिनके पास साधन नहीं हैं, जो सीधे हैण्डपाइप से पानी पीते हैं, वह गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि उन गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था हो और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए उन फैक्ट्रयों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो, यही बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखना चाहता था।

श्री अध्यक्ष-

सुश्री सावित्री बाई फूले हैं ? नहीं हैं।

प्रमोद तिवारी जी हैं, मुकेश श्रीवास्तव जी हैं ? नहीं है। अब राजेश त्रिपाठी जी खड़े हो गये हैं। 2 मिनट से ज्यादा नहीं। ठीक छः बजे के पहले 5.55 पर खड़े होकर मंत्री जी जवाब देंगे और फिर हाउस स्थगित हो जायेगा। 2-2 मिनट अपनी घटना बता दो, लम्बा भाषण नहीं।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस विशेष नदियों के प्रदूषण के चर्चा पर आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। सबसे पहले के जिन वक्ताओं ने चर्चा में भाग लिया और जो बातें कही हैं, उनमें मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन मैं स्पेसिफिक इस बात पर आना चाहता था कि राप्ती और आमी नदी, कुआनो नदी और घाघरा नदी से हमारा गोरखपुर जनपद जुड़ा हुआ है और वहां पर आमी नदी की स्थिति बहुत ही भयावह है और स्थिति यहां तक है कि पशु भी उसके पानी को पीना पसन्द नहीं करता जबरदस्त दुर्गन्ध उठती है दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि उसका सीधा असर अब राप्ती पर हो गया है, राप्ती से भी अब सारे जलीय जीव खत्म हो रहे हैं, पानी जहरीला हो रहा है और वह सारा का सारा पानी घाघरा नदी, (सरयू) में जा रहा है। वह जहरीला पानी बलिया के पास जाकर गंगा में मिल रहा है। भारत सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चला रही है इन नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये है, गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तहत जो योजनाएं हैं, उसको लेकर नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने की जो बात हो रही है और प्रदेश सरकार भी हमें इसमें गंभीर दिखायी दे रही है। इसी जुर्म में एक और प्रमुख बात है जिसको पिछली चर्चा में भी मैंने उठाया था। अभी 200 करोड़ रुपये की जो कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात आयी थी यह बहुत अच्छी योजना सरकार लायी है उसके लिए साधुवाद। मैं यह कहना चाह रहा था कि हिन्दू परम्परा में शवदाह की व्यवस्था है। मैं यह नहीं कहता के यह परम्परा व्यवस्था गलत है परन्तु इस व्यवस्था से एक दिन में लाखों टन लकड़ियां शवदाह से जलती हैं वह सब की सब नदी में जाती है। हांलाकि एक वृक्ष अपने को 5 से 10 साल में जब तैयार करता है तक जाकर वह एक स्वस्थ्य व्यक्ति के शवदाह के लिए तैयार होता है प्रति व्यक्ति शवदाह में कम से कम तीन कुन्तल लकड़ी जलती है जो मृत शरीर के जले हुए अवशेष के साथ नदी में जाती है। क्या सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर सकते हैं जैसे कि हमें जानकारी लगी है कि इलाहाबाद में वैज्ञानिकों ने एक व्यवस्था बनायी गयी है जिसमें कम मात्रा में मात्र दो मन लकड़ी ही शवदाह हो जाता है इससे नदियों में जले अवशेष कम जायेगें और वृक्ष भी बचे रहेगें। क्या आप प्रदेश के ऐसे शवदाह स्थल जो इसके लिये प्रचलित स्थल है चाहे वह बनारस के शवदाह स्थल हो या गोरखपुर का मुक्तिपथ जो बना हुआ है, क्या आप इन स्थानों पर कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नदियों में शवदाह से जो लकड़ियां और शरीर के अंश जाते हैं वह कम से कम नदियों में जायें और इससे नदियों के प्रदूषण को रोका जा सके। यह मेरा आपसे निवेदन है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, उस समय भी हमने अनुपूरक के माध्यम से प्रश्न किया। मान्यवर, जो सबसे बड़ी समस्या आमी नदी की है, यह सरकार के वायदे रहे हैं कि वहां पर गीडा स्थापित है। यह नहीं, वह सरकार कोई और रही होगी जब गीडा स्थापित हुआ होगा। उस समय यह वादा किया गया था कि जो भी वहां पर प्लांट लगेंगे वहां एक कामन एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। यह काफी पुरानी वादा है और यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस नाते जो आमी की समस्या बार-बार आती है अगर वहां पर कामन एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लग जाये तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी चीज जो यह आमी नदी है यह करीब-करीब सीजनल नदी है। अगर इसमें सिंचाई विभाग की मदद से इसका समाधान किया जाये तो वहां इससे शायद सिंचाई की समस्या का भी समाधान हो जाएगा और प्रदूषण की भी समस्या का समाधान हो जाएगा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और मैं माननीय मंत्री जी से भी कहूंगा कि एक बार उसको देख लें। देखकर जो व्यवस्था के हिसाब से सुधारने की दृष्टि से जो उचित हो वह कदम उठायें। धन्यवाद।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं विशेष रूप से एक आग्रह करना चाहूंगा। मान्यवर, माननीय सदस्य ने आगरा का एक प्रश्न उठाया था। पत्रावली में एक ऐतिहासिक नोट मिला है और मैंने माननीय सदस्य को बुलाकर दिखाया है। इसमें इस पत्रावली की शुरुआत ही माननीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी, यहां मुख्य मंत्री रहे उनके ही नोट से हुयी है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर शतप्रतिशत लागू करने के और बजट में उसकी व्यवस्था करने के माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के इस पर आदेश हैं। इसमें जो-जो काम कम रह गया है मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके सम्मान में और उससे पहले माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में वह काम हम करायेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बड़ा गंभीर विषय है। इसमें हम आपको यह कहना चाहेंगे कि गत 25 सालों से हम यमुना को प्रदूषणमुक्त करने के लिए लडाई लड़ रहे हैं। सरकारें कोई भी रही हों पर आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि इस मामले में आपको एक नीति तैयार करनी होगी क्योंकि हमने पूरे प्रदेश की नदियों को एक नाले के रूप में ले लिया है। ड्रेनिंग सिस्टम बना दिया है कि सभी शहरों के गंदे नाले सभी शहरों की इंडस्ट्रीज सभी शहरों की पाल्यूशन ड्रेन्स नदियों में गिरेंगे। आपके वह ट्रीटमेंट प्लांट आपरेट नहीं होते। कारण चाहे कुछ रहा हो। चाहे भ्रष्टाचार कारण रहा हो। चाहे हमारी इच्छाशक्ति न हो। हम सब लोग उसे गंदा करने में लगे रहते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इसके लिए एक नीति तैयार करे। मैंने एक दिन आपको यह भी कहा था कि हमारा एक जल निगम विभाग है, एक एन्वायरमेंट पाल्यूशन विभाग है और नगर पालिकायें हैं इनमें प्रापर कोआर्डिनेशन हो और यदि नदियों के लिए वर्तमान सरकार सचेत हो तो नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वह अलग विभाग का गठन करे। जिसमें सभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट और जो वहां मैदान में काम करते हैं उनका प्रतिनिधित्व हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम यमुना को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करते हैं पर अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आ सका है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आज सुबह हमारे नये सदस्य श्री ललितेश जी ने टेम्स की बात कही। फ्रान्स की शेल नदी की बात की।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह आप कहां टेम्स और शेल पर चले गये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, चले नहीं गये, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। केन्द्र सरकार ने इस कार्य हेतु काफी पैसा दिया, लेकिन केन्द्र सरकार का पैसा ढंग से लग नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष-

बस अब हो गया, आप बैठ जाएं, यह चर्चा नहीं है, स्पष्टीकरण पूछा जाता है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं, ताजमहल की सुरक्षा को लेकर हमने जो बातें उठाई, उन्हें पूरा करने का उन्होंने आश्वासन दिया, इसके लिए मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस प्रदूषण के सम्बन्ध में इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी ने यह प्रश्न बड़े महत्व का उठाया था, मेरठ के अन्दर एक गम्भीर समस्या है। एक काली नदी है वहां और वह मेरठ के अन्दर से होकर के गुजरती है और अन्त में वह काली नदी जाकर के गंगा नदी में गिरती है। गंगा के पावन जल को हम पीते हैं इन नालों फैक्ट्रियों व कमेलों के कटान की फैक्ट्रीयों का प्रदूषित जल नालों के द्वारा काली नदी में तथा काली नदी के द्वारा गंगा के जल को प्रदूषित कर रहे है और वहां से मेरठ के आस-पड़ोस की जितनी फैक्ट्रियां हैं, दौराला से लेकर के और आगे तक मेरठ के जितने भी गन्दे नाले हैं वह सब उस काली नदी में जाकर के गिरते हैं और काली नदी का पानी जहर का पानी बन गया है, अगर उसको कोई जानवर भी पी लेता है तो वह बीमार हो जाता है या तो मर जाता है। मान्यवर, वह काली नदी जहां-जहां से होकर वह गुजरती है, हाजीपुर, घोसीपुर, काजीपुर जलालपुर, कुटला, अल्लीपुर, फफूंडा, पिपलीखेड़ा कौल-बढला आदि जितने भी गांव हैं वह महामारी की चपेट में हैं, नलों से पानी प्रदूषित आ रहा है, उसके बराबर में जितने भी गांव हैं वहां पानी पीने योग्य नहीं है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि वहां आस-पड़ोस में कोई दूसरे जनपद का आदमी आकर के शादी भी करने को तैयार नहीं होता क्योंकि वहां का पेयजल शुद्ध नहीं है और उसका कारण है कि मेरठ के जितने भी गन्दगी भरे नाले और मान्यवर, फिर मा0 नगर विकास मंत्री जी देख रहे थे, अभी मुस्कारा रहे थे, भी मेरठ की जो एक बड़ी समस्या है, आपका ध्यान भी इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जो वहां कमेला, कमेले का भी प्रदूषित पानी उसी नदी में आकर के गिरता है और केवल एक कमेला नहीं मान्यवर, हापुड़ रोड पर अनेकों कमेले हैं और उन कमेलों से आ रही गन्दगी वह सारी उस नदी में बह रही है, तो सरकार की क्या मन्शा है। सरकार क्या इन नालों के द्वारा नदी में आ रहे गन्दे पानी जैसे विषैले पदार्थों की रोक थाम हेतु उपाय करेगी उस नदी को साफ कराने के सम्बन्ध में जो उसका जल साफ हो सके ताकि गंगा जल निर्मल और स्वच्छ रह सके और वह पीने योग्य रह सके क्योंकि उसका जल अन्त में गंगा नदी में मिलता है। गंगा नदी भी इस नदी के द्वारा प्रदूषित ना होने पाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठ जाएं।

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजाज शुगर के बारे में मा0 सदस्य ने जो मुद्दा उठाया उसके सम्बन्ध में पहले भी मैं वक्तव्य दे चुका हूं और मैंनें फिर से चेक किया था उनके पास आवश्यक क्लियरेन्सेज़ उन्होंने अपने ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट्स लगा रखे हैं, लेकिन अगर यह शिकायत है कि उनकी तरफ से वह सही नहीं किये गये, उनको गलत तरीके से एन0ओ0सी0 दिया गया है तो आप मुझे एक लिखित शिकायत दे दें, उसकी हम लोग पूरी मजबूती से किसी दूसरी टीम से भी जांच करा लेंगें, बोर्ड से भी, विभाग से भी रिक्वेस्ट हो जायेगी कि उसकी फिर से जांच करा ली जायेगी।

मान्यवर, गोरखपुर में राप्ती, आमी और सरयू नदी की बात की गई, अभी मा0 सदस्य राजेश जी ने एक बात कही शवदाह के बारे में, इलाहाबाद में लो कास्ट बुड किमोटोरियम्स के साथ एक्सपेरिमेन्टेशन हुआ है उसका अध्ययन चल रहा है, सरकार उस पर बहुत गम्भीरता के साथ विचार कर रही है, हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और उसकी रिप्लीकेशन पर कि बाकी जगहों पर उसको कैसे लिया जा सकता है क्योंकि वह एक अच्छी बात है उन्होंनें एक अच्छा मुद्दा उठाया है हम लोग उससे सीख सकते हैं, उसकी दूसरी जगह भी लेने पर विचार चल रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। माननीय डा0 साहब ने जो मुद्दा उठाया है, पहले भी वह उस पर बात कर चुके हैं। मान्यवर, जो वहां पर इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं गीडा में, उन्होंने अपने-अपने लेवल पर संयंत्र लगा रखे हैं, चाहे वह एस0टी0पी0 हों, चाहे वह ई0टी0आर0 हों, उसके बाद ही उनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, विभाग से आवश्यक एन0ओ0सी0 जारी है। लेकिन जो गीडा की जिम्मेदारी थी, अभी तक उसके दो कारण हैं कि जो उन्होंने पूरे नहीं किये। पहला तो यह कि उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो ऑलरेडी एफ्लूएण्ट डिस्चार्ज था वो ट्रीटेड था। मा0 महोदय, उसके अलावा अब उन्होंने उसकी पत्रावली चलायी है। एक एक्सपर्ट पैनल में एक साइंटिस्ट है, एक डाक्टर साहब हैं, उनको इम्पैनल करने की उन्होंने बात की है, उनको काम दिया जा रहा है। कन्सल्टिंग प्रोजेक्ट है वो करके देंगे तो उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि यथाशीघ्र वो काम आगे बढ़ेगा। आप कहेंगे तो मैं आपको नेसेसरी डाक्यूमेण्टेशन भिजवा भी दूंगा। इसके अलावा जो मा0 सदस्य प्रदीप माथुर जी ने बात कही यमुना के बारे में। पहले तो मैं उनकी सोच पर बधाई देता हूं कि थेम्स और सेन से उसको कम्पेयर करने की बात की। थेम्स का स्टैटिक मुझको याद आता है कि हर बूंद पानी कम से कम 14 शरीरों से गुजरा हुआ है तो उसको हम लोग उन्होंने जिस लेवल की टेक्नोलॉजी लगा रखी है फिल्टरेशन की उसमें मैं उनसे भी अपील करूंगा कि हमारी मदद करें भारत सरकार से उस लेवल का बड़ा प्रोजेक्ट लाने में। दुबई जैसे कि एक शहर है वहां पर एक बहुत बड़ा वॉटर फिल्टरेशन प्लान्ट है। पूरा शहर उन दो प्लाण्ट्स से पानी पीता है, सिंगापुर में ऐसी व्यवस्था है। तो उन्होंने जो थेम्स और सेन से कम्पैरिजन किया है तो मैं चाहूंगा.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपकी जानकारी के लिये कि आपकी सरकार और हमारा जल निगम सक्षम है। आप हमें पैसा दीजिये, हम पूरे शहर को पानी पिलायेंगे।

श्री अभिषेक मिश्र-

तो थेम्स और सेम उसमें जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा। यमुना की बात जो उन्होंने की, यमुना जरूर हमारे लिये एक कन्सर्न का कारण है। हम लोगों ने, मेरे पास कुछ डेटा हैं यहां पर मथुरा से ही जुड़ा हुआ है जिसमें डिजॉलब्ड ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है लेकिन बीओडी और क्लोरीफॉर्म कण्टेण्ट ज्यादा होने की वजह से उसमें वो दिक्कत है, उसके तहत ही यमुना ऐक्शन प्लैन-द्वितीय जो लिया गया है। वह आठ शहरों में किया जा रहा है, 408 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं और उसके तहत 149 योजनायें, 151 पूर्ण कर ली गयी हैं और 17 एसटीपीज़ बनाये जा रहे हैं जो कि यथाशीघ्र स्टार्ट हो जायेंगे तो क्लोरीफॉर्म कण्टेण्ट काफी कम हो जायेगा। यमुना को उससे काफी राहत मिलेगी। यह बात जो मा0 सुरेश खन्ना जी ने उठायी थी कि नालों का क्या है, ये जो नालें हैं, ये जा करके मिलते हैं। तरह के लेवल पर, अलग-अलग शहरों में सरकार की तरफ से योजना चल रही है। जो एसटीपीज़ लगाये जाने हैं जिसके क्लोरीफॉर्म कण्टेण्ट और बीओडी उसका कम किया जा सके। वो बीओडी और क्लोरीफॉर्म कण्टेण्ट कम होगा तो डीओ अपने आप बढ़ जायेगा और वो पानी जो है, पीने लायक तो शायद और टाइम लगेगा लेकिन नहाने योग्य, आचमन करने योग्य यथाशीघ्र हो जायेगा। काली मेरठ की जो आपने बात कहीं, काली नदी काफी हद तक इस समय उसका क्लोरीफॉर्म कण्टेण्ट काफी हद तक ज्यादा है। आप चाहें तो मैं आपको डेटा बता सकता हूं लेकिन उसमें भी एसटीपी ही लगाने की बात है। मेरठ से जो क्लोरीफॉर्म कण्टेण्ट उसमें जाता है सीवेज के फॉर्म के, उसकी वजह से नदी का वो हाल है। एसटीपीज़ लग जायेंगे तो उससे उम्मीद है कि स्थिति डिज़ॉल्व हो जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 5 बजकर 35 मिनट पर यह चर्चा शुरू हुई थी, अभी 5 मिनट बाकी है। मान्यवर, मैं केवल आपके माध्यम से 2 बातें पूछना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी इस स्थिति में हैं कि जो नदियों में सीधे-सीधे नाले गिरते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समयबद्ध कार्ययोजना बताने की स्थिति में है कि जिससे कि वो नाले बिना ट्रीट हुये, जब तक उसका पानी ट्रीट न कर लिया जाये तब तक वो नाले नदी में न गिराये जायें। क्या मंत्री जी ऐसे किसी समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा सदन में करेंगे, नम्बर एक मान्यवर और नम्बर दो मान्यवर कि बहुत पन्जेण्ट इस्मेल, जो हड्डी के कारखाने हैं उनसे बहुत ही पन्जेण्ट इस्मेल निकलती है और वहां से निकलना दूभर हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है। हम तो मेरा ग्रामीण क्षेत्र जितना है, 81 हजार वोट देहात का है। वहां उस रोड से निकल नहीं सकते, मैंने पूरी रोड बनवाई उसके लिये अलग से, उस कारखाने के सामने से न निकलने के लिये मैंने एक अलग से रोड बनवाई। ताकि उस रोड से न निकलना पड़े क्योंकि अक्सर लोग बैठे हुये थे, साइकिल से जा रहे हैं, वही पर उल्टी कर रहे हैं। पूरी लाइन पर अगर आप जायें 20-25 लोग उल्टी करते हुये मिलेंगे, अगर उससे आप धोखे में निकल जायें। मान्यवर, उसके लिया बताया कि कोई मानक नहीं है। बरसों से यह प्रॉब्लम चली आ रही है और मुझे यह बताया गया पॉल्यूशन कण्ट्रोल वालों ने कि तीन लेयर वृक्षारोपण करनी ही उसका निदान है। फिलहाल जितनी भी इनके पास समस्या है, उसका समाधान यह है कि कम-से-कम तीन लेयर प्लांटेशन हो, उस प्लांटेशन से जो पंजम स्मैल है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। मान्यवर, यह प्रदूषण नियंत्रण वालों ने ही बताया है, मैं उसको देख के फिर मैं पत्र लिखकर मंत्री जी को उसकी जानकारी भी दूंगा, लेकिन मानक न होना, भारत सरकार को पत्र

भेजना, उसके जवाब की अपेक्षा करना। मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रख रहा हूं। सरकार में आप सब कुछ कर सकते हैं, किन्हीं परिस्थितियों में किसी चीज को इमर्ज किया जाता है, किसी चीज को इनीसिएट किया जाता है। आर यू इन पोजीशन टू इनीसिएट, आर यू इन पोजीशन टू इमर्ज। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि इमर्ज कर सकते हैं, इनीसिएट कर सकते हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे है। काफी बदले हुए हैं, मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी। मैं 1980 के दशक से उनको सुनता आया हूं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने कुम्भ मेले के सम्बन्ध में बहुत प्रॉजटिव रिस्पॉन्स दिया और मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर किसी की सही दिशा में सोच डेवलप हो तो हम उसका स्वागत करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह हमेशा करते हैं, अब आपकी सोच अलग है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मस्जिद गिरा के कह रहे हैं, वह गलत ही गिरी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं अन्तिम बात कह रहा हूं, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज को इनीसिएट कर सकते हैं। हम एक समस्या बता रहे हैं। आप सरकार में हैं आप सक्षम हैं। यह कह देना की भारत सरकार को पत्र लिखा है। यह जवाब तो हम 25 वर्ष से इस हाऊस में सुनते चले आ रहे हैं और मैंने अपनी बात के शुरू में ही कहा था कि उसके लिए आप कोई ऐसी कार्य योजना बनायें कि उसका बाकायदा निदान किया जा सके आप उस लायक हैं, आप सक्षम हैं।

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 सदस्य महोदय को याद दिलाना चाहूंगा, मैं तो नहीं था इस हाउस में पहली बार आया हूं, लेकिन जिन 25 सालों की वह बात कर रहे है उसमें कुछ साल उनकी सरकार भी चली है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं फेल हो गया, इसीलिए यहां बैठा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप वहीं अच्छे भी लगते है।

(सदन में हंसी)

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, जो मा0 सदस्य महोदय को पॉल्यूशन विभाग की बात बताई गई, वह बिल्कुल सही बताई गयी है, उसका इलाज प्लांटेशन है चाहे वह बाउन्ड्री के एलांग हो, पेरीफेरी, सेकेण्डरी लेयर्स में हो, वह इलाज बिल्कुल ठीक है लेकिन जैसा मैंने कहा क्योंकि मानक नहीं है उसके, तो वह हमारी तरफ से एज पर एक्ट या लॉ इनफारसिएबल नहीं है इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम इनीशियेट कर सकते हैं, हम बिल्कुल इनीशियेट कर सकते है लेकिन इन्वायरमेंट एक सेन्ट्रल सब्जेक्ट है। भारत के संविधान के तहत चलते हुए इन्वायरमेंटल एक्ट लेजिस्लेट करने की ताकत सिर्फ

भारत सरकार में है। हमको उनको प्रपोज करना पड़ेगा। मैं यह जरूर पता कर लूंगा कि क्या हम स्टेट लेविल पर कोई चीज ऐसा ला सकते हैं तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से रिकवेस्ट करूंगा कि कोई न कोई प्रस्ताव करा कर हम ऊपर भेज सकें। अगर हम अपने लेबल पर कर सकते हैं तो जरूर करेंगे मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि जो इनीसिएटिव हम ले सकते हैं। हमारे हिस्से की जो भी ताकत है, वह हम जरूर करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इन्वायरमेंट दोनों सूची में है, यह कन्करेण्ट सूची में भी है।

श्री अभिषेक मिश्र-

इन्वायरमेन्ट कन्करेण्ट सूची में नहीं है, लेकिन मेरी इन्फारमेशन गलत हो सकती है, मैं इसे कन्फर्म कर लूंगा और जो पंजम स्मैल की बात कही है इन्होंने वह बाउन्ड्री लेवल से हो सकता है। एक टाइम बाउण्ड सॉलूशन की बात जो उठाई है, उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तो एक सवाल ईश्यूबेस्ड है। ईश्यूबेस्ड सवालों के टाइम बाउण्ड जवाब नहीं हुआ करते हैं। वह टाइम बाउण्ड जवाब प्रोग्राम्स के हो सकते हैं, पॉलिसीज के हो सकते हैं। हम लोग यह ईश्यू रिजाल्व कर लें उसके बाद जो भी प्रोग्राम, पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का एक्शन प्लान बनेगा वह जरूर टाइम बाउण्ड होगा, यह मैं इनको विश्वास दिलाता हूं यह समाजवादी पार्टी की सरकार है। टाइम बाउण्ड तरीके से ही इम्प्लीमेंटेशन होगा यहां पर। एक बात और जो मा0 सदस्य जी ने पहले कही थी, यमुना के प्रदूषण की मैं उस पर बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि जिम्मेदारी जरूर हमारी आ गई है, क्योंकि यमुना डाउन स्ट्रीम हमको मिलती है, लेकिन जितना प्रदूषण है उसमें सबसे ज्यादा वह पॉल्यूशन का एडीशन यमुना में दिल्ली और हरियाणा की फैक्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। यह दिल्ली और हरियाणा की सरकारों के बीच का हमेशा एक मुद्दा रहता है कि इसको किस तरीके से रिजाल्व किया जा सकता है और इसको किस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं और फाइनली अपनी बात खत्म कर रहा हूं यह बात कह कर अध्यक्ष जी कि अगर किसी फैक्ट्री के बारे में किसी इण्डस्ट्री के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी हो कि ये लोग गलत तरीके से चल रहे हैं या किसी अफसर ने कोई गलत काम किया है या किसी ने गलत मोटीवेशन से कोई डिसीजन लिया है तो उसका स्पेसिफिक इंस्टेंस बतायें, सरकार इस बात को कटिबद्ध है कि हम उसका पूरी तरह से निरपेक्ष भाव से निष्पक्षता से जांच कराकर उस पर कड़ी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 08 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 7 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

निजी शीतगृहों की संख्या एवं भण्डारण क्षमता वर्ष 2012

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्तमान सूचना के अनुसार शीतगृहों की सं0	वर्तमान सूचना के अनुसार भण्डारण क्षमता (मि0टन)
1	2	3	4
1	सहारनपुर	5	17146.88
2	मुजफ्फरनगर	14	90145.83
3	प्रबुद्ध नगर	8	24910.31
सहारनपुर मण्डल		**27**	**132203.02**
4	मेरठ	30	135408.27
5	बागपत	4	25000.00
6	बुलन्दशहर	34	133601.54
7	गाजियाबाद	21	21531.51
8	पंचशील नगर	13	113468.43
9	गौतमबुद्ध नगर	0	0.00
मेरठ मण्डल		**102**	**429009.75**
10	अलीगढ़	67	476899.90
11	हाथरस	94	846479.56
12	एटा	18	130986.58
13	कांशीराम नगर	12	84650.21
अलीगढ़ मण्डल		**191**	**1539016.25**
14	मथुरा	36	333802.70
15	आगरा	234	1922316.71
16	फिरोजाबाद	141	1271152.00
17	मैनपुरी	30	234299.22
आगरा मण्डल		**441**	**3761570.63**
18	बरेली	16	90098.24

1	2	3	4
19	बदायूं	53	215874.00
20	शाहजहांपुर	19	94091.02
21	पीलीभीत	3	7221.51
	बरेली मण्डल	**91**	**407284.77**
22	बिजनौर	10	37981.44
23	मुरादाबाद	3	24284.33
24	ज्योतिबाफूले नगर	18	83637.83
25	रामपुर	5	22558.50
26	भीम नगर	33	195835.00
	मुरादाबाद मण्डल	**69**	**364297.1**
27	फर्रुखाबाद	62	550504.00
28	कन्नौज	92	850110.00
29	इटावा	39	366597.00
30	औरैया	6	46577.00
31	कानपुर नगर	53	448066.70
32	रमाबाई नगर	4	34550.00
	कानपुर मण्डल	**256**	**2296404.7**
33	फतेहपुर	14	109963.38
34	इलाहाबाद	46	356165.00
35	कौशाम्बी	6	49267.07
36	प्रतापगढ़	8	43070.00
	इलाहाबाद मण्डल	**74**	**558465.45**
37	झांसी	1	4000.00
38	ललितपुर	0	0.00
39	जालौन	1	0.00
	झांसी मण्डल	**2**	**4000.00**
40	बांदा	0	0.00
41	चित्रकूट	0	0.00
42	हमीरपुर	0	0.00

1	2	3	4
43	महोबा	0	0.00
	चित्रकूटधाम मण्डल	**0**	**0.00**
44	वाराणसी	10	32303.00
45	चन्दौली	2	1131.80
46	जौनपुर	23	103241.57
47	गाजीपुर	39	257804.80
	वाराणसी मण्डल	**74**	**394481.17**
48	मिर्जापुर	7	16451.90
49	सोनभद्र	0	0.00
50	रविदास नगर	2	10386.32
	मिर्जापुर मण्डल	**9**	**26838.22**
51	बलिया	10	65939.40
52	आजमगढ़	7	22970.19
53	मऊ	3	19562.86
	आजमगढ़ मण्डल	**20**	**108472.45**
54	गोरखपुर	6	29969.00
55	महराजगंज	6	26354.08
56	देवरिया	0	0.00
57	कुशीनगर	1	2200.00
	गोरखपुर मण्डल	**13**	**58523.08**
58	बस्ती	2	9162.90
59	संत कबीर नगर	2	11059.20
60	सिद्धार्थनगर	0	0.00
	बस्ती मण्डल	**4**	**20222.10**
61	गोण्डा	1	6585.00
62	बलरामपुर	0	0.00
63	बहराइच	7	41467.77
64	श्रावस्ती	0	0.00
	देवीपाटन मण्डल	**8**	**48052.77**

1	2	3	4
65	लखनऊ	19	175770.97
66	उन्नाव	13	101947.37
67	रायबरेली	14	89637.49
68	सीतापुर	7	22155.00
69	हरदोई	23	125368.60
70	लखीमपुर खीरी	1	8598.84
	लखनऊ मण्डल	**77**	**523478.27**
71	फैजाबाद	9	53983.16
72	अम्बेडकर नगर	11	47722.68
73	सुल्तानपुर	4	15008.34
74	सी0एस0एम0 नगर	18	142290.43
75	बाराबंकी	20	192768.00
	फैजाबाद मण्डल	**62**	**451772.61**
	राजकीय शीतगृह	**2**	**6000**
	महायोग	**1522**	**11130092.34**

पी0एस0यू0पी0-एल0 181 विधान सभा (328)-7-6-2012-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।